(1100/CS/SPR)

1101 बजे

(माननीय अध्यक्ष पीठासीन हुए)

निधन संबंधी उल्लेख

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, मुझे सभा को हमारे पूर्व सदस्य श्री एस. जयपाल रेड्डी के दु:खद निधन के बारे में सूचित करना है।

श्री एस. जयपाल रेड्डी संयुक्त आन्ध्र प्रदेश के क्रमश: महबूबनगर, मिरयालागुडा और चेलवेला संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों, जो अब तेलंगाना में हैं, से 8वीं, तथा 12वीं से 15वीं लोक सभा के सदस्य थे।

उत्कृष्ट प्रशासक श्री रेड्डी सूचना और प्रसारण, शहरी विकास और संस्कृति, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालयों में केन्द्रीय मंत्री थे।

अपने दीर्घ और ओजस्वी राजनीतिक जीवन के दौरान श्री रेड्डी विशेषाधिकार समिति के सभापति और विभिन्न संसदीय समितियों के सदस्य भी रहे।

वे राज्य सभा में दो बार सदस्य भी रहे और उन्होंने वर्ष 1991 से 1992 तक राज्य सभा में विपक्ष के नेता का पद भी संभाला।

उन्हें वर्ष 1998 में 'उत्कृष्ट सांसद पुरस्कार' प्रदान किया गया।

इससे पूर्व श्री रेड्डी आन्ध्र प्रदेश विधान सभा के चार बार सदस्य रहे।

श्री एस. जयपाल रेड्डी का निधन 28 जुलाई, 2019 को 77 वर्ष की आयु में हैदराबाद, तेलंगाना में हुआ।

हम अपने पूर्व सहयोगी के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हैं और मुझे विश्वास है कि सभा शोक संतप्त परिवार के प्रति अपनी संवेदना प्रकट करने में मेरे साथ है।

अब सभा दिवंगत आत्मा के सम्मान में थोड़ी देर मौन खड़ी रहेगी।

(तत्पश्चात् सदस्यगण थोड़ी देर मौन खड़े रहे।)

स्थगन प्रस्ताव की सूचनाओं के बारे में विनिर्णय

1103 बजे

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, मुझे कुछ विषयों पर स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएँ प्राप्त हुई हैं, लेकिन मैंने स्थगन प्रस्ताव की किसी भी सूचना के लिए आज अनुमति प्रदान नहीं की है।

…(व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): महोदय, हमारी रिक्वेस्ट है कि जैसे आपने कल जीरो ऑवर चलाया था, उसी तरह से आज भी जीरो ऑवर में माननीय सदस्यों को अपने मुद्दे रखने का मौका दिया जाए।…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : पहले पेपर ले कर लेते हैं।

सभा पटल पर रखे गए पत्र

1104 बजे

माननीय अध्यक्ष : अब पत्र सभा पटल पर रखे जाएंगे। आइटम नम्बर-2, श्री परषोत्तम रूपाला जी। श्री अर्जुन राम मेघवाल जी।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): श्री परषोत्तम रूपाला जी की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:-

(1)(एक) नेशनल सेंटर फॉर कोल्ड-चेन डेवेलपमेन्ट, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 से 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल सेंटर फॉर कोल्ड-चेन डेवेलपमेन्ट, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 से 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले सात विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

.....

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (साध्वी निरंजन ज्योति): महोदय, मैं महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखती हूँ।

.....

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:-

(1) बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 114क की उपधारा (3) और बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 की धारा 27 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमा दलाल) विनियम, 2018 जो 19 जनवरी, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ0सं0 आईआरडीएआई/ रेगु./2/149/2018 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) अधिसूचना संख्या एफ0सं0 आईआरडीएआई/रेगु./3/150/2018 जो 28 फरवरी, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (जीवन बीमा के लिए मानक प्रस्ताव प्ररूप) विनियम, 2013 का निरसन किया गया है।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) संविधान के अनुच्छेद 151(1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(एक) मार्च, 2018 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन-संघ सरकार (2019 का प्रतिवेदन संख्यांक 9)- राजस्व विभाग-प्रत्यक्ष कर।

(दो) मार्च, 2018 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन-संघ सरकार (2019 का प्रतिवेदन संख्यांक 11)- राजस्व विभाग-(अप्रत्यक्ष कर-माल और सेवा कर)।

.....

MESSAGE FROM RAJYA SABHA

SECRETARY GENERAL: Madam Speaker, I have to report a message received from the Secretary General of Rajya Sabha:-

> "In accordance with the provisions of rule 127 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Rajya Sabha, I am directed to inform the Lok Sabha that the Rajya Sabha at its sitting held on the 29th July, 2019 considered and agreed without any amendment to the Banning of Unregulated Deposit Schemes Bill, 2019 which was passed by the Lok Sabha at its sitting held on the 24th July, 2019."

(1105/RV/SNB)

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): सर, हमें यहां स्थगन प्रस्ताव उठाने के लिए मौका दिया जाए।

माननीय अध्यक्ष: मैंने आपके स्थगन प्रस्ताव की अनुमति नहीं दी है।

…(व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): सर, इसे ज़ीरो आवर कर दिया जाए और हमें बोलने का मौका दिया जाए।…(व्यवधान)

सारे हिन्दुस्तान के लोग आज शर्मसार महसूस कर रहे हैं।…(व्यवधान) उत्तर प्रदेश के उन्नाव में जो घटना घटी है, वह सभ्य समाज पर कलंक है, जहां एक नाबालिग लड़की का सामूहिक बलात्कार किया गया।…(व्यवधान) उसकी सीबीआई जांच हो रही है और जांच होते हुए भी पीड़ितों को बचाने का और उन्हें बचने का कोई अधिकार नहीं दिया जाता है।…(व्यवधान)

सर, जिस उत्तर प्रदेश के बारे में यह सरकार कहती है कि हम उसे उत्तम प्रदेश बना रहे हैं तो वह उत्तर प्रदेश आज अधर्म प्रदेश की दिशा में आगे बढ़ रहा है, जहां एक नाबालिग लड़की का सामूहिक बलात्कार और उनके पिता की मौत होती है।…(व्यवधान) वह नाबालिग लड़की अपने लिए न्याय की गुहार करते हुए चीफ मिनिस्टर के मकान के सामने आत्मदाह करने की भी चेष्टा करती है।…(व्यवधान) उसके बाद उसकी चाची की मौत होती है, उसकी मौसी की मौत होती है।…(व्यवधान) जो चश्मदीद गवाह थे, उन चश्मदीद गवाहों का नामो-निशान मिटाने के लिए उनके ऊपर से एक ट्रक गुजर गया और दोनों की मौके पर मौत हो गई।…(व्यवधान) साथ ही, पीड़िता गम्भीर हालत में हॉस्पिटल में भर्ती हुई है।…(व्यवधान) उनके वकील भी भर्ती हुए हैं।…(व्यवधान)

सर, ऐसी हालत में अगर इन लोगों को यह महसूस न होता हो कि यह एक शर्मसार घटना है तो हम सबको इसके लिए शर्मिन्दा होना पड़ेगा।…(व्यवधान) इसकी सीबीआई जांच हो रही है।…(व्यवधान) इसके लिए गृह मंत्री जी सदन में आएं और इसके बारे में बयान पेश करें, जिससे हिन्दुस्तान के आम लोगों को यह पता चले कि हम कौन-से समाज में वास करते हैं जहां हमारी पीड़िता के ऊपर इस तरह की दर्दनाक, शर्मनाक घटना घट रही है।…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: संसदीय कार्य मंत्री जी।

1108 बजे

(इस समय श्री गौरव गोगोई, डॉ. कलानिधि वीरास्वामी और कुछ अन्य माननीय सदस्य आकर पटल के निकट खड़े हो गए।)

संसदीय कार्य मंत्री; कोयला मंत्री तथा खान मंत्री (श्री प्रहलाद जोशी): सर, इस पर राजनीति नहीं करना चाहिए।…(व्यवधान) इस पर ऑलरेडी सीबीआई इनक्वायरी चल रही है।…(व्यवधान) एफ.आई.आर. भी दर्ज हो चुकी है।…(व्यवधान) पूरी जांच निष्पक्ष तौर से उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है और इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि हम उस परिवार के साथ हैं।…(व्यवधान) जो कुछ भी

न्याय करना है, उत्तर प्रदेश की सरकार कर रही है, लेकिन इसके ऊपर राजनीति करना बिल्कुल ठीक नहीं है।...(व्यवधान)

सर, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि उत्तर प्रदेश के हमारे माननीय सदस्य जगदम्बिका पाल जी इस पर कमेन्ट करेंगे। इन्हें कृपया बोलने की अनुमति दे दीजिए।...(व्यवधान)

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज): माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस तरीके से काँग्रेस पार्टी के नेता ने आज राज्य के विषय को उठाया है, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को बदनाम करने के लिए उन्होंने यह कहा कि पीड़िता के परिवार के साक्ष्य को मिटाने के लिए ट्रक से उनकी हत्या करने का प्रयास किया गया है, इसके बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि ये देश को गुमराह कर रहे हैं।...(व्यवधान) जिस ट्रक से एक्सीडेंट हुआ है, वह ट्रक समाजवादी पार्टी के नेता अमर पाल सिंह का था।...(व्यवधान) ये जवाब दे दें।...(व्यवधान) समाजवादी पार्टी कल से सीबीआई जांच की मांग कर रही थी और आज उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्य मंत्री ने इस ट्रक दुर्घटना की सीबीआई जांच की संस्तुति भी कर दी है।...(व्यवधान) पहले भी जो हत्या हुई थी, उसकी भी सीबीआई जांच हो रही है और जो विधायक है, वह जेल में है।...(व्यवधान) वह सीतापुर में है।...(व्यवधान)

(1110/MY/UB)

जिस तरीके से आज उत्तर प्रदेश में इनकी कोई जमीन नहीं बची है। ...(व्यवधान) आज कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से, चाहे अमेठी हो, रायबरेली हो...(व्यवधान) वह उत्तर प्रदेश की सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रही है।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूं कि वे सदन की कार्यवाही व्यवस्थित करें।...(व्यवधान) धन्यवाद।

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (साध्वी निरंजन ज्योति): अध्यक्ष महोदय, इस मुद्दे को लेकर हम उस बेटी तथा परिवार के साथ हैं।...(व्यवधान) जो ट्रक वाला है, वह नरौली, फतेहपुर जिले का है और समाजवादी पार्टी का कार्यकर्त्ता है।...(व्यवधान) समाजवादी पार्टी का पदाधिकारी है और वह मेरे क्षेत्र का है।...(व्यवधान) ट्रक वाला फतेहपुर का रहने वाला है।...(व्यवधान) समाजवादी पार्टी अपने कार्यकर्त्ता को बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने के लिए काम कर रही है।...(व्यवधान)

उपभोक्ता संरक्षण विधेयक

1112 बजे

माननीय अध्यक्ष: आइटम नं. 6, उपभोक्ता संरक्षण विधेयक 2019, माननीय मंत्री जी।

…(व्यवधान)

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री रामविलास पासवान): अध्यक्ष महोदय, यह बिल एक नया बिल है।…(व्यवधान) जो पहले का बिल था, वह दिसम्बर 1986 में एक्ट बना था। …(व्यवधान) 33 साल के बाद यह बिल दोबारा सदन के सामने आया है।…(व्यवधान) मैं आपकी अनुमति से उपभोक्ता संरक्षण बिल, 2019 पर विचार करने का प्रस्ताव करना चाहता हूं।…(व्यवधान)

महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

> "कि उपभोक्ताओं के हितों का संरक्षण करने के लिए और उक्त प्रयोजन के लिए उपभोक्ता विवादों के समय से और प्रभावी प्रशासन तथा परिनिर्धारण के लिए प्राधिकरणों की स्थापना करने और उससे संबद्ध या आनुषंगिक विषयों के लिए उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए। "

अध्यक्ष महोदय, यह बिल वर्ष 1986 में बना था। …(व्यवधान) उसके बाद से लगातार मांग हो रही थी कि जो उपभोक्ता हैं, …(व्यवधान)

संसदीय कार्य मंत्री; कोयला मंत्री तथा खान मंत्री (श्री प्रहलाद जोशी): रामविलास जी, यहां से आवाज आ रही है।…(व्यवधान) आप थोड़ा पीछे होकर बोलिए।…(व्यवधान)

श्री रामविलास पासवान: रावसाहेब दानवे जी, आप संक्षेप में बोल दीजिए।…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

> "कि उपभोक्ताओं के हितों का संरक्षण करने के लिए और उक्त प्रयोजन के लिए उपभोक्ता विवादों के समय से और प्रभावी प्रशासन तथा परिनिर्धारण के लिए प्राधिकरणों की स्थापना करने और उससे संबद्ध या आनुषंगिक विषयों के लिए उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए"

…(<u>व्यवधान</u>)

1114 बजे

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दानवे रावसाहेब दादाराव): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से उपभोक्ता संरक्षण बिल, 2019 पर विचार करने का प्रस्ताव करता हूं।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, यह जो बिल है, ...(व्यवधान) उपभोक्ता संरक्षण बिल को 10 अगस्त, 2015 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया था।...(व्यवधान) उसके बाद बिल पर विचार हेतु विभाग संबंधी स्थायी समिति को भेज दिया गया था। संसद की स्थायी समिति ने 7 अप्रैल, 2016 को अपनी 9वीं रिपोर्ट दी थी, जिसमें 36 प्रमुख सिफारिशें की गई थीं।...(व्यवधान) उसमें भ्रामक विज्ञापन से निपटने, मिलावट और प्रस्तावित केन्द्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण एवं सेफ्टी आदि से संबंधित सिफारिशें शामिल थीं।...(व्यवधान)

(1115/CP/KMR)

अध्यक्ष महोदय, स्थायी समिति की इन सिफारिशों को पूर्ण रूप से अथवा कुछ एक संशोधनों के साथ स्वीकार कर लिया गया। उसके बाद ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की समिति द्वारा इन सिफारिशों पर विचार किया गया। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, एक नया संशोधित बिल ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स, स्टैंडिंग कमेटी और विधि मंत्रालय को ध्यान में रखते हुए, उपभोक्ता संरक्षण विधेयक, 2018 बनाया गया, जिससे एक नया संशोधित बिल लोक सभा में 05.01.2018 को प्रस्तुत किया गया।

अध्यक्ष महोदय, लोक सभा ने 20.12.2018 को इस बिल को पारित भी कर दिया था, किंतु 16वीं लोक सभा के विघटन के कारण यह बिल लैप्स हो गया।

अध्यक्ष महोदय, इस बिल को कुछ संशोधनों के साथ दिनांक 8 जुलाई, 2019 को लोक सभा में पुन: स्थापित किया गया। इस बिल की मुख्य विशेषताएं मैं आपको बताता हूं।

पहले जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर और नेशनल लेवल पर उपभोक्ता न्यायालय था, लेकिन उपभोक्ताओं को न्याय मिलने के लिए छह महीने समय की पाबंदी थी। उस समय में उपभोक्ताओं की समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा था। इसलिए इन आयोगों के अतिरिक्त एक केन्द्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) की स्थापना का प्रस्ताव किया गया है।

अध्यक्ष महोदय, सरलीकृत विवाद निपटान प्रक्रिया, मध्यस्थता का प्रावधान, उत्पादों की लाइबिलिटी, उत्पादों के भ्रामक विज्ञापन और अपमिश्रण के लिए दण्ड की व्यवस्था, उपभोक्ता आयोग की जांच को सरल बनाने तथा अधिनिर्णय की प्रक्रिया को सरल बनाना इस बिल में हमने शामिल किया है। मध्यस्थता के द्वारा मामलों का शीघ्र निपटान, ई-कॉमर्स तथा प्रत्यक्ष बिक्री पर डायरेक्ट सेलिंग, नए युग के उपभोक्ताओं के मुद्दों के लिए नए नियम बनाकर इस बिल में शामिल किए गए हैं।

अध्यक्ष महोदय, इसकी ढांचागत स्थिति ऐसी है कि केन्द्रीय प्राधिकरण में एक मुख्य आयुक्त होगा और अन्य आयुक्त भी होंगे। क्षेत्रीय प्राधिकरण में एक आयुक्त होगा। केन्द्रीय उपभोक्ता

संरक्षण प्राधिकरण में मुख्य आयुक्त एवं अन्य आयुक्त आदि रहेंगे, तथापि इसका विस्तृत संगठन एवं संरचना बिल के पास होने के उपरान्त राज्यों एवं संघों से परामर्श करके निश्चित किया जाएगा।

अध्यक्ष महोदय, सीसीपीए श्रेणीगत उपभोक्ताओं को राहत प्रदान करने वाली कार्यकारी एजेंसी है। इसे निम्नलिखित कार्य को करने के लिए अधिकार प्राप्त होंगे।

उपभोक्ता अधिकारों के उल्लंघन, शिकायत और अभियोजन शुरू करने के लिए संशोधन करना, असुरक्षित उत्पादों और सेवाओं को वापस लेने का आदेश दिया जाना, अनुचित व्यापार प्रथाओं और भ्रामक विज्ञापनों को जारी न करने का आदेश देना, भ्रामक विज्ञापनों के विनिर्माताओं/समर्थकों/प्रकाशन पर जुर्माना लगाना, इस बिल के नए प्रावधान में हमने इनको शामिल किया है।

इससे उपभोक्ताओं को लाभ मिलने वाला है। वर्तमान में उपभोक्ताओं के पास न्याय सुलभता के लिए केवल एकमात्र बिंदु है, जिसमें समय लगता है। केन्द्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण के माध्यम से विधेयक में अतिरिक्त द्रुतगामी कार्यकारी सुधार प्रस्तावित किए गए हैं।

अध्यक्ष महोदय, उत्पादों के भ्रामक विज्ञापनों और अपमिश्रण को रोकने के लिए यहां दंड की सिफारिश की गई है। निर्माताओं तथा सेवा प्रदाताओं को सदोष उत्पादों अथवा त्रुटिपूर्ण सेवाओं की प्रदायगी से रोकने के लिए भी उत्पाद-देयता का प्रावधान किया है।

उपभोक्ता आयोग में पहुंच को सरल बनाना तथा अधिनिर्णयन की प्रक्रिया को सरल बनाना है। मध्यस्थता के माध्यम से मामलों के शीघ्र निपटान करने का प्रावधान भी इस बिल में किया गया है। युवा उपभोक्ता मुद्दों के लिए नियमों का प्रावधान, ई-कॉमर्स तथा प्रत्यक्ष बिक्री का प्रावधान भी इसमें किया गया है।

अध्यक्ष महोदय , जो पहला बिल था, वह वर्ष 1986 में बना था। इसमें जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर उपभोक्ता आयोगों की स्थापना का प्रावधान था, जो कि एक जुडीशियल प्रक्रिया थी। अब इस विधेयक में हमने इन उपभोक्ता आयोगों के अतिरिक्त एक केन्द्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना का प्रावधान किया है।

अध्यक्ष महोदय, पहले जिला आयोग में 20 लाख रुपये तक के लिए प्राावधान था। अब हमने जिला आयोग के लिए 1 करोड़ रुपये तक का प्रावधान किया है। पहले राज्य आयोग के लिए 20 लाख रुपये तक का प्रावधान था, हमने इसके लिए 1 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। राष्ट्रीय आयोग में केवल 1 करोड़ रुपये का प्रावधान था, अब इस नए बिल में हमने 10 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है।

उपभोक्ताओं को पहले तुरंत राहत नहीं मिल पाती थी एवं न्याय मिलने के लिए काफी शिकायतें दर्ज करनी पड़ती थीं। इस विधेयक के द्वारा विवाद समाधान की प्रक्रिया को त्वरित एवं सरल बनाया गया है।

(1120/NK/SNT)

महोदय, इस विधेयक में जो पुराना बिल था, जब उपभोक्ता शिकायत करने जाता था तब एक दिन के अंदर आयोग की तरफ से उसकी स्वीकृति मिलनी अनिवार्य थी …(व्यवधान) लेकिन 2019 के इस बिल में जब उपभोक्ता शिकायत करने जाएगा तो 21 दिन में आयोग की तरफ से डीम्ड एडमिसिबिलिटी बिल जाएगी। अगर उपभोक्ता आयोग के निर्णय से संतुष्ट नहीं है, …(व्यवधान) राज्य आयोग और राष्ट्रीय आयोग के पास जा सकता है। …(व्यवधान) इस विधेयक में अपील की व्यवस्था केवल एक स्तर पर होती है। …(व्यवधान) उदाहरण के लिए अगर उपभोक्ता निर्णय से संतुष्ट नहीं है तो केवल राज्य आयोग तक जाता है, …(व्यवधान) केवल दो ही स्तर इस बिल में रखे गये हैं। मैं आपसे विनती करता हूं कि इस बिल को पारित किया जाए।

(इति)

1121 बजे

श्री राजेन्द्र अग्रवाल (मेरठ): अध्यक्ष महोदय, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे उपभोक्त संरक्षण विधेयक, 2019 पर बोलने के लिए अवसर दिया। यह आम उपभोक्ता से जुड़ा हुआ बिल है, बड़ा महत्वपूर्ण बिल है। मुझे आशा है कि हमारे विपक्षी दल के सम्माननीय सांसद इसमें अपनी भागीदारी करेंगे तथा हम सब की बात भी सुनेंगे और अपनी बात भी कहेंगे। …(व्यवधान) लंबे विचार-विमर्श के पश्चात् एक प्रकार से यह संपूर्ण बिल है, कम्प्रेहेन्सिव बिल है। इस बिल को लाने के लिए मैं सम्मानीय प्रधान मंत्री जी तथा अत्यंत संवेदनशील माननीय मंत्री राम विलास पासवान जी का अभिनंदन करता हूं। यह बिल 1886 के अधिनियम का स्थान लेगा।

अध्यक्ष जी, इस बीच व्यापार के तरीके बदल गए हैं, वस्तुएं बदल गई हैं जिनका व्यापार होता है। नए प्रकार की ई-कॉमर्स पद्धति शुरू हो गई है। लोग बढ़ी हुई जानकारियों का सामान्य व्यक्तियों को ठगने में उपयोग करते हैं। …(व्यवधान) हमारे पास 1986 का एक्ट था उसके माध्यम से उपभोक्ता को संरक्षण देना कठिन हो गया था। आजकल जैसा मैंने कहा, ई-कामर्स का जमाना है, अमेजन और फ्लिपकार्ट अंतर्राष्ट्रीय लैवल पर इतनी बड़ी कंपनियां बन गई हैं, इसके मालिकों की गिनती सर्वाधिक रईस लोगों में होने लगी है। …(व्यवधान) ऐसे में ग्राहक बड़ा छोटा हो जाता है। ऐसा लगता है कि उसका साइज बहुत छोटा हो गया है और उसके शोषण की संभावनाएं बढ़ जाती हैं।

मेरे साथ घटी एक घटना को मैं संसद के साथ शेयर करना चाहूंगा। वर्ष 2016 की बात है। मैं कंपनी का नाम नहीं बताऊंगा और उत्पाद का नाम भी नहीं बताऊंगा। मैंने एक मोबाइल का आदेश किया। मेरे बेटे ने कहा कि ई-कार्मस के माध्यम से ऑनलाइन आदेश देते हैं, उसने आदेश दिया। एक बहुत खूबसूरत सा पैकेट मेरे पास आया, पैकेट खोलने के बाद मोबाइल की जगह एक पत्थर का टुकड़ा मिला, यह मेरे साथ हुआ है। मैं सांसद हूं, इसकी मैंने तुरंत शिकायत की और रेमेडी हो गई। कंपनी के लोगों ने तुरंत क्षमा भी मांग ली, मुझे मेरा मोबाइल उपलब्ध करा दिया गया। यह कहा गया कि पैकिंग में गलती हो गई हो। …(व्यवधान) इतने बड़े साम्राज्य का निर्माण हुआ है। इतने तरीके निर्माण हो गए, बहुत बार छोटा उपभोक्ता शोषण का शिकार हो जाता है। उसके साथ गलतियां हो जाती हैं, इसलिए उसका संरक्षण किया जाना बहुत जरूरी है। …(व्यवधान) इसलिए इस नए बिल का निर्माण किया गया है। पुराने बिल 1986 के एक्ट में भी व्यवस्थाएं थीं। उसके अंदर जिला स्तर, प्रदेश और केन्द्रीय स्तर पर विवादों के निस्तारण की त्रिस्तरीय व्यवस्थाएं थीं। उसके द्वारा भी काम हुआ है। ऐसा नहीं है कि वह कानून बिल्कुल निरुपयोगी था, लेकिन उसमें 90 परसेंट का निस्तारण अच्छा परसेंटेज कहा जा सकता है। उसके न्याय की डिलीवरी में समय बहुत लगता था। छह महीने या साल भर लग जाते थे। औसत समय एक केस का बारह महीने निकल कर आया है।

(1125/NK/GM)

आज अगर हम पेनडेंसी देखें, पुराने कानून की एक सीमा के कारण मैं एक डाटा दे रहा हूं, इसे एनसीडीआरसी द्वारा उपलब्ध कराया गया है। यह 13 जून, 2019 का आंकड़ा है। आज जो जिस प्रकार से उपभोक्ता के मामले कंज्यूमर कोर्ट्स में पड़े हुए हैं, ...(व्यवधान) उनकी नेशनल कमीशन में पेनडेंसी 20,304 है, स्टेट कमीशन में पेनडेंसी 1,18,319 है और डिस्ट्रिक्ट फोरम में 3,23,163 है, कुल मिलाकर 4,61,786 अभी पेन्नडेंसी बनी हुई है, यह दूर हो। उपभोक्ता के साथ जहां कहीं भी अन्याय होता है उसके खिलाफ खड़े हो सकें, उनको प्रोटेक्शन दिया जा सके। त्वरित न्याय प्रदान करने के लिए नए उपभोक्ता संरक्षण कानून की आवश्यकता थी, इसलिए इसे बनाने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। ...(व्यवधान)

बहुत बड़ी संख्या में नए माननीय सदस्य सदन में आए हैं। माननीय मंत्री जी ने जब इस बिल पर विचार किए जाने का प्रस्ताव किया है, मैं भी सदन को बताना चाहता हूं कि नया बिल वर्ष 1986 के बिल को रीप्लेस करने के लिए लाया गया था। 10 अगस्त, 2015 को एक विधेयक लोक सभा में प्रस्तुत किया गया, लोक सभा के अंदर मांग हुई, सभी सदस्यों ने कहा कि इस बिल पर विचार विमर्श के लिए स्थायी समिति को भेजा जाए, इस पर और अधिक विचार किए जाने की जरूरत है। इसलिए इसे खाद्य उपभोक्ता और सार्वजनिक वितरण संबंधी समिति को भेज दिया गया। समिति ने अप्रैल, 2017 में अपनी रिपोर्ट दी। इस रिपोर्ट में कुल 37 सिफारिशें दीं, ये सिफारिशें अधिकांश भ्रामक विज्ञापनों से कैसे निपटा जाए, उत्पादों में मिलावट से कैसे निपटा जाए, केन्द्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण बनाया जाना था ...(व्यवधान) उसकी शक्तियां क्या हों, उसका कार्यकरण क्या हो, इस संबंध में थी। इन सभी सिफारिशों में छोटा-मोटा परिवर्तन करके स्वीकार किया गया। इसके बाद भी और अधिक विचार करने के लिए तय किया गया, इसे मंत्रिमंडलीय समूह में प्रस्तुत करने से पहले वित्त मंत्री जी की अध्यक्षता में ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स (जीओएम) के पास विचार के लिए भेजा गया। उन्होंने इस पर विचार किया, ...(व्यवधान) इसकी समीक्षा की, उसके बाद पांच सिफारिशें जीओएम के सामने इस बिल के संबंध में दी गईं। वह सिफारिशें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। एक प्रकार से इस नए बिल का आधार बनती है। आपकी अनुमति से एक बार उसे पढ़ना चाहूंगा। पांच सिफारिशों में से पहली सिफारिश है with regard to misleading advertisements, imposition of monetary penalty by the central authority on endorsers, publishers and persons party to a publication and ban on making further endorsements and in the case of manufacturers, imprisonment and fine. दूसरी रिकॉमेन्डेशन है inclusion of product-neutral offence with graded punishment in the case of adulteration of any product containing adulterant that will cause injury to the consumer. तीसरी सिफारिश बड़ी महत्वपूर्ण है removal of overlap of powers between the Central Consumer Protection Authority and the consumer disputes redressal agencies under the Bill, by modifying the powers of the central authority. चौथी सिफारिश है National Commission to be the appellate authority against any order of the commissioner or the chief commissioner of

the Central Consumer Protection Authority. अंतिम पांचवीं सिफारिश है establishment of regional benches of the National Consumer Disputes Redressal Commission by the Central Government at such other places as may be necessary. इस प्रकार सारी सिफारिशों को सम्मिलित करते हुए और प्रत्येक स्तर पर विचार करते हुए एक नया बिल तैयार किया गया। इसे 5 जनवरी, 2015 को पार्लियामेंट में प्रस्तुत किया गया। दिसम्बर में इसके ऊपर विचार-विमर्श हुआ, 20 दिसम्बर, 2018 को उसे पारित कर दिया गया। जैसा अन्य बिलों के साथ हुआ, राज्य सभा में यह बिल पास नहीं हो सका। इस बीच सोलहवीं लोक सभा का कार्यकाल समाप्त हो गया। यह बिल लैप्स हो गया, इस कारण आज फिर इस सत्र में इस बिल को लाया गया। 8 जुलाई, 2019 को इसे पुर:स्थापित किया गया था और आज विचार के लिए प्रस्तुत है।

(1130/MK/RK)

…(व्यवधान) मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार यह बिल किसी भी प्रकार की राजनीतिक संकीर्णता का शिकार नहीं होगा और लोक सभा तथा राज्य सभा के अंदर यह बिल पास हो जाएगा, जिससे जो सामान्य उपभोक्ता हैं, उनको न्याय मिल सके।…(व्यवधान)

इस बिल में कुछ पुरानी व्यवस्थाओं को भी जारी रखा गया है, उनमें कुछ संशोधन भी किए गए हैं तथा कुछ नए प्रोविजन्स रखे गए हैं। …(व्यवधान) सबसे पहले, उपभोक्ता संरक्षण परिषद्, यह पहले भी थी, जो तीन स्तरों में थी, जिसका गठन इस बिल के अंदर किया जाएगा। प्रदेश और केंद्र स्तर पर इसके अध्यक्ष मंत्री महोदय होंगे और जिला स्तर पर जिलाधिकारी होंगे। इसके अलावा जो बहुत महत्वपूर्ण विषय है, कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेशल कमीशन, जिसको पहले हम लोग कंज्यूमर फोरम कहते थे, जिला फोरम कहते थे, उनको अब कोर्ट्स के रूप में अधिक अधिकार देते हुए इनका गठन किया जाएगा।…(व्यवधान) जो कंज्यूमर कमीशन्स हैं, इनको जिला स्तर पर, प्रदेश के स्तर पर और केंद्र के स्तर पर गठन किया जाएगा। इसके बारे में सारा विवरण बड़े विस्तार से बिल के अंदर है। ये जो कमीशन्स बनेंगे, इनको अब हम प्रचलित भाषा में कंज्यूमर कोर्ट्स कह सकते हैं। इनके अधिकारों और न्याय अधिकार को और अधिक बढ़ाया गया है । जैसे जिले में जो कंज्यूमर कोर्ट है, उसको पहले 20 लाख रुपये तक की सीमा थी अब वह एक करोड़ रुपये तक के मसले की सुनवाई कर सकता है। प्रदेश का जो कोर्ट है, उसको पहले एक करोड़ रुपये की सीमा थी, अब वह 10 करोड़ रुपये तक के मुकदमे की सुनवाई कर सकता है। जो राष्ट्रीय कमीशन है, वह 10 करोड़ रुपये या उससे ऊपर के मुकदमे की सुनवाई कर सकता है। इस प्रकार से एक बढ़े हुए अधिकारों के साथ, बढ़े हुए न्याय क्षेत्र के साथ इस कमीशन का निर्माण होगा, जिससे सामान्य ग्राहकों को बहुत राहत मिलेगी।…(व्यवधान)

इसी प्रकार से इसमें एक नई चीज जोड़ी गई है, वह केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण है। इसके अध्यक्ष मुख्य आयुक्त होंगे, उनकी सहायता के लिए अन्य आयुक्तों का भी चयन होगा। इसके इन्वेस्टिगेशन के पार्ट को देखने के लिए एक डायरेक्टर जनरल की नियुक्ति होगी। …(व्यवधान) जो सीसीपीए है, इसके माध्यम से उपभोक्ता के खिलाफ किसी भी प्रकार की यदि शरारत होती है, चाहे

वह वस्तु विनिमय में हो, नकली माल हो, चाहे विज्ञापन से संबंधित हो या व्यापार व्यवहार के अंदर कोई बेईमानी की गई है, उन सब के खिलाफ सीसीपीए संरक्षण प्रदान करेगा तथा एक बहुत बड़ा उपकरण हमारे सामान्य उपभोक्ताओं को संरक्षण प्रदान करने के लिए इस बिल के अंदर बनाया गया है।...(व्यवधान)

1133 बजे (श्रीमती मीनाक्षी लेखी पीठासीन हुईं)

इसी प्रकार से इसमें एक और नई चीज जोड़ी गई है, वह है प्रोडक्ट लाइबिलिटी, चाहे वह सेवा से या वस्तु से संबंधित हो, इसमें किसकी लाइबिलिटी है, उसके बारे में कोई दंड विधान नहीं था। इस बार प्रोडक्ट लाइबिलिटी के संबंध में यदि कोई कस्टमर शिकायत करता है तो उसकी पहचान की जाएगी और फिर उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। ...(व्यवधान) जैसे मैंने शुरू में कहा कि मैंने मोबाईल मंगवाया था, लेकिन मुझे पत्थर भेज दिया गया। इस प्रकार की बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। इसमें और भी प्रोविजन्स किए गए हैं। जैसे पेनल्टीज, पेनल्टीज के बारे में किसी को भी जो गलती करता है, उसको छोड़ा नहीं गया है। ...(व्यवधान) मान लीजिए यदि कोई अन्याय होता है, तो प्रारंभ में ही जो डिस्ट्रिक्ट, स्टेट या नेशनल कमीशन्स हैं, ये उसको जो अपराधी है, जिसके खिलाफ अपराध सिद्ध हो गया है, उसको तीन साल की सजा या 25 हजार रुपये का जुर्माना, यह जुर्माना एक लाख रुपये तक भी बढ़ सकता है। यदि विज्ञापन के अंदर कोई शरारत होती है, हम जानते हैं कि विज्ञापन के अंदर बहुत शरारत होती है। उत्पाद कुछ है, उसका वर्णन कुछ और किया जाता है। ये मजाक बहुत चला करता था, आपने भी सुना होगा।...(व्यवधान) मैं उत्पाद का नाम नहीं लेना चाहता। एक साबुन का विज्ञापन चलता था कि उसको किसी के ऊपर मल दो तो वह बिल्कुल गोरा हो जाएगा। किसी ने कहा कि हमने भी भैंस के ऊपर उसका उपयोग किया तो वह एकदम से गोरी हो गई। इस प्रकार से लोग मजाक किया करते थे। उत्पाद की जो गुणवत्ता है, उत्पाद की जो सीमाएं हैं, उसके बारे में किसी प्रकार की जानकारी नहीं देते थे। बड़े-बड़े जो सेलिब्रिटीज हैं, जिनमें अभिनेता, स्पोर्ट्स पर्सन्स होते हैं, कई बार उनके मैनेजर्स द्वारा बिना उनके कंसेंट के उनको शामिल कर दिया जाता था। ...(व्यवधान)

(1135/MK/PS)

समाज के अंदर उनका सम्मान है, इसलिए लोग उनका अनुसरण करते हैं। बहुत सारी फेस क्रीम्स हैं, बहुत सारे ऐस उत्पाद हैं। इसमें उसके खिलाफ प्रोटेक्शन दिया जाएगा। इसमें इन्डोर्सर को भी इस दंड की सीमा के अंदर रखा गया है। ...(व्यवधान) यह इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। कई बार कुछ फंड्स के विषय में, जैसे म्यूचुअल फंड्स हैं या अन्य प्रकार के फंड्स हैं, जिसके लिए विज्ञापन होते थे, चाहे वे रेडियो पर आ रहे हों या किसी इलेक्ट्रॉनिक चैनल पर आ रहे हों, तो उसके लाभ के बारे में तो बताया जाता है, लेकिन उनकी शर्तों को बहुत तेजी से हाई स्पीड में सुनाया जाता था, जो किसी को समझ में नहीं आती थीं। ...(व्यवधान) इस प्रकार के जो छल होते थे उन छलों के प्रति एक संपूर्ण सुरक्षा इस बिल के माध्यम से दी जाएगी।

इसके अंदर एक और भी व्यवस्था की गई है। अभी हम लोगों ने मध्यस्थता का बिल भी पास किया था। मध्यस्थता के माध्यम से इन मसलों को निपटाने का प्रावधान इसके अंदर किया

गया है। यदि कोई झगड़ा है तो आपस में बैठकर, मध्यस्थता के कोर्ट किस प्रकार से काम करते हैं, मैं उसके विषय में कहने की जरूरत नहीं समझता हूं, मध्यस्थता के माध्यम से इसको सुलझाया जाएगा। …(व्यवधान) इस प्रकार के फैसले पूरे तरीके से मान्य होंगे। कई बार यह भी हो सकता है कि मध्यस्थता हुई, लोग बैठे, सबने विचार-विमर्श किया, तय भी हुआ, लेकिन दुर्भावना से सहमति बताकर वह कोर्ट में जाए, वह रास्ता इसमें बंद किया गया है ताकि इन कोर्ट्स का महत्व, सम्मान बढ़े और इन कोर्ट्स को कोई हल्के में न ले । …(व्यवधान) साथ-साथ इससे कंज्यूमर कोर्ट्स के ऊपर लोड भी कम हो जाएगा।

माननीय सभापति जी, प्रत्येक व्यक्ति चाहे वह बच्चा हो, शिशु हो, नौजवान हो, प्रौढ़ हो, स्त्री हो, पुरुष हो, छात्र हो या समाज के किसी भी हिस्से का रहने वाला हो तथा किसी भी आयु वर्ग का हो, उसकी उस नाते अलग पहचान हो सकती है, परन्तु उपभोक्ता सभी हैं। प्रत्येक व्यक्ति कहीं न कहीं उपभोक्ता है। इसलिए यदि उपभोक्ता को संरक्षण नहीं मिलता है तो समाज के अंदर नाराजगी और निराशा का निर्माण करता है। हमारी सरकार इन विषयों को लेकर हमेशा से संवेदनशील रही है।…(व्यवधान) हमने रेरा का जो कानून बनाया है या अनलॉफुल डिपोजिट्स स्कीम्स से संबंधित बिल, जिसको हमने पिछले सप्ताह पास किया है, ये भी इसी प्रकार के प्रयास हैं जो उपभोक्ता को राहत प्रदान करते हैं। मुझे कई बार लगता है कि हमारे कांग्रेस के मित्र वैल में हैं, हिन्दी में उसको कुआं कहते हैं, कुएं में हैं, मैं इनके विषय में क्या टिप्पणी करूं। …(व्यवधान) कई बार मुझे ऐसा लगता है कि चुनाव के समय में जो नकली वायदे किए जाते हैं, जिनका कोई हिसाब नहीं बनाया जाता है। अभी हमारे एक माननीय सदस्य मध्य प्रदेश का जिक्र कर रहे थे। 30 हजार करोड़ रुपये की जरूरत है, उसमें से 4 या 5 हजार करोड़ रुपये निकाले हैं। राजस्थान में मुझे पता चला है कि 96 हजार करोड रुपये के वायदे किए गए हैं, खुद का अता-पता नहीं है। कांग्रेस के एक बड़े नेता ने 24 लाख नौकरियों की बात कही। सरकार नौकरियां दे रही है, नौकरियां मिल रही हैं। यदि इसका वार्षिक तौर पर हिसाब लगाएं तो ये नौकरियां करोड़ों में हैं।…(व्यवधान) इन्होंने कोई हिसाब नहीं लगाया है। ये जीएसटी का विरोध करेंगे, नोटबंदी का विरोध करेंगे। आज देश की अर्थव्यवस्था में विस्तार हुआ है, कलेक्शन बढ़ी है, उसका एकमात्र कारण यह है कि हम सारे सैक्टर्स में ट्रांसपरेंसी लाए हैं। जो नकली वायदे किए जाते थे, अल्टीमेटरी मतदाता ही उपभोक्ता होते हैं, उनका शोषण होता था। उपभोक्ताओं के लिए बहुत कुछ किए जाने की जरूरत है। आदरणीय पासवान जी यदि कुछ कर सकते हैं, तो इस दिशा में जरूर करें। उपभोक्ता को पूर्ण संरक्षण प्रदान करना हमारी सरकार का प्रारम्भ से लक्ष्य है और हम निरंतर ट्रांसपरेंसी के साथ उसकी तरफ बढ़ रहे हैं।…(व्यवधान) मुझे पूरा विश्वास है कि जो विधेयक प्रस्तुत किया गया है, यह उपभोक्ता संरक्षण के क्रम में माइलस्टोन सिद्ध होगा और इससे सामान्य उपभोक्ता को एक कवच प्राप्त होगा। मैं माननीय प्रधान मंत्री का और माननीय मंत्री का बहुत-बहुत अभिवादन करते हुए इस बिल का समर्थन करता हूं।…(व्यवधान)

(इति)

(1135/PS/MK)

1139 hours

SHRI BALLI DURGA PRASAD RAO (TIRUPATI): Hon. Chairperson, Madam, at the outset, I would like to thank you very much for giving me this opportunity to express my views and suggestions on 'The Consumer Protection Bill, 2019'.

The Consumer Protection Act of 1986 was enacted to provide better protection of the consumer and establishment of a Consumer Protection Council to settle consumer disputes, etc.

(1140/RC/YSH)

Though these agencies have served the purpose to some extent, the disposal of the cases has not been so fast due to various constraints in reality …(*Interruptions*).

As time is passing fast, the trend of the market products of the companies has changed like rise in the international market, emergence of global supply chains and rapid development of e-commerce which have led to a new delivery system of goods and services and provided new options and opportunities to consumer …(*Interruptions*).

HON. CHAIRPERSON (SHRIMATI MEENAKASHI LEKHI): Dear Members, my request to all of you would be that when on suspicion there is a crime being committed, the CBI inquiry has been ordered. Whatever is the truth, it will come out. I would request all of you to go back to your seats.

… (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: I would request all of you to go back to your seats.

… (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Let everyone go back to his seat.

1141 hours

(At this stage, Shri Gaurav Gogoi and some other hon. Members went back to their seats.)

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): मैडम, दो मिनट मेरी बात सुन लीजिए। बात यह है कि जहां नारी की बात हो रही है, जहां बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ की बात हो रही है। वहां हम राजनीति नहीं कर रहे हैं। हम किसी के खिलाफ नहीं हैं। जो घटना घटी है, हम उस विषय को सदन और पूरे हिन्दुस्तान के आम लोगों के संज्ञान में लाना चाहते हैं। एक नाबालिग लड़की का सामूहिक बलात्कार हुआ है, जिसकी सभी को जानकारी है।

HON. CHAIRPERSON: Suresh Ji, please be seated. My question to all of you is very simple. On suspicion, something wrong or untoward has happened. The CBI inquiry has been ordered. There is one view and there is contrary view also which was told by Sadhvi Ji. Now other than the CBI inquiry, what else is required to be done?

… (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Dada, please be seated. Suresh Ji, between the two of you, you decide who wants to speak. Adhir Ji has already spoken. Whatever he said in the morning is on record. Hon. Speaker has already permitted him. A very important Bill is being discussed right now.

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY (BAHARAMPUR): Madam, we are also going to participate in the discussion on this Bill. Please give me just two minutes. I am not indulging in any kind of politicking.

HON. CHAIRPERSON: Adhir Ji, this is politicking.

… (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: I will request all of you to please be constructive in your opposition.

Now Durga Prasad Rao Ji was speaking on Consumer Protection Bill. You allow him to speak.

1144 hours (Hon. Speaker *in the Chair*)

SHRI BALLI DURGA PRASAD RAO (TIRUPATI): Madam, at the outset, I thank you very much for giving me this opportunity to express my views and suggestions on the Consumer Protection Bill, 2019.

The Consumer Protection Act, 1986 was enacted to provide better protection to the consumers and establishment of Consumer Protection Councils to settle consumer disputes, etc. …(*Interruptions*).

माननीय अध्यक्ष: अधीर रंजन जी, आप बोलिए।

…(<u>व्यवधान</u>)

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): सर, हम किसी भी तरह की राजनीति नहीं करना चाहते हैं। हम सदन के और हिन्दुस्तान की जनता के संज्ञान में लाना चाहते हैं कि एक लड़की का सामूहिक बलात्कार हुआ है, उसके पिता की मौत हुई है, जिसकी सभी को जानकारी है। सी.बी.आई. की जांच हो रही है, इसी बीच उस लड़की के ऊपर हमले हो रहे हैं, उसके रिश्तेदारों पर हमले हो रहे हैं।

(1145/RPS/SNB)

वह पीड़ित लड़की मुख्य मंत्री के घर के सामने आत्मदाह करने भी गई थी। जब सीबीआई की जांच हो रही है, उसके ऊपर हमला भी हो रहा है, चश्मदीद गवाहों को मौत के ठिकाने लगाया जा रहा है। इसका मतलब है कि इसके पीछे कोई बड़ी साजिश है। मैं यह नहीं कहना चाहता हूं कि वहां की राज्य सरकार और केन्द्र सरकार इसमें शामिल है। मैं यह नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन वहां जो घटना घट रही है, वह हम सबके लिए बड़ी शर्मिन्दगी वाली बात है। वह भारत की बेटी है। सदन के अंदर हम हर दिन, हर समय नारी के संरक्षण, उनके अधिकार और उनके रखरखाव की बात करते हैं, लेकिन सदन के बाहर ऐसा हो रहा है। …(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: आप क्या मांग कर रहे हैं?

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): सर, मैं यह मांग कर रहा हूं कि माननीय गृह मंत्री जी सदन में आएं।…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: नहीं, यह विषय नहीं है। आप अपनी मांग रखें।

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): सर, मैं यह मांग कर रहा हूं कि यह जो घटना घटी है, उसके लिए दोषी को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने का इंतजाम किया जाए। …(व्यवधान) उस पीड़िता और उसकी फैमिली को प्रोटेक्शन दिया जाए। चौकाने वाली बात यह है कि जो सिक्योरिटी पर्सनेल तैनात किया गया था, जब यह घटना घटी, वह भी नदारद था। …(व्यवधान) सर, माननीय गृह मंत्री जी यहां आएं और दो बातें कहें। …(व्यवधान) सर, माननीय गृह मंत्री जी आएं। …(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, आप सभी माननीय सदस्यों ने निर्णय किया था कि इस सदन में राज्य के विषयों को नहीं उठाया जाएगा और यह एक राज्य का विषय है। आप जिस भी एजेंसी से जांच कराने की मांग करना चाहते हैं, मांग कर लीजिए।

…(<u>व्यवधान</u>)

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): सर, हमारी मांग यह है कि जो दोषी है, उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी सजा का इंतजाम करना चाहिए और पीड़िता के परिवार को सुरक्षा देनी चाहिए। हम लोगों ने सिक्योरिटी पर्सनेल को वहां से नदारद होते देखा है, इसलिए हम लोगों को भरोसा नहीं होता। …(व्यवधान) इसकी सीबीआई जांच हो रही है। इसलिए गृह मंत्री जी यहां आएं और अपना बयान पेश करें। …(व्यवधान) हाउस और हम सभी को इस बारे में संज्ञान लेना चाहिए। …(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: श्रीमती कनिमोझी जी, आप अपना विषय पहले उठा चुकी हैं। कनिमोझी जी, पहले एक बार आप अपना विषय उठा चुकी हैं, जब शाम को ज़ीरो ऑवर होगा, तब आप डिटेल में बोल लेना।

…(<u>व्यवधान</u>)

माननीय अध्यक्ष: नहीं, एक विषय पर एक बार बोल लिया है। ठीक है।

माननीय बल्ली दुर्गा प्रसाद राव जी, आप बोलिए।

…(<u>व्यवधान</u>)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आपने नोटिस इस विषय पर नहीं दिया है। आपने नोटिस अन्य विषय का दिया है। आपने जो नोटिस दिया था, उस पर बोलने का मौका मैंने आपको दे दिया है। मैंने आपको बोलने का मौका दे दिया है।

माननीय बल्ली दुर्गा प्रसाद राव जी, आप बोलिए।

…(व्यवधान)

1148 बजे

(इस समय श्री अधीर रंजन चौधरी, श्रीमती कनिमोझी करुणानिधि और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा से बाहर चले गए।)

SHRI BALLI DURGA PRASAD RAO (TIRUPATI): Though the agencies have served the purpose to some extent, the disposal of cases has not been so fast due to various constraints in reality …(*Interruptions*)

As the time is passing fast, the trend of marketing products of companies has changed like rise in the international market, emergence of global supply chains and the rapid development of e-commerce have led to new delivery systems for goods and services and provided new options and opportunities to consumer, e-commerce, tele-marketing, multi-level marketing etc. are posing new challenges to consumer protection.

The Government is bringing this Bill to establish CCPA to look into the grievances of the consumer and to promote, protect and enforce the rights of the consumers and initiate action, including enforcing recall, refund and return of products etc.

Sir, further, "mediation" as an Alternative Dispute Resolution Mechanism has been provided for in the Bill. I would like to know from the hon. Minister the definition of `Mediation'. It is not defined in the Bill. The Bill aims at simplifying the consumer dispute process and provide provisions for filling complaints electronically etc.

CCPA will have an investigation wing headed by the Director-General which will conduct an inquiry or investigation into such violations. I would like to know from the hon. Minister about the organisational structure of CCPA. Has any fund been allocated for this? Will CCPA have State and district level investigation wings to look into the violations?

I would like to appreciate the Government for carrying out multi-media campaign, namely `*Jago Grahak Jago'* on pan-India basis covering both urban and rural areas through print, electronic and outdoor media.

(1150/RU/RAJ)

The Central Government releases funds to the States and UTs for creating awareness among consumers and ensures that campaign reaches the rural areas of the country. How much funds have the Central Government released in this regard particularly to my State of Andhra Pradesh?

We often chant that customer is the king. On this occasion, I would like to quote what the Father of the Nation, Mahatma Gandhiji, said:

> "A customer is the most important visitor in our premises. He is not dependent on us. We are dependent on him."

The Bill does not address the fundamental problem of protracted and complicated litigation, the bane of consumers, under the Consumer Protection Act, 1986. The lawmakers promised that it would redress consumers' disputes in a simple and quick manner without the help of lawyers. This Bill does not simplify procedures and prohibit lawyers or even restrict their presence to complaints of high value.

Health is wealth and it is a service extended to patients. In this terminology, the patient is called a consumer. Earlier, healthcare was not included in the service list of the Bill. The Ministry of Consumer Affairs came across the Supreme Court judgement of 1995 which said that medical services to patients involves charging of some fees and hence, it comes under the purview of the Consumer Protection Act. I appreciate the Government for including healthcare in the list.

There is a penalty of Rs. 10 lakhs and up to two years imprisonment, if any manufacturer or an endorser gives false or misleading advertisement. In case of a subsequent offence, penalty will be levied up to Rs. 50 lakhs and imprisonment of up to 5 years. I would request the hon. Minister to increase the penalty amount to Rs. 25 lakhs for initial false or misleading advertisement. For the subsequent offence, the penalty imposed may be up to Rs. 1 crore.

CCPA can also prohibit the endorser or manufacturer for misleading advertisement from endorsing particular product or service for a period of up to one year. For the subsequent offence, this period may be extended to three years. However, in this Bill, there are certain exceptions mentioned when endorser will not be held liable for such a penalty. I want to know from the hon. Minister as to what those exceptions are. Those exceptions should be

understood by the consumers easily. They should be aware of the exceptions under which an endorser will not be held responsible for such a penalty.

There is no time frame for disposal of cases. Consumer complaints should be disposed of in less than 90 days with a minimum number of adjournments but in reality, very few cases meet the benchmark and most cases take more than a year to two years.

As per the *Deccan Herald* news report dated 4.4.2019, a total of 1.5 lakh cases are pending in the consumer courts. One of the reasons for poor implementation of CPA is the absence of a strong and vibrant consumer movement in India.

With these observations, I want to conclude my speech and support this Bill.

(ends)

… (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : सौगत राय जी, आप क्या बोलना चाहते हैं?

प्रो. सौगत राय (दमदम): सर, मैं इतना ही बोलना चाहता हूं कि उन्नाव रेप विक्टिम पर जो जानलेवा हमला हुआ, हम इसका प्रतिवाद करते हैं।...(व्यवधान) हमें सीबीआई इनक्वायरी में यकीन नहीं है।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : चलिए, उन्नाव का मामला हो गया।

...(व्यवधान)

उपभोक्ता संरक्षण विधेयक – जारी

माननीय अध्यक्ष : चन्देश्वर प्रसाद जी – उपस्थित नहीं।

श्री रमेश चंद्र माझी – उपस्थित नहीं।

श्री रणजीत रेड्डी।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : श्री रणजीत रेड्डी जी की बात अंकित हो और किसी की बात अंकित नहीं हो।

…(व्यवधान)*… (Not recorded)*

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य आपस में चर्चा न करें।

श्री रणजीत रेड्डी जी, आप बोलिए।

…(व्यवधान)

(1155/NKL/IND)

1155 hours

DR. G. RANJITH REDDY (CHEVELLA): Hon. Speaker Sir, I thank you very much for giving me this opportunity to talk on the rights of the consumer.

If you look into the rights, what exactly are the rights of the consumer regarding the consumer products? They have the right to know about the quality of the product, quantity of the product, pricing and purity of the product, potency of the product, and the standard of goods and services. Has the Bill really taken care of all these rights? I would say that it is partially right because all the rights have not been considered in this Bill. So, through you, I would request the hon. Minister to look into these things.

As such, the consumer is facing umpteen problems as far as the quality and quantity of the product is concerned. After the advent of e-commerce, the problems have been doubled, be it relating to quality of the products or getting the damaged goods. I was reading Clause 2 (16) in which 'e-commerce' has been defined. It says:

> "'e-commerce' means buying or selling of goods or services including digital products over digital or electronic network"

I heartily welcome this. If you look at Clause 94, it simply says:

> "…the Central Government may take such measures in the manner as may be prescribed."

Through you, I would request the hon. Minister to look into exactly what action the Government is going to take regarding these damaged goods instead of merrily saying that the bureaucracy will answer it.

The second point I wish to make is relating to recognition of consumer rights. The rights are amply defined in the Bill but when it comes to defective goods or bad services, the Bill does not clearly say about the action to be taken against this. The Bill only proposes the product liability from Clause 82 to Clause 87, and penalties from Clause 88 to Clause 93. I was looking whether the agreement can be terminated in case the damaged goods are being supplied to the consumers. Sometimes, even bricks are supplied instead of regular products. So, through you, I request the hon. Minister to look into this matter. My only request to you is to consider implementing some penalty clauses whenever damaged goods are supplied to the consumer.

The third point is relating to MRP. Whatever MRP is mentioned on the product, the retailer is bound to sell it only at that price. But sometimes, they charge above MRP depending upon the season. Suppose, the cold drinks are to be sold at Rs. 30. In summer season, additional Rs. 2 are being charged by the retailer saying that these are the refrigerator charges. The Bill does not clearly say about the punishment for retailer if he is selling the product above MRP. So, I request the hon. Minister to look into this.

The next point is relating to false or misleading advertisements. I welcome Clause 89 of the Bill which deals with false or misleading advertisements. But the Bill deals only with the manufacturer or the service provider, and is silent about what is going to be done against the celebrities. The celebrities who are playing a very big role in advertisements are being excluded from the Act. I request the hon. Minister that along with the manufacturer and the service provider, even the celebrities have to be charged because they have a big impact on the consumers.

The next point is relating to Clause 2 (1) which defines about what constitutes an advertisement. But it is silent on passive or indirect advertisements, for example, advertisements relating to liquor, *pan masala*, or cigarettes. These are totally banned in the print and electronic media. But the companies promote their brands indirectly through passive advertisements. I was going through the Bill and looking whether there is any clause which deals

with such advertisements but I found that there was no mention of it in the Bill. Through you, I suggest the hon. Minister to also consider including proxy or passive advertisements in the Bill.

The next point is relating to Clause 2 (42) of the Bill which deals with 'service'. When we look into the definition of service, it means service of any description made available to users by various service providers, including banks. But I was really astonished when the RBI said that banks are not responsible for the loss of valuables kept in lockers. So, through you, I would like to know from the hon. Minister that why the items we deposit in the bank lockers are being exempted. I would also like to know from the hon. Minister as to how is he going to address this serious problem.

Finally, after passing this Act in 1986, we had three amendments. One was in 1991, second in 1995, and the third one in 2002. But the problems still remain unsolved, and new problems are mushrooming.

(1200/KKD/PC)

I do not know how this new regulation will stand up to the market dynamics, multilevel delivery chain, and innovative misleading approach of companies and service providers.

I hope that with the proposals of the Bill if the suggestions given by all the hon. Members in the House are included in the Bill, it would definitely improve the state of affairs between the consumer, the manufacturer, and the service provider. Otherwise, I have no hesitation to say that the initiatives will be again like watering a dead plant.

With these observations, I am anticipating that the hon. Minister will give a serious thought to all the suggestions being made by the House.

Thank you very much, Sir, for giving me this opportunity. With these words, I conclude my speech.

(ends)

1201 hours

SHRI M.K. VISHNU PRASAD (ARANI): Hon. Speaker, Sir, I am thankful to you for giving me this opportunity to speak on this important Bill.

Every time this Government brings a Bill, it gives us a moral will. The people of India are feeling ill. At the end of the day, this Government is going to do nil.

All the time, the Minister says, this Bill has some modifications. But out there, public says: "Is it modification or '*Modi'fication*? …(*Interruptions*) it is because there are some small changes. One of the hon. Members said, 'This Government is full of light, it has an era of hope and an era of brightness'. But I would rather say that this Government has an era of opaqueness, an era of highhandedness, an era of zero democracy, and at the end of the day, the people are going to give them a very big result, which they are going to see in the near future. It is because these Bills are only centralised in their powers. They are not trusting their own States. They are not trusting their own Chief Ministers. They are only taking all the powers in their hands. It is a one line agenda –'centralisation of all the powers'. That is happening in this current Parliament.

Then, what is the point in having so many clauses in a Bill, when they are going to club all the clauses in one clause and say, 'at the end of the day, the Central Government will decide; at the end of the day, the Central Government will rule.'? They say: 'You do not have the right to go to the court. You cannot go for a suit." This is the sad Government. This is the Government that we are facing and people are suffering.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT (SHRI RAMDAS ATHAWALE): People are not suffering; you are only suffering …(*Interruptions*)

SHRI M.K. VISHNU PRASAD (ARANI): Absolutely, Mr. Minister, people are suffering …(*Interruptions*)

Sir, we can say with pride that it was we who brought Aadhaar card.

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, माननीय मंत्री जी को बोलने की विशेष अनुमति है।

…(<u>व्यवधान</u>)

SHRI M.K. VISHNU PRASAD (ARANI): Mr. Speaker, with pride we can say that the UPA Government brought the Aadhaar card. But this Government made it as a 'Bother' card. For everything, Aadhaar is becoming 'botheration'. People are suffering day by day because of the Bills that they are bringing day by day.

Now, let us talk about the Consumer Protection Bill. Who is the consumer? It is he who consumes, who buys and sells. See, where it all started? In a small manner, in the olden days, the small theft started by changing the weights, by changing the measuring tapes. The consumer did not know what happened then. This is how the consumer was suffering.

In order to protect the interests of the consumer, the Government with motherly heart thought that these consumers should be protected. That is why in 1986, the Consumer Protection Act came. The idea is that if a farmer, a poor person who even buys a thing for 10 paisa, his product should be validated; it should be justified. But is it happening here? The maximum number of consumers in India are basically the PDS, Public Distribution System beneficiaries. They use ration cards. Whoever is availing ration cards, are also consumers. A small poor farmer is not buying a big car, he is not buying a big cell phone, but he is buying from the ration shop, the pulses, *chawal* and *cheeni,*

(1205/RP/SPS)

वे खरीदते हैं तो वे भी कंज्यूमर में आते हैं, मगर उसके लिए क्या निधि मिलती है? Is the consumer protected there? Can a poor farmer go and fight against the Government? Where is the law that is enabling a consumer to protect his interest? This is my humble question.

As far as BSNL is concerned, we are all getting telephones. Is it working properly? When we keep on talking, there is a drop in the signal. Hon. Speaker, Sir, I am hundred per cent sure, you have been a biggest sufferer as a consumer. What steps can we take? The real Consumer Protection Act should come in such a manner that immediately consumer voices can be heard. What is happening in this House? The voice of minority is being suppressed by the noise of majority. This is what is happening. The real poor farmer or a consumer should go and appeal to the concerned authority and say: "This is what I bought and this is what I got." What is the Government going to do? Are we in such a position? I am not against all the clauses in your Bill. At the end of the day, we

also want this Government to be safe. We also want the consumers to be really protected. Are they being protected?

As far as civil aviation sector is concerned, the moment you go for an online booking through your mobile, it will show you one price and if you again go for the same booking after ten minutes, it will show you another price. We are all suffering. Are we not suffering? What can we immediately do? Whom can we contact? What is the number? Do we know all these things? We do not know. It is all happening. You can complain in e-mobile. You can complain on a website. The interest shown by the manufacturers or the companies in selling the product is not reflected in solving the problems of the consumers. This is the reality. In this connection, I would again want to say that it is not at all time-bound because whatever the manufacturer decides, he will do. The consumer can only register his concern but, at the end of the day, he will not get his *nidhi*.

As far as insurance companies are concerned, they are charging premium. When some accident takes place, we go to the insurance company to get our money back but there is no immediate claim bonus. It is gone. They are charging double. As a consumer, I want to know how to address and whom to address. This is the voice of ordinary people. What mechanism has been devised by this Government to solve such problems?

Then, I am coming to the electricity boards. As a consumer, I asked the Electricity Board: "How many deaths have taken place because of short-circuits and mismanagement of the Electricity Board? Where will all these people go and ask for justice?" These are common-man's problems. The protection of consumer is a very big subject. It has to be dealt in a very detailed manner so that the problems of even the last consumer of India can be solved. This is not happening.

What is happening with the Metro Water Board? Are we getting proper connection in time? I am paying the water tax as a consumer. I am paying drainage tax. At the end of the day, if there is any problem, where will these consumers go? As a consumer, I am entitled to use this law. How friendly and clean is this law going to be? This is what matters. That should be the idea of every Government, either this Government or that Government. A consumer has to be hundred per cent satisfied. Is it happening in this Government? It is the biggest question mark that we all have to re-think.

As far as toll roads are concerned, they are another big subject. As a citizen of India, when I buy a vehicle, I pay the road tax from Kashmir to Kanyakumari. Suppose, I am a patient, I am in a hurry to go anywhere. In a normal manner, when I want to go in an ambassador car, provide me a normal road. I do not want a toll road. I do not want to go fast. If you give me a normal road and then if you provide me another toll road where you are charging toll, it is understandable and justifiable. You are forcing the people only to go from a toll road. Even the Supreme Court has given a judgement that if you are waiting for more than three minutes at a toll gate, you are not bound to pay the toll. In spite of that, they are collecting the toll. Why is the Government mute on this? This is everybody's voice.

(1210/RCP/SPS)

Are we not suffering due to this hazard? So, the Consumer Protection Bill should be brought in such a manner that real feelings of the people are heard. It has to be answered in the right manner to the people as per their demand.

Expiry date is a very important subject, again. First of all, regarding toll also, we have already paid tax to travel anywhere in India. Again and again, they are taking toll. In order to get toll, they should have an ambulance, a telephone and water facility. All these things are there, mandatorily. But when we ask them, they will not give any answer. Instead, they will use threats to exploit us and extract money from us. This is the reality that we are facing. Let us not go and hide ourselves.

Regarding expiry date and MRP of the Indian products, they are very important. But they are printed in such a manner, in tiny letters which we cannot see with glasses or without glasses. Either way you try – I am challenging you – you cannot see the expiry date, the manufacture date and MRP also. What is the justice we are giving to our people who are paying so much? Is it not our responsibility? As a very rightful Opposition party, we are proud to raise all these issues, to bring them to the notice of the hon. Minister, through our hon. Speaker, to rectify all these things. They should bring a comprehensive Bill that will enable the citizens of India to use the Bill in a nice manner.

We are buying imported products. You have control over the manufacturers who are located within India. But most of the products we are

using – we are using cell phones and tabs – are made outside India. What control do we have over these manufacturers? It is again the biggest question.

We are from Tamil Nadu. In my friend, Shri Manickam Tagore's constituency, there is a town called Sivakasi. Sivakasi is basically famous for crackers. But a lot of Chinese products are coming from abroad to replace this homogenous domestic product, that is, crackers. If any problem comes, where will we go? This is a million-dollar question. So many products are imported and if anything goes wrong, they will never come into the picture at all. The money lost is lost for ever. This is the saddest condition that the Indian consumers are facing.

E-commerce is another bigger issue which I want to address. Shishir Vayttaden, a partner in Cyril Amarchand Mangaldas law firm pointed out that the 2019 Bill does not attribute liability to e-commerce marketplaces for goods sold on their platforms and they are recognised as electronic service providers. The obligations of e-commerce marketplaces are limited to sharing information with the relevant authority in an investigation and designated nodal officer to accept notices.

They say, service providers are not responsible in case there is any flaw in the products that they purchase. Then, where will the consumer go? गांव में कोई व्यक्ति लैपटॉप से फोन ऑर्डर करता है। E-commerce is penetrated so deeply into each and every village. Everybody is ordering goods through mobile phones. In case, there is any problem with the product, where will they go? Will they go to the service provider or to some manufacturer in Thailand or to some manufacturer in Bangladesh? This is the problem that the consumers are facing. But it has not been addressed in this Bill. Only one thing they have addressed is: 'I will have all the power within my pockets and lead the country and you have no right as a consumer to even think of questioning'. This is the state of affairs that is happening in India right now.

The Bill provides that no person shall take part in publication of any advertisement which is false or misleading. The vagueness of the term 'false' subjects to the prospect of misuse and subjectivity by those in power. Thus, this could infringe upon the Right to Freedom, to practise any profession or to carry on any occupation or trade or business. Where is the right to freedom of

practising any profession? When they say 'false', it is up to the hands of the discretionary authority which obviously lies in the Centre.

You have so many Consumer Dispute Redressal Commissions at the district level, at the State level and at the national level. As a consumer, I am sitting in some village, if there is any problem with the service or the product, I go to the district. But the district authority has an upper hand. They can always dismiss it. Even if I win, the district people will go to the State.

(1215/SMN/SJN)(5.28)

Does the poor farmer in the village has the ability to go again to the State and appeal? If he has that much *dhum,* he goes and fights in the State and wins his case. Then also, the Commission can go to the National Level, that is the Supreme level. Will any poor person have an ability to fight against this at the Central level?

Hon. Speaker, Sir, it is a very valid question. A farmer cannot go up to the Central level to address his problem. In that case, what is the point? Everything will come to the Centre finally and the poor farmer has no role to play. As a consumer, his freedom his curbed. He is crippled. He is malfunctioned and at the end of the day, the consumer is in the death-bed. You please go back to the Standing Committee which is not yet formed. It is very convenient for you. Without forming a Standing Committee, all the Bills are being passed. We are coming to the well not out of our interest. For the well-being of the nation, we are coming to the well. It is not out of interest or to disturb the proceedings of the House. It is for the well-being of the nation, we are coming to the well and, asking sorry, praying you. Please answer. Mr. Speaker, through you, I would like to tell the hon. Minister to please consider all these points. The Bills are okay. Only when the Minister feels like a common man, then only he can address this problem. Time-bound solutions should come. It cannot go on and we do not have all the strength. The consumer does not have all the strength to fight till the Government can fight. So, thanks for giving me an opportunity hon. Speaker, thank you very much.

(ends)

1217 hours

DR. KALANIDHI VEERASWAMY (CHENNAI NORTH): Hon. Speaker Sir, thank you for giving me this opportunity to speak on the Consumer Protection Bill, 2019 brought by this Government.

Sir, we oppose the Bill on certain aspects. No doubt, the Consumer Protection Act which was there earlier is useful. We have to definitely take care of the consumers to make sure that they are not cheated of for whatever their rights are. But here we are talking about a Bill about which we have made some fundamental changes in the already existing Act. What is the need for those changes? If you go through the Bill, we find that the need for this Bill has arisen only because of the time taken for the disputes to be addressed. There are instances where some cases have gone for a very long time. So, if you are going to address only about the duration taken for a consumer to get justice, that is acceptable. But here, we have made some fundamental changes in the composition of the Commission at the District level, State level and National level. The changes are these.

Earlier, the National level Commissioner was to be appointed by the Chief Justice of the Supreme Court of India and the State level Commissioner was to be appointed by the Chief Justice of High Court and the District level could have been by a person who is not of judiciary nature. This Bill is also like every other Bill which this Government has brought. You have made sure that these are the people who are going to be nominated or appointed by the Central Government and nobody has a right to question about the validity or their educational qualifications because you have not specified the qualifications for these Commissioners who are to be appointed.

1218 hours (Shri Rajendra Agrawal *in the Chair*)

Sir, this is a very sad state of affairs because you are taking the rights out of the judicial system and giving these rights to the Central Government. You have already taken so many powers from so many bodies. Do you want to take it away from the consumers? Should the consumer also suffer because of this Government's feudal attitude? This Government has made sure that there is no opposition.

On the other day, Dr. Shashi Tharoor said that even some amendments which are of a good nature are not being accepted. You are not treating the

opposition Parties as Opposition parties. You are treating them like enemy parties. What is the harm in accepting some of the fundamental changes in certain Bills which is not going to be of any great concern and which is going to be a good thing for the common man? So, you have not considered all these factors while drafting this Bill. You are saying that the Central Government is going to be supreme. There is not going to be any autonomy where the State has a say in any of the matters and you are trying to bring all powers to Delhi. You do not want the powers to be vested with the States.

(1220/MMN/GG)

Sir, if you look at Clause (2) section 6 and sub-section 5, it says, "goods, which are hazardous to life and safety, when used." If people sell these products, they will be taken to task. Not only this Government but all the Governments across the world are very, very hypocritic when it comes to treating their civilians because we are allowing people to sell cigarettes and alcohol knowing very well that they cause a grave health hazard to the population at large. Being a doctor, I have seen umpteen number of people who smoke end up with heart attacks, cancers, bladder diseases, lung related diseases, COPD and all these things. We know all these things well. What do we do? We just put a sticker on the cigarette packet saying that this is hazardous to health. It is doing like this. You give poison and say, if you drink this, you will die. You allow the public to drink that. This is what we are doing as a Government. The Government is never bothered about the civilians or the consumers. We are only bothered about the revenue that we can generate even if it is at the cost of their health. So, this is the kind of Government we are running. I do not know whether we can make any changes in that.

Recently, there was a newspaper article saying that a person bought two bananas for Rs.450 in a hotel. That person is a celebrity. He just tweeted it and *suo motu* somebody has taken cognizance of this and they have addressed this issue. But think about the common man. Even our *Pradhan Mantri* is seeing only the celebrities with his eyes. He does not see the common man. When an agriculturist from Tamil Nadu wanting to raise his concerns, comes and strikes for 100 days, the Prime Minister is not interested in meeting him at all. But at the same time, when celebrities come, they get an appointment within half-an-hour and they get to see him and talk about whatever they want to talk. He is more of

a person who looks at media attention rather than the health of the people and the concerns of the people.

The other thing which I want to point out in this Bill is this. We are talking about consumer protection. For any consumer protection, I think there is something called an ombudsman. An ombudsman is a person who is appointed by the respective companies where you can raise grievances before coming to these Commissions. You can talk to the company, find out what is wrong and then you can address these issues. But most of the times, people are not aware of who the ombudsman is and how he can be contacted. Even if they have an ombudsman, he can be contacted only through an e-mail. When they send an e-mail, there is no response to it or there is a very dubious reply where they will have no answer to their issues. So, we are left with no choice but to go to a consumer court.

But again, like my friend over here said, when we go to the consumer court, how many people are aware of this? I think most of the people over here will not be aware of this. We are all educated Members of Parliament. We will not be aware of how to address the grievance; how to go about getting a solution for our problems. So, when this is the case, how do you expect a common man, an illiterate, to get justice when he is being cheated?

In the same way, we are talking about MRPs. On MRPs, we say that the products should not be sold above the price. We are talking about instances where the product has been sold, probably, for Rs.10 above the price. Even when we are going by Government buses or private buses, people claim they do not get the change. If you look at the volume, when thousands and lakhs of people are travelling, this amount comes to a huge amount. So, these kinds of issues are there. For Rs.2, I will not want to take the pain to go and complain to somebody. There should be some kind of an e-mail system through which he can raise the issue; and action should be taken. Sending an e-mail alone is not enough. If we send an e-mail, there should be a proper response, and action should be taken. The person, who has complained, should be given a detailed reply about what action has been taken.

When talking about unfair contract and restrictive trade practices, we are talking about companies which are giving false promises while selling a product. We have to be happy that political parties do not fall in this ambit. In 2014, false

promises were made by this Government by saying that they will deposit Rs.15 lakh into every person's account; they will create 10 crore jobs for the people; and they will bring back black money into the country from all over the world and make our country one of the richest nations. They were not materialised. It is funny to note that the Government, which came to power with such false promises, is taking action against companies which are not keeping their promises. Is it not funny to see something like that happening?

(1225/VR/GG)

Now, I want to talk something about medical profession. As medical professionals, we all are suffering. The number of crimes which are committed against doctors are increasing. It is not only the crimes that are increasing but frivolous cases are also being filed against medical professionals. Some lawyers instigate the patients saying even if there is no negligence case, they will sue the medical professional and if they win, they would take 70 per cent of whatever is offered and the remaining 30 per cent would go to the patient. In this regard, I would suggest the Government to come up with a policy where any medical negligence case first should be sent to the State Medical Commission and if they approve that there is some validity in having a case over here, then only the case should be filed against a medical professional. I am saying it because umpteen number of cases have been filed against doctors. I think the doctors have to be given some respect. If this malpractice is continued, they would not be able to practice their profession in peace.

Now, I would also like to say something about insurance companies. Being a doctor, I have seen a number of cases where the medical insurance companies do not sanction full insured amount to their clients when they are treated in hospitals. They sanction only a partial amount and ask the clients to pay on their own the rest of the expenses charged by the hospital. These are some of the issues which patients often do not raise in public forums. I hope the Government will do something about it. Thank you, Sir.

(ends)

SHRI P. RAVEENDRANATH KUMAR (THENI): Hon. Chairperson, Sir, I request you to expunge what Shri Veeraswamy has spoken against the hon. Prime Minister.

माननीय सभापति (श्री राजेन्द्र अग्रवाल): मैं देख लूंगा। इसे हम देख लेंगे।

…(व्यवधान)

SHRI DAYANIDHI MARAN (CHENNAI CENTRAL): The hon. Member should stick to his party stand. He is not in alliance with BJP.

माननीय सभापति : ओके, ओके, हम देख लेंगे।

…(व्यवधान)

माननीय सभापति : संसद के नियम हैं। आप किसी को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है।

…(व्यवधान)

माननीय सभापति : मारन साहब, प्लीज़ आप बैठिए।

…(व्यवधान)

माननीय सभापति : कनिमोझी जी, प्लीज़ आप भी बैठिए।

…(व्यवधान)

माननीय सभापति : मैं कह रहा हूँ कि अगर ठीक होगा तो रहेगा, अगर गलत होगा तो चला जाएगा। यह एकदम सिंपल है।

…(व्यवधान)

माननीय सभापति : प्रतिमा जी, आप बोलिए।

…(व्यवधान)

1227 hours

SHRIMATI PRATIMA MONDAL (JAYNAGAR): Sir, I rise to speak on the Consumer Protection Bill, 2019 with a heavy heart since a girl child who was a rape victim has been murdered. It is a black day in India.

Sir, the Consumer Protection Bill seeks to establish a strong mechanism to shield the consumers in a globalised world. It is indeed a time to replace the rudimentary Act of 1986 because the world has witnessed a great transformation in the last three decades with the emergence of global supply chain, rise in international trade, rapid development of technology as a medium of transaction, etc. Though this transformation provides innumerable benefits, it has made the consumer vulnerable to new forms of malpractices through features like telemarketing, multi-level marketing, e-commerce etc.

The Bill attempts to intervene and protect the consumer, make better environment, and give directives. Bringing e-commerce in the ambit of the Bill is a big step forward. The basic purpose of the proposed Bill is to protect the consumers from misleading advertisements.

Chapter-I, Clause 28 enumerates its scope. It includes false description, false guarantee, unfair trade practices, and concealing important information from customers in the definition of misleading advertisement. But here we are missing out on a very important aspect, that is, depiction. We come across numerous advertisements which use derogatory language and depict women in an unacceptable manner. So, the Government should take it into serious consideration.

Somebody's skin complexion would not get him a job but his potential and capability. Also, a certain scent would not literally fetch him a girl but his sense of humanity. So, the advertisements not only make false promises but also rot the minds of the people in society.

(1230/SAN/KN)

This has been a serious issue and came up only after the second wave of feminism. It is absolutely necessary to look into the matter and make depiction of women on media to an acceptable standard.

It has the provision to set up a Consumer Protection Council which will be an advisory body set up at national, State and district levels. Clause 3(2)(b) states "such number of other official or non-official members representing such

interests as prescribed". I have a couple of questions which I would like to seek answers to from the hon. Minister. Whom will the Council render its advice? Why are we not fixing the number of members that will constitute the body?

At the end of the day, each and every important decision is being left to the Central Government. The Government is legalising and increasing its power with every Bill it introduces. Again, clause 6(2)(c) speaks about the Central Government's nomination of members in the State Council. Now, what is the need for that? Why should it encroach in the matters of State? Does it doubt the capabilities of State Governments or have the intention to overpower it and have control even in the advisory role? These repetitive actions display the controlling nature. It limits the nomination number to ten, but does not specify the actual strength of the council in terms of number of members.

Central Consumer Protection Authority will also be set up and it aims at protecting six rights of consumers, namely, right to be protected against marketing, be informed of quality, be informed of quantity and its potency, to be assured variety of products, to be heard, consumer awareness and redressal of grievance. Previously only the last point was given importance, but the bone of contention is, again, the same that the Central Government takes upon its own shoulders the task of setting qualification standards, number of members etc. Why are we not empowering the Act itself? I would like to know this from the hon. Minister.

The Bill also provides for setting up of a quasi-judicial body, the Consumer Disputes Redressal Commissions at district, State and national level, but it does not make the presence of a judicial member mandatory. A quasi-judicial body cannot discharge its function in the absence of a judicial member. Giving this unlimited power to the Executive will turn out to be a big mistake. Thus, I request the Government to make a provision to ensure the participation of a judicial member and also enumerate the qualifications of its members in the Bill itself. Also, I object to the fact that all the members, whether in the Central or State Courts, will be appointed by the Central Government. This is an absolute infringement on the rights of the States, disrupting the federal structure altogether.

'Consumer protection' falls under the Concurrent List and is enforced by both, the Centre and the State. The provisions related to information technology

are exclusive to Central laws and surprisingly, those are two decades old. Thus, simultaneous changes in the IT Acts are also required. It is also necessary to add a sunset clause in the Bill which will ensure regular modernisation of laws because it is necessary to maintain pace with the ever-growing and long strides of technology.

Sir, I would like to know from the hon. Minister as to how the Government intends to control advertisements on the internet. Also, how will it control the foreign companies that do not fall under our jurisdiction, if they put up misleading advertisements?

The Act of 1986 provided for settling the disputes within a stipulated period, but even then, around 4,60,000 cases are pending. How will the Government make sure that this problem is solved? We should impose a penalty on the adjudicator for non-compliance of the given time period.

The Bill contains a provision which imposes a penalty, on the manufacturer or service provider for false and misleading advertisements, of up to Rs. 50 lakh and a term of five years. The Bill imposes a penalty on the endorser as well, but does not provide imprisonment as a form of penalty.

(1235/RBN/CS)

It is known to all that celebrities leave a deep impression on the minds of the viewers and, so they have a responsibility on their shoulders. Just for their professional and economical benefit, they should not promote every other product. It is known to us that these celebrities are one of the richest class of citizens of our country and mere payment of a fine is not a big deal for them. This should be handled in a more stringent manner. Again, the Bill itself creates a loophole and provides an escape route by stating that the endorsers will not be liable to any punishment if he or she exercises due diligence without properly explaining what does it actually stand for. The Minister also needs to specify the channel through which a consumer can clarify their queries.

I would like to draw the attention of the Minister towards the case of C2C Business Model in which consumers sell their used products to other consumers through sites like the OLX, Quikr, etc.

My question here is this: How will the provisions in this Bill ensure the rights of customers in this business model? Will they be dealt in a similar manner? It will be immensely helpful if the Minister could please explain it.

Chapter VI, section 87 provides that prior warning from the manufacturers' end will protect them from violation case. Now, in the said business model there is no scope of concrete evidence whether warning was given or not. At the time of dispute, both parties will claim in their own favour. So, what will be the solution for that?

Finally, section 94 aims to protect the interests and rights of consumers and the Central Government will take measures in a manner 'as prescribed'. The Bill itself provides for the 'proper manner' and sets up bodies to ensure the same. Then, what will be the other measures that will be taken up specially by the Central Government? Seeking details also on the manner 'as may be prescribed', why is the Bill itself not providing those?

Now to end, I would like to put forward a true example where a woman tried to sue a butter company that had printed the word 'LITE' on its product's packaging. She claimed to have gained so much weight from eating that butter, even though it was labelled as being 'LITE'. In the court, the lawyer representing the butter company simply held up the container of butter and said to the judge, "My client did not lie. The container is indeed light in weight". The woman lost the case. From this, it is evident that consumer protection is a crucial and sensitive matter which is to be dealt with proper caution. I hope this Bill will make concerned changes to make itself more promising.

Thank you for giving me the opportunity.

(ends)

1238 बजे

श्री राहुल रमेश शेवले (मुम्बई दक्षिण-मध्य): महोदय, आपने मुझे उपभोक्ता संरक्षण विधेयक, 2019 पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद।

हमारी एनडीए सरकार विभिन्न बिलों के द्वारा निरंतर ऐसे कानून बनाने का प्रयास कर रही है और देशवासियों को सुविधाओं के साथ-साथ सरकार में भागीदारी भी प्रदान कर रही है।

आदरणीय मोदी जी ने देशवासियों से जो वादा किया, उसको पूर्ण करने में यह बिल पारित होने के बाद कारगर होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। यह एक बहुत आवश्यक कानून है, जो उपभोक्ता अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और उचित व्यापारिक प्रथाओं को स्थापित करने की दिशा में काम करेगा।

सबसे पहले मैं उपभोक्ताओं के अधिकारों को बढ़ावा देने, उनकी रक्षा करने और उन्हें लागू करने के लिए केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना के प्रस्ताव के लिए सरकार को बधाई देना चाहूँगा। यह सही दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अधिकांश अन्य प्राधिकरणों के विपरीत, जिनका जनादेश शिकायतकर्ताओं को निवारण प्रदान करने तक सीमित है, सीसीपीए की इस तरह से परिकल्पना की गई है, जिससे व्यापारिक निकायों के अनुचित व्यवहारों के खिलाफ स्वत: संज्ञान ले सके और इस प्रकार से उपभोक्ता की सुचारू रूप से सुरक्षा सुनिश्चित होती है।

सर, स्थायी समिति की सिफारिशों के अनुरूप बिल का उद्देश्य उपभोक्ता को ठगने पर केंद्रित भ्रामक समर्थन में भाग लेने के लिए जिम्मेदार उन सेलिब्रिटीज या एड करने वाले एंडोरसर्स को पकड़ना है और यह सही दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। जैसा कि निर्माताओं और सेवा प्रदाताओं के साथ होता है, इस तरह के भ्रामक विज्ञापन के माध्यम से उत्पाद का समर्थन करने वाले लोगों और धन को लूटने वाले लोगों को उन उत्पादों के लिए जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए, जो वे विज्ञापन कर रहे हैं। दंड के साथ इस तरह की जवाबदेही एंडोसर्स के बीच परिश्रम को सुनिश्चित करेगी कि वे जिन उत्पादों के लिए समर्थन कर रहे हैं, वे प्रामाणिक हैं। पिछले कुछ वर्षों में हमने देखा है कि रियल एस्टेट में बड़े शहरों में फ्लैट्स आवंटन हेतु बिल्डरों ने बड़े सेलिब्रिटीज के माध्यम से बहुत बड़ा प्रचार किया, लेकिन हुआ क्या?

(1240/RV/SM)

अधिकांश स्कीम्स पर काम नहीं हुआ और अन्त में निवेशकों को आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिला। क्या उन सेलिब्रिटीज़ और विज्ञापनकर्ताओं को जिम्मेदार नहीं ठहराया जाना चाहिए? इस तरह का प्रावधान भी इस बिल में होना चाहिए कि निवेशकों का धन उनसे भी वसूल किया जा सके।

सभापति जी, इस बिल का उद्देश्य निर्माता और विक्रेता के उत्पाद दायित्व को स्थापित करना है, जिसका उद्देश्य उन्हें उत्पाद और सेवाओं को बेचने के लिए जिम्मेदार ठहराना है। उपभोक्ताओं को होने वाली असुविधा के लिए मुआवजा प्रदान करने के लिए उन्हें उत्तरदायी बनाना भी आवश्यक है। आजकल देश में सैकड़ों कम्पनियां ऑनलाइन सामान सप्लाई करने का कार्य कर रही हैं। समय

की कमी और जीवन की आपाधापी के कारण अधिकांश लोग ऑनलाइन सामान बेचने वाली कम्पनियों के लोकलुभावन प्रचार में फंस कर जरूरत का सामान ऑर्डर करते हैं और जब वे सबस्टैण्डर्ड और गलत सामान प्राप्त करते हैं तो सप्लायर बहाना बनाकर उसकी कोई सुनवाई नहीं करते हैं। आपको भी उसका अनुभव होगा। यहां तक कि जो फोन नम्बर उस इनवॉयस पर प्रिंटेड रहता है, वह एग्जिस्ट ही नहीं करता है। सामान वापस करने की समय सीमा को भी वे फॉलो नहीं करते हैं। अंतत: नुकसान उपभोक्ताओं को ही उठाना पड़ता है। इसके लिए सप्लायर को जिम्मेदार ठहराने का प्रावधान होना चाहिए।

सभापति जी, हालांकि, सी.सी.पी.ए. की स्थापना सरकार का एक सराहनीय कदम है, परन्तु बिल में कुल आयुक्तों की गणना नहीं की गई है, जो प्राधिकरण का नेतृत्व करेंगे। यह केन्द्र सरकार द्वारा बाद में तय किया जाना चाहिए। पारदर्शिता और जवाबदेही के हित में सरकार को सी.सी.पी.ए. में नियुक्ति करने के लिए आयुक्तों की कुल संख्या को भी परिभाषित करना चाहिए।

सर, विधेयक का उद्देश्य पहले से ही दबे हुए न्यायालयों के बोझ को जोड़े बिना पीड़ित उपभोक्ताओं को समय पर निवारण प्रदान करने के उद्देश्य से एक नागरिक अदालत की शक्ति प्रदान करना है। हालांकि, बिल इन मंचों में न्यायिक प्रतिनिधित्व की अनिवार्य आवश्यकता नहीं रखता है। न्यायिक प्रतिनिधित्व किसी भी अदालत के लिए सुचारू और कुशल होना चाहिए।

निवारण मंचों के सदस्यों को नियुक्त करने का अधिकार केवल केन्द्र सरकार के पास नहीं होना चाहिए, बल्कि यह न्यायपालिका के प्रतिनिधित्व के साथ एक स्वतंत्र चयन समिति के निर्णयों के अधीन होना चाहिए। इस दिशा में राज्य सरकारों को भी आवश्यकता के अनुसार शक्ति प्रदान करनी चाहिए। राज्य सरकारों को भी अपने राज्य में निवारण मंचों के सदस्यों को नियुक्त करने का अधिकार होना चाहिए।

उदाहरण के तौर पर मैं जॉनसन एण्ड जॉनसन से संबंधित एक मामले का उल्लेख करना चाहता हूं, जहां कम्पनी को दोषपूर्ण हिप प्रत्यारोपण की आपूर्ति के लिए जवाबदेह ठहराया जा रहा है। कम्पनी ने गलत सामान सप्लाई किया, जिसके इम्प्लांट के बाद रोगी और अधिक समस्याओं से जूझ रहे हैं। कम्पनी अपनी गलती को स्वीकार कर अमेरिका में कम्पेनसेशन दे रही है, परन्तु वह भारत में इसके लिए आनाकानी कर रही है तो क्या सरकार का दायित्व नहीं बनता कि वह कम्पनी के विरुद्ध मामला बना कर उस पर केस करे? उन मामलों का समय पर निवारण सुनिश्चित करने के लिए एक नियामक ढांचा तैयार करना होगा, जहां पर उपभोक्ताओं को ठगने के लिए बहुराष्ट्रीय निगम जिम्मेदार हैं।

महोदय, इस आशा के साथ कि मेरे द्वारा दिए गए सुझावों पर सरकार विचार करेगी, इस बिल का मैं समर्थन करता हूं।

धन्यवाद।

(इति)

1243 बजे

श्री चन्द्रेश्वर प्रसाद (जहानाबाद): माननीय सभापति महोदय, मैं उपभोक्ता संरक्षण विधेयक, 2019 के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। यह बिल काफी महत्वपूर्ण है।

सभापति महोदय, मैं सर्वप्रथम जहानाबाद, अरवल, गया जिले सहित समूचे बिहार प्रदेश की तरफ से उपभोक्ता संरक्षण बिल के लिए आभार व्यक्त करता हूं। हमारे प्रदेश के मुख्य मंत्री जी भी इस विषय पर समय-समय पर अपनी चिंता व्यक्त करते रहे हैं।

सभापति महोदय, देश में 130 करोड़ उपभोक्ता हैं। देश के उपभोक्ताओं में जागरूकता आ रही है, लेकिन हमारा बिल 33 वर्ष पुराना ही चल रहा है। अब बाजार उन्नत हो चुका है। वैश्विक बाजार, चाहे वह राष्ट्रीय स्तर पर हो या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो, चाहे ई-कॉमर्स का बाजार हो, इनमें सभी प्रकार की अच्छाइयों के साथ-साथ कुरीतियां भी आ गई हैं। नयी बाजार व्यवस्था का कोई संचालन नियमन नहीं है। अभी हाल-फिलहाल हाई कोर्ट ने ई-कॉमर्स के द्वारा दवा बिक्री पर रोक लगाई है और सही नियमन बनाने की सिफारिश की है। इन्हीं कारणों से यह विधेयक काफी महत्वपूर्ण है। इससे उपभोक्ताओं के अधिकारों को सुरक्षित करने का प्रावधान होगा। आज बाजार भ्रामक विज्ञापन, टेलिमार्केटिंग, डायरेक्ट बिक्री और ई-कॉमर्स की ओर अग्रसर है।

(1245/MY/AK)

इसी कारण उपभोक्ता कभी-कभी ठगे भी जाते हैं। वजन एवं तोल सही नहीं मिलता है। नकली और खराब सामान की सप्लाई की जाती है। मिलावट आज आम बात हो गई है। शुद्धता पर प्रश्न चिह्न लग चुका है। पहले कोई व्यक्ति कहता था कि सामान ठीक नहीं है, अच्छा नहीं है, तो वह खरीदने के बाद कम्प्लेंट करता था। उसके बाद कंज्यूमर फोरम के माध्यम से कार्रवाई की जाती थी। इस बिल में सेन्ट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी (सी.सी.पी.ए.) की व्यवस्था की गई है। अगर कंज्यूमर कोर्ट में आपस में कहीं कंट्रोवर्सी होती है, तो हम कह सकते हैं कि जूडिशियल मामले को सॉर्ट आउट कर लिया गया है। क्लॉसिज़ एक्शन के तहत कोई चीज खरीदने से पहले, खरीदने के समय या खरीदने के बाद तीनों ही स्थिति में अथॉरिटी को अधिकार होगा। यह बिल नॉन कन्ट्रोवर्शियल है और देश के कंज्यूमर्स के हित में है। कंज्यूमर कमीशन तीन लेवल पर है, एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पर है, दूसरा स्टेट लेवल पर है और तीसरा, एक नेशनल लेवल पर है। पहले 20 लाख पर डिस्ट्रिक्ट लेवल था, अब इसे बढ़ाकर एक करोड़ कर दिया गया है। पहले कोई आदमी जहां सामान खरीदता था, वहीं पर ही कम्प्लेंट कर सकता था। अब वह अपने घर से ही कम्प्लेंट कर सकता है। इसमें वकील की कोई जरुरत नहीं होगी। मेडिएशन का प्रावधान भी रखा गया है और आपस में समझौता भी कर सकते हैं।

कंज्यूमर के पक्ष में यदि हाई कोर्ट या लोअर कोर्ट से फैसला हो गया, तब विरोधी को नेशनल कोर्ट या कमीशन में जाने का अधिकार नहीं रहेगा। यह बहुत ही अच्छा विधेयक आ रहा है। इससे उपभोक्ताओं को काफी सहूलियतें होंगी। इसमें ई-फाइलिंग की भी व्यवस्था की गई है। 21 दिन के अंदर यदि सुनवाई नहीं होती है, तो ऑटोमेटिक कम्प्लेंट एडमिट कर ली जाएगी। इसमें मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट की बात भी आ गई है। अब यदि कोई आदमी एडवर्टाइजमेंट देता है और वह चीज गलत है, तो वह दोषी है। दूसरा, यदि कोई एडवर्टाइजमेंट को गलत ढंग से छापता है, तो वह भी दोषी

है। तीसरा, यदि कोई सेलेब्रेटी, जो चीज नहीं लिखी है, उसे बोलता है, तो वह भी दोषी है। यह बहुत ही कारगर कदम होगा। इसके अलावा, वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई हो सकती है। बहुत-सी सुविधाएं इस विधेयक में दी गई हैं। डायरेक्ट सेलिंग की व्यवस्था की गई है। जहां से सामान खरीदें, वहां बिल देना अनिवार्य होगा और एक महीने के अंदर सामान को वापस भी किया जा सकता है। यह प्रोडक्ट लाएबिलिटीज़ का मामला है, मिलावट का मामला है। इन सब चीजों को देख कर ही यह बिल लाया गया है। इस तरह से बहुत सरल प्रक्रिया कर दी गई है।

मैं इस बात के लिए सरकार तथा माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं। मैं माननीय मंत्री जी निवेदन से करना चाहता हूं कि जितनी बाजार समितियां हैं, जितने भी सरकारी गोदाम हैं, वहां इलेक्ट्रॉनिक कांटे की व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे किसानों को राहत मिलेगी।

महोदय, कुल मिलाकर यह बहुत ही महत्वपूर्ण बिल है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद।

(इति)

माननीय सभापति (श्री राजेन्द्र अग्रवाल): आपको भी धन्यवाद है, क्योंकि आपने समय-सीमा में अपना विषय पूरा किया।

1248 बजे

श्री रमेश चन्द्र माझी (नबरंगपुर): चेयरमैन सर, आज कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल 2019 के ऊपर चर्चा हो रही है। मैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल 2019 का सपोर्ट कर रहा हूं। इसमें दो-तीन चीजें अच्छी हैं। इसमें कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल, सेन्ट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी और कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन की व्यवस्था है। अगर हम सेन्ट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी की व्यवस्था को देखते हैं, तो मुझे लगता है कि यह एक अच्छा स्टेप है। उसमें एक नई चीज क्लास एक्शन सूट है। यह भी एक गुड स्टेप है। इसमें मेडिएशन के बारे में बताया गया है। अगर दोनों के बीच कोई प्रॉब्लम होती है, तो वह आउट ऑफ कोर्ट ही सेटल हो सकता है। यह अच्छी चीज है।

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से एक-दो चीजों के बारे में क्लैरिफिकेशन चाहता हूं। इसमें जो ई-कॉमर्स पॉलिसी और कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल है, इन दोनों में कान्फ्लिक्ट है। माननीय मंत्री जी इसको थोड़ा क्लैरिफाई करें। अगर कोई प्रोडक्ट का पैसा रिफंड करके लौटाता है, तो उसको वेबसाइट से ही हटा दिया जाता है। अब कंज्यूमर प्रोटेक्शन में क्या है? यह प्रोडक्ट लाएबिलिटीज़ के केस में आ सकता है। अगर हम क्वांटम ऑफ पनिशमेन्ट के बारे में बोलें, तो ई-कॉमर्स पॉलिसी और ड्राफ्ट ई-कॉमर्स पॉलिसी अभी तक फाइनल नहीं हुई है। जो पहला ऑफेन्स करता था, उसका 10 लाख रुपये का फाइन होता था और दो साल की जेल भी होती थी।

(1250/CP/SPR)

अगर कोई सेकेंड टाइम आफेंस करेगा, तो उसको पांच साल सजा होगी और 50 लाख रुपये फाइन होगा। इन दोनों चीजों में मैक्सिमम लिमिट क्या है? मान्यवर मंत्री जी इसे क्लेरिफाई करेंगे।

वर्ष 2011 में यूएस फेडरल ट्रेड कमीशन में रीबॉक को फाइन हुआ था। उसमें उसको 25 मिलियन डॉलर्स का फाइन हुआ था। 50 लाख रुपये इसके लिए काफी हैं या नहीं, इसे माननीय मंत्री जी क्लेरिफाई करेंगे। अगर कोई सिलेब्रिटी है, उसको भी फाइन कर सकते हैं। इसमें एक चीज ड्यू डिलीजेंस है, इसके बारे में मंत्री महोदय क्लेरिफाई करेंगे कि ड्यू डिलीजेंस क्या है?

उसका जो जज होता है, जो कंज्यूमर रिड्रेसल कमीशन होता है, उसमें एक जज बैठते थे। अब इसमें जुडीशियल लोग बैठेंगे या ब्यूरोक्रेट बैठेगा, इस बिल में क्या प्रावधान किया है? इसे क्लेरिफाई करना चाहिए। पहले इसमें जज का एप्वाइंटमेंट किया जाता था, अब उसमें कौन बैठेगा, इसका रूल क्या होगा? मंत्री जी, आप इसको क्लेरिफाई कीजिए।

अगर पेंडेंसी देखी जाए, तो 3,23,163 केसेज डिस्ट्रिक्ट फोरम्स में पेंडिंग हैं। आपने बताया कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर पहले 20 लाख रुपये तक था, अब वह 1 करोड़ रुपये हो गया है। इसके बारे में क्या स्ट्रेटिजी है? मंत्री जी इसके बारे में बताएंगे। जो एडवरटाइजमेंट कोड होता है, लीगल बैंकिंग के बारे में स्टैंडिंग कमेटी ने जो रिकमेंडेशन की है, वह अच्छी चीज है। इसके बारे में सरकार कोई वादा कब करेगी? 20 लाख रुपये तक का जो केस होगा, वह विद आउट एडवोकेट के फाइनल हो जाएगा, यह चीज अच्छी है। स्टैंडिंग कमेटी ने भी इसके लिए रिकमेंड किया है।

कंज्यूमर्स को अवेयरनेस के लिए कौन एजुकेट करेगा? कंज्यूमर्स अवेयरनेस की एजुकेशन कैसे दी जाएगी, इसे कौन-कौन करेगा? मंत्री महोदय जी आप इस बात को क्लेरिफाई करें।

महोदय, मैं इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं।

(इति)

1253 बजे

श्री गिरीश चन्द्र (नगीना): महोदय, आपने मुझे उपभोक्ता संरक्षण संशोधन बिल, 2019 की चर्चा पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बहन जी का भी आभार प्रकट करना चाहता हूं कि उनके आशीर्वाद से मुझे यहां आने का मौका मिला।

महोदय, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम वर्ष 1986 में पारित हुआ। आम जनता को इसका तुरन्त लाभ मिले, ऐसी व्यवस्था इसमें दी गई है। मैं अवगत कराना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की उपभोक्ता अदालतों में लगभग 5 से 15 वर्ष तक मुकदमे विचाराधीन हैं। उपभोक्ता अदालतों में पिछले तीन वर्षों में सदस्यों की कोई नियुक्ति न होने के कारण मुकदमे निस्तारित नहीं हो पा रहे हैं। अकेल उत्तर प्रदेश में ही लगभग 50 उपभोक्ता न्यायालय ऐसे हैं, जहां अध्यक्ष एवं सदस्य दोनों के ही पद रिक्त हैं और उपभोक्ता न्यायालय ठप पड़े हैं। सरकार उपभोक्ता अदालतों पर कोई ध्यान नहीं दे रही है, जिसके कारण वहां सरकार का काफी पैसा बर्बाद हो रहा है। ऐसा कानून बने कि जिससे उपभोक्ता न्यायालय कभी भी खाली न रहें तथा उपभोक्ता अदालतों में कार्यरत अध्यक्ष एवं सदस्य निर्धारित समय में मुकदमे निर्णीत न करें तो उनकी जवाबदेही भी तय होनी चाहिए। मैं आपसे ऐसी मांग रखता हूं।

महोदय, देश के अन्य राज्यों में राज्य उपभोक्ता आयोग की पीठ के साथ-साथ, राज्य आयोग की सर्किट बेंच भी गठित हैं। उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है, जो जनसंख्या एवं क्षेत्रफल को देखते हुए काफी बड़ा राज्य है। उत्तर प्रदेश में राज्य उपभोक्ता आयोग की पीठ लखनऊ में स्थापित है। उत्तर प्रदेश में राज्य उपभोक्ता आयोग की मात्र एक पीठ होने के कारण मुकदमों का निस्तारण वर्षों तक लम्बित पड़ा रहता है। इसलिए मैं अन्य राज्यों की तरह उत्तर प्रदेश में भी उपभोक्ताओं के हितों का ध्यान रखते हुए राज्य उपभोक्ता आयोग की कम से कम 5 सर्किट बेंच खोली जाएं। इसकी एक पीठ मुरादाबाद मण्डल के जनपद बिजनौर में भी खोलने की मैं मांग रखता हूं।

राज्य आयोग तथा जिला फोरम्स में सदस्यों की भर्ती की योग्यता कम से कम विधि स्नातक हो। सेवानिवृत्त अधिकारियों, कर्मचारियों के लिए भी योग्यता विधि स्नातक से कम न हो। संघ लोक सेवा आयोग अथवा अधीनस्थ चयन सेवा आयोग के द्वारा ही भर्ती की जानी चाहिए।

(1255/NK/UB)

राष्ट्रीय आयोग, राज्य आयोग तथा जिला फोरमों में अध्यक्ष एवं सदस्यों के पदों की भर्ती में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति व अति पिछड़े वर्ग का निर्धारित आरक्षण इसमें लागू होने की व्यवस्था हो। वर्तमान में जिला फोरम में मुकदमों के निस्तारण की अवधि तीन माह निर्धारित है, परंतु वर्षों मुकदमों के निस्तारण में लग जाते हैं।

महोदय, मैं आपकी जानकारी में लाना चाहता हूं कि जिला फोरम में एक माह में कम से कम 75 मुकदमे निस्तारित करने का लक्ष्य है, लेकिन अधिकतर जिला फोरमों में माह में पांच या दस मुकद्मे ही मेरिट के आधार पर निस्तारित हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में जिला फोरम के अध्यक्ष और सदस्यों के विरुद्ध जवाबदेही भी तय होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश सरकार फोरम के अध्यक्ष एवं सदस्यों

को श्रेणी क के अधिकारियों के समकक्ष का वेतन और सभी प्रकार की सुविधाएं प्रदान कर रही है, परंतु मुकदमों का निस्तारण मानक लक्ष्य के आधार पर नहीं हो रहा है। इससे धन की बर्बादी हो रही है तथा उपभोक्ता न्याय पाने के लिए भटक रहा है। चेक बाउंस के मामले, छात्र व शिक्षा से संबंधित मामलों की सुनवाई उपभोक्ता न्यायालयों में होनी चाहिए।

वर्तमान में उपभोक्ता न्यायालयों में विद्युत विभाग के केवल बिलिंग से संबंधित मामलों को सुनने का अधिकार है, परंतु विद्युत विभाग के औद्योगिक व व्यवसायिक मामलों को सुनने का अधिकार नहीं है। उपभोक्ताओं के हितों को ध्यान में रखकर विद्युत विभाग के औद्योगिक व व्यवसायिक मामलों को सुनने का अधिकार भी उपभोक्ता न्यायालयों को होनी चाहिए। खाने-पीने की वस्तुओं में जिस तरह की मिलावट है, जिस तरीके से उनके दाम बढ़ते हैं, उसके आधार पर पानी की बोतल हम लोग दस रुपये में तैयार करते हैं लेकिन वही बोतल जब फाइव स्टार होटल में चली जाती है, तब दो सौ रुपये में बिकती है। इसे भी हम लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। खाने-पीने की वस्तुओं में मिलावट तथा बाट एवं माप से संबंधित मामलों की सुनवाई उपभोक्ता न्यायालयों में होनी चाहिए।

मैं महोदय की जानकारी में यह भी लाना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में प्रति जिला फोरम हेतु तृतीय श्रेणी के तीन कर्मचारियों के पद स्वीकृत हैं रीडर, आशुलिपिक व कनिष्ठ लिपिक। तीनों कर्मचारियों पर कार्य का अधिक दबाव रहता है, इसलिए प्रति जिला उपभोक्ता फोरम हेतु तृतीय श्रेणी के कम से कम दो पद लिपिक व स्टोर कीपर को बढ़ाना चाहिए। अगर ये पद स्वीकृत किए जाते हैं तो उन पर दबाव कम रहेगा और मुकदमों का निस्तारण समय से हो जाएगा। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

(इति)

1257 hours

SHRI SAPTAGIRI ULAKA (KORAPUT): Sir, I am a first-time legislator in the Lok Sabha. I have also been an MLA. जब भी बिल आता है, पिछले सदन में पास किया गया, स्टैन्डिंग कमेटी में गया है। But the thing is that all the Bills are passed only in the Lok Sabha and the Government passed RTI Bill or Triple Talaq Bill not because of the merit of the Bill but because of the Government's crude majority in the House. हम सदन में मुद्दा उठाते हैं कि कोई बिल लोक सभा में पास हो गया, बिल अच्छा है या खराब है, आपकी मेजोरिटी है और आप बिल पास कर रहे हैं लेकिन वह राज्य सभा में जाकर अटक जाता था, अब धीरे-धीरे पास हो रहा है। यह बिल भी वैसे ही है Now, we are talking about introducing a new Bill. We took into consideration the Standing Committee Report. We have created something called a Central Consumer Protection Authority. This does not do anything but this is creating parallel powers. What will happen to the existing quasi-judicial courts? उसमें क्या है, इस बिल में नहीं बताया गया है कि कंज्यूमर्स कोटर्स का क्या दायरा रहेगा, What is the limitation of that? So, this might lead to some parallel powers. I think the Government needs to clarify what will happen to the Consumer Courts. दूसरी बात है, They love to control everything. In Section 18(c), they have said that we want to regulate advertisements also. क्या सेंट्रल गवर्नमेंट यह बोलेगी what an advertisement should be like? अभी तो मोदी टीवी भी आ रहा है, बहुत आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि सरकार का ही सब चलेगा, एडवर्टाइजमेंट कंट्रोल करना चाहते हैं। यह 80 सी में भी लिखा हुआ है. In this Bill, they have given excessive control to the Central Government. ग्रीवेंस रिड्रेसल को भी आप कंट्रोल करना चाहते हैं। We are buying something. Now, you want to control everything by the centralisation of power. Section 18(d) says, "No person takes part in publication of any advertisement which is false or misleading". इसका क्या मतलब है? How will someone know whether it is false or misleading? When it comes to celebrity, Section 21(5) says, "No endorser shall be liable to penalty if he has expressed due diligence".

(1300/MK/KMR)

This Government is in favour of celebrities. Clause 18(d) of the Bill says, "ensure that no person takes part in the publication of any advertisement which is false or misleading." And clause 21(5) says, "No endorser shall be liable to a penalty … if he has exercised due diligence to verify the veracity of the claims made in the advertisement regarding the product or service being endorsed by him." This is ambiguous. Does the Bill hold the endorser responsible or not? आप

सेलिब्रिटिज के साथ हैं या विरोध में, उसके बारे में भी बताएं। These two clauses are contradictory to each other.

One of the biggest problems now is of fake goods. With the advent of e-commerce websites, there are a lot of fake goods being sold. This Bill has nothing to say about goods sold on e-commerce sites like Amazon, Flipkart, etc. When one orders for a mouse, after opening the packet only he finds that it is a fake product. These sites claim to be selling an Apple product but instead you get a fake product which is made in China. But the e-commerce sites are never responsible. They are just meant to be carriers of products. It has to be clearly defined as to what has to be done in such cases.

Sir, the process of mediation has been introduced in Chapter 5. While this Bill is supposed to redress the grievances quickly, this mediation is likely to give scope to corruption. जो करप्शन करना चाहता है, वह कर सकता है। जिसके पास पॉवर और पैसा है, वह इसको कंट्रोल भी कर सकता है। This will further delay the process of grievance redressal.

I would like to highlight some jurisdiction issues. There are multiple other laws also along with this Bill. I will give you a few examples. There is the Real Estate (Regulation and Development) Act, 2016 which deals with real estate and construction activities. If you include the real estate in the present Bill also, under which of these two laws will the real estate be managed?

This Bill is being projected as a modern legislation. मंत्री जी ने बताया था कि I am bring in the Bill, जो 30 सालों तक चेंज नही होगा। ऐसा नहीं होता है। जो ई-कामर्स है, हम लोगों का जो वे ऑफ टेक्नोलॉजी चेंज होता है, वह एक-दो साल में चेंज होता है। आप ऐसा कोई बिल नहीं ला सकते हैं, जो 20 या 30 साल तक लास्ट करेगा। You need to reconsider things from time to time. Will e-commerce be a part of the Information Technology Act, 2000 or will it come under the present legislation? We passed the National Medical Commission Bill, 2019 yesterday. यदि किसी को डॉक्टर से शिकायत है तो वह इसी बिल को देखेगा न कि नेशनल कमीशन बिल को। So, there is duplicity of things here. We need to clarify all these things. When we want to bring a new legislation like the Consumer Protection Bill, we need to understand that the consumers of today are young, they work on multiple platforms, and they come from vast and varied backgrounds. We use technology, we import multiple products from abroad also. We need to see that there are some sunset clauses here.

This Bill has to be brought in such a way that it keeps changing and improving. The power you are giving to the Central Government has to be distributed. We need to include the people who are the consumers excepting the Central Government so that the grievance redressal can be done.

Sir, we need to send this Bill back to the Standing Committee because this is not thought through. The Bill having been passed in the last Lok Sabha and the Standing Committee examining it before does not mean that it has merit. The Bill was passed in the previous Lok Sabha because of the brute majority the Government had. Please try to send it back to the Standing Committee. Let us deliberate on it and then take it forward.

Thank you.

(ends)

1304 बजे

श्री अजय कुमार (खीरी): धन्यवाद सभापति महोदय । मैं उपभोक्ता संरक्षण विधेयक, 2019 का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। हमारा देश एक ऐसा देश था जिसमें पहले लोग अपनी जरूरत की चीजें अपने-आप ही उत्पादित करते थे और बनाते थे। धीरे-धीरे जब लोगों की क्रयशक्ति बढ़ी तो वर्ष 1986 में एक बिल लाने की जरूरत महसूस की गई, जिससे उपभोक्ता को संरक्षण और सुविधाएं मिल सके। वर्ष 1986 में लाया गया वह बिल 33 साल पुराना हो गया है। इस दौरान हमारे देश में न केवल अर्थव्यवस्था बढ़ी है बल्कि लोगों की आमदनी बढ़ी है, क्रयशक्ति बढ़ी है और ई-कामर्स जैसी बहुत सारी चुनौतियां भी बढ़ी हैं, जिसके कारण वह बिल जिसमें बहुत-सारे अमेंडमेंट्स पहले से ही हो चुके थे, उसकी जगह पर एक नया बिल लाने की आवश्यकता थी।

(1305/YSH/SNT)

हमारी सरकार वर्ष 2018 में उस बिल को लेकर आई थी। वह बिल लोक सभा में दिसम्बर 2018 में पारित हो गया था, लेकिन उसके बाद चुनाव आ गया और यह बिल वापस हम लोगों को लेकर आना पड़ा है। इस बिल का केवल एक ही उद्देश्य है कि हमारे जो उपभोक्ता हैं, उनको हम अधिक से अधिक सुविधाएं दे सकें और उनका संरक्षण कर सकें। उसके लिए हमने मध्यस्थता के प्रावधान किए हैं। जो त्रिस्तरीय न्यायिक व्यवस्था वर्ष 1986 के बिल में थी, जिसमें जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर जो प्रावधान बनाए गए थे, उनका भी विस्तार किया गया है, उनकी सीमाएं बढ़ाई गई हैं। इसके अलावा मध्यस्थता कानून के साथ-साथ ऑनलाइन प्रावधान भी किए गए हैं।

माननीय सभापति महोदय, जिस तरह से वर्ष 2004 में माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार के दौरान हमारी देश की अर्थव्यवस्था पूरी दुनिया में 11वें नंबर पर थी और 2014 तक 11वें नंबर पर ही रही, लेकिन वर्ष 2014 से 2019 के बीच में हम छठवें स्थान पर आ गए। इस तरह से तीन हजार अरब डॉलर के लगभग हमारी अर्थव्यवस्था हो चुकी है और आगे वर्ष 2024 तक पांच हजार अरब डॉलर होने की संभावना है। लोगों की क्रय शक्ति में बहुत तेजी से इजाफा हुआ है। एक अध्ययन के अनुसार यह भी कहा जा रहा है कि भारत का उपभोक्ता बाजार पूरी दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ रहा है। इस अध्ययन में आया है कि वर्ष 2008 में उपभोक्ता बाजार जहां 31 लाख करोड़ रुपये था, वर्ष 2018 में 110 लाख करोड़ रुपये हो गया है। यह संभावना है कि वर्ष 2028 तक यह तीन गुना बढ़कर 335 लाख करोड़ रुपये हो जाए। इससे हम यह अनुमान लगा सकते हैं कि हमारे देश में कितनी तेजी से क्रय शक्ति बढ़ रही है। इसका कारण बढ़ती आबादी भी हो सकती है। शहरीकरण भी तेज हुआ है। मध्यम वर्ग भी तेजी से बढ़ा है। हमारे देश में लगभग 17 करोड़ लोग उच्च मध्यम वर्ग में आ रहे हैं और 30 करोड़ से ज्यादा लोग लगभग 50 करोड़ लोग मध्यम वर्ग में हैं। ज्यादातर लोग ई-कामर्स का प्रयोग कर रहे हैं। यह भी एक बड़ी चुनौती हमारे सामने है। यह उम्मीद है कि वर्ष 2021 तक हमारा ई कामर्स का बाजार 84 अरब डॉलर हो जाएगा। यह वर्ष 2017 में केवल 24 अरब डॉलर था तो आप समझ सकते हैं कि कितनी तेजी से यह बाजार बढ़ रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि हमारी सरकार जब वर्ष 2014 में आई थी तो हमने डिजिटलीकरण को इतना बढ़ावा दिया कि जिससे लोगों की सुविधाएं बढ़ीं और लोगों को घर पर ही उनकी जरूरतों का सामान तुरन्त उपलब्ध

होने लगा। इसका प्रभाव यह पड़ा कि ई कामर्स बहुत तेजी से बढ़ रहा है। जहां इससे ग्राहकों की सुविधा बढ़ी है, वहीं हमारी सरकार की चुनौतियां भी बढ़ी हैं। जैसा आप अपने उद्बोधन में कह रहे थे कि आपको मोबाइल की जगह उन्होंने स्टोन दे दिया तो यह शुरुआती दौर की बात थी। इस समय हमारे सामने डाटा संरक्षण की बहुत बड़ी चुनौती है। जिस तरह से पूरी दुनिया में ई बाजार बढ़ा है, उससे डाटा संरक्षण करने की देश के अन्दर बहुत बड़ी जरूरत महसूस की जा रही है। अगर हमारा डाटा संरक्षित नहीं होगा तो पूरी दुनिया के दूसरे देश उसका लाभ उठा सकते हैं। इसलिए ग्राहक का ही उसके डाटा पर पूरा नियंत्रण हो और देश में ही डाटा संरक्षित हो यह भी मैं माननीय मंत्री जी को आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहूंगा। इन्टरनेट से कारोबार का एक बहुत बड़ा माध्यम हो गया है। 62 करोड़ से ज्यादा लोग हमारे देश में इन्टरनेट का प्रयोग कर रहे हैं।

माननीय सभापति जी, मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार एक संवेदनशील सरकार है, जहां हमने लोगों की अर्थव्यवस्था बढ़ाई है। हम किसानों के लिए भी यह लक्ष्य लेकर चल रहे हैं कि 2022 तक उनकी आमदनी दुगुनी करेंगे। हम गावों में शहरी व्यवस्थाएं और सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रयास कर रहे हैं। लोगों की जब क्रय शक्ति बढ़ती है और लोगों की जरूरते बढ़ती है तो बाजार को देखकर के जो उद्योगपति होते हैं, वे उत्पादन उतारते हैं। उसमें कई बार बहुत कठिनाइयां आती है, जैसे भ्रामक विज्ञापन होते हैं या कुछ डिसप्ले करते हैं, तो उसमें वे भ्रामक बातें कह देते हैं, लेकिन उत्पादन में वास्तविकता नहीं होती है, इसी कारण चुनौतियां बढ़ जाती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसका संज्ञान लिया। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि केवल टैक्नीकल आधार पर किसी भी उपभोक्ता को रोका न जाए। एक याचिका पहले भी हुई थी, उसमें विवरण आया था कि वे चार हफ्ते लेट हो गए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कानून का उद्देश्य यह है कि उपभोक्ता का संरक्षण और उपभोक्ता को सुविधा हो। वैसे हमारी सरकार पूरी तरह से संवेदनशील है और हम लोगों ने प्रयास किया है कि हम बाजार को पूरी तरह से सुरक्षित करें और उपभोक्ताओं की शक्ति को बढ़ाएं। उपभोक्ताओं का संरक्षण करते हुए उनकी सुविधाएं बढ़ाएं।

(1310/RPS/GM)

सभापति जी, इस बिल में जो मुख्य बातें हैं, उनमें से एक यह है कि सेंट्रल कन्ज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी के गठन का प्रस्ताव किया गया है, जिसके माध्यम से अनैतिक व्यापारिक गतिविधियां रोकने में हमें कामयाबी मिलेगी। खराब प्रोडक्ट्स की जिम्मेदारी उसे बनाने वाली कंपनी की होगी और उसके साथ ही इसमें उस कंपनी को भी जोड़ा गया है, जो ई-कॉमर्स के माध्यम से उपभोक्ता को वह प्रोडक्ट उपलब्ध कराएगी। एक नया कांसेप्ट यह भी जोड़ा गया है कि जो मैन्यूफैक्चरर या सर्विस प्रोवाइडर होगा, उसमें केवल एक उपभोक्ता या उपभोक्ताओं का केवल एक समूह नहीं होगा, बल्कि उस ग्रुप के जितने भी लाभार्थी होंगे, सभी को उसका लाभ मिलेगा। इसके साथ ही, प्रोडक्ट की मैन्यूफक्चरिंग, डिजाइन आदि खामियों की वजह से अगर ग्राहक को कोई नुकसान होता है तो उसके लिए भी विक्रेताओं को जिम्मेदार बनाने की हमने कोशिश की है। बिल में उपभोक्ता विवादों को सुलझाने के लिए जिला, राज्य और नेशनल लेवल पर मौजूद संरचनाओं को हटाने का प्रस्ताव है। इस विधेयक में प्रावधान है कि यदि जिला और राज्य उपभोक्ता फोरम उपभोक्ता के हित में फैसला

सुनाते हैं तो आरोपी कंपनी राष्ट्रीय फोरम में नहीं जा सकती है। इसके अलावा उपभोक्ता आयोग से उपभोक्ता मध्यस्थता सैल को जोड़ दिया गया है। जब ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे तो इस दौरान उपभोक्ता को जो कठिनाइयां आती थीं, वे नहीं आएंगी। ई-कॉमर्स को लेकर भी इस कानून में बहुत सारे प्रावधान किए गए हैं। समय कम है, इसलिए मैं अभी उनके विस्तार में नहीं जा रहा हूं। मैं आपकी बात समझ रहा हूं।

नया कानून मामलों के जल्द निपटारे के लिए महत्वपूर्ण है। इसमें वीडियो कांफ्रेंसिंग से सुनवाई का भी प्रावधान किया गया है। ई-कॉमर्स कंपनीज के लिए उपभोक्ताओं के डेटा एक्सेस के लिए सहमति लेना अनिवार्य कर दिया गया है। मैंने शुरुआत में ही कहा है कि इस दुनिया में जैसे-जैसे डिजिटलीकरण बढ़ रहा है, ई-कॉमर्स और ई-सर्विसेज बढ़ रही हैं। इस समय डेटा सबसे महत्वपूर्ण हो गया है और डेटा को कोई भी रोक नहीं सकता है। यह खुला बाजार है। इसलिए डेटा के संरक्षण के लिए देश में एक मजबूत कानून बनना चाहिए। हमारे देश के उपभोक्ताओं का डेटा हमारे ही देश में संरक्षित हो और उस ग्राहक का पूर्ण नियंत्रण अपने डेटा पर रहे, इसकी व्यवस्था भी मंत्री जी को इस कानून के माध्यम से करनी चाहिए।

बिल में मैन्यूफैक्चरर और प्रोडक्ट का प्रचार करने वाले लोगों को भी जिम्मेदार बनाया गया है। हम लोगों ने देखा है कि भ्रामक विज्ञापन होते थे, भ्रामक विज्ञापनों में बहुत बड़े-बड़े सिलेब्रेटीज होते थे और लोग उनसे प्रभावित होकर उन सामानों को खरीद लेते थे। हम लोगों ने हाल ही में देखा कि *… (Not recorded)* के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली के केस में …(व्यवधान)

माननीय सभापति (श्री राजेन्द्र अग्रवाल): किसी का नाम मत लीजिए।

श्री अजय कुमार (खीरी): जी, हां। नाम नहीं लेंगे। जो क्रिकेट टीम के एक पूर्व कप्तान थे, उनके लिए ऐसा किया गया है। ऐसे ही हमारे एक बड़े फिल्म स्टार थे, जो मैगी का प्रचार करने को लेकर फंसे थे। अमेरिका, चाइना, साउथ कोरिया ने दवाओं के विज्ञापन के मामले में कुछ दवाओं को प्रतिबंधित किया है, हमारे इस बिल में भी ऐसा किया गया है। डायबिटीज वगैरह की दवाएं हैं या लम्बाई बढ़ाने या गोरा करने की कोई दवा है, उनके बारे में यह कहा गया है कि सिलेब्रेटीज इनमें भाग नहीं लेंगे। अमेरिका में यह व्यवस्था है कि जो व्यक्ति विज्ञापन करता है, उसकी यह जिम्मेदारी होती है कि वह स्वयं उस प्रोडक्ट को यूज करे और उसके बाद उसके बारे में कहे। अमेरिका, चाइना आदि देशों में प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी के साथ ही, वितरण करने वाले और विज्ञापन करने वाले सभी लोगों को जिम्मेदार बनाया गया है। ऐसे ही हमारे देश में इस बिल के माध्यम से एक प्रयास किया गया है। मैं अपनी दो-तीन डिमाण्ड्स रखकर अपनी बात को समाप्त करूंगा।

मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि एमआरपी और एमआरपी डिसकाउण्ट, जो कंपनियां डिसप्ले करती हैं, उसमें एक बहुत बड़ा झोल होता है। उसमें होता यह है कि वे एमआरपी घोषित कर देते हैं और फिर उस पर डिसकाउण्ट देते हैं, तब भी उसमें उनको दो गुना लाभ होता है। इस पर हम लोगों को ध्यान देना चाहिए। डेटा संरक्षण की बात मैंने पहले ही कही है। इस कानून में ई-फाइलिंग की भी व्यवस्था की गई है, सीमा का विस्तार किया गया है, राष्ट्रीय स्तर पर निगरानी करने की भी व्यवस्था की गई है। ऐसे सारे प्रावधान इस बिल में किए गए हैं और ग्राहकों की सुविधा एवं संरक्षण के लिए जहां कानूनी प्रावधान किए गए हैं, वहीं संरक्षण और निगरानी के माध्यम से इस बाजार को बढ़ाने का काम किया गया है। प्रावधानों में विस्तार के द्वारा उपभोक्ता संरक्षण हेतु यह बिल लाया गया है, जिससे उपभोक्ता अधिकारों का बल मिलेगा। मैं सभी सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि आम सहमति से इस बिल को पारित करना चाहिए। धन्यवाद।

(इति)

(1315/RK/RAJ)

1315 hours

SHRI JAYADEV GALLA (GUNTUR): Sir, I thank you for giving me the opportunity to speak on this very important Bill. I will be brief and put forth my submissions point-by-point.

The first point I would like to make is relating to Clause 2 of the Bill which deals with definitions. Sir, Clause 2 (42) defines 'service' and brought under its purview a host of services, right from banking to entertainment. But there is no mention of health-care, which is a very important service.

In 1995, the Supreme Court gave a judgement which clearly said that medical services to patients, for which fee is charged, comes under the purview of the Consumer Protection Act. But, conspicuously, the Bill has left out this direction of the Supreme Court. Not just paid service, even service provided in Government hospitals free of charge should be included in this Bill. It is not about whether they are charging something or not, but it is about the rights of a consumer, regardless of whether the service is free or on chargeable basis. So, even free Government services should be brought under this Bill. I would like to know from the hon. Minister the reasons for not including health-care as a service in the Bill.

It was promised that the Government would come out with a Bill which would provide consumers an alternate system of consumer justice, which would help them seek resolution of their disputes with manufacturers and service providers in a simple and quick manner. Sir, now-a-days, consumer justice has turned out to be anything but simple, quick or inexpensive.

The cases are piling up at every level. But I find no such provision in this Bill. So, I would like to know from the hon. Minister how is he going to simplify the procedure and resolve disputes in a fixed time-frame, as was promised to the consumers of this country?

Clause 2(7) and (42) of the Bill define the words 'consumer' and 'services'. Here you are putting a condition that there has to be some consideration to go before the concerned forum. I feel that consideration should not be a condition precedent in case of availing medical or municipal services provided by the Government. Let me give an example. A victim of medical negligence in a

Government hospital or if a person dies due to negligence of any of the identified municipal services, should also be entitled to compensation. The proposed Bill restricts this. It says that there has to be a 'consideration'. I feel that the definition should be enlarged bringing even free services provided by the Government under the purview of the Bill for compensation. I would request the hon. Minister to consider this.

Sir, Clause 89 of the Bill talks about punishment for false or misleading advertisements which have far-reaching implications. There are penal provisions which say that in case of false advertisements, the imprisonment will be for 2 years and a fine of Rs. 5 lakh. But the Bill is silent on surrogate advertisements. For example, if you have surrogate advertisements for alcohol brands, pan masala brands, cigarette brands, and other such type of dangerous products where advertising is restricted, they come out with the surrogate advertisements. We are all aware of it. There will be liquor brand advertising mineral water and so on. There are advertisements where brands claim that doctors recommend a particular toothpaste, health drink, etc., and if such toothpaste or health drink misrepresents, penal action has to be taken against such brand and company. But there is no such provision in the Bill for surrogate advertisements. So, I would request the hon. Minister to give a serious thought to surrogate advertisements.

The next most important point is related to Clause 10 which deals with the appointment of the Chief Commissioner of the Central Consumer Protection Authority, and Clause 42 deals with the appointment of the State Consumer Disputes Redressal Commission. When it comes to the composition of the Commission, the Bill does not mention anything about the composition of the Central Consumer Protection Authority.

The Bill delegates powers with regard to qualification, terms and conditions of service, salaries, etc., to the Government of India and same is the case with regard to the State Consumer Disputes Redressal Commission where appointment of the President, Members, their qualifications, salaries and allowances, etc., are under the State Government.

The existing Consumer Protection Act clearly mentions that Commissions at various levels will be headed by a person qualified to be a judge. And, 1986

Act also clearly mentions about minimum qualification for Members. But nothing has been mentioned in this Bill.

(1320/PS/IND)

Sir, I also mentioned, while speaking on the RTI Bill, similar concern that the Government wants to keep in its fist every institution by keeping with it the qualification, salaries, allowances, tenures, etc.

HON. CHAIRPERSON (SHRI RAJENDRA AGRAWAL): Now, please conclude.

SHRI JAYADEV GALLA (GUNTUR): It is not in the interest of any institution, including the consumer forums. So, instead of detailing them under subordinate legislation, I would request the hon. Minister to mention the same in the Bill itself.

Sir, I will finish with just two short points. The next point, which some other hon. Members also mentioned, is about penalising celebrities who endorse misleading advertisements. While I agree that there has to be some accountability with the celebrity, we also need to understand that they are not organisations that can do due diligence on every product that they endorse. So, while there has to be brought some type of accountability, it should not be the same type of penalty as on the brand of the company, but, I think, something to hold them accountable is in order.

Finally, the *Jago Grahak Jago* movement is not going on with the kind of a momentum which it ought to have been. So, I suggest for consideration of the hon. Minister to provide some extra financial support for this movement and to bring awareness among consumers about their rights and duties.

You should make a provision in this Bill itself that all private TV channels could telecast consumer-related advertisements, at least, five minutes in an hour. This will help a lot in consumer education.

With these observations and hoping that the hon. Minister, Shri Paswan Ji, would pay attention to the various issues raised by me and act on suggestions rendered and take them to their logical conclusion for a better consumer-friendly mechanism, I support this Bill. Thank you.

(ends)

(**Page 58-A-B**

1322 hours

*SHRI GIRISH BHALCHANDRA BAPAT (PUNE): Hon. Chairman Sir, I rise to support the Consumer Protection Bill, 2019. At the outset, I would like to thank the Hon. Ministry Shri Ramvilas Paswan ji and Shri Rao Saheb Danve ji. This law has been continuing since 1986 with fewer amendments at regular intervals and this is for the first time that many amendments are made. This is going to support and help millions of people to seek justice and that is why I want to congratulate them. Hon. Chairman Sir, if someone wishes to speak on this entire Bill which runs into 75 pages, it will take around 2 hours and hence I would not go into all the details. I was a minister of this ministry in Maharashtra Cabinet and I have a good experience of all these. Hon. Minister Ramvilas Paswan ji had supported me whenever I needed his support and I am very grateful to him. So, I would not go into Clauses, Sub-Clauses, Rules, Sub-rules. But, I must mention here about the stand and commitment of this Government. Manufacture-distributor-Consumer are in the chain. This is common to all and a consumer is both a customer as well as beneficiary and that is why he is more vulnerable. This bill aims to protect the consumers and hence it is unique. It works at three different levels like district, state and central. This bill will cover all the stages, levels and areas and it will also do justice to the common consumer.

Some members asked to send it back to Select Committee once again. Many newspapers took cognizance of this and they have also made many suggestions in that regard. Cabinet sub-committee had also looked into it. We are not claiming that this is a foolproof bill. But, I must say that nothing is foolproof and everything changes with time. Earlier, there were no TV or other electronic advertisement 50 years ago. But, with changing times, now we have electronic, computerized, online purchases and even other means of shopping.

* Original in Marathi

(Page 58-C-D)

While appreciating this bill, I would request Hon. Minister Shri Rao Saheb Danve ji to set up new Consumer Courts. We have the data regarding pending cases, and around 4,61,000 cases are pending throughout India. We should come forward for speedy and time bound trials in Consumer Courts. I have got few things to mention. If any consumer is cheated, all the concerned consumers would get compensation and that kind of provision has been made in this bill. It would be a big deterrent to the traders and retailers. I want to make few points here. This bill is very important for the cause of common man. This is consumer-centric bill and Government has come out with many amendments for the benefit and welfare of common man. All the sections of our society like SCs, STs, OBCs and women should also get due representation in appointments under this bill. There is a saying in our Marathi. The moment a law comes into existence, it also paves the way for its misuse. We cannot stop this but we should take utmost care and come with a better law having minimum loopholes. We should also use new means of communications like video conferencing, digital and online complaints and other electronic platforms. District Magistrate should also be made more responsible.

Hon. Minister Sir, I would like to draw your kind attention towards the issue of lesser funding for courts from Central Government. No proper court buildings and chambers are available for advocates and judges in many districts. Adequate space should be made available to the judiciary and Government should come forward for this.

I have last two points to make. Somebody spoke about 'Jago Grahak Jago Campaign'. If somebody is at fault, we have a law to punish him, but we should focus on spreading awareness. We should run an awareness campaign through schools and colleges for consumer education and awareness. To avoid accidents, we educate the children about traffic rules. Likewise we should focus on consumer awareness to avoid cheating. Whether they are children or aged people, we all are consumers. We all need protection as consumers and I think this bill will definitely serve the purpose. But I have one more point to make. We should be more alert and vigilant as a consumer to avoid cheating. Citizens should also come forward to file complaints whenever they are cheated.

(Page 58-E)

I can give you a good example about it. One day, a man came to me. He told me that his dhoti is torned due to a nail fitted in railway seat. I asked him to file a complaint against railways. He filed a complaint. The litigation took a long time but at last the court ordered railways to pay the expenses of fares for trips to Mumbai and also to gift of 2 dhotis to the complainant. This is a classic example of alertness and awareness. Government cannot intervene in everything and everywhere. Citizens should be cautious about their consumer rights and also to fight against injustice. You have given the much needed protection to them through this bill. But, I think awareness is the key to all the problems. We should focus more and more on awareness. We should come out with more 'Jago Grahak Jago like Campaigns'. Lastly, I would like to reiterate that more funds should be allocated for courts. We cannot discuss all the issue of the bill due to paucity of time. But, I think commitment and willingness of the Government is more important. I would like to thank Hon. Ministers and this Government for bringing this Bill. I conclude with these words. Jai Hind Jai Maharashtra.

(ends)

(1325-1330/SNB/SPS)

1333 hours

SHRIMATI SUPRIYA SADANAND SULE (BARAMATI): Hon. Chairperson, thank you for giving me this opportunity. I stand here in support of this Bill. I would just like to ask four to five pointed questions as clarifications from the Government.

The Standing Committee made a recommendation that the word `Government' is not included. I appreciate what Shri Bapat ji said just now about what happened in Railways. But there is no redressal system which had actually been recommended by the Standing Committee. The specific word `Government' has to be there. The incident that he mentioned about the Railways is actually a very valid point. The story is small and sounds inconsequential in the larger context of discussion on this Bill. It is a very valid point. It is not just what he said. I would like to add that there are stories of food adulteration which are horrific. Who do we turn to? I want a pointed clarification from the hon. Minister. The Food Safety Officer of every district comes under the Ministry of Health. Now, will there be a duplication of this? I would like to have a pointed clarification that in case of all the adulterations that we are seeing, this is also a very consumer-oriented product, who does he or she turn to? Like Bapat ji said he had to go to the court ten times. Can we find a better system with the help of technology which is far more effective?

1334 hours (Shri N.K. Premachandran *in the Chair*)

I appreciate that the Bill is very well-meaning but the Government has not accepted the recommendation of the Standing Committee which specifies the word `Government'. So, why has it been left out? Apart from adulteration, look at healthcare and education as an example. There are so many times that you have issues because of education and because of healthcare. Who does the common man turn to? The Government talks about their flagship scheme about great healthcare but who does the common man turn to? So, will the hon. Minister kindly clarify on what would be the role in case of healthcare and education?

Another thing is about service defects. These are all product based. If there is a bad product you go to court you will get help. But what about services? How will this redressal system work for bad services given? I will give you a very small example.

(1335/RU/SJN)

If you are in the transport business and you do not get good transport for the commitment that you have paid for, what will happen specifically to the service industry? There is always a loophole in most of these rules. If there could be some specific rule, it will be good.

Coming to labs, I would like to rethink about big multinational companies which vends a lot of products. I am a mother myself. When you hear something different about any product which is popular in that age group, or if it is banned, the first thing which every mother feels is that it is obviously not good for a child. I hope there are enough labs to support it and every lab in this country, State wise, gives a different report. For the same product – I would not like to name the company – UP had a separate report and Maharashtra had a separate report. The point is, who do we turn to and whom do we believe? We cannot go to Central Government for everything and it cannot be centralised at this rate. Are the labs strengthened enough to look into adulteration and food products? I hope that it is not misused either because firstly, the product was banned pan India. Everybody got panicked and then it was removed. Then after a few tests, it became normal. Was it a harassment or what was it? It has put some sort of suspicion in my mind that whether it was misuse of power because it is a product consumed globally. Why was this particular company picked up? These things actually put pressure on consumers because you do not know where you stand. What is the plan for strengthening specific laboratories and technicians by this Government?

Product liability is applicable to all participants in the food chain. Here, the producer is at one end and the consumer is at the other end. Today, when there is a product which can be adulterated, what about the middle level agencies? There are multiple agencies which can be responsible for it. If it is a milk product or a food product or fresh food item, the transporters are involved and people who store them are involved. How will you pinpoint in the whole supply chain? I think everybody should have accountability. There is no point

just saying that only the producer is responsible. This has to be a collective effort. Will the Government give a signal of a collective measure of zero tolerance of bad food or any adulteration? That sort of a signal should be given.

There are a plenty of laws already in the country but adulteration has still not stopped. We have to put in our collective mind to see how we can go about it. I appreciate what Shri Bapat has said that there is always a law made and somebody finds a loophole in it. It is not about finding a loophole. The collective thought of this entire discussion should be to make better and stringent rules in the interest of the citizens. I come from a State where the consumer is the king. Maharashtra is always known for its marketing abilities. So, the consumer is the king. Let us put the consumer first and find a Bill which is in the interest of the nation. Thank you.

(ends)

1338 बजे

श्री हसनैन मसूदी (अनन्तनाग) : जनाब चेयरपरसन साहब, मुझे आपने बोलने का मौका दिया है, उसके लिए आपका शुक्रिया। मैं कोई लंबी तकरीर करने नहीं जा रहा हूं और आप मुझे करने भी नहीं देंगे। यह जो बुनियादी मामला है, यह सारफीन के तहफ्फुज़ का कानून है। हम यह कहानी पिछले एक महीने से सुन रहे हैं। It is scripted in each and every piece of legislation. एक प्रयास किया जा रहा है कि हमारे जो सारे इदारे हैं, उन पर मरकज़ी हुकूमत द्वारा कंट्रोल किया जाए। यह कानून भी उसी की एक कड़ी है। यह सारफीन के लिए कितना मोअस्सर है, वह अलग बात है। लेकिन यह उसी की कड़ी है, चाहे आप आरटीआई देखिए, चाहे आप कल जो मेडिकल कमीशन बिल पास हुआ है, उसका कानून देखिए, तो हर जगह एक कोशिश की जा रही है कि सरइदारों पर सेन्ट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कब्जा कर लिया जाए और स्टेट्स को दरकिनार कर दिया जाए। This effort to run down institutions is not good for the health of the democracy of the country. Democracy flourishes in the country because we respect institutions. And elsewhere in our neighbourhood, that is not done and we see how things have gone wrong there. यह जो कोशिश हो रही है, मेरी यह गुजारिश होगी कि इस कोशिश से ऐतराज किया जाए। इस कानून को भी एक सेकेंड लुक दिया जाए। यह सारफीन का कानून क्यों बना है? इसलिए बना है, क्योंकि एक लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। Essentially, this belongs to the court of law but it was taken away from there. We provided an alternate mechanism because consumers do not have a level playing field. They have no resources. They cannot organise litigation costs to fight big business houses. उनके लिए एक इफिशियेंट मैकेनिज्म देने की कोशिश की गई है। Essentially, the colour and custom of this efficient mechanism are that of a court.

(1340/NKL/GG)

अब पहली बार यह किया गया है, जो इससे पहले नैशनल रिड्रैसल कमीशन था, उसमें एक सुप्रीम कोर्ट के जज साहब या उनकी क्वालिफिकेशन वाले होते थे, स्टेट्स में एक हाईकोर्ट के जज साहब होते थे और डिस्ट्रिक्ट में एक्टिंग डिस्ट्रिक्ट जज साहब होते थे। The whole exercise is a judicial exercise. एक कंप्लेंट है, उसमें लीगन इश्युज़ हैं, उन पर अपना निर्णय देना है, अपना फैसला देना है और वही आज खत्म किया जा रहा है। This is a question of big concern. I do not know whether this Bill will survive a judicial challenge, a challenge before the Supreme Court. अभी इसी वक्त हम इसको एक सैकेंड लुक दे सकते हैं। यह जो कम्पोज़ीशन है, अभी हम इतना ओवर सैंट्रलाइज़ कर रहे हैं कि हम स्टेट को डिस्ट्रिक्ट रिड्रैसल कमीशन भी बनाने के लिए नहीं दे रहे हैं। वह भी अपने हाथ में ले रहे हैं। So, this is one of the concerns.

The second point is that we cannot expect a perfect law, the Consumer Protection Law, because it is an evolving concept. नया-नया अनुभव होता है और नई-

नई चीज़ें हम इसमें शामिल करते हैं। इस कानून में नई टैरेटरीज़ को करवर किया गया है। There is no doubt. ऑनलाइन शापिंग है, एक ई-कॉमर्स है, उसको शामिल किया गया है। लेकिन एक एफिशिएंट जस्टिस डिलीवरी सिस्टम अभी भी नहीं हुआ है। सर, जब तक हम आईटी टूल्स को इंटीग्रेट नहीं करेंगे, जो कंज्यूमर ज्यूरिसप्रूडेंस है, कंज्यूमर जस्टिस डिलीवरी सिस्टम के साथ नहीं करेंगे, तब तक हमें कोई उम्मीद नहीं है। आज भी हमारा अपना तजुर्बा है और बाकी जो ऑनरेबल मेंबर्स हैं, उनका भी तजुर्बा होगा कि ज़मीनी सतह पर सारिफ़ को इंसाफ नहीं मिल रहा है। It is the same story for him in terms of procedural angles. It is run of the mill attitude. वही कोर्ट कचहरी का मामला है, नहीं मिल रहा है। वह इस वजह से नहीं मिल रहा है क्योंकि हम एक एफिशिएंट कंज्यूमर जस्टिस डिलीवरी सिस्टम इवॉल्व करने में नाकाम रहे हैं। उस पर एक ध्यान देने की जरूरत है। और जो भी इसमें जरूरी बातें हैं, जैसे एडीआर सिस्टम है, Alternative Dispute Resolution system can be integrated with Consumer Grievance Redressal System. Say, there is a sum up to Rs 50 lakh, our first priority would be to get it settled by employing ADR mechanism.

HON. CHAIRPERSON (SHRI N.K. PREMACHANDRAN): Thank you. Kindly wind up.

SHRI HASNAIN MASOODI (ANANTNAG): उसके अलावा जो प्राइस फिक्सेशन का मामला है, sometimes, we have to have a holistic approach. हम जब सर्विसिज और गुड्स की बात कर रहे हैं, उनमें डेफिशिएंसी की बात कर रहे हैं या उनमें जो वे कॉरस्पोंड नहीं करते हैं with description.…(*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Please conclude.

SHRI HASNAIN MASOODI (ANANTNAG): I am just going to conclude.

हर जगह बुनियादी मामला है। हम पिछले एक महीने से देख रहे हैं। बुनियादी मामला है to run down institutions. This is again one more effort to run down institutions, and to leave everything to the Central Government, even matters pertaining to the district consumer redressal. Thank you.

(ends)

1343 hours

SHRIMATI APARAJITA SARANGI (BHUBANESWAR): Hon. Chairman Sir, I am extremely grateful to you for having given me this opportunity to speak on this very important Bill, the Consumer Protection Bill, 2019.

At the outset, I would like to congratulate the hon. Prime Minister and also the hon. Minister for bringing this Bill to this august House for deliberation and discussion.

Sir, with all conviction at my command, I would definitely like to say that this particular Bill, with eight chapters and about 107 clauses, if implemented well, will be a game-changer for consumers and consumers' interests in our country. I would definitely say that this particular Bill is an expression of the fact that here is a smart Government which believes in smart governance.

Sir, this Bill is not new to Lok Sabha. This Bill had already been brought to Lok Sabha, and was cleared by the Lok Sabha on 20th of December, 2018. This Bill, if you go through, speaks of rigorous preparation, and all the concerns, issues and suggestions that had been put forth have been incorporated, as far as possible, by the hon. Minister and his Ministry. In fact, it was sent to the Parliamentary Standing Committee, and it was also sent to the group of Ministers. As has already been pointed out, the Parliamentary Standing Committee made 37 recommendations out of which 32 recommendations have been incorporated.

(1345/KKD/KN)

I also convey my very sincere appreciation to the hon. Minister and his Ministry for taking into account 80 official amendments; and they have left no stone unturned in ensuring that this Bill is enriched as far as possible.

Sir, there are three major goals, as we know, of this Bill. One is to prevent violation of consumer rights; two is, to check illegal trade practice, to check illegal business ethics; and of course, last but not the least, to prevent, to stop, to curb false, misleading advertisements.

यह प्रस्तावित विधेयक उपभोक्ताओं के अधिकारों का संवर्धन करने, संरक्षित करने और प्रवृत्त करने, अनुचित व्यापार और व्यवहारों से परेशान उपभोक्ताओं को नुकसान से बचाने और मिथ्या एवं भ्रामक विज्ञापनों को बंद करने की दिशा में एक सशक्त कदम है।

Sir, if we go through this Bill, the consumer and the consumer's interests are the focal points. All the proposed actions are intended to protect, promote and enforce consumer's interests.

Now, there can be a question in the House -- and in fact, I have been sitting since this morning and I have heard about the need for this particular Bill when there is already the Consumer Protection Act, 1986. It is a very valid question. But here, there are two reasons, which I would just like to highlight very briefly. The first reason is this. In today's world, consumer markets and services have undergone drastic transformation. We are talking of 1986, and we are talking of 2019. The modern market place has a plethora of goods and services, and this kind of situation, at the moment, has made the consumers very vulnerable to new forms of unfair trade and unethical business practices. We have to agree to this. So, we have been talking about different kinds of marketing; and we have also talked about the kind of problems that are arising. Misleading advertisements, tele-marketing, multi-level marketing, direct selling and e-commerce pose new challenges to the consumers, and definitely, it stands in the way of consumer's interests. So, there is the need for this kind of a Bill. There is the need for amendment of the Act.

Now, second and most important reason is this. There have been District Consumer Forums, State Consumer Forums, National Consumer Forum but the fact remains that there is very slow disposal of cases and that is detrimental to the interests of the consumers.

Sir, this issue has already been pointed out by my esteemed colleagues from this side and that side.

HON. CHAIRPERSON (SHRI N. K. PREMACHANDRAN): The Consumer Commissions are taking more time than that of the courts.

SHRIMATI APARAJITA SARANGI (BHUBANESWAR): Absolutely, Sir.

So, 4,61,000 cases await disposal. This is extremely unfortunate. This is from the National Commission Website that all of us have actually got the information from.

So, we need quick disposal of cases; we need to enforce the rights of the consumers and that is why this Bill has come.

At the cost of being repetitive, I would just like to point out a couple of things, which are extremely important. It is about the salient features of this particular Bill, which has been tabled today. Number one, which is the most important thing, and many people, in fact, from my right side, have been speaking against it, is the CCPA, that is, the Central Consumer Protection Authority. We need swift Executive interventions. When something of this kind happens, violation of consumer rights take place or there is a misleading, false advertisement, we need to move swiftly. We have not been able to move swiftly, and this is the problem with all of us. That is why this Bill has come.

So, CCPA is a great thing, which has been conceptualised. It is a wonderful thing, in the sense that we are talking of Chief Commissioner and Commissioners, and we are talking of Regional Branches. So, there is no question of saying that everything is centralised.

Number two, the wonderful thing is the product liability concept. We have to have the product liability action, and this is a new thing, which is very much part of this Bill. There has to be product liability action in case a product is deficient or a product is going to be harmful to the consumer.

Number three, and the most important point is the issue of mediation, which has been brought in. Again, this is to speed up the disposal of cases.

(1350/RP/CS)

We have to talk of alternative dispute resolution mechanism. The Bill provides for several provisions for simplifying the consumer dispute adjudication process.

Sir, our friends, who talked against the CCPA, I would, definitely, like to mention before them certain things. I will just take two or three minutes. I would, definitely, like to mention before them that other countries have certain best practices. It is always large-heartedness and broadmindedness which makes India adopt some of the best practices. USA has the Federal Trade Commission. Australia has the Competition and Consumer Commission and Finland has the Competition and Consumer Authority. This, particular, Bill is very much pro-consumer. We are talking of deemed admissibility of complaints in 21 days of the filing of the complaint by the opposite party. We are talking of ease in filing. The e-filing is there. The mediation and product liability is there.

HON. CHAIRPERSON (SHRI N. K. PREMACHANDRAN): Please arrive at the concluding remarks.

SHRIMATI APARAJITA SARANGI (BHUBANESWAR): Yes, Sir. I would conclude with the words of Henry Ford – “Coming together is the beginning. Keeping together is progress. Working together is success.” We all need to work together. We all need to resolve today to support this comprehensive Bill which is very much in the interest of consumer and consumer interest.

Thank you so much.

(ends)

1351 hours

SHRI E.T. MOHAMMED BASHEER (PONNANI): Thank you very much for giving me this opportunity.

Sir, this Bill is a welcome move. We call consumer a king. The rights of the consumer have been specifically defined such as the right to be protected against the marketing of goods and services, which are hazardous to life and property, the right to be informed about the quality, quantity, potency, purity, standard and price of goods or services, the right to be assured of access to a variety of goods and services at competitive prices and seek redressal against unfair trade practices or restrictive trade practices. These are all clearly defined in this Act.

It is suggested to have a Central Consumer Protection Authority to attain this goal. The powers of the same are elaborately mentioned in this Bill.

As far as the Consumer Dispute Redressal Commission is concerned, that is also specifically mentioned in this Bill. But as far as the Grievance Redressal Mechanism is concerned, I still have my own doubts that these provisions are insufficient. It is still very much delayed. It has again to be addressed seriously. This system is time-consuming. The Grievance Redressal Mechanism seems to be very poor. I hope these new suggestions will improve the situation. Anyhow, the Minister may apply his mind whether we can further improve this or not.

As far as the consumer education is concerned, that also is very important. I hope, the Government would give a lot of emphasis on this. I would like to know whether this Bill is up to the expectation of the people. I would like to say that it has to be further improved. The proposed Bill requires inclusion of more provisions to deal with fast-changing technological, market dynamics, e-commerce and things like that. We know that a lot of developments have taken place in the market. We have to apply those things. As far as the original Act of 1986 is concerned, at that time, it was sufficient. After that, in 1991, we improved it. In 1993, we again improved it. In 2002 also, we had made some basic changes in this Act. But the problem still remains the same. It needs to be improved further. I hope that the Minister will also do that work.

As I mentioned, the Bill, in its present form, is an insufficient piece of legislation. It is not keeping pace with the new market dynamics and multi-layered delivery chains. It is unable to deal with often misleading advertisements and other magic remedies and things like that.

(1355/RCP/RV)

There is a procedural difficulty also. I would like to mention that also and then conclude. It is very difficult; it is a very cumbersome process. The main problem is with the implementation procedure. The Act does not grant the authority to proceed against any person guilty of violation under the Act or take *suo motu* cognizance of an unfair trade practice. At the same time, penal steps can be taken only through a judicial process before the State or the District Consumer Redressal Forums.

So, what I would like to suggest in brief is this. We have to streamline the grievance redressal mechanism and improve consumer education programmes.

With these few words, I conclude.

(ends)

MESSAGE FROM RAJYA SABHA
AND
BILL AS PASSED BY RAJYA SABHA – LAID

1356 hours

SECRETARY-GENERAL: Sir, I have to report the following message received from the Secretary-General of Rajya Sabha: -

1. "In accordance with the provisions of Rule 111 of the Rules of Procedure and conduct of Business in the Rajya Sabha, I am directed to enclose a copy of the Insolvency and Bankruptcy Code (Amendment) Bill, 2019 which has been passed by the Rajya Sabha at its sitting held on the 29th July, 2019."

2. Sir, I lay on the Table, the Insolvency and Bankruptcy Code (Amendment) Bill, 2019, as passed by Rajya Sabha on the 29th July, 2019.

CONSUMER PROTECTION BILL – Contd.

1356 hours

ADV. A.M. ARIFF (ALAPPUZHA): Thank you, Chairperson, Sir for giving me an opportunity to speak on the Consumer Protection Bill, 2019. Due to paucity of time, I would not like to go into the details. The anxieties and the issues raised by the former speakers were especially about the products manufactured abroad, mainly the imported electronic items about which the Bill keeps silence.

I would like to raise my grave concern about the consumers from the rural areas. Most of our consumers come from villages who are not conscious about their rights as consumers. Who would like to consider the interest of rural consumers when 70 per cent of them are below poverty line and 80 per cent of their household consumption is on food items only? From whatever money is left, they can hardly buy other necessities like clothing, medicines etc. In such a situation, one can hardly insist on quality, price or measurement.

The per capita income of agricultural workers has been declining in comparison to what he used to get previously. They have no time to go through the procedures insisted upon by the Bill. So, we have to make more efforts to protect the interests of the poor rural consumers.

But, as far as the Bill is concerned, why does the Bill not take *suo motu* cognizance of an unfair trade practice or an action? Due to paucity of time, I would like to draw your attention to some specific points only.

My first concern is about the inefficiency of the Bill to keep pace with the new market dynamics, multi-layered delivery chains, and innovative and often misleading advertising and marketing machinery.

The Bill needs to consider the variety of products that are available through e-commerce. I am mentioning about the financial products such as insurance policies sold online or services such as housekeeping, pest control etc. which are excluded. The main problem is with the implementation procedure. The former speaker Shri E.T. Mohammed Basheer also spoke about it.

The Act does not grant the authority to proceed against any person guilty of a violation under the Act. Penal steps can be taken only through a judicial process before the State or District Consumer Redressal Forums.

Another issue is speedy disposal of cases due to complicated bureaucratic process. Quick disposal of cases is essential as justice delayed is justice denied.

I would like to seek a clarification from the Government on the average time taken to dispose of the cases. According to Clause 11, definition of deficiency has changed which can invite more cases against doctors for even small or post-surgery ailments on the point that doctors did not inform about the post-surgery precautions or risks to the patients and their relatives. The speakers from doctors community have already raised their apprehensions in this regard. This leads to a situation where doctors will not be ready to take risk and will deny treatment to the poor and the illiterate.

Another point is that the term 'illegally' has to be explained as whatever doctors do and practise, they do it as per books and standard operative procedures. Then he cannot be said to have acted illegally while deciding whether injury has been caused to the complainant or not under Clause 2 (23) of the Bill.

(1400/SMN/MY)

I have another important point. I invite your attention to the RTI reply by the Reserve Bank of India. It says that the banks cannot be held responsible for the loss of valuables kept in bank lockers. This has put a big question mark over the safety of valuable documents stored in bank lockers for safe keeping. I request the Government of India to fill the gaps in the Bill with the most decent consultations to ensure the full protection of the rights of the consumer.

So, I request you to send the Bill to the Standing Committee which is going to be constituted.

(ends)

1401 hours

SHRI ASADUDDIN OWAISI (HYDERABAD): Sir, I oppose this Bill. Why do I oppose this Bill? It is because as in the RTI Bill, the Government has diluted this Bill. I do not know how the Government has succumbed or the Government which has 280 seats …(*Interruptions*)

1401 hours (Dr. Kakoli Ghosh Dastidar *in the Chair*)

सर, मुझे इस बात का ताज्जुब है कि एक सरकार जिसके पास खुद के 303 अराकीन ए लोक सभा है। मेडिकल लॉबी के आगे आपने घुटने टेक दिए। आप मेडिकल लॉबी से क्यों डर रहे हैं?

मैडम, आप देखिए कि जब इस ऐवान में वर्ष 2016 में यह बिल पास हुआ था, तो उसमें हेल्थ केयर का जिक्र था, लेकिन आपने उसको निकाल दिया। आप मेडिकल लॉबी से इतना क्यों डर रहे है? मैडम, अब यह होगा कि जो कोई भी औरत बेवा हो जाएगी, अपने बच्चों के कफ़ालत के लिए उसको सिविल कोर्ट जाना पड़ेगा। अब सिविल कोर्ट में वकील की फीस कौन देगा? क्या आप वकील की फीस देंगे? कोर्ट की फीस कौन जमा कराएगा, क्या आप कराएंगे? यह मेडिकल लॉबी की कामयाबी है।

मैडम, यह अप्रोप्रिएट है कि आप उस कुर्सी पर तशरीफ फरमा रही हैं। वर्ष 1986 के एक्ट में महिलाओं के लिए रिजर्वेशन था, लेकिन आपने उसको डिलीट कर दिया। सारी दुनिया जानती है कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन में सबसे आगे महिलाएं रहती हैं, लेकिन आपने उस रिजर्वेशन को निकाल दिया। यह अजीबोगरीब है। दानवे साहब, आपके रहते हुए ऐसा हो रहा है, यह तो मुझे यकीन नहीं हो रहा है।

मैडम, मैं तीसरी बात कहना चाहता हूं कि वर्ष 1986 की एक्ट के प्रीऐम्ब्ल में यह लिखा हुआ था कि an act to provide a better protection of consumer rights, लेकिन आपने लफ्ज़ ए बेटर को निकाल दिया। आपको बेटर से इतनी दुश्मनी क्यों है? …(व्यवधान) मुझे नहीं मालूम कि प्रीऐम्ब्ल से बेटर को क्यों निकाला गया? क्या अभी आप उसको खराब कर देंगे? इसलिए मैं कह रहा हूं कि आपने डाइलूट कर दिया है।

मैडम, अब मेरा चौथा प्वाइंट है कि सेक्शन 107 में यह नहीं बताया जाता, हम वर्ष 1986 का एक्ट रिपील करने जा रहे है, जो केसेस डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल कमीशन के पास ज़ेरे-ए-दौरान है, उनका क्या होगा?

मैडम, मेरा पांचवां प्वाइंट यह है कि चैप्टर 4, सेक्शन 38, सब-सेक्शन 2 में 45 दिन का टाइम पीरियड है। क्या यह मैन्डेटरी है या डिस्क्रीशनरी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में आज एक कंस्टिट्यूशनल बेंच इसी प्वाइंट पर हियर करने जा रही है कि यह 45 दिन का टाइम मैन्डेटरी है या डिस्क्रीशनरी है। दानवे साहब, जब आप रिप्लाई देंगे, तो मुझे इस बारे मे बताइए, क्योंकि इसे कंस्टिट्यूशनल बेंच हियर कर रही है।

मैडम, मेरा छठा प्वाइंट है कि सेक्शन 51, सब-सेक्शन 1 में प्रोविजन है और सेक्शन 67 में सेकेंड प्रोविजन है। अब अगर किसी अपीलेन्ट को अपील करनी है, तो उसको जो 50 परसेंट अमाउंट का अवार्ड मिला है, उसे अपील करने से पहले जमा करना पड़ेगा। यह कैसे होगा? यह तो गैर जरूरी

है। इसमें मेरी राय है कि यह हार्डशिप पैदा करेगा। बेहतर यह है कि इसको आप स्टेट तथा नेशनल कमीशन पर छोड़ दीजिए, बजाय उसको मैन्डेटरी कंडीशन बनाने के।

मैडम, मेरा एक और प्वाइंट यह है कि चैप्टर 2, सेक्शन 3, सब-सेक्शन 1 में सेन्ट्रल काउंसिल है। दानवे साहब, आप कितने लोगों को इसका मेम्बर बनाइएगा? आप हमें बताइए। आप हमें बता नहीं रहे हैं, यानी आपके मूड पर मुन्हसिर होगा कि सुबह उठकर दानवे साहब बोलेंगे कि ऐसा नहीं है, बल्कि पन्द्रह बना दूंगा। क्या आप 15 बना देंगे? आप उसमें नंबर नहीं लिखते हैं। अब चैप्टर 2, सेक्शन 3, सब-सेक्शन 2, सब-सेक्शन-बी है, यह बड़ा वेग है। इसमें जिनको मेम्बर बनाया जाएगा, उनका क्राइटीरिया क्या होगा? ऐसा हो सकता है कि आप किसी डफर या थम्सअप को बना देंगे। ऐसा हो सकता है, इसलिए वही आप चाहते हैं।

मैडम, मैं चैप्टर 2, सेक्शन 6, सब-सेक्शन 2, सब-सेक्शन- बी तथा सी के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। आप इसे स्टेट में भी बनाएंगे। आप वहां क्यों बनाएंगे? यकीनन महाराष्ट्र सहित बहुत जगह आपकी सरकार है, मगर स्टेट की तो कोई इज्ज़त रखिए। क्या आप बंगाल में बनाएंगे, फिर स्टेट क्या करेगा, क्या स्टेट बैठकर थाली बजाएगा?

(1405/CP/MMN)

चैप्टर 3 - सेंट्रल अथारिटी। ये फिर से नहीं बताते, ये स्पेसिफाई नहीं करते कि members of the Chief Commission which constitutes the Central Consumer Protection Authority, वह कौन होगा? इसे भी आप नहीं बताते हैं। क्वालिफिकेशन इन चैप्टर 3, सैक्शन 11 देखिए, क्वालिफिकेशन, रिक्रूटमेंट का प्वाइंट मैं आपको बोल चुका हूं।

मैडम, अब में 18 (2) पर आता हूं। This can be used against companies. You will constitute an inquiry against any company which has not given you electoral bonds. It is as simple as that. You are taking away every power, hats off to your vision and your foresightedness in getting electoral bonds. I do not know what it is. As per section 18(2), you can inquire or investigate anyone. That is why, I say I oppose this Bill on these issues.

My last point to the Government is that the pecuniary jurisdiction norms need to be corrected. You are saying in the Bill, 'the value of the goods or services paid'. May I request you to consider this? This is avoidable. You make it, 'on the value of claim, including the compensation claim'.

जो प्वाइंट मैंने सामने रखे हैं, उनकी बुनियाद पर मैं इस बिल की मुखालिफत करता हूं। यह कंज्यूमर के फेवर में नहीं है, बल्कि मेडिकल लॉबी को आपने कामयाब कर दिया, स्टेट्स की पॉवर्स आप छीन रहे हैं, इससे बहुत से और मसाइल पैदा होने वाले हैं।

(इति)

جناب اسدالدین اویسی (حیدرآباد): سرمجھے اس بات کا تعجب ہے کہ ایک سرکار جس کے پاس اپنے خود کے 303 اراکینِ لوک سبھا ہیں۔ میڈیکل لابی کے آگےگھٹنے ٹیک دئے ۔ آپ میڈیل لابی سے کیوں ڈر رہے ہیں؟

میڈم، آپ دیکھئےکہ جب اس ایوان میں سال 2016 میں یہ بِل پاس ہوا تھا، اس میں ہیلتھ سروِس کا ذکر تھا، لیکن آپ نے اس کو نکال دیا۔ آپ میڈیل لابی سے اتنا ڈر کیوں رہے ہیں؟ میڈم، اب یہ ہوگا کہ جو کوئی بھی عورت بیوہ ہو جائے گی، اپنے بچوں کی کفالت کے لئے اس کو سِول کورٹ جانا پڑے گا۔ اب سِول کورٹ میں وکیل کی فیس کون دےگا؟ کیا آپ وکیل کی فیس دیں گے؟ کورٹ کی فیس کون جمع کرائے گا، آپ کرائیں گے؟ یہ میڈیکل لابی کی کامیابی ہے۔

میڈم، یہ ایپروپریٹ ہے کہ آپ اس کرسی پر تشریف فرماں ہیں۔ 86 کے ایکٹ میں خواتین کے لئے ریزرویشن تھا، لیکن آپ نے اس کو ڈیلیٹ کر دیا۔ ساری دنیا جانتی ہے کہ کنزیومر پروٹیکشن میں سب سے آگے خواتین رہتی ہیں، لیکن آپ نے اس ریزرویشن کو نکال دیا۔ یہ عجیب و غریب ہے۔ دانوے صاحب، آپ کے رہتے ایسا ہو رہا ہے۔ یہ تو مجھے یقین نہیں ہو رہا ہے۔

میڈم، میں تیسری بات کہنا چاہتا ہوں، 1986 کی ایکٹ کے پریمبل میں یہ لکھا ہوا تھا کہ an Act to provide a better protection آپ نے لفظِ بیٹر کو نکال دیا۔ آپ کو بیٹر سے اتنی دشمنی کیوں ہے۔ (مداخلت)۔ مجھے نہیں معلوم کہ پریمبل سے بیٹر کو کیوں نکالا گیا؟ کیا ابھی آپ اس کو خراب کر دیں گے؟ اس لئے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ ڈائلیوٹ کر دئے ہیں۔

میڈم، اب میرا چوتھا پوائنٹ یہ ہے کہ سیکشن 107 میں یہ نہیں بتایا جاتا، ہم 1986 کا ایکٹ ریپیل کرنے جا رہے ہیں، جو کیسِس ڈسٹریکٹس، اسٹیٹ اور نیشنل کمیشن کے پاس زیرِ دوراں ہیں ان کا کیا ہوگا؟

میڈم، میرا پانچواں پوائنٹ یہ ہے کہ چیپٹر 4 کے سیکشن 38 سب۔سیکشن2 میں 45 دن کا ٹائم پیریڈ ہے۔ کیا یہ مینڈیٹری ہے یا ڈِسکریشنری ہے؟ کیونکہ سپریم کورٹ میں آج ایک کانسٹی ٹیوشنل بینچ اسی پوائنٹ پر ہیر کرنے جا رہی ہے کہ یہ 45 دن کا ٹائم مینڈیٹری ہے یا ڈِسکریشنری ہے۔ دانوے صاحب،جب آپ ریپلائی دیں گےتو مجھے اس بارے میں بتائیے، کیونکہ اسے کانسٹی ٹیوشنل بینچ ہیر کر رہا ہے۔

میرا چھٹا پوائنٹ ہے کہ سیکشن 51 کے سب ۔ سیکشن 1 میں پرووِیزن ہے اور سیکشن 67 میں پرووِیزن ہے ۔ اب اگر کسی اپیلینٹ کو اپیل کرنا ہے، تو اس کو 50فیصد اماؤنٹ کا جو ایوارڈ ملا ہے، اسے اپیل کرنے سے پہلے جمع کرنا پڑے گا۔ یہ کیسے ہوگا؟ یہ تو غیر ضروری ہے۔ اس میں میری رائے ہے کہ یہ ہارڈشِپ پیدا کرے گا۔ بہتر یہ ہے کہ آپ اس کو اسٹیٹ اور نیشنل کمیشن پر چھوڑ دیجئے، بجائے اس کو مینڈیٹری کنڈیشن بنانے کے ۔ میڈم، میرا ایک اور پوائنٹ یہ ہے کہ چیپٹر 2 میں سیکشن 3 سب سیکشن1 میں سینٹرل کاؤنسل ہے۔ دانوے صاحب آپ کتنے لوگوں کو اس کا ممبر بنائیں گے۔ آپ ہمیں بتائیے، آپ ہمیں بتا نہیں رہے ہیں، یعنی آپ کے مونڈ پر منحصر ہوگا کہ کہ صبح اٹھ کر دانوے صاحب بولیں گے کہ ایسا نہیں ہے، بلکہ 15 بنا دوں گا۔ کیا آپ 15 بنا دیں گے؟ آپ اس میں نمبر نہیں لکھتے ہیں۔ اب چیپٹر 2، سیکشن 3، سب ۔ سیکشن 2، سب۔سیکشن B ہے، یہ بڑا ویگ ہے۔ اس میں جن کو ممبر بنایا جائے گا، ان کا کرائی ٹیریا کیا ہوگا؟ ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کسی ڈفر یا تھمس اپ کو بنا دیں گے۔ ایسا ہو سکتا ہے اس لئے وہی آپ چاہتے ہیں۔

میڈم، میں چیپٹر2، سیکشن 6، سب۔سیکشن B اور C، کے بارے میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ آپ اسے اسٹیٹ میں بھی بنائیں گے۔ آپ وہاں کیوں بنائیں گے؟ یقیناً مہاراشٹر سمیت بہت جگہ آپ کی سرکار ہے، مگر اسٹیٹ کی تو عزت رکھئے۔ کیا آپ بنگال میں بنائیں گے، پھر اسٹیٹ کیا کرے گا، کیا اسٹیٹ بیٹھ کر تھالی بجائیے گا۔ ؟ چیپٹر 3، سینٹرل اتھارٹی یہ پھر سے نہیں بتاتے، یہ سپیسِفائی نہیں کرتے کہ members of the Chief Commission which constitutes the Central Consumer Protection Authority, وہ کون ہوگا؟ اسے بھی آپ نہیں بتاتے ہیں۔ کوالیِفیکیشن ان چیپٹر 3، سیکشن 11 دیکھئے، کوالیِفیکیشن، ریکروٹمینٹ کا پوائنٹ میں آپ کو بول چکا ہوں۔

میڈم، اب میں (2) 18 پر آتا ہوں۔ This can be used against companies. You will constitute an inquiry against any company which has not given you electoral bonds. It is an simple as that. you are taking away every power, hats off to your vision and your foresightedness in getting electoral bonds. I do not know what it is. As per section 18 (2), you can inquire or investigate anyone. That is why, I say I oppose this Bill on these issues.

My last point to the Government is that the pecuniary jurisdiction norms need to be corrected. You are saying in the Bill, 'the value of the goods or services paid'. May I request you to consider this? This is avoidable. You make it, 'on the value of calm, including the compensation claim'.

جو پوائنٹ میں نے سامنے رکھے ہیں، ان کی بنیاد پر میں اس بِل کی مخالفت کرتا ہوں۔ یہ کنزیومر کے حق میں نہیں ہے، بلکہ میڈیکل لابی کو آپ نے کامیاب کر دیا، اسٹیٹس کی پاورس آپ چھین رہے ہیں، اس سے بہت سے اور مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ شکریہ

(ختم شد)

1406 बजे

श्री जनार्दन मिश्र (रीवा): महोदया, आपने मुझे अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। बहुत सारी बातें आ गई हैं, लेकिन जिन मुद्दों का, बिंदुओं का उल्लेख नहीं हो पाया है, मैं उनके बारे में कहना चाहूंगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि सारे अधिकार ले लिए हैं। आपके वर्ष 1986 के एक्ट में यह प्रावधान नहीं था, लेकिन यहां जोड़ा गया है कि केन्द्रीय प्राधिकरण के निर्णय के विरूद्ध उपभोक्ता या जो भी पक्षकार हो, वह सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है। ये कह रहे हैं कि अधिकार एक हाथ में रहेगा। महालेखापरीक्षक सारे खर्चे का, गतिविधियों का परीक्षण करेगा, जिसका खण्ड 26 में उल्लेख है।

खण्ड 106 में यह उल्लेख है कि अधिनियमों के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो केन्द्रीय सरकार राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा ऐसे उपबंध कर सकेगी, जो उस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हों, जो उस कठिनाई को दूर करने के लिए उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हों। इस तरह से दो वर्ष के अंदर जो भी आवश्यकता अभी है या जो परिस्थितियां निर्मित होंगी, उन्हें भी इसमें अमेंड किया जा सकता है। इस प्रावधान के खण्ड 106 में यह लिखा हुआ है। ये तीन चीजें पूरी चर्चा के दौरान नहीं आई थीं, इसलिए इन चीजों का मैंने उल्लेख किया है।

विरोधी दल के तमाम लोगों ने कहा कि यह मोदीकरण है। यह मोदीकरण नहीं है, यह जनकरण है, जनकल्याण का करण है। हमने एक करोड़ रुपये तक जिला न्यायालय में लिमिट रखी है। ये किसानों की बात करते हैं, गरीबों की बात करते हैं। पहले एक करोड़ रुपये वाले हमारे यहां भोपाल जाते थे। जिले में 20 लाख रुपये की लिमिट थी, उसको हमने 1 करोड़ रुपये किया है।

महोदया, ये विज्ञापन की बात करते हैं। महिलाओं का विज्ञापन किस राज में किसने शुरू किया? यह उस समय शुरू हुआ, जब एक खादी की टोपी पहनने वाले नेता ने, धोती और जैकेट पहनने वाले नेता ने, अंग्रेजी टी शर्ट, स्कर्ट पहनी हुई महिला की सिगरेट को लाइटर से जलाया था। उस दिन से यह पैदा हुआ है। यह उस दिन से पैदा हुआ, जिस दिन खद्दर की टोपी और जैकेट उतारकर 15 अगस्त की आधी रात को ब्रिटिश कोट पहन लिया और उसमें गुलाब का फूल लगा लिया। उस दिन से अश्लीलता शुरू हुई है।

(1410/NK/VR)

यह थमने का नाम नहीं ले रही है। यह कैसे थमेगी? आप जिस कल्चर से पैदा हुए हो, 70-72 सालों तक इस कल्चर को जन्म दिया, आप कल्चर बनाते हैं और सदन के अंदर आप कल्चर की बात करते हैं। आपके काम कैसे हैं? आप किस संस्कृति में पले हैं। रात में आप क्या करते हैं, आपने किस कल्चर को जन्म दिया है, विज्ञापनों की बात करते हो, देश को बेवकूफ बनाते हो।

अभी ओवैसी साहब बोल रहे थे कि घुटने टेक दिये। आपके कलेजे से हुक उठती है, इस एक्ट में प्रावधान किया गया है कि अगर किसी को अपील करनी है तो आधी रकम पहले उस उपभोक्ता को दें, उसके बाद उसकी अपील स्वीकार होगी। इस तरह से बात करने में लोगों की छाती फटती है। हम नहीं देंगे तो वह गरीब मर जाएगा, गरीब के लिए प्रावाधान किया गया है, आधी रकम दो, उसके बाद अपील में जाओ।

तमिलनाडु के साथी बता रहे थे कि पूरी एक्टिविटीज चाहे सीपीसी हो या व्यवहार प्रक्रिया संहिता हो, मैंने 22 सालों तक वकालत की है। मैंने उपभोक्ता फोरम में जाकर काम किया है। इसलिए मुझे दर्द होता है, जब लोग इस तरह से बात करते हैं। फटी लंगोटी लगाता था, जो पहले प्रोसिजर था, उससे उसको कोर्ट में न्याय नहीं मिलता था। इसकी सारी व्यवस्थाएं इसमें की गई हैं। रोड का ले लो, अस्पताल का भी ले लो, जितनी भी गतिविधियां हैं, सीपीसी खत्म कर दो, सीआरपीसी खत्म कर दो, आईपीसी खत्म कर दो, ये किसलिए कानून बने हुए हैं। देश में अपराध, सिविल और दूसरे प्रावधान के मामले में तमाम सारे कानून बने हुए हैं। आप सब कुछ उपभोक्ता फोरम के अंदर लाना चाहते हैं। ये क्यों इस तरह की बातें कर रहे हैं? देश को तोड़ने वाली भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। जो कुछ भी है, वह आज की परिस्थितियों और आधुनिक बाजार के अनुकूल है। अगर कुछ भी जोड़ना है तो दो साल के अंदर इसमें जोड़ा जा सकेगा। इन्ही शब्दों के साथ धन्यवाद, जय हिन्द।

(इति)

1412 hours

SHRIMATI ANUPRIYA PATEL (MIRZAPUR): Thank you, Madam, Chairperson. I rise to speak in support of the Consumer Protection Bill, 2019 which is going to replace the 33-year old Act of 1986. Every year on March 15 we observe the World Consumer Protection Day and even in India we observe that day as the National Consumer Protection Day and we chant the usual mantra 'Consumer is the King'. But this is not really reflected in reality. With the rise in the number of consumers' complaints and the rise of pending cases in the consumer forums, there is really a need to have a new and a more dynamic law which is in tune with the changing times and needs. With the growing popularity of online purchases, we need a new law so that we are able to protect the rights of consumers in this digital environment.

I am glad today that the hon. Minister, who is sitting right in front of me has brought this new comprehensive Bill which has all the intention of protecting consumer rights and has several important provisions like setting up of Consumer Disputes Redressal Commissions at district, State and national levels to look into the consumers' complaints, and setting up of a Central Consumer Protection Authority to promote, protect and enforce consumer rights as a class and defining the unfair and restricted trade practices. The Bill also has a provision for the establishment of Consumer Protection Councils at district, State and the national levels to render advice on consumer protection. While I understand the goodness behind all these provisions, I have certain questions related to these provisions for which I seek clarifications from the hon. Minister.

Madam, my first question relates to the Consumer Disputes Redressal Commissions, which are supposed to function as civil courts. The Bill says, it is going to have a President and other members, but what the Bill does not specify is the minimum judicial qualification which the President and other members should have.

(1415/SAN/MK)

So, what I want to understand from the hon. Minister is whether any minimum judicial qualifications are going to be prescribed by the Central Government or not. If, at all, we are not going to have judicial officers in these redressal commissions, which are going to function as civil courts, is it not violating the principle of separation of powers?

These Consumer Protection Councils are supposed to play an advisory role. They will render advice on how to protect the consumer rights better. These Consumer Protection Councils are going to be headed by the Ministers at the State and Central level and by the District Collector at the district level. Actually, the Ministers or the District Collectors are the implementing authority. So, what I fail to understand is who exactly the Consumer Protection Council is rendering advice to. I am not able to understand this and want the hon. Minister to clarify this.

My next question relates to the recommendations of the Standing Committee which have not been adhered to. The first one is regarding incorporating a provision to terminate a contract on the grounds of the quality of the service or the goods which are delivered. I do not find this having been included in the consumer rights which have been outlined in the Bill. Secondly, a provision has not been incorporated in the Bill to the effect that any misleading advertiser is being compelled to issue a corrective advertisement.

These are the three or four small issues which I want to ask the hon. Minister. I do support this Bill, but I want the hon. Minister to clarify these points while replying to the debate in the House.

Thank you very much.

(ends)

HON. CHAIRPERSON (DR. KAKOLI GHOSH DASTIDAR): Shri P. Raveendranath Kumar – not present.

Shri Hanuman Beniwal – not present.

… (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Okay, Shri Raveendranath Kumar has come.

1417 hours

SHRI P. RAVEENDRANATH KUMAR (THENI): Madam Chairperson, I thank you for giving me this opportunity to speak on behalf of my AIADMK party.

I appreciate our hon. Prime Minister and hon. Minister for Consumer Affairs, Food and Public Distribution for having brought this regulatory Bill with an aim to replace the Consumer Protection Act, 1986 and widen the ambit of consumer protection.

I welcome the positive features in this Bill and the statement of the hon. Minister. It is pertinent to mention that in my State of Tamil Nadu, as on 30.06.2019, there are 9,071 consumer cases pending in various district consumer disputes redressal forums and particularly in my Theni district, there are 101 cases pending as on 30.06.2019. Right from the inception of the said Consumer Protection Act, 1986, so far 1,22,373 consumer cases were filed all over the State, out of which 1,13,302 cases were disposed of as on 30.06.2019. In order to reduce the above number of prolonged pending cases as well as to curtail unwarranted litigation, a new chapter, Chapter V, has been added in this Consumer Protection Bill, 2019. This would enable settlement of disputes by a mediator upon reference by a consumer court and will reduce unnecessary litigations in future.

It is pertinent to mention here the volume of online trading which is increasing every year, but at the same time, steps should be taken by the Government to ensure the quality of products being sold through online mode since the number of substandard products in online marketing has also increased recently. There is no awareness among the public about the way to complain about it.

Madam, I want one clarification from the hon Minister. There is no awareness among the public about the way to complain against spurious products, if such products are supplied by online marketing firms.

(1420/RBN/YSH)

So, I would request the hon. Minister to enlighten us what kind of actions he is going to take to create awareness among the public to file the complaints.

I need one more clarification. I wish to know as to what kind of monitoring system has been planned by the Government to prevent misleading advertisements. So, I request the Minister to inform this House about the steps

taken for establishing a monitoring body on the lines of Advertising Standards Council of India to monitor and book complaints voluntarily against misleading advertisements.

One of my colleagues who is sitting on the other side has said that our Central Government, that is the Modi Government, has ‘zero democracy’. This is not ‘zero democracy’, but a ‘Hero Democracy’. It is accepted by the people of our country. People of India have shown who is zero and who is hero. In the elections everything was proved.

Keeping in view the good factors of the Bill that I have mentioned, I support the Bill. The vital need of the hour is to strengthen the rights of the consumers and to provide a mechanism for redressal of complaints effectively. So, I welcome this regulatory Bill. Thank you.

(ends)

1422 hours

SHRI N.K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Madam Chairperson, thank you for giving me this chance to speak on the Consumer Protection Bill, 2019.

I rise to support the spirit of the Bill, but with certain reservations in regard to the contents of the Bill. I also want to put forth some suggestions.

The original Act of 1986 was enacted to protect the better interests of the consumers. Four institutions have also been established through that Act. They were the Consumer Dispute Redressal Commission at the district level; Consumer Dispute Redressal Commission at the State and national level; and also, as Madam has rightly said just now, Consumer Advisory Council.

After 33 years of experience regarding the impact of this Act, I think, this is the right time to review the COPRA, that is the Consumer Protection Act of 1986. So, I welcome the step taken by the hon. Minister as well as by the Government in repealing the entire Act of 1986 and coming out with a comprehensive legislation, that is the Consumer Protection Bill, 2019. Hence, I support the view and the vision of the Government in this respect.

When we are repealing and coming out with a new legislation, abundant care and caution should be taken so as to address the present situation which is prevailing in our country. The consumer markets for goods and services have drastically changed. Most of the hon. Members have already stated that there is emergence of global supply chains, and modern marketing technological tools, like on-line trading, e-commerce, e-trading, etc. have come into existence. So, we have to change the law according to the situation prevailing in our country. That means we have to change in tune with the changing market scenario or market conditions. This new comprehensive legislation has been brought in exactly to address that and has been brought to this House for our consideration.

The market forces have put the consumers in a very vulnerable position. Many innovative marketing technologies have been introduced. These innovative technologies are being used to cheat the consumers in different ways.

Coming to the review of 1986 Act, the sole intention of COPRA was to give immediate relief to the consumers. That is why the Consumer Dispute Redressal Commissions were formed at the district, State and national levels. The Consumer Advisory Council was also formed for the same purpose.

Madam Aparajita Sarangi has just now stated that justice delayed is justice denied. Why were these Dispute Redressal Commissions constituted? It is quite unfortunate to note that most of the Commissions are not delivering service as we expected them to do.

(1425/SM/RPS)

A number of cases is being lodged in the consumer courts. It is not because of the fault of the Central Commission alone. Most of the State Governments are not giving financial support for the functioning of the Commissions in the State.

So, my suggestion to the hon. Minister is to do something so that the States can be empowered or the Commissions can be empowered by providing some financial grant from the Central Government to make the Commissions at the State level and the district level more effective so that the relief can be given and the grievances can be redressed at the earliest.

Madam, I have already stated about reviewing of the Act. The salient feature of this new Bill is the constitution of a Central Consumer Protection Authority and an alternative dispute redressal mechanism through mediation. These are the two salient features of this Bill.

Madam, I am coming to Clause 10 of the Bill and also seeking some clarifications from the hon. Minister. I think Clause 10 is the heart and soul of this Bill. According to Clause 10, a Central Consumer Protection Authority is being constituted and wide powers are being given to it. I am not reading the entire Clause. The Central Consumer Protection Authority, known as the Central Authority, is supposed to regulate matters relating to violation of rights of consumers, unfair trade practices, and false or misleading advertisements which are prejudicial to the interests of public and consumers and to promote, protect, and enforce the rights of consumers as a class. This is a general power which is being given to the Central Consumer Protection Authority. My point is that no specific power has to be given.

Regarding the constitution of the Authority, as most of the hon. Members have mentioned, I would like to say that now it has become the order of the day and it has become the usual practice that the service conditions, appointment, tenure of service – everything is being determined by the Government as per the rule prescribed by the Government from time to time. What is it? That is why

in the Right to Information (Amendment) Bill, I put the same question. If you are determining the tenure, if you are determining the qualifications of the Chief Commissioner or the Central Consumer Protection Authority, then what is the Parliament for? That means it will be decided by the bureaucrats. What is the scope of the Parliament then? We do not know about the qualifications to be prescribed to become the Chief Commissioner of the Central Consumer Protection Authority. That means you are taking away the rights of the Parliament. That means legislative supremacy of the Parliament is being taken over. So, I have a strong objection for Clauses 10 and 11.

Madam, I will just mention about one very important point. I would like to draw the attention of the hon. Minister to Clause 18(1) (*c*) and Clause 24 and with that point I will conclude. I just read Clause 18(2) (*c*). It says that the Central Consumer Protection Authority will intervene in any proceedings of the State Commission, National Commission and the District Commission in respect of any allegation of violation of consumer rights or unfair trade practices. Yes, I agree to that.

Madam, Clause 24 says that a person aggrieved by any order passed by the Central Authority under Sections 20 and 21 may file an appeal to the National Commission within a period of thirty days from the date of receipt of such order. What does it mean? The National Commission is acting as the Appellate Authority of the State and the Central Consumer Protection Authority is acting as the Central Authority and the Central Authority has the right to intervene in the proceedings of the National Commission. It is totally contradictory. How will this survive in a court of law? What kind of piece of legislation is being made? So, this has to be corrected or this has to be clarified by the hon. Minister. If I am wrong, I stand corrected. Otherwise, I am seeking a very specific clarification regarding Clause 18(2) (*c*) and Clause 24.

Madam, the last point I would like to raise is that stringent punishment has to be there for the misleading advertisements. The present punishment and the penal provisions are not sufficient. So, provisions for stringent punishment have to be made as far as the misleading advertisements are concerned. With these words, I am concluding. I support the Bill.

(ends)

1429 hours

*SHRI THOL THIRUMAA VALAVAN (CHIDAMBARAM) : Hon. Chairperson. Vanakkam. Thank you for this opportunity to speak on the Consumer Protection Bill, 2019. The Consumer Protection Act of 1986 which was in practice for so long is now being totally replaced by a new Bill. I welcome this Bill as it is aimed to protect the consumers who are being affected by e-commerce, as the provisions relating to e-commerce have been included in the Bill. This Bill in its present form is taking away the rights of the State Government. As per the 1986 Act, which was in force, the State Governments can set up Consumer Protection Councils in different places. These powers were vested with the State Governments. But the Consumer Protection Councils or Courts to be set up at the District and State Levels will be governed by the Members to be appointed directly by the Union Government. As per the 1986 Act, these Councils had members of the Judiciary and therefore functioned as a quasi-judicial body. But this new Bill will pave way for a Bureaucratic body to be run by bureaucrats and politicians. In that way, this will totally loose the identity and recognition of a quasi-judicial body. Therefore it is shocking to say that this Bill has diluted the provisions of the earlier Act. This set up should be allowed to function as a quasi-judicial body. I request the Hon. Minister to make some amendments to this Bill in this regard. We are aware of the fact that how the consumers are being affected due to unfair trade practices followed by industrialists, businessmen, and brokers of the market, on a daily basis. It is the responsibility of the Union Government to protect the consumers from such unfair trade practices.

---

*Original in Tamil

(1430/RAJ/AK)

Although the present Bill is aimed to protect the consumers, it should never loose its identity of having the judicial powers or the quasi-judicial powers. It has raised a serious question whether this Bill will really protect the consumers and their rights?. This new Bill will create a big gap between the relations of the Union and State Governments. Therefore this Bill should have new provisions aimed at protecting the rights of the consumers, without taking away the rights of the State Governments, and providing judicial powers to the Consumer Protection Councils or Courts.

1431 hours (Hon. Speaker *in the Chair*)

This Bill should have the powers to appoint District Judges, High Court judges and the Supreme Court Judges in the Consumer Protection Councils. Thank you for this opportunity.

(ends)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, हर विषय पर बोल लेते हैं।

…(<u>व्यवधान</u>)

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): आपने बीएसी में जो व्यवस्था दी है, उसे आप उसे आगे से इम्प्लिमेंट करें – रोटेशनल सिस्टम।

माननीय अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी।

1433 बजे

श्री रामविलास पासवान : अध्यक्ष महोदय, मैं सभी माननीय सदस्यों को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। इस बिल पर पहले भी यहां दो बार बहस हो चुकी है, लेकिन आपकी अध्यक्षता में इस बार का डिबेट हुई है और जिन माननीय सदस्यों ने अपनी राय दी है, मैं वर्ष 1977 से इस सदन में रहा हूं, बहुत गहराई से और बहुत अध्ययन करके माननीय सदस्यों ने राय दी है।

माननीय अध्यक्ष : अपने नए माननीय सदस्य बहुत इंटेलिजेंट आए हैं।

श्री रामविलास पासवान : वे बहुत इंटेलिजेंट हैं। यह बिल पास भी हो जाएगा, लेकिन मैं चाहूंगा कि जिन माननीय सदस्यों ने अपनी भावना व्यक्त की है, हम उनके साथ एक बार बैठ कर चर्चा करें। जो माननीय सदस्य आना, चाहें वे आ सकते हैं। हम लोग बिल्कुल ओपन हैं। हम चाहते हैं कि यह उपभोक्ता संरक्षण विधेयक को पास होने जा रहा है, वह अपने-आप में एक ऐतिहासिक हो। चूंकि यह 33 सालों के बाद आ रहा है। सभी माननीय सदस्यों ने अपनी बातों को कहा है और जिस तरीके से कहा है, मैंने पहले भी इस पर गंभीरता से विचार किया है। उदाहरण के लिए डॉक्टर के संबंध में है। हमारे एक साथी ने कहा कि मेडिकल, हेल्थ केयर को क्यों नहीं रखा गया है? मैं भी सोच रहा था कि हेल्थ केयर को रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि वर्ष 1995 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इसको रखना चाहिए।

(1435/IND/SPR)

इससे पहले वर्ष 2018 के बिल में यह प्रावधान था, लेकिन राज्य सभा में बिल को पास नहीं किया गया। हमने विरोध करने वाले माननीय सदस्यों को बुलाया और उनसे पूछा कि आप क्यों इसका विरोध कर रहे हैं? उन्होंने कुछ बातें कहीं और हमें भी लगा कि इन बातों पर विचार करना चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि कोई डाक्टर के यहां जाता है, तो डाक्टर आंख मूंद कर दवाई लिख देता है कि आपके सिर में दर्द है, खांसी है, तो आप यह दवाई ले लीजिए। लेकिन जिस दिन डाक्टर्स को लगा कि हमने खांसी की दवाई दी, लेकिन बीमारी कुछ और है, तो जब उनके ऊपर क्लेम आएगा, तो कोई भी डाक्टर जल्दी दवाई नहीं लिखेगा और वह कहेगा कि पहले पूरी जांच हो। जांच में इतना समय और पैसा लग जाएगा कि मरीज को बहुत परेशानी हो जाएगी।

मैं सर्वप्रथम राजेन्द्र अग्रवाल जी, रणजीत रेड्डी जी, दुर्गा प्रसाद जी, विष्णु प्रसाद जी, वीरास्वामी जी, प्रतिमा मंडल जी, राहुल शेवले जी, चन्द्रेश्वर प्रसाद जी, रमेश चन्द्र जी, गिरीश चन्द्रा जी, सप्तगिरी उलाका जी, अजय मिश्रा जी, जयदेव गल्ला जी, गिरीश बापट जी, सुप्रिया सुले, मसूदी जी, सारंगी जी, बसीर जी, ओवैसी जी, जनार्दन मिश्रा, अनुप्रिया पटेल जी, रविन्द्रनाथ कुमार जी, प्रेमचन्द्रन जी और तिरुमावलवन जी को धन्यवाद करता हूं कि सभी ने अपनी बातों को रखा। इन सभी की बातों में तीन-चार मेन प्वाइंट हैं। हमारा मेन मकसद सिस्टम को सरल करने का है। पहले कंज्यूमर कोर्ट नाम की कोई चीज नहीं थी, कंज्यूमर फोरम डिस्ट्रिक्ट में थी और राज्य में कंज्यूमर कमीशन और नेशनल कमीशन था, लेकिन धीरे-धीरे इन्होंने कोर्ट का रूप ले लिया। इसका जो मेन परपस था, वह पीछे रह गया। आप कहते हैं कि इसमें इतना समय क्यों लगता है, उसका एक कारण कोर्ट का मामला है, कोर्ट में वकील का मामला है, इसलिए हमने वकील को हटा दिया। हमने कहा कि

यदि कोई व्यक्ति कम्प्लेंट देगा, वह एक ही दिन में दर्ज यदि नहीं की जाती है, तो वह आटोमैटिक दर्ज हो जाएगी। हमने कहा कि यह जरूरी नहीं है कि वकील ही पैरवी करे। आप अपने आप पैरवी कर सकते हैं। अधिकांशत: 90 परसेंट केस डिस्ट्रिक्ट में आते हैं और उसका दायरा बहुत कम 20 लाख रुपये तक था, उसे बढ़ाकर हमने एक करोड़ रुपये कर दिया और राज्य में दायरा बढ़ा कर 10 करोड़ रुपये कर दिया। 10 करोड़ रुपये से ऊपर नेशनल दायरे में ला दिया। पहले मध्यस्थता का विषय नहीं था। बहुत साथियों ने मध्यस्थता को सराहा है। कई सांसदों ने कहा कि इसमें परदर्शिता नहीं है। जब हम रूल्स बनाएंगे, तो इसे देखने का काम करेंगे। इसमें मिसलीडिंग एडवरटाइजमेंट का मामला भी है, यह बहुत बड़ा है। कई सदस्यों ने कहा है कि विज्ञापन में मिसलीडिंग क्या है? आप रोड पर जा कर देखिए। वहां लिखा रहता है कि तीन महीने में कद बढ़ाएं। सिर पर बाल नहीं हैं, तो तीन दिन में बाल आ जाएंगे, इससे ज्यादा मिसलीडिंग क्या होगा? हमने इसमें बहुत सावधानी बरती है कि जो भी एडवरटाइजमेंट देता है, वह इसके लिए रिस्पोंसिबल होगा कि आप हानिकारक विज्ञापन दे रहे हैं। प्रेस वालों को हमने छोड़ दिया है। हम तभी प्रेस वालों को पकड़ेंगे जब वह कहता कुछ है और छापता कुछ है जो कभी हुआ नहीं होगा या होना नहीं चाहिए।

(1440/PC/UB)

तीसरा विषय सेलिब्रिटीज़ का है। सेलिब्रिटीज़ के लिए स्टैंडिंग कमेटी ने कहा था कि उनके लिए जेल का विधान होना चाहिए। हम लोगों ने इसमें से जेल का विधान हटा दिया है। हमने कहा कि सेलिब्रिटीज़ को सजा देंगे, लेकिन हम उन्हें बैन कर देंगे या उन पर जुर्माना लग जाएगा, यही उनके लिए काफी है। इस पर हम लोगों ने कहा था कि यदि आपको लिखकर दिया जाता है तो आप उतना ही पढ़ने का काम कीजिए। आपने कहा कि केस में डिले होता है। हमने राज्य सरकारों को कम से कम, पिछली बार भी मेरे पास यही मंत्रालय था, दो दर्जन बार लिखा है। कहीं पर चेयरमैन का पद खाली है, कहीं मेंबर का पद खाली है। अभी भी मैंने पर्सनल लैटर लिखा है। सरल भाषा में, अपनी तरफ से, हमने सरकारी महकमे से कहा कि हटो! हम तीन पेज का लैटर नहीं लिखेंगे, हम चार लाइन का ही लिखेंगे कि आपके यहां ये-ये पद खाली हैं, इन्हें आप भर दीजिए और अगर कोई दिक्कत है, तो हमें बताइए।

हमने 1 अगस्त को यहीं, दिल्ली में स्टेट के मिनिस्टर्स की कांफ्रेंस रखी थी लेकिन मेरे छोटे भाई और सांसद रामचन्द्र पासवान का निधन हो गया, इसीलिए हमने उसको आगे बढ़ा दिया है। हम उसके पीछे लगे हुए हैं। सीसीपीए एक बहुत ही कारगर हथकंडा है। हमने इसको एब्सोल्यूट पावर नहीं दी है, न ही इसको नैशनल कमीशन, स्टेट कमीशन या डिस्ट्रिक्ट कमीशन में अलग-अलग रखा है। इसके लिए हमने सिर्फ इतना ही किया है कि कंप्लेंट होने पर यह इमीडिएट एक्शन ले सकता है। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक यह इंडिविजुअल है। यदि आपको कोई सामान खराब मिल गया, जैसे खराब कार मिल गई तो आपने इंडिविजुअल पर एक्शन लिया है। अब हम लोगों ने कहा कि नहीं, अब वह क्लास एक्शन लेगा। मान लीजिए एक कार है, जिसका इंजन खराब है तो उसी कार का इंजन खराब नहीं होगा, उस लॉट में जितनी कारें बनी हैं, उनका इंजन भी खराब होगा, इसलिए उसको क्लास एक्शन लेने का पूरा का पूरा अधिकार रहेगा।

इसी तरह यदि कोई आदमी खराब सामान बेचता है या खराब सेवा प्रदान करता है, जिसके बारे में यहां कई बार बात हो चुकी है, प्रेमचन्द्रन जी और लीडर ऑफ कांग्रेस पार्टी यहां बैठे हैं। पिछली बार आप सब लोगों ने अमेंडमेंट्स दिए थे और इस बार भी जो दिए हैं, उन सबको हमने बहुत गंभीरता से देखने का काम किया है। हमने पिछली बार भी बहुत डिटेल में बताने का काम किया था। जितने एनजीओ के लोग हैं और जो मीडिया के लोग हैं, उनसे पूरी की पूरी रिपोर्ट लेकर हमने इस बिल को बनाने का काम किया है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इस बिल पर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट ने जो भी बातें कही हैं, उन पर जब हम रूल्स बनाएंगे - हमारा इसमें कोई पर्सनल इन्ट्रेस्ट नहीं है – जो भी आपके नैशनल इन्ट्रेस्ट, जनहित के सजेशन्स होंगे, उन्हें हम रूल्स में डालने का काम करेंगे। …(व्यवधान)

अत: मैं सभी माननीय सदस्यों से आग्रह करता हूं, मैं आज ज्यादा नहीं बोलूंगा, कि आप सब लोग इस बिल को सर्वसम्मति से पास करने का काम करें। आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद। …(व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर) : पासवान जी, इसमें एडल्ट्रेशन की बात की गई है। …(व्यवधान) क्या इसमें खाद्य पदार्थ भी शामिल हैं? …(व्यवधान)

श्री रामविलास पासवान : खाद्य के मामले के लिए एफएसएसएआई है। …(व्यवधान) एडल्ट्रेशन ऐसी चीज़ है, जो अलग-अलग होती है। …(व्यवधान) जैसे स्टील का जो एडल्ट्रेशन होता है, उसे स्टील डिपार्टमेंट देखता है। …(व्यवधान) खाद्य के एडल्ट्रेशन को एफएसएसएआई देखता है। …(व्यवधान) उन लोगों के साथ भी हमारा तालमेल रहता है। …(व्यवधान) फूड एडल्ट्रेशन में आपको आजीवन कारावास या फांसी की भी सज़ा हो सकती है, इसलिए यह विषय अलग है। …(व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर) : आप जो विधेयक पारित कर रहे हैं, इसके चैप्टर 7 के सैक्शन 90 और 91 में एडल्ट्रेशन के बारे में कहा गया है। …(व्यवधान) मुझे लगता है कि यह तो हैल्थ का विषय है, आप इसे कैसे संभाल पाएंगे? …(व्यवधान) आपने कोऑर्डिनेशन की क्या व्यवस्था की है? …(व्यवधान) हिन्दुस्तान में सबसे ज़्यादा यह कारोबार होता है। …(व्यवधान) आप चौंक जाएंगे कि हमारे कोलकाता में फेंके हुए कुत्ते के मांस को भी एडल्ट्रेशन में चला देते हैं। …(व्यवधान) कुछ महीनों पहले यह खबर आई थी। …(व्यवधान) आप देखिए कि यह भी कंज़्यूमर है, वह भी कंज़्यूमर है। …(व्यवधान) जो इलैक्ट्रॉनिक गुड्स खरीदता है, वह भी कंज़्यूमर है। जो खाद्यान खरीदता है, वह भी कंज़्यूमर है। …(व्यवधान) इनके बीच तालमेल कैसे होगा?

(1445/SPS/KMR)

श्री रामविलास पासवान: जो हैल्थ का मामला है, जिस डिपार्टमेंट का मामला है, वही डील करेगा। हम उसमें इंटरफियर नहीं करेंगे। यह बात मैं साफ कह देता हूं। बहुत सी चीजें हैं, जिन्हें हम नहीं कह सके हैं। अभी हमारे साथी एम.आर.पी. की बात कह रहे थे। हम जानते हैं कि एम.आर.पी. की बात, आप होटल में चले जाइए, जो बोतल है, वह दस गुना ज्यादा दाम पर बिकती है। हमने उसकी डबल एम.आर.पी. के खिलाफ कार्रवाई की। लोग कोर्ट में चले गए। कोर्ट ने नहीं कह दिया। हम फिर लिख रहे हैं। एक चीज नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं। जैसे हमारी बहन ने कहा कि चपरासी से लेकर राष्ट्रपति

तक कंज्यूमर है, बच्चे से लेकर बूढ़े तक कंज्यूमर है। ये सारे के सारे कंज्यूमर हैं। हम इसलिए स्ट्रिक्टली नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि लोग रोड पर सामान बेच रहे हैं। यदि आप स्ट्रिक्टली करेंगे तो रोड की सारी दुकानों को स्टैण्डर्ड के मुताबिक हटाना पड़ेगा। जो कंज्यूमर है, ई-कॉमर्स के संबंध में कहा है, सारी चीजें हमारे दिमाग में हैं। आप कभी आइए तो हम आपको मंत्रालय में चाय भी पिलाएंगे और जो कुछ भी संभव होगा, उसको कर देंगे।

DR. SHASHI THAROOR (THIRUVANANTHAPURAM): Mr. Speaker, Sir, I would like to seek three clarifications from the Minister. The basic purpose of having a Consumer Protection Act is to redress the unequal balance of power between corporations on the one hand and consumers on the other. There are three ways in which the Bill fails to do that. I want to ask the Minister whether he can remedy this somehow in the Rules or whatever.

First, many companies do write an arbitration clause into a contract. So, if a consumer purchases a product and then if he has a dispute, he has to go to an arbitrator. An arbitration clause should not have been allowed to trump a Consumer Forum. Nothing in arbitration should be allowed to limit the power of the Consumer Forum to protect the consumer.

Second, similarly many companies write limited liability clauses. They write saying that if something goes wrong, they have a limited liability. Then the consumer is not protected because he may lose much more than the company is prepared to give him. Once again, Sir, we should have it in the law that the law takes precedence over limited liability clauses also so that the consumer is protected.

Thirdly, Sir, there is an omission which worries me. The definition of services in the Bill explicitly excludes free services. The poor people of our country very often use government hospitals for example where the service is free. But, if as a result of a hospital's negligence the poor patient dies, no compensation is given. That is because free services are excluded from the protection you have given.

These are very small changes the Minister can make to ensure that the law is interpreted in a way that protects the consumer. I have written to him on 27th February, 2018 when he first brought the Bill, to point these things out. They are unfortunately not reflected in the new Bill. But I would urge him to make sure that these protections are there at least in the Rules. Otherwise, the consumers

will continue to be at the weaker end of the bargaining with the corporations. Thank you.

माननीय अध्यक्ष: मंत्री जी, आप सबका एक साथ ही जवाब दे दीजिएगा।

श्री रामविलास पासवान: उन्होंने हैल्थ केयर के संबंध में कहा था, मैंने उसका भी प्लस और माइनस पॉइंट बता दिया है। हमने रखा था, सुप्रीम कोर्ट ने 1995 में कहा था और हमारे बहुत से माननीय सदस्यों ने राज्य सभा में उस मामले को पास नहीं होने दिया था। जो डॉक्टर्स हैं, वे भी इस बात को कह रहे थे। जब हम रूल्स बनाएंगे तो उस समय हम सारी चीजों को देख लेंगे। आप पिछली बार बोले भी थे और आपने अमेंडमेंट्स भी दिए थे, वे भी मैंने पढ़े थे।

श्री राजीव प्रताप रूडी (सारण): महोदय, मैं इसमें तीन उदाहरण देना चाहता हूं। इसमें पर्याप्त प्रोटेक्शन दिया गया है। यह मानते हुए कि हम सभी माननीय सदस्य, कुछ ऐसी सेवाएं हैं, जो सरकार से नियंत्रित होती हैं या ऐसे व्यक्तियों से होती हैं, जिनके पास मोनोपॉली है। उदाहरणस्वरूप टेलीफोन है। अगर हम दो महीने टेलीफोन का बिल पे न करें तो उसके पास अधिकार है कि वह मेरा टेलीफोन का कनेक्शन काट देगा। मैं यहां से टेलीफोन लगाता हूं और दूसरे व्यक्ति से बात करना चाहता हूं, लेकिन अभी मैंने फोन डिसकनैक्ट नहीं किया, उसने भी फोन डिसकनैक्ट नहीं किया और कॉल ड्रॉप हो गई तब मैं किसके पास जाऊं? मेरी नाराजगी अगर टेलीफोन कंपनी से होती है और मैं कहूं कि पैसा नहीं दूंगा तो वह कहेगा मैं आपका टेलीफोन कनैक्शन काट दूंगा। यह एक उदाहरण है। मैंने फोन काटा नहीं, उसने फोन काटा नहीं, कॉल ड्रॉप हुई, चार बार लगाया, लेकिन इस पीड़ा का कहां पर संवाद है?

(1450/SJN/SNT)

अध्यक्ष महोदय, दूसरा यह है कि बिजली मेरा मौलिक अधिकार है। यहां पर मंत्री जी बैठे हुए हैं। मेरे घर में बिजली आ रही है, लोक सभा की कार्यवाही चल रही है, इतनी बढ़िया बातचीत चल रही है, लेकिन बिजली चली गई। मुझे बिजली विभाग पर गुस्सा आया, मैं बिजली विभाग से कहूंगा कि मैं आपको पैसा नहीं दूंगा, क्योंकि आप मेरी बिजली बार-बार काट रहे हैं। मैं यह जिस दिन तय करता हूं कि पैसा नहीं दूंगा, वह मेरे घर की बिजली काट देगा और हम उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर वह समय पर और 24 घंटे बिजली नहीं देता है, जो मेरा अधिकार है, तो मैं कुछ नहीं कर पाता हूं। विमान कंपनियां टिकट में लिख देती हैं कि 45 मिनट...(व्यवधान) मंत्री जी आप बैठ जाइए, यहां पर पूरी सरकार बोलने के लिए बैठी हुई है। अभी आप बैठ जाइए।...(व्यवधान) I have not yielded. ...(*Interruptions*) Hon. Minister, I have not yielded. When it comes to your department, we will talk about it.

तीसरे, हम लोग एयरपोर्ट पर जाते हैं। टिकट के पीछे लिखा होता है कि 45 मिनट पहले आइए। हम टिकट लेकर एक घंटे पहले जाकर वहां पर बैठ जाते हैं। जहाज उड़ने में दो घंटे का विलंब हो जाता है। मेरे तीन घंटे का समय बर्बाद होता है। वहां पर मेरा क्या उपभोक्ता संरक्षण है?

अध्यक्ष महोदय, इसमें ऐसी बहुत सारी स्थितियां हैं, जिनके बारे में बिल में कहीं पर कोई चर्चा नहीं आ पा रही है। अगर हम इन सबको प्रोटेक्शन नहीं दे पाएंगे, तो जिनकी मोनोपोली है, वे

उपभोक्ताओं के साथ में जिस प्रकार का बर्ताव करते हैं, यह एक बड़ा विषय है। इस विषय में आपको संज्ञान होगा। इसलिए, ऐसे विषयों पर रूल्स बनाते समय ध्यान दिया जाए, ताकि सरकार की उपबल्धियों को माना जाए।

DR. KALANIDHI VEERASWAMY (CHENNAI NORTH): Sir, I would like to draw the attention of all the hon. Members, especially, the Congress Party. If you look into clause 62, it says:

> "On the application of the complainant or of its own motion, the National Commission may, at any stage of the proceeding, in the interest of justice, transfer any complaint pending before the District Commission of one State to a District Commission of another State or before one State Commission to another State Commission."

Sir, this is a very mischievous clause. When there is redressal for appellate to a National Commission, why should the National Commission intervene on the States' rights to investigate on a particular matter. So, I wish that everybody would agree on this that this clause should be struck off.

DR. M.K. VISHNU PRASAD (ARANI): The hon. Minister gave a very detailed reply. He mentioned about the advertisements. He said that if there is an advertisement about gaining height, which claims to increase 2 to 3 ft. height in one month, which of course, is not true, then, the problem is not with the media. That is what he has mentioned. So, in that case, is there any proposal to have a board, like Censor Board, for these advertisements? Is there any proposal for these electronic or print media advertisements to go through some kind of a board, so that, the authenticity and the effectiveness of the product can be determined then and there, and the people will not be misled? Is the Government having any proposal to have a special board for that.

Thank you, Sir.

श्री रामविलास पासवान : हमारे पास जितने भी कंज्यूमर कोर्ट हैं,...(व्यवधान) अब हमने उनका नाम डिस्ट्रिक्ट फोरम, स्टेट फोरम और नेशनल फोरम रखा है। इसके अलावा भी आपके पास कोर्ट का रास्ता खुला हुआ है। आप सिविल कोर्ट में जा सकते हैं। यदि नेशनल कमीशन में कोई एग्रीव्ड पार्टी है, तो वह सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकती है। लेकिन हम यह कोशिश कर रहे हैं कि न्याय पद्धति को सरल करें, उपभोक्ताओं को जल्द से जल्द राहत मिले और राहत मिल भी रही है। हम इसके लिए काम कर रहे हैं। बाकी आप जितनी डिटेल में जाएंगे, उतने ही समय की बर्बादी होगी और उपभोक्ताओं को भी उतनी ही परेशानी होगी।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

"कि उपभोक्ताओं के हितों का संरक्षण करने के लिए और उक्त प्रयोजन के लिए उपभोक्ता विवादों के समय से और प्रभावी प्रशासन तथा परिनिर्धारण के लिए प्राधिकरणों की स्थापना करने और उससे संबद्ध या आनुषंगिक विषयों के लिए उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष : अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी।

खंड 2

माननीय अध्यक्ष : श्री कोडिकुन्निल सुरेश, क्या आप संशोधन प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI KODIKUNNIL SURESH (MAVELIKKARA): I beg to move:

Page2, *for* lines 2 to 5,--

substitute '(1) "advertisement" means commercial messages or endorsements or pronouncements or offer of services broadcast through the means of any audio or video publicity, representation or pronouncement, made by means of light, sound, smoke, gas, print, electronic media, internet enabled media including websites and social media and includes any notice, circular, label, wrapper, invoice or any such documents that contain a commercial message or any other form as deemed fit by the competent authority;'. (1)

Page 2, line 37,--

after "deficiency"

insert "or the rendering of services is inefficient or unsatisfactory as against the promised or offered or agreed upon or declared quality". (2)

Page 4, line 32,--

after "digital products"

insert ", conventional manufactured products or any other listed products". (3)

Page 5, line 13,--
after "illness"
insert ", full or partial disability". (4)

Page 5, *after* line 42,--
insert "(*v*) misleads the consumer by means of describing or alluding magical properties, remedies or supports any superstitious healing methodology which is in contravention to existing legal provisions;". (5)

माननीय अध्यक्ष : अब मैं श्री कोडिकुन्निल सुरेश द्वारा खंड 2 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 1 से 5 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन मतदान के लिए रखे गए और अस्वीकृत हुए।

माननीय अध्यक्ष : श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन, क्या आप संशोधन प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): I beg to move:

Page 2, line 3,--
after "gas,"
insert "gestures, art forms,". (6)

Page 2, line 9,--
after "Central Government"
insert "or a State Government". (7)

Page 2, line 21,--
after "a consumer"
insert "or a person duly authorized by the consumer". (8)

Page 2, line 35,--
after "one or more defects"
insert "or any delay or deficiency in service in connection with rendering service for rectifying the default or defects". (9)

Page 2, line 37,--
after "any"
insert "delay or". (10)

Page 3, line 24,--
after "commercial purpose"
insert "other than a capital investment of not more than 25 lakh rupees". (11)

माननीय अध्यक्ष : अब मैं श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन द्वारा खंड 2 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 6 से 11 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन मतदान के लिए रखे गए और अस्वीकृत हुए।

(1455/GG/GM)

माननीय अध्यक्ष : श्रीमती प्रतिमा मण्डल, क्या आप संशोधन प्रस्तुत करना चाहती हैं?

SHRIMATI PRATIMA MONDAL (JAYNAGAR): Sir, I am not moving my amendment No. 12.

माननीय अध्यक्ष : डॉ. शशि थरूर, क्या आप संशोधन प्रस्तुत करना चाहते हैं?

DR. SHASHI THAROOR (THIRUVANANTHAPURAM): Sir, if the Minister agrees with me, why not accept the amendment? He has agreed with me; he can accept my amendment.

HON. SPEAKER: Are you moving your amendment or not?

DR. SHASHI THAROOR (THIRUVANANTHAPURAM): I beg to move:

Page 7, *after* line 37,-

insert '*Explanation*.- For the purpose of this clause, the expression "service free of charge" shall not include services provided by the State, such as the provision of services related to public healthcare, public education, etc.'. (19)

माननीय अध्यक्ष: अब मैं डॉ. शशि थरूर द्वारा खंड 2 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 19 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूँ।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है :

"कि खंड 2 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 3 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 4

माननीय अध्यक्ष : प्रो. सौगत राय, क्या आप संशोधन प्रस्तुत करना चाहते हैं?

PROF. SOUGATA RAY (DUM DUM): Sir, I am not moving my amendment No. 13. …(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: क्यों कोई तकलीफ है क्या बोलने में? 'डर गए हो', यह क्या है? यह सदन है। ऐसे क्यों करते हो?

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

"कि खंड 4 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 4 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 5 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 6

माननीय अध्यक्ष : प्रो. सौगत राय, क्या आप संशोधन प्रस्तुत करना चाहते हैं?

PROF. SOUGATA RAY (DUM DUM): Sir, I am not moving my amendment No. 14.

माननीय अध्यक्ष: डॉ. शशि थरूर, क्या आप संशोधन प्रस्तुत करना चाहते हैं?

DR. SHASHI THAROOR (THIRUVANANTHAPURAM): The Minister has given his assurance that this will be in the rules. So, I am not moving my amendment No. 20.

माननीय अध्यक्ष : मंत्री जी ने तो सबके लिए कह दिया है कि आओ बैठें, बात करें, चर्चा करेंगे। अब मुझे नहीं लगता है कि इससे बड़ी बात कोई माननीय मंत्री जी कहेंगे।

प्रश्न यह है :

"कि खंड 6 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 6 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 7 से 9 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड 10

माननीय अध्यक्ष : प्रो. सौगत राय, क्या आप संशोधन प्रस्तुत करना चाहते हैं?

PROF. SOUGATA RAY (DUM DUM): I beg to move:

Page 11, lines 43 and 44,-

for "such number of other Commissioners as may be prescribed" (15)

माननीय अध्यक्ष: अब मैं प्रो. सौगत राय द्वारा खंड 10 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 15 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूँ।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है :

"कि खंड 10 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 10 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 11 से 14 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड 15

माननीय अध्यक्ष : डॉ. शशि थरूर, क्या आप संशोधन प्रस्तुत करना चाहते हैं?

DR. SHASHI THAROOR (THIRUVANANTHAPURAM): Sir, I am not moving amendment No. 21.

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है :

"कि खंड 15 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 15 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 16

माननीय अध्यक्ष : डॉ. शशि थरूर, क्या आप संशोधन प्रस्तुत करना चाहते हैं?

DR. SHASHI THAROOR (THIRUVANANTHAPURAM): Sir, I am not moving amendment No. 22.

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है :

"कि खंड 16 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 16 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 17 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 18

माननीय अध्यक्ष : प्रो. सौगत राय, क्या आप संशोधन प्रस्तुत करना चाहते हैं?

PROF. SOUGATA RAY (DUM DUM): I beg to move:

after "consumer rights"

insert "with regard to price, weight or quality of goods and services". (16)

माननीय अध्यक्ष: अब मैं प्रो. सौगत राय द्वारा खंड 18 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 16 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूँ।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ।

(1500/KN/RK)

माननीय अध्यक्ष : डॉ. शशि थरूर, क्या आप संशोधन प्रस्तुत करना चाहते हैं?

DR. SHASHI THAROOR (THIRUVANANTHAPURAM): Sir, I am not moving.

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

"कि खंड 18 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 18 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 19 से 27 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड 28

माननीय अध्यक्ष : श्रीमती प्रतिमा मंडल, क्या आप संशोधन प्रस्तुत करना चाहती हैं?

SHRIMATI PRATIMA MONDAL (JAYNAGAR): I beg to move:

Page 16, *for* line 42,-

substitute "(a) a President, who shall be a retired High Court Judge; and". (17)

माननीय अध्यक्ष : अब मैं श्रीमती प्रतिमा मंडल द्वारा खंड 28 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 17 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूँ।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष : प्रो. सौगत राय, क्या आप संशोधन प्रस्तुत करना चाहते हैं?

PROF. SOUGATA RAY (DUM DUM): I beg to move:

Page 16, *for* lines 43 and 44,-

substitute "(b) not more than ten members to be appointed by the State Government". (18)

माननीय अध्यक्ष : अब मैं प्रो. सौगत राय द्वारा खंड 28 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 18 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूँ।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष : डॉ. शशि थरूर, क्या आप संशोधन प्रस्तुत करना चाहते हैं?

DR. SHASHI THAROOR (THIRUVANANTHAPURAM): I beg to move:

Page 16, *for* lines 41 to 44,-

substitute "(2) Each District Commission shall consist of-

(a) a person who is, or has been, or is qualified to be a District Judge, who shall be its President;

(b) two other members, one of whom shall be a woman, who shall have the following qualifications, namely:-

(i) be not less than thirty-five years of age,

(ii) possesses a bachelor's degree from a recognised university, and

(iii) be persons of ability, integrity and standing, and have adequate knowledge and experience of at least ten years in dealing with problems relating to economics, law, commerce, accountancy, industry, public affairs or administration.". (24)

Page 16, *after* line 44,-

insert "Provided that any person shall be disqualified for appointment as a member, if he-

(a) has been convicted and sentenced to imprisonment for an offence which, in the opinion of the State Government, involves moral turpitude; or

(b) is an undischarged insolvent; or

(c) is of unsound mind and stands so declared by a competent court; or

(d) has been removed or dismissed from the service of the Government or a body corporate owned or controlled by the Government; or

(e) has, in the opinion of the State Government such financial or other interest as is likely to affect prejudicially the discharge by him of his functions as a member; or

(f) has such other disqualifications as may be prescribed.

(3) Every member of the District Commission shall hold office for a term of five years or up to the age of sixty-five years, whichever is earlier.". (25)

माननीय अध्यक्ष : अब मैं डॉ. शशि थरूर द्वारा खंड 28 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 24 और 25 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूँ।

संशोधन मतदान के लिए रखे गए और अस्वीकृत हुए।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

"कि खंड 28 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 28 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 29 से 38 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड 39

माननीय अध्यक्ष : श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन, क्या आप संशोधन प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): I beg to move:

Page 21, line 46,-

for "twenty-five per cent."

substitute "fifty per cent." (34)

माननीय अध्यक्ष : अब मैं श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन द्वारा खंड 39 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 34 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूँ।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ।

प्रश्न यह है :

"कि खंड 39 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 39 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 40 और 41 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड 42

माननीय अध्यक्ष : डॉ. शशि थरूर, क्या आप संशोधन प्रस्तुत करना चाहते हैं?

DR. SHASHI THAROOR (THIRUVANANTHAPURAM): Sir, I am not moving.

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

"कि खंड 42 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 42 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 43

माननीय अध्यक्ष : श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन, क्या आप संशोधन प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Sir, since the Minister has assured that it will be discussed with us, I am not moving any further amendments.

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

"कि खंड 43 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 43 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 44

माननीय अध्यक्ष : श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन, क्या आप संशोधन प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Sir, I am not moving.

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

"कि खंड 44 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 44 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 45 से 53 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड 54

माननीय अध्यक्ष : डॉ. शशि थरूर, क्या आप संशोधन प्रस्तुत करना चाहते हैं?

DR. SHASHI THAROOR (THIRUVANANTHAPURAM): I will move these amendments simply because the Minister has agreed with the substance of what I have said. हम मंत्री जी के समर्थन से करते हैं।

I beg to move:

Page 25, *for* lines 27 to 29,—

Substitute "(a) a person who is, or has been, a Judge of the Supreme Court, to be appointed by the Central Government, who shall be its President:

Provided that no appointment under this clause shall be made except after consultation with the Chief Justice of India.

(b) not less than four, and not more than such number of members, as may be prescribed, and one of whom shall be a woman, who shall have the following qualifications, namely:-

(i) be not less than thirty-five years of age.

(ii) possesses a bachelor's degree from a recognised university,

(iii) be persons of ability, integrity and standing, and have adequate knowledge and experience of at least ten years in dealing with problems relating to economics, law, commerce, accountancy, industry, public affairs or administration:

Provided that not more than fifty per cent of the members shall be from amongst the persons having judicial background.". (28)

Page 25, *after* line 29,-

insert 'Explanation. – For the purposes of this clause, the expression "persons having judicial background" shall mean persons having knowledge and experience for at least a period of ten years as a presiding officer at the district level court or any tribunal at equivalent level:

Provided further that a person shall be disqualified for appointment, if he –

(a) has been convicted and sentenced to imprisonment for an offence which, in the opinion of the Central Government, involves moral turpitude; or

(b) is an undischarged insolvent; or

(c) is of unsound mind and stands so declared by a competent court; or

(d) has been removed or dismissed from the service of the Government or a body corporate owned or controlled by the Government; or

(e) has, in the opinion of the Central Government, such financial or other interest as is likely to affect prejudicially the discharge by him of his functions as a member, or

(f) has such disqualifications as may be prescribed.'. (29)

माननीय अध्यक्ष : अब मैं डॉ. शशि थरूर द्वारा खंड 54 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 28 और 29 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूँ।

संशोधन मतदान के लिए रखे गए और अस्वीकृत हुए।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

"कि खंड 54 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 54 विधेयक में जोड़ दिया गया।

(1505/CS/PS)

खण्ड 55

माननीय अध्यक्ष : डॉ. शशि थरूर, क्या आप संशोधन प्रस्तुत करना चाहते हैं?

DR. SHASHI THAROOR (THIRUVANANTHAPURAM): One day if the Government would also listen to common-sense suggestions, the exercise would be more useful.

I am not moving.

माननीय अध्यक्ष : श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन, क्या आप संशोधन प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): I am not moving.

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है:

"कि खण्ड 55 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 55 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 56 से 99 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खण्ड 100

माननीय अध्यक्ष : डॉ. शशि थरूर, क्या आप संशोधन प्रस्तुत करना चाहते हैं?

DR. SHASHI THAROOR (THIRUVANANTHAPURAM): I am not moving.

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है:

"कि खण्ड 100 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 100 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 101 से 107 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

श्री रामविलास पासवान : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ:

"कि विधेयक को पारित किया जाए।"

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री रामविलास पासवान : आप सभी लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद।

मजदूरी संहिता

1508 बजे

माननीय अध्यक्ष : आइटम नम्बर 7 - मजदूरी संहिता, 2019.

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ:

> "कि मजदूरी और बोनस संबंधी विधियों का संशोधन और समेकन करने तथा उससे संसक्त या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

माननीय अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, क्या आप कुछ विषय रखना चाहेंगे?

श्री संतोष कुमार गंगवार : महोदय, मैं इस संदर्भ में कुछ बोलना चाहता हूँ।

महोदय, अभी 17वीं लोक सभा में पहली बार सांसदों के साथ संवाद में आदरणीय प्रधान मंत्री जी ने गरीब और गरीबी से लड़ने वाले अनेक आदर्शों को हमारे समक्ष रखा था। इन्हीं आदर्शों की सोच को साकार करने वाला यह मजदूरी संहिता बिल मैं सदन में पेश करना चाहता हूँ। वर्तमान श्रम कानून बहुत पुराने समय के हैं, इनमें से 17 श्रम कानून तो 50 वर्ष से अधिक पुराने हैं और कुछ कानून तो आजादी से पहले के हैं। बदलती हुई सामाजिक और आर्थिक परिस्थिति के अनुरूप इन श्रम कानूनों को तर्कसंगत, जवाबदेह एवं पारदर्शी बनाने के लिए आदरणीय अटल जी की सरकार ने द्वितीय राष्ट्रीय श्रम आयोग का गठन किया था। श्रम आयोग ने अपनी सिफारिशें वर्ष 2002-03 में सरकार को दे दीं थीं, लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि उसके बाद, सरकार के परिवर्तन के बाद अगले दस वर्षों तक इन सिफारिशों पर कोई ध्यान नहीं दिया गया।

(1510/RV/RC)

वर्ष 2014 में आदरणीय मोदी जी की सरकार बनने के बाद इन श्रम सुधारों को प्राथमिकता के आधार पर अपेक्षित कार्य करने के लिए लिया गया है। आज आप हम से यह कह सकते हैं कि हमारी सरकार को पाँच साल हो गए हैं और फिर भी इतनी देर क्यों लग रही है तो इस संदर्भ में मैं आपको बताना चाहूंगा कि श्रम मंत्रालय में कोई भी परिवर्तन करने के लिए सभी बड़े श्रमिक संगठनों, जिनकी संख्या 13 है, सभी नियोक्ताओं और सभी राज्य सरकारों के साथ इसके बारे में पहले चर्चा करनी पड़ती है। उसके बाद आम राय के पश्चात् ही हमारे लिए इसमें कोई परिवर्तन करना संभव हो पाता है।

अध्यक्ष जी, इस कोड को बनाने से पूर्व 10 मार्च, 2015 को पहली त्रिपक्षीय वार्ता हुई, जिसमें श्रम संगठन, नियोक्ता और राज्य सरकारें, तीनों पक्ष शामिल हुए थे। दूसरी त्रिपक्षीय वार्ता 13 अप्रैल, 2015 को हुई थी। इसके अतिरिक्त अनौपचारिक रूप से भी दिन-प्रतिदिन कोई न कोई शिष्टमंडल इस संदर्भ में मेरे पास आता रहा और उनसे मिलकर हम बातचीत करते रहे। लोगों ने जो सुझाव दिए, सरकार ने उन पर विचार किया।

महोदय, मैं यह भी बताना चाहता हूं कि सर्वप्रथम इस कोड-ऑन-वेजेज़ का एक ड्राफ्ट हमने 21 मार्च, 2015 से 20 अप्रैल, 2015 तक मंत्रालय की वेबसाइट पर पब्लिक डोमेन में भी

डाला था। उसमें आम जनता ने बढ़-चढ़ कर अपने सुझाव भी दिए थे और उन सुझावों को हम लोगों ने इस कोड में कंसिडर भी किया है।

अध्यक्ष जी, इन सब चर्चाओं के बाद कोड-ऑन-वेजेज़ को सोलहवीं लोक सभा में 10 अगस्त, 2017 को तत्कालीन श्रम मंत्री श्री बंडारू दत्तात्रेय जी ने पेश किया था। तत्पश्चात् श्री किरीट सोमैया जी की अध्यक्षता वाली स्टैण्डिंग कमेटी ने अपनी एक विस्तृत रिपोर्ट 18 दिसम्बर, 2018 को दी थी। इसलिए, अब यह बिल सत्रहवीं लोक सभा में पेश किया जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय, कोड-ऑन-वेजेज़ पर स्टैण्डिंग कमेटी ने 24 अनुशंसाएं की थीं। उनमें से 17 अनुशंसाओं को सरकार ने मान लिया। मैं आपके माध्यम से स्टैण्डिंग कमेटी के सभी माननीय सदस्यों को धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने इस कोड-ऑन-वेजेज़ में महत्वपूर्ण सुझाव दिए।

महोदय, हम सभी जानते हैं कि श्रम मंत्रालय 32 केन्द्रीय श्रम कानूनों को चार कोड्स में समाहित कर रहा है। इसी दिशा में, कोड-ऑन-वेजेज़ है, जिसके अन्तर्गत वेजेज़ से संबंधित चारों एक्ट्स समाहित हो रहे हैं। इनमें पहला, पेमेन्ट ऑफ वेजेज़ एक्ट, जो वर्ष 1936 का है, आज़ादी से भी ग्यारह साल पहले का है। दूसरा, मिनिमम वेजेज़ एक्ट, 1948 है, जो लगभग 71 वर्ष पुराना है। तीसरा, पेमेन्ट ऑफ बोनस एक्ट, 1965 है और चौथा, इक्वुअल रिम्युनरेशन एक्ट, 1976 है। इस संदर्भ में मैं आपको बताना चाहूंगा कि वास्तव में कोड-ऑन-वेजेज़ के द्वारा हमारे देश में संगठित और असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए हम लोग एक बहुत बड़ा काम करने जा रहे हैं। अभी करीब 50 करोड़ हमारे मजदूर भाई-बहन हैं। हमारी सरकार इन सबके लिए न्यूनतम मजदूरी का कानूनी अधिकार देने का काम कर रही है, जो ऐतिहासिक है और आज़ादी के बाद पहली बार हम लोग मिल कर यह कदम उठा रहे हैं।

आदरणीय अध्यक्ष जी, वर्तमान में यह न्यूनतम मजदूरी केन्द्र में 45 और राज्यों में कुल 1709 प्रकार के शेड्युल्ड इम्प्लॉयमेंट्स में ही उपलब्ध है। इस कानून के बनने के बाद सभी मजदूर भाई-बहनों को न्यूनतम मजदूरी का कानूनी अधिकार मिल जाएगा। समाज के सभी वर्गों को, जो अब तक न्यूनतम मजदूरी की परिधि से बाहर थे, विशेषकर असंगठित क्षेत्र के लोगों को, चाहे वे एग्रीकल्चर वर्कर हों, चाहे वे ठेला चलाने वाले हों, सिर पर बोझा ढोने वाले हों, घरों में सफाई और पुताई का काम करने वाले हों, ढाबों में काम करने वाले हों, घरों में काम करने वाली माताएं-बहने हों या गली-मुहल्लों व विभिन्न प्रतिष्ठानों की रखवाली करने वाले चौकीदार हों, समस्त कार्य बल को इस कानून के बनने के बाद न्यूनतम मजदूरी का अधिकार मिल जाएगा।...(व्यवधान)

प्रो. सौगत राय (दमदम): यह किस एक्ट में है कि ये सब लोग उसके अन्डर होंगे?

श्री संतोष कुमार गंगवार: सर, मैं बस पाँच मिनट का समय लूंगा। मुझे बोल लेने दीजिए। इसके बाद आपकी बात सुनेंगे।...(व्यवधान) आपकी बात बिल्कुल सही है।...(व्यवधान)

अध्यक्ष जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आई.एल.ओ. ने वर्ष 2011 और 2012 में एक स्टडी की थी। इसके अनुसार भारत में 32 प्रतिशत श्रमिक ही न्यूनतम मजदूरी के दायरे में आते थे। अगर हम यह भी मान लें कि सात-आठ सालों में इसमें अतिरिक्त श्रमिक आकर इनकी संख्या बढ़ गई है तो यह संख्या 40 प्रतिशत ही हो रही है। मैं इतना कह सकता हूं कि आज लगभग 40

प्रतिशत श्रमिक ही न्यूनतम मजदूरी का लाभ ले रहे हैं तो इस कोड को कानूनी मान्यता मिलने के बाद बचे हुए 60 प्रतिशत, जिनकी संख्या कम से कम 30 करोड़ है, उन श्रमिकों को भी न्यूनतम मजदूरी का कानूनी अधिकार प्राप्त हो जाएगा। इसी कारण यह एक ऐतिहासिक कदम हमारी सरकार उठाने जा रही है।

महोदय, इस कोड में दूसरी मुख्य बात, जो हम लेकर आ रहे हैं कि अक्सर यह देखा गया है कि कई मामलों में लोगों को उनका वेतन या मेहनताना महीने के अन्त में नहीं मिलता है। कभी-कभी तो इसमें दो-दो, तीन-तीन महीने लग जाते हैं और उस श्रमिक या मजदूर को उसका मेहनताना नहीं मिलता है। अब उसके परिवार के सामने कितनी समस्याएं होंगी, हम इसका अंदाजा लगा सकते हैं।

(1515/MY/SNB)

अध्यक्ष जी, सभी को न्यूनतम मजदूरी मिले और समय पर न्यूनतम मजदूरी मिले, यह हमारी सरकार की जिम्मेदारी है और इस कोड में हम यह सुनिश्चित कर रहे हैं। मासिक वेतन वालों को अगले महीने की 7 तारीख तक, साप्ताहिक आधार पर काम करने वालों को सप्ताह के अंतिम दिन तथा दिहाड़ी पर काम करने वाले मजदूर भाई-बहन को उसी दिन मजदूरी मिले, इसका प्रावधान इस कोड में किया जा रहा है। चाहे दैनिक मजदूर हो, साप्ताहिक मजदूर हो या मासिक मजदूर हो, समस्त कार्यबल को समय पर वेतन मिले, उसके लिए हम इस कोड के माध्यम से मजदूरी सुनिश्चित करने का काम कर रहे हैं।

तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपके सामने लाना चाहता हूं कि कितनी न्यूनतम मजदूरी तय की जाएगी। अध्यक्ष जी, हम सब जानते हैं कि आज की स्थिति में केन्द्र एवं राज्य सरकारें अपने-अपने परिक्षेत्र में न्यूनतम मजदूरी की दरें तय करती हैं। वर्ष 2017 में केन्द्र सरकार ने केन्द्रीय परिक्षेत्र में, जिसके अंतर्गत रेल, पोर्ट, माइन्स, ऑयल सेक्टर, बैंकिंग, इंश्योरेंस आदि समस्त पीएसयूज़ आती हैं। न्यूनतम मजदूरी के मामले में हमारी सरकार ने 42 परसेंट की ऐतिहासिक वृद्धि की थी और यह वास्तव में एक ऐतिहासिक कदम था। वर्ष 2017 से पहले और वर्ष 2017 की न्यूनतम मजदूरी की दरों का मैं थोड़ा-सा उल्लेख करना चाहूंगा। केन्द्र सरकार अकुशल श्रेणी में वर्ष 2017 से पहले 237 रुपये प्रति देती देती थी, जो वर्ष 2017 के बाद 333 रुपये हो गए। अति कुशल को 312 रुपये देती थी और वर्ष 2017 के बाद वह 438 रुपये हो गया। गैर कृषि, यानी कंस्ट्रक्शन क्षेत्र में अकुशल श्रेणी में 374 रुपये मिलते थे और वर्ष 2017 के बाद 523 रुपये हो गया। अति कुशल श्रेणी में 495 रुपये मिलता था और वर्ष 2017 के बाद हम 693 रुपये दे रहे हैं। हमारी सरकार ने वास्तव में एक ऐतिहासिक फैसला लिया था।

राज्यों को अपने परिक्षेत्र में न्यूनतम मजदूरी तय करने का अधिकार रहता है, परंतु कई राज्यों ने शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट में भी काफी कम न्यूनतम मजदूरी तय की हुई हैं। मैं उनके मजदूरी की दरों का उल्लेख नहीं करना चाहता हूं, बल्कि मैं इतना ही कह सकता हूं कि कुछ राज्यों ने 69 रुपये प्रतिदिन मजदूरी दी हैं और कुछ राज्यों ने 115 रुपये प्रतिदिन मजदूरी दी हैं। मैं उन राज्यों

का नाम लेना उचित नहीं समझता हूं, परंतु वास्तव में अब इस विसंगति को दूर करने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं।

इस कोड के अंतर्गत एक फ्लोर वेज तय किया जाएगा। यह फ्लोर वेज एक त्रिपक्षीय संस्था द्वारा तय किया जाएगा, जिसके अंतर्गत ट्रेड यूनियन्स, नियोक्ता और राज्यों के संयुक्त परामर्श के बाद निर्णय लिया जाएगा और इसको निर्धारित किया जाएगा। इस कोड के आने के बाद त्रिपक्षीय संस्था ही फ्लोर वेज की संस्तुति करेगी और केन्द्र सरकार नोटिफाई करेगी। फ्लोर वेज में न्यूनतम मजदूरी से कम मजदूरी किसी मजदूर भाई-बहन को किसी राज्य में नहीं दी जाएगी।

मैं इस विषय में सदन में एक बार फिर से कहना चाहता हूं कि इस कोड द्वारा न्यूनतम मजदूरी का कानूनी अधिकार और फ्लोर वेज का प्रावधान किया जा रहा है। मैं दो-तीन मिनट में ही अपनी बात समाप्त करूंगा। अभी हम न्यूनतम मजदूरी और फ्लोर वेज की कोई भी दर इसमें फिक्स नहीं कर रहे हैं। जब हम लोग इस बारे में मीटिंग करेंगे, तो उसके बाद तय करेंगे। इस विषय में मैं सदन को एक बार फिर से स्पष्ट करना चाह रहा हूं कि यह दर एक त्रिपक्षीय संस्था द्वारा तय की जाएगी, जिसमें ट्रेड यूनियन, एम्प्लॉयर और राज्य सरकारों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। भविष्य में न्यूनतम मजदूरी की दर क्या होगी? इस कोड के लागू होने के बाद इस व्यवस्था द्वारा तय की जाएगी। उसी प्रकार से मजदूरी का फ्लोर वेज जैसे 100, 150 या 176 रुपये होगी। सभी माननीय सदस्यों से मेरा आग्रह है कि आप सभी लोग अपने सुझाव दें। वास्तव में यह एक ऐतिहासिक फैसला है। हमारे कुछ साथी हमसे हमेशा मिलकर इस बारे में बताते रहे हैं। मैं चाहूंगा कि इस संदर्भ में अगर कोई और सुझाव है, तो आप उसे हमें दें। आगे हम उस संदर्भ में विचार करेंगे।

(इति)

माननीय अध्यक्ष: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

> "कि मजदूरी और बोनस संबंधी विधियों का संशोधन और समेकन करने तथा उससे संसक्त या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

1519 hours

SHRI KODIKUNNIL SURESH (MAVELIKKARA): Sir, thank you for giving me this opportunity to take part in the discussion on this Wages Code Bill, 2019.

1519 hours (Shrimati Meenakshi Lekhi *in the Chair*)

Madam, as I rise to elucidate my views and observations on the Wages Code Bill, 2019, I am certain of one aspect that looms large over the very existence of this Bill. There was no special circumstance or contingency to codify and amalgamate the existing labour laws. Apart from the hurry shown to bring this Bill, there has not been any discussion or consultation with different stakeholders concerned with this legislation, including trade unions and other representatives.

(1520/RU/CP)

It shows an indifferent attitude and lack of democratic spirit of this Government.

The hurried promulgation on the other hand exposes one factor that the Bill is designed to benefit the corporates. The vast labour and trade unions of the country have rejected the content and exposed the intent of the Bill and the trade unions are on a path of protest and agitation against the anti-labour approach of this Government.

While talking about the trade unions, I must mention about the BMS. *… (Not recorded)* trade union is the BMS. Of course, what is the stand of the BJP Government about the Wage Code Bill and other labour reforms brought by this Government in Parliament? From the beginning, *… (Not recorded)* Trade Union, the BMS, strongly opposed it. They also joined the trade unions protest throughout the country. They also joined the *Bharat Bandh*. They also joined the nation-wide strike. Now, other trade unions are all united but the BMS has gone in their own way because of the compulsion of the Government, the compulsion of the BJP leadership and the compulsion of the RSS Sangh Parivar at the back. So, the BMS has come out from the joint protest.

What I am trying to say is that your trade union is also not supporting the Wage Code. The BMS leaders are also strongly opposing this Bill. All other trade unions stand united against this Wage Code. They called for *Bharat Bandh*. Even then, the Government is very much adamant to bring this Wage Code and other labour reforms.

All labour laws were promulgated by the Congress in this country. Our only aim is to protect the welfare and interests of the labourers and working class. Since 1947, from the era of Nehru ji to Dr. Manmohan Singh, no labour legislation was enacted that excluded the working class and labourers. The then Governments stood with the largest work force which built India brick by brick.

While speaking on the legislation for the poor, can the BJP show a single legislation that aims to protect the poor and the working class? Can they show a single piece of legislation that took away the burden of the labourers? No, they cannot show it. Whereas the Congress Governments promulgated the ESI Act, the PF Act, the Bonus Act, the Minimum Wages Act, etc. I am not mentioning other labour laws. Each of these legislations were stepping stones for the working class and enabled it to take another step towards prosperity, decent remunerations and benefits for them.

Now you are going to destroy the ESI. You are even objecting or opposing the PF pension. My friend introduced a Private Members Bill. You gave an assurance in this House but what have you done outside in the Supreme Court? You vehemently objected to the enhancement of the PF pension. This is your attitude against the poor workers.

(1525/NKL/NK)

The UPA Government enacted several landmark legislations that can be defined as Magna Carta-like declarations emancipating the poor including the Act for manual scavengers, Act for welfare of unorganised sector, and above all, the MGNREGA in which the spirit of Gandhian ethos of reaching out to the last man standing and granting him his right to earn and life was promulgated.

I must thank the stellar efforts undertaken by the hon. UPA Chairperson, Madam Sonia Gandhi*ji* in standing for the poor of this country, and endorsing MGNREGA that gave hope and help to many a family which were on the brink of poverty. Now, what are you going to do in MGNREGA? Your Government has declared a war against MGNREGA. After the Budget was presented in this House, I went to my constituency. Thousands of MGNREGA workers came to meet me. In my Constituency, in rural area, many MGNREGA workers work there. I met the poor women workers. They were very much afraid because of a rumour that you are going to stop MGNREGA, you are going to reduce the

wages, and you are going to reduce the working days. This is the situation arising in our country as far as MGNREGA is concerned.

So, your Government, the Modi Government has declared a war against MGNREGA by cutting down allocations, stoppage of wages, and non-allocation of work days. Then, you say that this Government is pro-poor, this Government is pro-workers, and this Government is pro-people. How can you prove that? I have seen your attitude towards MGNREGA.

Madam Chairperson, I must say, the Government hates to see the poor prosper, and wishes well for the rich and powerful. By promulgating the code of wages, the Modi Government has decided to sow the seeds of unrest and frustration among the working class which will in turn consume the entire industrial sector, and that will drown this Government's plans with it.

The blatant support for the corporate is an indicator of the days to come where poor will be side-lined, and every single labourer will stand to lose his rights, his wages, his emoluments, and even rights to protest against discrimination in this code of oppression.

Madam Chairperson, such a situation, I must warn the House, will vitiate the investment atmosphere and disturb the harmonious existence of the working class and the employers in the country. In such a stage, the trade unions are on the war path. If you want to modify the existing labour laws, you can modify them with consultation of the trade unions and tripartite discussions. You had a discussion with the trade unions but it was an eye-wash. After that, you went your own way. You can say that the Government had discussion with the trade unions. Of course, it might be. But no conclusion was arrived at with the leaders of the trade unions, and during tripartite discussions. You are bringing this Bill without any conclusion.

(1530/KKD/MK)

How would the trade unions agree with this Code on Wages? That is why, they are aggressively going in for an agitation against this piece of legislation. Our industrial sector is not peaceful today because the workers are unitedly against this act of the Government.

The Code on Wages, 2019 amalgamates four labour laws relating to wages and bonus, namely, Payment of Wages Act, 1936; Minimum Wages Act, 1948; Payment of Bonus Act, 1965; and Equal Remuneration Act, 1976

into a single Code, and provides for a National Minimum Wages for all workers.

While this might appear to be a grand decision, in fact and in reality, it is what you call 'to pull the wool over someone's eyes' and conceals one's vision away from the truth.

But the truth is that the country has witnessed the largest ever unemployment rate at a historical high of 46 per cent. The truth is that a hastily cooked up GST and demonetisation have broken the back of the small and medium scale entrepreneurs, of the farmers and of traditional businesses to a point of no recovery. The truth is that the opportunities in every other sector where people are employed starting from manufacturing to sales and services, are getting dried up. Frustrated and disappointed people are ending their lives as they are unable to cope up with the loss of jobs.

It is against this context that the Code on Wages, 2019 must be read and studied.

Madam Chairperson, I would like to point out certain areas of concern as it affects the welfare of the labourers. The hon. Minister is very much aware that the Code on Wages has denied the agreed formula of wage calculation as per the 15th Indian Labour Conference, and add on 25 per cent as directed by the Supreme Court Judgment in *M/s.Raptakos Case,* and which was repeatedly and unanimously accepted by the 45th and 46th Indian Labour Conferences.

The recommendation of the Supreme Court was ignored by the Expert Committee appointed by the Central Government, which excluded any participation from the trade unions; and the Labour Minister on 10th July, 2019 unilaterally announced the National Minimum Wage as Rs. 4,628 per month whereas the 7th Central Pay Commission recommended Rs. 18,000 per month as the Minimum Wages with effect from 1st January, 2016.

Madam, clause 9(1) of the Bill says:

> "The Central Government shall fix floor wage taking into account minimum living standards of a worker in such manner as may be prescribed:
>
> Provided that different floor wage may be fixed for different geographical areas. "

This point is very important. While speaking about a National Minimum Wage, instead of providing for a uniform National Minimum Wage for the entire country, the provisioning of different National Minimum Wages to be fixed for different States, is an attempt at hoodwinking the working class.

Madam, I am raising a very important point here. They have totally rejected the recommendations of their own Expert Committee – the Anoop Satpathy Committee -- on determining the methodology for fixing the National Minimum Wages.

(1535/RP/YSH)

It sets the single value of national minimum wage for India at Rs. 375 per day or Rs. 9,750 per month as of July, 2018 irrespective of sectors, skills, occupations and rural and urban locations along with an additional house rent allowance (city compensatory allowance), averaging up to Rs. 55 per day that is Rs. 1,430 per month for urban workers over and above the national minimum wage.

The hon. Minister for Labour, Shri Santosh Gangwar ji, had mentioned the preface of the Report in his letter that it will also be helpful for the National Advisory Board.

HON. CHAIRPERSON (SHRIMATI MEENAKASHI LEKHI): Suresh ji, your Party's time was 23 minutes. You have another Member to speak. So, I am just informing you.

SHRI KODIKUNNIL SURESH (MAVELIKKARA): Madam, I am a former Labour Minister also.

HON. CHAIRPERSON: Please conclude.

SHRI KODIKUNNIL SURESH (MAVELIKKARA): I am concluding. I am only mentioning some points.

The hon. Minister is also very much aware of this. He mentioned the preface of the Report in his letter that it will also be helpful for the National Advisory Board on Minimum Wages to take some firm decisions for the benefit of wage earners in the country, especially, workers in the unorganised sector. So, the Bill is against this decision. Hon. Minister, you have announced one decision and you are bringing another.

As one can observe, the Report had been a perfect excuse to divert the attention of the stakeholders while the Government silently went ahead with its plot to set a different agenda that upsets the welfare of the labourers.

Therefore, this Bill is anti-labour. This Bill is totally against the working class. You should understand the feeling of the working class of this country. All the trade unions are being ignored. Again, you have to go back to the trade unions. You should call them and take their opinion. There should be a tripartite discussion. You have to accept their suggestions and views. Then only, you can implement this Wage Code Bill easily.

With these words, I conclude.

(ends)

1538 hours

डॉ. वीरेन्द्र कुमार (टीकमगढ़): सभापति महोदया, आपका धन्यवाद कि आपने मुझे मजदूरी संहिता 2019 पर बोलने का मौका दिया। मैं आदरणीय प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं साथ ही श्रम मंत्री संतोष गंगवार जी का भी आभार व्यक्त करना चाहता हूं। सभापति महोदया, हम जानते हैं कि यह विधेयक पिछली लोक सभा में आया था और श्रम संबंधी स्थायी समिति को भेजा गया था। श्रम संबंधी स्थायी समिति में इस पर काफी विचार विमर्श हुआ था और उन्होंने अपनी रिपोर्ट सदन में प्रस्तुत की थी। लोक सभा में उस पर चर्चा भी हुई और विधेयक पारित भी हो गया था, लेकिन लोक सभा का कार्यकाल समाप्त होने के बाद यह बिल दोबारा हमारे सामने आया है। इस बार इस विधेयक में पिछले विधेयक की तुलना में अंतर है। इस बार जो विधेयक आया है, उसमें श्रम संबंधी स्थायी समिति के द्वारा जो सुझाव दिए गए थे उन 24 सुझावों में से 17 सुझावों को इसमें शामिल किया गया है। इसके लिए मैं श्रम मंत्री महोदय का धन्यवाद करना चाहता हूं और इसलिए भी उनका धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि वे एक लो प्रोफाइल परिवार से आते हैं, वे मजदूरों की और कामगारों की समस्या को बहुत अच्छे ढंग से समझते हैं।

(1540/RPS/RCP)

सभापति महोदया, श्रम संबंधी कानूनों में सुधार लाने की मांग बहुत लम्बे समय से चली आ रही है, जिसको हमारी सरकार ने आगे बढ़ाने का काम किया है। इसी श्रृंखला में जो चार महत्वपूर्ण विधियां हैं – न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948, मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936, बोनस संदाय अधिनियम, 1965 और समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976, सभी के प्रावधानों एवं व्यवस्थाओं को एकीकृत करके, नए सुधारों के साथ इस मजदूरी संहिता का निर्माण हुआ है। श्रम क्षेत्र में यह संहिता एक नई क्रान्ति लाएगी, जिसका लाभ श्रमिकों और नियोक्ताओं, दोनों को मिलेगा। यह महत्वपूर्ण विधेयक रोजगार के संगठित और असंगठित, दोनों क्षेत्रों को शामिल करेगा और सभी क्षेत्रों के रोजगारों-कामगारों पर न्यूनतम मजदूरी को लागू करने का काम करेगा।

भारत में अभी तक जो श्रम संबंधी कानून थे, उनमें केवल संगठित क्षेत्र के लिए प्रावधान थे। असंगठित क्षेत्र में जो श्रमिक काम कर रहे थे, उनके लिए या तो व्यवस्थाएं नहीं थीं या बहुत कम व्यवस्थाएं थीं। यह संहिता लगभग 50 करोड़ श्रमिकों के जीवन में सामाजिक-आर्थिक क्रान्ति का साधन सिद्ध होगी। असंगठित क्षेत्र बहुत सारी विसंगतियों से भरा हुआ है, उनका बहुत ज्यादा शोषण होता है। इन्हीं सब कमियों को दूर करने के लिए देश के प्रधान मंत्री आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी द्वारा 'सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास' की परिकल्पना को मूर्त रूप प्रदान करने के लिए यह प्रयास किया जा रहा है। यह प्रयास स्वागत-योग्य कदम है, अत्यंत सराहनीय और अभिनंदन-योग्य कदम है। यह ऐसा प्रयास है, जिससे संगठित और असंगठित, दोनों क्षेत्रों में काम करने वाले श्रमिकों की आर्थिक-सामाजिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त होगा और यह संहिता श्रमिकों को संगठित और असंगठित के विभाजन में न बांटते हुए, मात्र श्रमिकों की आर्थिक-सामाजिक

उन्नति का मूल मार्ग बनेगी। इस संहिता में जो परिभाषाएं हैं, वे अपने विषय को और स्पष्ट करती हैं, जिससे उनकी व्याख्याओं में सुगमता आ जाती है।

सभापति महोदया, मैं कहना चाहता हूं कि हम देश की गगनचुम्बी इमारतों को देखते हैं, चमचमाती सड़कों को देखते हैं, लेकिन ये गगनचुम्बी इमारतें बनाने का काम कौन करता है? मजदूर इस काम को करते हैं। सड़कों को चमचमाने का काम कौन करता है? मजदूर इस काम को करते हैं। दिल्ली में सिविक सेंटर, हिन्दुस्तान टाइम्स बिल्डिंग, स्टेट्समैन हाउस, पालिका केन्द्र, मुंबई का वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, इम्पीरियल टावर आदि बड़ी-बड़ी बिल्डिंग्स हमें नजर आती हैं, लेकिन इन बिल्डिंग्स को बनाने में मजदूर का जो परिश्रम लगता है, वह परिश्रम हमें नजर नहीं आता है। उस परिश्रम को पहचान कर, उसे सही मजदूरी मिले, न्यूनतम मजदूरी के रूप में उसका जो हिस्सा है, उसका वह हिस्सा उसे मिले, इस काम को करने का काम अगर किसी ने किया है तो देश के प्रधान मंत्री आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी ने किया है। प्रयागराज का कुम्भ हमारे सामने है, प्रयागराज के कुम्भ में हमने देखा कि पूरे देश से करोड़ों की संख्या में धर्मालुजन वहां पर गए, प्रवासी भारतीय भी वहां बड़ी संख्या में आए, बहुत बड़ी संख्या में विदेशी लोग भी वहां आए, लेकिन प्रयागराज के कुम्भ में उस परिसर को पूरी तरह से साफ-स्वच्छ रखने का काम हमारे सफाई कर्मचारी भाइयों ने किया। ऐसे सफाई कर्मचारी भाइयों का सम्मान देश के प्रधान मंत्री आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी ने उनके पैर धोकर के, सबका सम्मान करने का काम किया है। यह आज़ाद हिन्दुस्तान के इतिहास में पहली बार किसी प्रधान मंत्री द्वारा मजदूरों को सम्मानित करने का कदम उठाया गया है।

सभापति महोदया, हमने प्रयागराज में 'सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास' देखा। मैं एक घटना का उल्लेख करना चाहता हूं। मैंने अपने क्षेत्र में एक बार, जो कामकाजी बहनें होती हैं, जो घरों में झाड़ू-पोंछा करने जाती हैं, बर्तन मांजने के लिए जाती हैं, कपड़े धोने के लिए जाती हैं, ऐसी बहनों की कठिनाइयों और परेशानियों को जानने के लिए को मैंने बड़ी संख्या में एकत्रित किया। वहां पर बड़ी संख्या में बहनें आईं। वहां पर एक बहन आई, उसने अपनी पीड़ा बताई। वह बहन दो घरों में काम करने के लिए जाती थी। उसका पति एक ठेकेदार के अधीन मजदूर के रूप में काम करता था, सड़क बनाने का काम चल रहा था। वह मजदूर बेचारा पिघले हुए तारकोल से भरी बाल्टी लेकर जा रहा था, उसके पैर में ठोकर लगी और वह बाल्टी उसके पैर पर गिर पड़ी। उससे उसकी खाल पूरी तरह झुलस गई। अब वह बहन, जो दो घरों में काम कर रही थी, उसके सामने दोहरी समस्या आ गई। एक ओर अपने बच्चों का पेट पालना है, दूसरी ओर पति बीमार हो गया, घायल हो गया, उसका इलाज कराना है। ठेकेदार ने कुछ दिनों तक उसे भर्ती कराया, फिर हाथ खड़े कर लिये। अब वह जो बहन दो घरों में काम करती थी, उसको दो अन्य घरों में काम करने के लिए जाना पड़ा। उसे दो घरों में काम तो मिला, लेकिन उसे कम मजदूरी पर काम करने के लिए बाध्य होना पड़ा।

(1545/RAJ/SMN)

हमारी बहनों का इस तरह से शोषण होता है और हमारे मजदूर भाइयों का शोषण होता है। उनको न्यूनतम मजदूरी मिलनी चाहिए। यह पहल श्रम मंत्री जी द्वारा इस संहिता के माध्यम से की गई है, यह एक बहुत बड़ा स्वागत योग्य कदम है।

सभापति महोदया, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की भावना के साथ, हमारी सरकार समाज के विभिन्न वर्गों के कल्याण के लिए प्रयास कर रही है। समय-समय पर हम स्त्री-पुरुष की समानता की बात करते हैं और हम लिंग के आधार पर भेदभाव का विरोध भी करते हैं, लेकिन हमें इसमें सामाजिक जीवन में कई विसंगतियां देखने को मिलती हैं। श्रम संबंधी स्थायी समिति में, मैंने कई स्थानों पर जाकर देखा है और वहां पर हमने मजदूरी के बारे में जानने का प्रयास किया है। हम ने देखा है कि लिंग के आधार पर बहुत सारी असमानताएं कई स्थानों पर हैं। चाहे वह मजदूरी, पारिश्रमिक या आईटी सेक्टर की बात हो, हर जगह असमानता है। हमारे बहुत सारे साथियों के क्षेत्रों में चाय बागान हैं। हम ने देखा है कि वहां पर बड़ी संख्या में हमारी बहनें काम करती हैं। मैंने चाय बागानों में जा कर देखा है कि बहनों को पारिश्रमिक देने में भेदभाव किया जाता है। उनको समान मजदूरी नहीं दी जाती है। मैंने असम में देखा है कि उनको मजदूरी में कुछ स्थानों पर चावल दिए जाते हैं और चावल के पैसे उनकी मजदूरी से काटे जाते हैं। इस तरह से उनका शोषण होता है, लेकिन मैं असम की सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं कि असम की सरकार, हमारी सरकार ने उनके लिए पहल की है। असम की सरकार द्वारा एक व्यक्ति को पांच किलोग्राम चावल देने की शुरुआत की गई है। यह एक सराहनीय कदम है, लेकिन उनकी मजदूरी से चावल और आटे का पैसा काटा जाता है, यह उनका शोषण है। इस शोषण को रोकने के लिए, जिन राज्यों में चाय बगान हैं, उन चाय बगानों में जो मजदूर हैं, जहां पर मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी का भुगतान नहीं हो रहा है, मैं आदरणीय श्रम मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि इस तरह की अनियमितता करने वाले, मालिक, नियोक्ता या ठेकेदार के प्रति कदम उठाए जाने चाहिए। जब हम सबका साथ, सबका विकास की बात करते हैं तो हमारे देश की जो आधी आबादी है, उनको पूरा मेहनताना मिले, इसकी पहल होनी चाहिए। ईंट भट्टा पर एक मजदूर काम करता था। वह अपनी मजदूरी मांगने के लिए गया। वहां पर उससे कहा गया कि तुम कल आना, कल तुम्हारा भुगतान कर दिया जाएगा। जब वह वहां पर दूसरे दिन गया तो ईंट भट्टे के मालिक ने अपने साथियों के साथ मिल कर उसके साथ बुरी तरह से मार-पीट की। इसके कारण वह व्यक्ति खत्म हो गया। उसकी पत्नी छोटे बच्चे को लेकर मेरे पास आई और अपने बच्चे को मेरे सामने रख दिया। मेरी आत्मा अंदर तक कांप गई कि इस बहन को कैसे न्याय दिलाया जाए? पहले वह थाने में गई थी, लेकिन थाने में उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी जा रही थी। मैं उस बहन को साथ लेकर गया, उसकी रिपोर्ट लिखवाई और उसकी मदद की। उस मजदूर का कसूर था कि वह अपना हक मांगने गया था। जो उसने परिश्रम किया था, उस परिश्रम की कीमत मांगने गया था। इस तरह किसी भी मजदूर के साथ अन्याय न होने पाए। हमने चाय बागान की विसंगति को देखा है।

हमारे देश में बड़ी संख्या में बीड़ी मजदूर हैं। वे देश में एक-सा परिश्रम करते हैं, लेकिन असम में बीड़ी मजदूर की दर अलग है, कर्नाटक में यह अलग है, मध्य प्रदेश में यह अलग है, ओडिशा में यह अलग है और महाराष्ट्र में अलग है। जब एक ही तरह का काम है तो समान काम के लिए पूरे देश में एक समान मेहनताना क्यों नहीं मिलना चाहिए? वहां पर भी न्यूनतम मजदूरी देने का प्रावधान किया जाना चाहिए।

भवन निर्माण के क्षेत्र में जो मजदूर काम करते हैं, उनके साथ भी वहां पर भेदभाव किया जाता है। मैंने एक ठेकेदार से बात की। पुरुषों को जो मेहनताना दिया जाता था, उसकी तुलना में महिलाओं को कम पारिश्रमिक दिया जा रहा था। मैंने उस ठेकेदार से बात की कि महिलाओं को इतना कम वेतन क्यों दे रहे हो? उसने कहा कि महिलाओं की काम करने की शक्ति कम होती है, इसलिए उनको कम मेहनताना दिया जाता है। कई बार महिलाएं भी इस बात को मान लेती हैं कि हम पुरुषों की तुलना में कम काम कर पाते हैं। यह भेदभाव खत्म करने के लिए ही इसे लाया गया है। लिंग के आधार पर भेदभाव प्रतिबंध है, उस प्रतिबंध का प्रावधान विधेयक के खंड-तीन में किया गया है। यह एक स्वागत योग्य कदम है और इससे आने वाले समय में इस तरह की विसंगतियां, जो हमारी बहनों के साथ मजदूरी देने में भेदभाव किया जाता है, उस दिशा में बहुत अच्छा कदम है।
(1550/IND/MMN)

महोदया, इस विधेयक का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य न्यूनतम मजदूरी तय करना है। विधेयक का खंड-5 यह सुनिश्चित करेगा कि सरकार द्वारा अधिसूचित मजदूरी न्यूनतम दर से कम मजदूरी किसी राज्य में या संस्था में कर्मचारी को नहीं दी जाएगी। विधेयक के खंड-6 में न्यूनतम मजदूरी को नियत करने का जो उपबंध किया गया है, केन्द्रीय सरकार द्वारा विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों के लिए अधिसूचना द्वारा तय मजदूरी नियत की जाएगी। तय मजदूरी कामगार के जीवन यापन की जो न्यूनतम आवश्यकताएं हैं, उनके आधार पर नियत की जाएंगी और उसके बाद समुचित सरकार द्वारा तय की गई मजदूरी की न्यूनतम दरें तय मजदूरी से कम नहीं होंगी। यदि समुचित सरकार द्वारा पहले से तय की गई मजदूरी की न्यूनतम दरें तय मजदूरी से अधिक थीं, तो उन्हें कम नहीं किया जा सकेगा। न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करने और संशोधित करने की शक्ति और उनके आबंटन क्षेत्र के संबंध में राज्य सरकारों के पास जारी रहेंगी। वर्तमान में जो गैर सांविधिक मजदूरी 176 रुपये प्रतिदिन है, जो सभी राज्यों को परामर्शिका के रूप में जारी की गई है, न्यूनतम मजदूरी कालानुपाती काम, मात्रानुपाती काम के लिए और अवधि के घंटे या दिवस या मास द्वारा होगी। यह विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों के लिए निम्नतम मजदूरी का उपबंध करने के लिए, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि कोई राज्य सरकार, केन्द्र सरकार द्वारा उस क्षेत्र के लिए अधिसूचित निम्नतम मजदूरी से कम निम्नतम मजदूरी नियत न करे। अनुसूचित नियोजन को समाप्त करने पर न्यूनतम मजदूरियों की संख्या में भारी कमी आई है। इससे न्यूनतम मजदूरियों की वर्तमान संख्या पूरे देश में 2000 से काफी कम हो कर किसी राज्य में लगभग 10 रह जाएगी। 24 हजार रुपये प्रतिमाह की वेतन सीमा तक मजदूरी का समय पर भुगतान केवल अधिसूचित प्रतिष्ठानों पर लागू होने के बजाय सभी पर इसका विस्तार किया गया है। यह प्रावधान अत्यंत सराहनीय है और स्वागत योग्य है।

महोदया, विधेयक के खंड-9 में यह प्रावधान किया गया है कि केन्द्र सरकार निम्नतम मजदूरी नियत करने से पूर्व केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड की सलाह प्राप्त करेगी। यह बोर्ड न्यूनतम वेतन का निर्धारण व महिलाओं के रोजगार के अवसरों को बढ़ाने के पहलुओं पर संबंधित सरकारों को सलाह देगा। केंद्रीय सलाहकार बोर्ड के गठन में नियोक्ताओं का प्रतिनिधित्व, कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व, स्वतंत्र व्यक्ति व राज्य सरकार के पांच प्रतिनिधियों को मिलाकर किया जाएगा। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस बोर्ड में एक तिहाई महिला सदस्य होंगी। यह बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है और भारत के कार्य क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों की लगभग आधी आबादी यानी कि महिला श्रमिकों के सशक्तीकरण में मील का पत्थर साबित होगा। माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी का नारी सशक्तीकरण का उद्देश्य इस महत्वपूर्ण प्रावधान से पूर्ण होगा। ऐसा ही एक सलाहकार बोर्ड राज्य सरकारों द्वारा गठित किया जाएगा व जिसमें एक तिहाई सदस्य महिलाएं होंगी।

महोदय, विधेयक का खंड-14 ओवर टाइम के लिए मजदूरी का संदाय का उपबंध है, जिसमें सामान्य कार्य दिन को गठित करने वाले घंटों की संख्या से अधिक हैं तो ओवर टाइम की दर मजदूरी की सामान्य दर से दोगुने से कम नहीं होगी। यह बहुत ही स्वागत योग्य कदम है और इसके लिए माननीय श्रम मंत्री जी का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। अक्सर यह देखा गया है कि नियोक्ता खासकर ठेकेदार कामगारों से गठित घंटों से ज्यादा काम लेते हैं और उन्हें उसकी एवज में बहुत कम पारिश्रमिक दिया जाता है। कई जगह हमने पाया है कि ठेकेदार मजदूरों से ओवर टाइम तो कराते हैं, परन्तु उन्हें डरा-धमका कर उनका पारिश्रमिक नहीं देते हैं। जहां मजदूरों के द्वारा इसका विरोध किया जाता है, तो उन्हें काम से निकालने की धमकी दी जाती है और इसका परिणाम यह होता है कि बाकी सारे मजदूर भय के कारण कि उन्हें निकाल दिया जाएगा, इसलिए ज्यादा समय काम करते हैं। वे ठेकेदार से ओवर टाइम का पारिश्रमिक नहीं मांगते हैं। एक स्थान पर कांच से जुड़े व्यवसाय के मजदूरों से मिले। हमने देखा कि वहां मजदूर लगातार एक हजार डिग्री सेल्सियस से ऊपर के टेम्प्रेचर में भट्टी के सामने बैठे लगातार दस से बारह घंटे तक काम करते हैं, परन्तु उन्हें केवल एक दिन का ही पारिश्रमिक दिया जाता है। हम इनके घरों में भी गए, जहां चूड़ियों को रगने और जोड़ने का काम किया जाता है। हमने पाया कि वहां इन मजदूरों के छोटे-छोटे बच्चों से इस काम को कराते हैं और उनका पारिश्रमिक वयस्कों के मुकाबले एक चौथाई भी नहीं होता। ऐसा करके ठेकेदार बाल श्रम को बढ़ावा देता है और मजदूरी में भी भेदभाव करता है। इसलिए ऐसे स्थानों को चिह्नित करके उस स्थान पर कार्य करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध भी सख्त कदम उठाने की आवश्यकता है।

(1555/PC/VR)

सभापति महोदया, विधेयक के खंड 17 में प्रावधान किया गया है कि किसी भी श्रमिक को सेवा से हटाने के लिए, उसके द्वारा कंपनी छोड़ दी गई है या स्थापना बंद होने के कारण कर्मचारी को जो मज़दूरी दी जानी है, वह दो सप्ताह के भीतर दे दी जानी चाहिए और समुचित सरकार इस खंड में उपबंधित समय सीमा से अलग समय सीमा उपबंधित कर सकेगी, जो कि वास्तव में एक बहुत ही अच्छा कदम है।

माननीय सभापति महोदया, मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं कि वर्षों से बंद पड़ी जो जूट मिलें हैं, वहां के कर्मचारियों को अभी तक भुगतान नहीं किए गए हैं। एक तो कर्मचारी अपनी नौकरी जाने से व्यथित होता है, दूसरी तरफ उसे सालों चक्कर लगाने पड़ते हैं, लेकिन उसका भुगतान नहीं होता है। यह विधेयक इस बात को सुनिश्चित करेगा कि कर्मचारी का भुगतान हर स्थिति में दो सप्ताह के भीतर हो जाना चाहिए।

महोदया, खंड 18 में कर्मचारी की मज़दूरी से जो कटौतियां होती हैं, उन कटौतियों के संबंध में प्रबंध किया गया है। इससे कुछ निश्चित आधार पर ही यह कटौती की जा सकेगी, जैसे अगर कर्मचारी ड्यूटी से अनुपस्थित रहें या उसने एडवांस लिया है या नियोक्ता द्वारा उसे आवास उपलब्ध कराया गया है। किसी मज़दूरी अवधि में मज़दूर की कटौती की अधिकतम सीमा पचास प्रतिशत होगी। इस पचास प्रतिशत से ज्यादा कटौती नहीं हो सकेगी, लेकिन देखने में यह आता है कि नियोक्ता कर्मचारी के वेतन से कटौती करते हैं, पर उस कटौती को नियत खातों में जमा नहीं करते। कई जगह तो हमने यह भी पाया कि कर्मचारियों के वेतन से कटौती हुई, परंतु उनका खाता सरकारी निधि के लिए खुला ही नहीं और उनको आश्वासन दिया गया कि जहां वे कार्यमुक्त होंगे तो उनका सारा पैसा उन्हें मिल जाएगा। ऐसी धोखाधड़ी को रोकने में यह खंड मजदूरों के हितों का ध्यान रखेगा।

सभापति महोदया, खंड 21 नुकसान या हानि से कटौती के उपबंध के लिए है। कर्मचारी की उपेक्षा या अनदेखी की वजह से नियोक्ता से हुए नुकसान के परिपक्ष में कटौती तब तक नहीं की जा सकेगी, जब तक कर्मचारी को कटौती के विरुद्ध 'कारण बताओ नोटिस' जारी नहीं किया जाता है। हमने ऐसा कई जगह पाया जहां कर्मचारी को विभिन्न हानियां दिखाकर उनके वेतन से कटौती की गई। कई बार तो कर्मचारी को मालूम ही नहीं होता था कि किस गलती के कारण उसका वेतन काटा गया है। ऐसे में यह प्रावधान कर्मचारी को अपनी बात रखने का अवसर प्रदान करेगा। इस संहिता में एक और महत्वपूर्ण प्रावधान यह किया गया है कि पांच वर्ष से अधिक के अंतराल पर मजदूरी की न्यूनतम दरों का पुनर्विलोकन किया जाएगा। यह वास्तव में बहुत ही स्वागतयोग्य कदम है।

मजदूरों के दावे के संबंध में दावे की जो समय सीमा है, वह अलग-अलग थी, जिसे अब सभी मामलों में तीन साल किया जा रहा है। अर्थात, कोई भी मजदूर अपने दावों को तीन साल के अंदर दाखिल कर सकता है। जहां तक नियोक्ताओं का प्रश्न है, सभी प्रकार की परिभाषाओं और क्रिया-कलापों में एकरूपता लाई जा रही है। मैं सदन को बताना चाहता हूं कि वर्तमान में जो श्रम कानून है, उसमें 12 प्रकार की वेजेज़ की परिभाषा है, जिसमें काफी संदेह होता है। अत: सभी परिभाषाओं में एकरूपता लाई जा रही है। पैनल्टी को तर्कसंगत बनाया जा रहा है, कम्पाउंडिंग की व्यवस्था की जा रही है, रिटर्न को भी बहुत सरल किया जा रहा है, इंस्पैक्टर को पारदर्शी एवं जवाबदेह बनाया जा रहा है और भ्रष्टाचार की संभावनाओं को रोकने के लिए अधिकार क्षेत्र मुक्त जांच का प्रावधान किया जा रहा है। यह वास्तव में बहुत ही स्वागतयोग्य कदम है।

महोदया, विधेयक के खंड 43 में प्रिंसिपल एम्पलॉयर की परिभाषा है। अधिकांश स्थानों पर यह देखने में आता है कि नियोक्ता किसी कंपनी, फर्म या एसोसिएशन के ठेकेदार को बता देता है

कि सारी चीज़ों के लिए वह जिम्मेदार है, चाहे वह उसके लिए सुविधाएं हों, उसका वेतन हो या कोई दुर्घटना होने पर उसको सहायता देने का विषय हो। इस तरह वह अपने आप को इस जिम्मेदारी से बचाना चाहता है। अत: इस खंड में प्रिंसिपल एम्पलॉयर की परिभाषा का सरलीकरण किया गया है। यह भी वास्तव में बहुत स्वागतयोग्य कदम है। इससे अब ठेकेदार और नियोक्ता अपने आप को बचा नहीं पाएंगे और न ही मजदूरों के हितों का किसी तरह का अहित कर पाएंगे।

महोदया, विधेयक का खंड 51 निरीक्षक-सह सुकरकर्ताओं की नियुक्ति और उनकी शक्तियां उपबंधित करता है। अभी तक निरीक्षक या इंस्पैक्टर शब्द एक इंस्पैक्टर राज को इंगित करता था, जिससे कम पढ़े-लिखे या अनपढ़ मजदूरों में यह भ्रांति थी कि यह तो मैनेजमेंट का आदमी है, यह हमारी बात क्यों सुनेगा। अगर हम इसे उल्टा कर के देखें तो मैनेजमेंट को यह महसूस होता था कि यह तो हमें न जाने किस मुसीबत में डाल देगा। इस शब्द के साथ फैसिलिटेटर्स जोड़ने से स्वयं को एक शांतिप्रद अनुभूति होती है कि यह मजदूर और मैनेजमेंट के बीच में एक तालमेल बैठाएगा और मजदूरों के मन से इंस्पैक्टर शब्द के डर को भी हटाएगा।

महोदया, खंड 53 भी बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि भारत सरकार और राज्य सरकार के जो राजपत्रित अधिकारी हैं, उनको 50 हजार रुपये तक के जुर्माने से दंडनीय मामलों के निपटारे करने के लिए उपबंध करता है। यह खंड आज की न्यायपालिका पर बढ़ते हुए बोझ को कम करने के लिए एक सराहनीय कदम है। इसके साथ ही यह इस प्रक्रिया में लगने वाले लंबे समय से भी बचाएगा, जिससे बहुत ही कम समय में मजदूरों को राहत मिल सकेगी।

(1600/SPS/SAN)

खण्ड 54 में जुर्माने को बढ़ाने का उपबंध किया गया है। अभी तक विभिन्न कानूनों के अंतर्गत जुर्माने या सजा का जो प्रावधान था, वह काफी कम था। इस खण्ड के द्वारा जुर्माने को 50 हजार रुपये तक बढ़ाया गया है। यदि पांच साल के भीतर नियोक्ता एक बार फिर से इसी तरीके के उल्लंघन की पुनरावृत्ति करता है तो यह जुर्माना या सजा दोगुना हो जाएगी। मैं समझता हूं कि इससे नियोक्ताओं द्वारा उल्लंघन की वृत्तियां कम होंगी। विधेयक का खण्ड 59 है, वह सबूत का भाग नियोजक पर डालता है। अभी यह होता था कि नियोक्ता और मजदूर के बीच में परिश्रम या बोनस को लेकर कोई विवाद होता था तो इसमें सबूत का भाग नियोजक पर होगा। यह मजदूर को सिद्ध करना पड़ता था, लेकिन अब इससे मजदूर के हितों का संरक्षण होगा। यह एक स्वागत योग्य कदम है। डिजिटल रूप में भुगतान करने का प्रावधान करने से पारदर्शिता, औपचारिकीकरण और कामगारों की मजदूरी को सुरक्षा मिलेगी।

वर्ष 1969 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, जिसका उद्देश्य भारत के लोगों को बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ना था, लेकिन हम सब जानते हैं कि यह उद्देश्य कितना सफल हुआ। देश के प्रधान मंत्री आदरणीय श्री नरेन्द्र मोदी जी द्वारा वर्ष 2014 में लाई गई जन धन योजना वास्तव में सिद्ध हुई। गरीब, मजदूर, पिछड़े, वंचित वर्ग के लोगों का खाता जीवन में पहली बार खुला और आदरणीय मंत्री जी ने कहा कि डेली और साप्ताहिक बेसिस मजदूरी का भुगतान हो। यदि भुगतान डेली होना है तो उसी दिन होगा, साप्ताहिक है तो सप्ताह के अंत तक होगा और यदि महीने में

भुगतान होना है तो महीने के अंत तक होगा। उसमें जो विसंगतियां होती थीं, वह समाप्त हो गयी हैं और पैसा मजदूर के खाते में जाएगा। भारत में आर्थिक क्रांति के दौर में यह पाया गया है कि अमीर और अमीर होता चला गया है, गरीब और गरीब होता चला गया है। आर्थिक दृष्टि से किसी भी उद्योग या व्यवसाय में जितना महत्व पूंजी का हेाता है, उससे कम महत्व श्रम का नहीं होता है। श्रम का महत्व बहुत ज्यादा होता है। इस श्रम पर किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन देश के प्रधान मंत्री आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी ने और उनकी सरकार ने समाज के गांव, वंचित और पिछड़े वर्ग के मजदूरों के बारे में सोचा। उस पर खरे उतरते हुए इस संहिता को बनाने का काम किया गया है। इसलिए सबको विश्वास है कि मोदी हैं तो मुमकिन हैं।

1602 बजे (श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन पीठासीन हुए)

यह जो बिल लाया गया है, यह बिल वास्तव में समाज में सबसे अंतिम छोर का जो व्यक्ति है, जैसे मैंने कहा कि हम पार्लियामेंट में आते हैं और वाशरूम जाते हैं, हर व्यक्ति वाशरूम जाता है, तो हम चाहते हैं कि वाशरूम साफ-सुथरा मिलना चाहिए। वाशरूम साफ-सुथरा रखने का काम कौन करता है? यह काम हमारा कर्मचारी भाई करता है। अगर वह एक दिन काम न करे तो हम वहां जाकर खड़े नहीं होते हैं। हम सेंट्रल हॉल में जाते हैं। वहां जाकर हम चाय-नाश्ता लेते हैं, कॉफी लेते हैं। हम जाकर देखते हैं कि जिस टेबल पर कचरा पड़ा हुआ है तो हम उस टेबल पर नहीं बैठते हैं। हम दूसरी टेबल पर जाकर बैठते हैं। हम साफ-सुथरी टेबल चाहते हैं। उस टेबल को साफ-सुथरी रखने का काम कौन करता है? वह काम हमारा बी.वी.जी. का कर्मचारी करता है। सामाजिक जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में सर्वाधिक महत्व मजदूर भाइयों का होता है। इस मजदूर संघ को पहचानने का काम देश के प्रधान मंत्री आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी द्वारा किया गया। इसलिए मजदूरी संहिता विधेयक, 2019 लाया गया है। मैं एक बार पुन: आदरणीय श्रम मंत्री संतोष गंगवार जी और देश के प्रधान मंत्री आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी का हृदय से आभार और धन्यवाद इन शब्दों के साथ व्यक्त करता हूं कि “अगर इस देश में मजदूर न होता, फिर न तो गेटवे ऑफ इण्डिया और न ही इण्डिया गेट होता”। मैं इस बिल का समर्थन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं।

(इति)

1603 बजे

{For English translation of the speech
made by the hon. Member,
Shri D. Ravi Kumar in Tamil,
please see the Supplement. (PP 125 A to 125 E)}

(1605-1610/SM/KN)

1613 hours

PROF. SOUGATA RAY (DUM DUM): Sir, I rise to speak on Code of Wages, 2019. I will not speak on the Bill for long because it was placed in this House in 2017. It went to the Standing Committee, then It came back, and it was again placed in 2018. This is a codification of that Bill. Basically, it is an amalgamation of four bills, that is, the Minimum Wages Act, the Equal Remuneration Act, Payment of Wages Act, and the Payment of Bonus Act, 1965. Later, I will explain whether this Bill is an improvement of all these four Bills or not.

Now, the amalgamation has been done at the behest of the employers. In fact, the Government has proposed that they will put all the labour laws in five Codes. As per the CII statement, the employers want only one Code and the Government has somewhat bent down to assuage the feelings.

Sir, it is not the law that really matters. You come from Kollam, the centre of cashew industry. The condition of workers in this country is very bad. It is so bad that I was unable to do trade unionism anymore. The workers will have a bargaining power as long as the management is making profit.

(1615/AK/CS)

But as soon as it starts making losses, ultimately, the question becomes how many jobs you may be able to save. I got tired of negotiating for retaining workers in a company, let alone talk about their wages in this pathetic situation. This has been happening ever since liberalisation started in the country in 1991 and this has been aggravated in the few years of NDA rule where the employers feel very strong.

There is the Minimum Wages Act and the Payment of Bonus Act. Which worker will calculate the allocable surplus from the profit by analysing the balance sheet? It is nobody. What help will the Government give them to calculate the allocable surplus? It is nothing. In the Payment of Bonus Act as also in the Code on Wages, the minimum of 8.33 per cent and maximum of 20 per cent is fixed, but the Bill cannot help much as far as allocable surplus is concerned or productivity-linked bonus is concerned. The pathetic situation of workers in this country is that they are fighting with their back to the wall to save their existing privilege.

In trade union parlance we use the words 'existing benefits cannot be curtailed'. I can show you company after company where the existing benefits of workers have been curtailed or where employment has been curtailed, and neither the State Governments nor the Central Government have been able to prevent it. Now, the biggest thing is that it is said manufacturing is only 25 per cent of GDP of India as the main income comes from the service sector. How many unions are there in the Call Centres? There are none. How many unions are there in the IT industry? There are none. Women are working in the IT industry. What protection have you been able to give them through trade unions? There is none. The workers are caught in this whirlpool where they are losing their basics. It is for all those. I do not know, but even in BJP there may be some people who think of the workers and others are not much concerned. They are '*Jai Shri Ram*' people. So, they are not much concerned about them. …(*Interruptions*)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEAVY INDUSTRIES AND PUBLIC ENTERPRISES (SHRI ARJUN RAM MEGHWAL): We all are concerned about them.

PROF. SAUGATA ROY (DUM DUM): But those who think about the organized working class will realise that there will be nothing unless the organized working class can survive.

Another thing is that formerly the public sector was there, which was seen as an ideal employer. Now, the public sectors are shutting down one by one. I just went to see Shri Sadananda Gowda to please save one company in my Constituency, namely, Bengal Chemicals from being strategically sold. So, public sector, which was an ideal employer, is now shrinking. There is no fallback for the working class as such. They are not getting wages, and they are being deprived of bonus.

If a company defaults on payment of wages, then one will have to go to the Payment of Wages court. Who will write the application for the workers? We, white-collared people, entered into trade unions because the workers cannot write an application in English. The Bill talks about appointing a facilitator. Will the facilitator help trade unions or the ordinary workers to draft petition or draft appeals to the different courts? These are matters to be thought over.

Today, having a Labour Code or not having a Labour Code, these laws were there earlier also. What else has Mr. Gangwar, after all his efforts, done? If you see this Bill and if go through the four Acts, namely, the Payment of Wages Act, the Payment of Minimum Wages Act, Equal Remuneration Act and Payment of Bonus Act, there is not much difference.

(1620/SPR/RV)

It is the same thing amalgamated into one. Only thing is that there are some good features. For the first time, floor wages for the whole country in different geographical areas have been fixed. It is a good thing. The new thing is, Inspectors-cum-Facilitators are being appointed to overcome the Inspection *Raj.* Inspectors only went to companies, took their money and returned. So, if the Facilitators help the working class, it would be a good thing.

There is an Appellate Authority against the order of Payment of Wages Court. Now, an Under Secretary level officer of the Government of India has been appointed to dispose of cases, punishable with a fine of Rs.50,000. That is a good thing. Some cases will be disposed of. Advisory Board at the Central and State levels is being formed. It is a good thing though I know that the Advisory Board would meet once in one year, drink tea, eat some biscuits, and depart. I have been a member of many advisory boards in my life. They serve no purpose because they have got no Executive powers. So, some members in the board shout a little, others will sit quiet, have tea and *samosa* will come, they take that, and depart. That is no solution.

This Bill, as I said, amalgamates well. It provides all essential elements of wages, equal remuneration, payment, and bonus. Regarding minimum wages, I would say that even for implementing minimum wages we have to struggle. But at least minimum wages have some protection. In some organisations like the Central Government organisations, once the minimum wage is notified, it is paid. So, minimum wages are good.

You said that minimum wages would take into consideration skill differential. Skills require an awareness of the work and geographical location. It is a good formula for minimum wages. They would appoint as many committees as necessary. It is a good thing.

The Bill has included working journalists including TV journalists. Sales promotion employees will be covered. I think, the Labour Minister had gone to

Kolkata and had a meeting with sign workers where the BJP had formed a union. You promised them that you would give them some relief. Please do. Whether it helps the BJP or not? Please do something for the sign workers. They are in a bad situation. But for a Central Minister to go to a few people in the sign industry does not behove. किसी छोटे-मोटे नेता को भेज देते, आपको जाने की क्या जरूरत थी? फिल्म एक्टर्स आपसे मिले थे।

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): नहीं, मैं नहीं गया था।

प्रो. सौगत राय (दमदम): आप नहीं गए थे तो यह अच्छी बात है, मत जाइए।

Sir, the overtime has been fixed. It would be twice the normal rate of deduction. So, I shall speak again about the occupational issue. This Code of Wages makes the book only smaller. It does not solve any problems. Think of a way to give workers a little more strength; think of a way so that workers can lead their own unions, and do not need *babus* like you to write their petitions and letters. Think of a way where the workers can work without the help of advocates from outside, who make a killing out of their misery. We want wages; we want organised working class to survive. If they go, Ambanis and Adanis would be happy but the nation will be very unhappy. With these words, I would say that I have nothing against this Bill. I have 20 or so amendments but they are all procedural in nature. Basically, I am not objecting to the idea of having a single law. You have maintained the basic rights that workers do, so I have no objection to the Bill as such. With these words, I end my speech.

(ends)

(1625/UB/MY)

HON. CHAIRPERSON (SHRI N. K. PREMACHANDRAN): Thank you, Prof. Saugata Roy ji. I think there is a good support for the Bill.

1625 hours

SHRI N. REDDEPPA (CHITTOOR): Hon. Chairman, at the outset, I would like to thank you for giving me an opportunity to speak on the Code on Wages Bill, 2019.

Sir, the Bill seeks to regulate wage and bonus payments in all employments where any industry, trade, business, or manufacture is carried out. It is good that universal minimum wages are there and transparent wage payment system is incorporated in the Bill. But my strong feeling is that it is better to have a revision in every two or three years. Five years' time is too long for revision since inflation is increasing year by year and the cost of living depends on the movements in the presidencies. The minimum wages often serve as the basis for wages bargain. Hence, it is very essential that the revision of minimum wages should not take place in very long intervals. Two or three years would be ideal.

The welcome features are proper wages, equal remuneration, timely payment, and bonus. The Bill provides basic rate of wages and cost of living allowance, and cash value concessions. The minimum wages should be revised and reviewed by the Central and State Governments. While fixing minimum wages, the Government may take into account factors such as skilled workers and difficulty of work.

Sir, periodically, the Central and State Governments, from time to time, constitute the Pay Commission to revise the salaries and allowances of all the concerned officials from top to bottom whereas there is no such provision for factory workers and daily wage workers. They also have to be taken care of by the Government alone.

Under our dynamic, hon. Prime Minister, Shri Narendra Modi ji, with a long-run ideology, this Government provided insurance to the workers which is a great boon to the workers besides providing facilities like medical aid and schemes for the welfare of the workers' children. It is greatly appreciated. This Bill contains fixation of wages for the workers which is invited with a good motive.

Besides daily labour, factory workers have been given priority in the contents of the Bill. It is a part and parcel of my speech.

There are different classes of workers who depend upon wages. Their employer has to agree to extend the facilities mentioned under this Bill. Social security has to be given with a strong legislation. The minimum wages can vary from time to time as per the rates of the commodities. Fixing of minimum wages is based on the circumstances. Payment of bonus will be applicable for workers of the factory but if the worker is not permanent, what is the guarantee of the social security and bonus for him? Equal remuneration is possible for all the workers in a uniform manner. How to justify the manner and mechanism for this? The State Governments and the Central Government have been providing jobs to unemployed on daily wages, particularly, in the departments like municipalities, forests, revenue, and electricity departments for years together without making them permanent. This is nothing but bonded labour. Hence, I urge the Government to take appropriate steps to streamline the system

Sir, please remember those twenty Tamil coolies, red sandal workers, who were killed by the police during Telugu Desam Party regime in my State, particularly, in Chittoor District.

(1630/KMR/CP)

Those red sandal tree cutting coolies did not commit any crime. To safeguard their children and family members, they used to engage in coolie work. But unfortunately, those coolies were killed by the police. The Telugu Desam Party Government of the day cannot be excused for doing this.

Article 16 of the Constitution speaks about equality before law. All workers, men and women, are equal and they have to be provided equal wages without any discrimination. Article 24 speaks about prohibition of children from working in factories. No children below the age of 14 shall be employed as workers. This Parliament is empowered to make suitable laws to provide minimum wages to the concerned.

Sir, please remember the craftsmanship of weavers of Andhra Pradesh who could weave sarees that could fit in a match box. We have to remember the skills of those workers and provide proper identity and minimum wages to them.

Thank you very much, Sir.

(ends)

1632 hours

SHRI GAJANAN KIRTIKAR (MUMBAI NORTH-WEST): Hon. Chairman, Sir, I thank you for allowing me to speak on the Code on Wages, 2019. I rise to support this Bill. While supporting this Bill, I congratulate the hon. Labour Minister Santosh Kumar Ji. मैं पर्सनली आप को कान्ग्रेचुलेट करता हूं।

The Second National Commission on Labour in its report in 2002 recommended that the existing state of labour laws should be broadly amalgamated among groups such as industrial relations, wages, social security, safety, and welfare and working conditions. I, a Member of Parliament from Shiv Sena Party, am closely associated with the trade union movement in the economic capital of the country Mumbai for the last five decades, especially in banking, insurance, oil companies, government and semi-government establishments including the airport and airline sectors. Colleague Member of Parliament Shri Vinayak Raut is also engaged in the trade union activities in airports.

Earlier it was difficult to refer to multiple laws to redress the grievances of workers. Now with the consideration and passing of this Bill, it would become much easier to simply refer to four labour codes as against existing 44 labour laws.

The Statement of Objects and Reasons says that the forthcoming Labour Code will be applicable to all employees covering both organised and unorganised sectors. My question is, are rikshaw pullers, cab drivers, temporary workers, contractual labour, hotel and restaurant employees, fireworks employees, seasonal industrial workers covered in this unorganised labour or not? I would like to place on record here that while we talk of the minimum wage here, employees of Government companies like BSNL and MTNL have not been able to get their salary for the last six months.

The provision relating to timely payment of wages and authorised deduction from wages shall be made applicable to employees irrespective of wage ceiling. These provisions will bring a great upliftment in the lives of labour especially the unorganised labour. I, therefore, stand in favour of this Bill.

As we all know, a small reform brings a great change in the lives of employees. In a similar way, the provision of Inspector-cum-Facilitator in the

place of Inspectors is a very good suggestion. With this, I hope the Inspector raj would come to an end.

(1635/SNT/NK)

It provides equal remuneration to the employees irrespective of the gender for the same work or work of similar nature done by the employee. I am thankful to the hon. Minister for bringing in this reform. It will do justice to all the women of the nation working for the bread and butter for their loved ones.

Regarding National Minimum Wage, the Bill provides us with the factors to be taken into account while fixing the minimum wages, namely, the skill required; the arduousness of the work assigned; location of the workplace; and other aspects which the appropriate Government considers necessary.

While appreciating this reform, I would like to suggest an addition that the minimum wage structure proposed by the National Minimum Wage Commission should be taken into consideration – the higher rate of living in the metropolitan cities like Mumbai, Delhi, Kolkata, Chennai and Bengaluru. This will be a relief for the labourers engaged in small scale industries and a large section of the masses struggling for the requisite amount for their livelihood.

The Central and State Governments will constitute their respective advisory boards. The boards will have representation from employees, employers, and independent persons. Further, one-third of the total members will be women. The boards will advise the respective State Governments on aspects including, fixation of minimum wages; increasing employment opportunities for women; and any other matter relating to this Code. The decision will enhance the coverage of safety, health, and working conditions provisions manifold.

Regarding claims under the Code, it is mentioned in the report that to hear and settle the claims, which arises under the provision of this Code, the Government may appoint one or more authorities. The application for such claims may be filed within a period of three years from the date on which claim arises. The existing time limit for filing such claims is varying from six months to two years. This will be an enormous relief to the workers to settle their claims.

It also talks about permitting women to work beyond 7 p.m. and before 6 a.m., subject to safety, holidays, working hours, and conditions as prescribed by the appropriate Government in respect of prescribed establishments and very

importantly, only after taking their consent to work at night. This reform will take care of thousands of mothers and sisters working during night hours for the betterment of their families.

The Bill has provisions not only for the benefit of workers but it also aims to ensure ease of doing business for firms. It prescribes one registration for an establishment. The provision of 'one licence, one return' in place of multiple licences and returns in existing 13 labour laws is subsumed in the Code. One licence and one return will save time, resources and efforts of establishments and it will strengthen the business policy of the nation.

I would like to add that labour welfare is one of the major aspects of national programmes towards the betterment of the majority of society. Through these provisions, we have initiated a step towards the welfare of workers' lives. As our nation was taken to the path of economic growth under liberalisation and globalisation, there was a need of law for the welfare of labourers as well as trade union movement.

Lastly, development of any country mostly depends upon the growth of industries and business. This amendment will boost the morale of the worker and ultimately the productivity of industries and organisations. It will also help to reduce the chances of industrial disputes like strikes and lockouts. This will develop a sense of responsibility and dignity among the workers. It will also help to make workmen worthy citizens and an important part of national development.

I, on behalf of my party and all associated unions, once again congratulate you for this reform. Thank you.

(ends)

(1640/MK/GM)

1640 बजे

श्री दुलाल चंद्र गोस्वामी (कटिहार): सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मजदूर आचार संहिता, 2019 जो भारत सरकार लायी है, उसके लिए मैं भारत सरकार को, खासकर के श्रम मंत्री संतोष गंगवार जी को अपनी तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ हृदय से धन्यवाद देता हूं। आपने एक बहुत बड़ा साहसिक काम किया है। एक पुराना कानून जो आजादी से पहले से चला आ रहा था, उसको बदलने के लिए सत्ता में आए हुए किसी भी राजनीतिक दल ने हिम्मत नहीं दिखाई। लेकिन, नरेन्द्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में जो केंद्र में सरकार बनी, उन्होंने आजादी से पहले के इस घिसे-पिटे कानून को बदलने का काम किया। यह कानून मजदूर संबंधी आचार संहिता के 44 कानूनों को एक साथ लेकर चलता था। अब यह कानून 4 संहिता के तहत काम करेगा।

सभापति महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूं कि वह कौन-सी परिस्थिति थी कि आजादी से पहले के वेतन भुगतान एक्ट 1936 इस देश में आजादी के 70 सालों के बाद भी लागू था। इसी तरह से न्यूनतम वेतन एक्ट 1950, बोनस भुगतान एक्ट 1965, सामान्य श्रमिक परिश्रम एक्ट 1976, अब तक हम लोग इन कानूनों को लेकर चल रहे थे। वैसे मजदूर जो विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रहे थे, वे इन कानूनी पेचीदगियों को समझ ही नहीं पाते थे, जिससे मजदूरों को सही रूप से न्याय प्राप्त नहीं होता था। लेकिन, आज इस बात की खुशी है कि सभी श्रमिक कानूनों को एक साथ समाहित करके भारत सरकार ने एक सम्यक कानून को 4 संहिता में लाकर एक सराहनीय कार्य किया है। इसके लिए मैं पुन: भारत सरकार को बधाई देता हूं।

इसके साथ-साथ मैं कहना चाहता हूं कि भारत सरकार ने सलाहकार बोर्ड का गठन करके मजदूरों के वेजेज तय करने का कार्य किया है, यह बहुत ही अच्छा है और मजदूरों के हित में है। भारत सरकार का जो न्यूनतम वेज है, राज्य सरकारें उसके नीचे जाकर वेज को तय नहीं कर सकती हैं। वेज निर्धारण के लिए जो सलाहकार बोर्ड बनेगा, उसमें कर्मचारियों के प्रतिनिधि रहेंगे, नियोक्ता के प्रतिनिधि भी समानुपाती रूप से रहेंगे। राज्य सरकार की तरफ से एक सामान्य प्रतिनिधि स्वतंत्र रूप से और एक-तिहाई महिला के भी प्रतिनिधि रहेंगे।

इस एक्ट में सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाना और महिलाओं की सुरक्षा को भी ध्यान में रखा गया है। यह भी एक महत्वपूण बात है। इसके लिए भी मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। इसके साथ एक अच्छी बात इसमें यह भी आई कि यदि मजदूर काम के तय समय के अतिरिक्त काम करते हैं तो उस काम के एवज में जो घंटे का वेजेज तय है उससे दोगुना वेजेज उनको देना पड़ेगा। यह अच्छी बात है और मजदूरों के हित में है। इसके लिए भी मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं।

लेकिन, मैं कुछ और बातों की तरफ भी आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं।

(1645/YSH/RK)

हम सभी श्रमिक संगठनों के सहयोग के बिना मजदूरों का हित नहीं कर सकते हैं, इस दिशा में भी सरकार को काम करना चाहिए। संगठित क्षेत्र के मजदूरों के हितों में काम करने के लिए सारी

व्यवस्थाएं हैं, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान बहुत बड़ा देश है, यह कृषि प्रधान देश भी है। विभिन्न आर्थिक सर्वे के अनुसार कृषि के क्षेत्र में, घरेलू कामगार के क्षेत्र में, और विभिन्न क्षेत्रों में असंगठित क्षेत्र का जो मजदूर है, माननीय मंत्री जी ने कहा है कि 30 करोड़ के लगभग असंगठित क्षेत्र के मजदूर हैं, लेकिन विभिन्न आर्थिक सर्वे के आधार पर आया है कि देश में 40 से 42 करोड़ के लगभग असंगठित क्षेत्र के मजदूर हैं। असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के हितों की सुरक्षा करना आज देश में सरकार के लिए और हम सभी के लिए बड़ी चुनौती है। आप जो यह प्रभावी कानून लेकर आए है, उससे असंगठित क्षेत्र के मजदूरों पर भी प्रभाव पड़ेगा और जो मजदूर संहिता विधेयक 2019 आया है, निश्चित ही इसका लाभ असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को भी मिलेगा। इस पर भी सरकार को गंभीरता से विचार करना चाहिए। हमारे देश के सरकारी क्षेत्र में असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए कई बेहतर प्रयास किए गए हैं, लेकिन आज मैं कहना चाहता हूं कि असंगठित क्षेत्र में महिलाएं भी कार्य करती हैं। जिस तरह से 'बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ' अभियान के तहत महिलाएं हिंसा का शिकार न हों, उनके साथ किसी भी तरह का कार्यक्षेत्र में कोई दुर्व्यवहार न हों, सुरक्षा की बात हो इस तरह से अन्य संगठित क्षेत्र या सरकारी सेक्टर में काम करने वाली महिला मजदूरों के लिए ऐसी व्यवस्था नहीं है। मंत्री महोदय, इस पर भी ध्यान देने की जरूरत है।

सभापति महोदय, बहुत कम समय है। मैं अपना भाषण कम समय में समाप्त करूंगा। खासकर असंगठित क्षेत्र में जो मजदूर हैं, इनमें दलित वर्ग के, पिछड़े समाज के और घुमन्तुक परिवार के लोग आते हैं, उनके हितों की रक्षा करने पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। हम केवल दो विषयों की तरफ माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे। पहला विषय यह है कि मजदूरी संहिता अनुच्छेद में न्यूनतम वेतन देश में सभी के लिए अनिवार्य है। इस साल के इकोनोमिकल सर्वे पर गौर करें तो देश के जो एक तिहाई मजदूर हैं, उनको न्यूनतम वेतन नहीं मिला है। हालांकि इस संहिता के आने से देश के लगभग 10 राज्यों में जो न्यूनतम वेतन है, चूंकि मैं उन राज्यों का नाम लेना चाहूंगा, मेरे पास उनकी लिस्ट है, लेकिन मुझे इस बात का विश्वास है कि उन राज्यों में जो मजदूर हैं, उन्हें समान वेतन का लाभ मिलेगा। आपने जो फॉर्मूला निकाला है, अगर इसका कोई उल्लंघन करे तो उसके लिए सख्त प्रोविजन होना चाहिए। अगर प्रोविजन कमजोर रखेंगे तो नियोक्ता कम वेतन देकर बच जाएंगे, इसलिए उस पर कठोर कार्रवाई हो और उसमें सजा का प्रोविजन भी हो।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि जो मेरी चिंता है और मेरी पार्टी की चिंता है, हमें लगता है कि हमारे श्रमिक संगठनों को भी इस बात की चिंता होगी। अगर किसी भी संस्था में 10 से कम मजदूर काम करते हैं, जो नियोजित मजदूर हैं तो उनको इस संहिता में नहीं लाया जा रहा है। अभी तो कान्ट्रेक्ट और ठेके मजदूर का सिस्टम है और जो छोटी कंपनिया हैं उसमें हम यह कोशिश करेंगे कि सात से आठ मजदूरों को उनमें नियोजित करके रखें और बाकी ठेका मजदूर से काम लें। अगर आप इन मजदूरों के बारे में नही सोचेंगे तो इसमें कंपनियां खुद को बचाने का काम करेगी।

(1650/RPS/PS)

आपको इस पर ध्यान देना चाहिए। हमारी एक चिन्ता और है, आपने इंस्पेक्टर राज खत्म करने की बात की है, फेसिलिटेटर की बात कर रहे हैं, यह अच्छी बात है। लेकिन मैं बिहार में लेबर मिनिस्टर भी रहा हूं, अगर सतत रूप से सरकार और लेबर विभाग के लोग वहां नहीं जाते हैं, तो कभी-कभी नियोक्ताओं का मन बढ़ भी जाता है। नियोक्ताओं को प्रोत्साहित करने के लिए आप यह काम कर रहे हैं, लेकिन मजदूरों को वहां हानि हो सकती है, इसलिए चेक और बैलेंस का भी काम करना पड़ेगा।

अन्त में, मैं यही कहूंगा कि आप जो मजदूरी संहिता, 2019 लाए हैं, इसका मेरी पार्टी समर्थन करती है, मैं समर्थन करता हूं और मुझे विश्वास है कि इसके बल पर देश के मजदूरों का हित होगा। यह बिल लाने के लिए मैं पुन: मंत्री जी और सरकार को धन्यवाद देता हूं।

(इति)

1651 hours

SHRI CHANDRA SEKHAR SAHU (BEHRAMPUR): Hon. Chairperson, I thank you for giving me this opportunity to present the views of our Biju Janata Dal Party on 'The Code on Wages, 2019, which has 69 Clauses and around 14 sub-clauses.

At the outset, I would like to say that reforms in labour laws are an ongoing process in the country and accordingly, the legislative mechanism is also being continuously updated to address the need of the time and make them more effective and contemporary to the emerging challenges and economic and industrial scenario. The amalgamation of four Acts will facilitate the implementation and also remove the multiplicity of definitions and authorities without compromising on the basic concept of welfare and benefits to workers in the country. I hope this Bill will address about 14 definitions of wages in the different laws which has a lot of litigation and also difficult in its implementation.

Sir, before I come to minimum wages, my hon. Chief Minister, Shri Naveen Patnaik has taken very many revolutionary steps for the welfare of labourers in the field of construction, agriculture, and general labour.

Clause 5 of the Bill states that no employer shall pay to any employee wages less than the minimum rate of wages notified by the appropriate Government.

Clause 6 (1) says that subject to the provisions of section 9, the appropriate Government shall fix the minimum rate of wages payable to employees in accordance with the provision of section 8, which states in (1) that in fixing minimum rates of wages for the first time or in revising minimum rates of wages under this Code, the appropriate Government shall either -- (a) appoint as many committees as it considers necessary, or -- (b) by notification, publish its proposals for the information of persons likely to be affected thereby.

Under Clause 42(1), the Central Government shall constitute the Central Advisory Board, which shall consist of persons to be nominated by the Central Government: representing employers; representing employees which shall be equal in number; independent persons; and five representatives of such State Governments as may be nominated by the Central Government.

Similar provision has been made for the State Advisory Board in this Bill. These Advisory Boards have a very important role in the Code of Wages Bill. They have to work in a vast area and for a huge number of employees.

So, my suggestion, through you, to the hon. Minister is that we can consider that there should be a provision for domain expert in these Advisory Boards who can know the issues on the field for which these advisory boards are working.

Sir, I would also like to suggest that revision of minimum rates of wages should be linked with 'Consumer Price Index' so that the workers or employers, covered under this Code, can be protected from rise in price and inflation in the market.

(1655/RC/RAJ)

However, Sir, the implementation of this Code is very difficult because we have a huge labour force in our country and in the absence of reliable statistics on the size of our work force distribution or its contribution to the economy, the sector remains a poorly understood and a grossly neglected area.

According to the Economic Survey of 2018-19, almost 93 per cent of the total workforce is informal. However, the NITI Aayog's strategy for New India at 75 said by some estimates that India's informal sector employs approximately 85 per cent of all workers. What are the sources of this information, *the Economic Survey* has not disclosed, however, the Niti Aayog does cite a 2014 report of Organisation for Economic Co-operation and Development India Policy Brief: Education and Skills. But Sir, we have at present more than 97 per cent of the total labour force in unorganised sector. How is this Code on Wages Bill going to address the problems or issues being faced by them? The organised sector has only 3 per cent of labour force. In 2004, the organised sector had seven per cent whereas it was 93 per cent in unorganised sector. The trend of employment in the country has changed after the globalization and free economy. A lot of new type of job opportunities have come thereafter and it has also increased the strength of unorganised sector.

Sir, when we are not able to identify the exact number of our workforce in unorganised sector, how can we analyse their working conditions, social security, occupational safety, health and other benefits? So it is my request to

the Government to strengthen the system for identification of our informal sector workforce first.

The trend of contractual employment has increased and these contractual employees are now engaged by contractors only. The organisations and companies authorise the contractors to provide manpower for them against the payment of prevailing wage rates but contractors do not give wages to the workforce as per the norms fixed by the government or we can say the minimum wages are not being paid to them. The other benefits like bonus, insurance, provident fund, and medical facilities are also not being provided to these contractual workforce. We have started this practice of leaving our liability towards workforce but at the same time we have not made any provision to check the exploitation of contractual workers and labourers. I have a doubt how the Code on Wages Bill, 2019 is going to address these very much important issues.

The experience or length of service or expatriation of individual workers or labourers is also not considered by these contractors while engaging them. These issues of workers need to be addressed in the Code on Wages. The lack of consistency in definitions within the Code may lead to employers discriminating between workers and employees. Since minimum wage is a matter of right for every working person, a common and comprehensive definition of employees or workers should be given in the Code and experience and length of service and experience in the field or in the organisation or otherwise should also be taken into account while fixing minimum wages.

HON. CHAIRPERSON (SHRI N. K. PREMACHANDRAN): You please conclude by placing your last sentence. You have been given ample time.

SHRI CHANDRA SEKHAR SAHU (BEHRAMPUR): Sir, please give me some more time.

I have to mention here one more thing that provision of bonus payment as recommended by the Standing Committee which were of the opinion that threshold for application of bonus payment will not apply as per the provisions of Code to the establishments in which ten or more persons are employed as per Wage Bill, 2017. In view of the present globalisation trend, the ceiling for minimum number of employees may be removed since there are institutions

which took the benefit of this ceiling by reducing the number of employees in their books.

(1700/SNB/IND)

1700 hours (Shri Midhun Reddy *in the Chair*)

With regard to payment of wages in Chapter III under Clauses 15 and 16 it is stated that all wages shall be paid in current coin or currency notes or by cheques or by crediting the wages in the bank accounts of the employees or through electronic mode, provided that the appropriate Government, may by notification specify the industrial or other establishment, the employer of which shall pay to every person employed in such industrial or other establishment, the wages only by cheque or by crediting the wages in his bank account.

Sir, in this connection, our Biju Janata Dal is of the firm view that to bring in transparency as well as check in payment of wages by the employer, be it in the organised or in the unorganised, there should be no cash transaction on account of wages. …(*Interruptions*)

Hon. Chairperson, Sir, through you I would like to urge upon the Government to incorporate the workforce engaged in providing domestic help in this Code on Wages Bill.

Sir, with these words, I support the Bill. …(*Interruptions*)

(ends)

1701 बजे

श्री मलूक नागर (बिजनौर): सभापति जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इतने महत्वपूर्ण बिल पर बोलने का मौका दिया। मैं बहन कुमारी मायावती जी को भी बहुत-बहुत शुक्रिया कहना चाहता हूं, क्योंकि वे श्रमिकों, मजदूरों का बहुत ख्याल रखती हैं और देश स्तर पर उनके हितों की रक्षा करती हैं तथा इनसे संबंधित मुद्दों को उठाती रहती हैं।

महोदय, श्रमिकों को हम संगठित और असंगठित दो भागों में बांट सकते हैं। संगठित मजदूरों के बारे में बहुत सारे माननीय सदस्यों ने बहुत-सी बातें कही हैं। जो असंगठित मजदूर हैं, उनमें भट्टा मजदूर हैं, खेत मजदूर हैं, गांव में गटर, नाली आदि साफ करने वाले और घरेलू मजदूर हैं। जो भट्टा मजदूर हैं, ऊपर वाला न करे यदि भट्टे के व्यवसाय में भट्टे वाले को नुकसान हो जाए, तो भट्टा भट्टे वाले का नहीं बैठता, बल्कि वहां काम करने वाले मजदूर का भट्टा बैठ जाता है क्योंकि उसकी पूरी तनख्वाह रोक दी जाती है। मैं चाहता हूं कि सरकार की तरफ से कोई ऐसा प्रोविजन रखा जाए कि हर भट्टे वाले के पास एक ऐसी सरकारी व्यवस्था हो, जिसके द्वारा इंस्पेक्टर या विभाग के अधिकारी समय-समय पर उनसे बात करके उनके हितों की रक्षा करते रहें।

महोदय, यहां हमारे बहुत सारे किसान साथी बैठे हैं और बड़े-बड़े जमींदार भी हैं। उनके यहां जो मजदूर काम करते हैं, खास कर बहुजन समाज से वे मजदूर जुड़े हुए हैं। वे जब काम करते हैं तो उनकी हिम्मत नहीं होती है कि वे अपने मालिक से सर उठाकर बात कर सकें। जब धान की फसल होती है, तो वे पूरा-पूरा दिन पानी में खड़े रहकर काम करते हैं। उनके पैर गल जाते हैं, उनकी अंगुलियां बीच में से गल जाती हैं, उन्हें एलर्जी हो जाती है। पूरा दिन काम करने के बाद उन्हें सौ रुपये, कहीं डेढ़ सौ रुपये, कहीं सत्तर रुपये या कहीं दो सौ रुपये मजदूरी दी जाती है। मिनिमम वेजेज की बात केवल सदन में कही जाती है या संगठित क्षेत्र पर लागू होती है। जो असंगठित क्षेत्र है, जहां उसके साथ कोई दूसरा मजदूर भी खड़ा नहीं है, वहां मिनिमम वेज लागू नहीं होती है। मैं चाहता हूं कि ऐसी व्यवस्था हो, जहां गांव स्तर पर, हर जमींदार स्तर पर पता हो कि ये मजदूर काम कर रहे हैं और उनके हितों की रक्षा की जा सके।

मान्यवर, गांव में नालियां, गटर आदि साफ करने वाले जो मजदूर हैं, उन्हें वेजेज के रूप में धन नहीं मिलता है। लोग उन्हें खाना दे देते हैं या कोई अन्य काम में आने वाली चीजें दे देते हैं। मैं चाहता हूं कि ऐसी व्यवस्था हो कि जो हमारे सफाई मजदूर हैं, जब उनके हितों पर चोट लगे या उन्हें पैसे न मिलें या खाने के लिए भी उन्हें ताना सुनना पड़े, तब उनके हितों की रक्षा हो और समय-समय पर उन पर ध्यान दिया जाए।

(1705/PC/RU)

मान्यवर, असंगठित क्षेत्र में घरेलू मजदूर भी आते हैं। हमारे कई साथी भी इस बारे में बोल रहे थे। मैं भी आपका ध्यान इस तरफ आकर्षित करना चाहूंगा। इन मजदूरों के लिए कोई समय सीमा नहीं होती है। उनकी फैमली में कोई व्यक्ति सुबह चार बजे उठता है, कोई पांच बजे उठता है और कोई छ: बजे उठता है। चाय-नाश्ते के बाद उनमें से एक रात को नौ बजे डिनर करेगा, एक दस बजे

करेगा और एक बारह बजे करेगा। अत: उनके लिए कोई समय सीमा नहीं है। उनसे सुबह से लेकर देर रात तक काम कराया जाता है, लेकिन उनकी तनख्वाह वही रहती है।

मान्यवर, मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। उनकी तनख्वाह के लिए ऐसी कोई व्यवस्था की जाए, जिससे शहरों में घर-घर जाकर जो ये असंगठित क्षेत्र के लोग हैं, जो बड़े-बड़े लोगों की कोठियों में काम करते हैं, उनके हितों की रक्षा की जाए और समय की पाबंदी की जाए कि इस समय से लेकर इस समय तक की जो मिनिमम वेज है, वह यह है, अगर उस टाइम से ज्यादा उनसे काम कराया जाए तो उनको दोगुनी ज्यादा ओवरटाइम तनख्वाह मिलनी चाहिए।

मान्यवर, अब संगठित क्षेत्र आता है। इस संगठित क्षेत्र में कई बार कम पैसे देकर ज्यादा पैसों के कागज पर साइन करा लिए जाते हैं। इसके लिए भी व्यवस्था कराई जाए, इसका ध्यान रखा जाए। मैं न्यूनतम वेजेज़ की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं। बहुत से लोग ऐसे हैं, जिनको यदि न्यूनतम वेज से आधे पर भी रोज़गार मिल जाए तो वे करने को तैयार हैं। सरकार इनके हितों की तो रक्षा करे ही, जिनके पास रोज़गार नहीं है, उनके हितों की भी सरकार रक्षा करे।

संगठित क्षेत्र में दो क्षेत्र, प्राइवेट और सरकारी, आते हैं। प्राइवेट क्षेत्र में भी मजदूरों के साथ बहुत ज्यादती होती है। इनके लिए ऐसी व्यवस्था हो, जो अभी चल रही व्यवस्था से ज्यादा चुस्त-दुरुस्त हो। इसको सख्ती से लागू किया जाए। जो सरकारी क्षेत्र है, जैसे उड्डयन मंत्रालय है, दूर संचार मंत्रालय है, सरकार इनका प्राइवेटाइज़ेशन करने की सोच रही है। जो लोग इनमें काम करते हैं, जो श्रमिक की श्रेणी में आते हैं, अगर इसका प्राइवेटाइज़ेशन कर दिया तो अडानी जैसे पूंजीपति लोग इसे खरीदेंगे। ऐसे में इन क्षेत्रों के श्रमिकों के हितों की रक्षा कैसे होगी, इस ओर माननीय मंत्री जी को ध्यान देना चाहिए।

मान्यवर, मैं आधे मिनट में अपनी बात कनक्लूड करूंगा। मैं कहना चाहूंगा कि इस बिल को दोबारा स्टैंडिंग कमेटी के पास भेजा जाए और सभी पार्टियों के नेताओं को बुलाकर, उनके साथ विचार-विमर्श कर के इसमें संशोधन किए जाएं। हम आंशिक रूप से इसका विरोध करते हैं। इसमें संशोधन कर के इसे दोबारा सदन में पेश किया जाए। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

(इति)

1708 बजे

श्री नामा नागेश्वर राव (खम्माम) : सभापति महोदय, धन्यवाद। आप पहली बार चेयर पर बैठे हैं, जिससे मुझे मौका मिला है। तेलुगू राज्य के चेयरमैन चेयर पर बैठे हैं, यह बहुत खुशी की बात है।

महोदय, जिस तरह मिनिस्टर साहब ने इस बिल के बारे में जो डिटेल्स एक्सप्लेन की हैं, उनमें सबसे इम्पॉर्टेंट यह है कि आपने इसमें चार बिल्स को इन्क्लूड कर के कन्सॉलिडेटिड बनाया है। आपने इसमें पेमेंट ऑफ वेजेज़ एक्ट, मिनिमम वेजेज़ एक्ट, पेमेंट ऑफ बोनस और इक्वल रेम्यूनेरेशन को शामिल किया है। अभी तक इन सबको एक साथ क्लब करने के बाद, इन्हें कन्सॉलिडेटिड बनाने के बाद इस एक्ट में अभी जो प्रेज़ेंट इश्यूज़ हैं, जो डिफरेंट प्रॉब्लम्स हैं, उन प्रॉब्लम्स को आप कैसे सॉल्व करेंगे, इस पर इस बिल में कुछ टच नहीं किया गया है।

महोदय, मैं यह बात इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इससे पहले भी इंडियन एयरलाइंस और एयर इंडिया, दोनों को क्लब किया गया था। इन दोनों ऑर्गनाइज़ेशन्स के एम्पलॉयज़ को सिन्क्रोनाइज़ करने में कम से कम तीन-चार सालों तक बहुत प्रॉब्लम्स आई थीं, इसलिए इसके ऊपर आप ध्यान दीजिए। इसके साथ-साथ अनऑर्गनाइज़्ड क्षेत्र के लोगों के लिए आपने जो प्रावधान किए हैं, वह बहुत खुशी की बात है। इसमें कुछ और इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स भी हैं। गवर्नमेंट की जितनी भी सर्विसेज़ हैं, उन्हें आप कॉन्ट्रैक्ट लेबर्रस को दे रहे हैं। आप कॉन्ट्रैक्ट लेबर्रस को जो कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं और वह कॉन्ट्रैक्टर लेबर्स को जो पेमेंट दे रहा है, उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस है। इसको आप कैसे कंट्रोल करेंगे? यह गैप ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसके साथ-साथ पूरी कंट्री में आप जो यह नैशनल मिनिमम वेजेज़ बनाएंगे, इसके बारे में आपने बताया कि आप इसे डिफरेंट स्टेट्स में बनाएंगे। इस पर भी बहुत ध्यान देने की ज़रूरत पड़ेगी। इन वेजेज़ में अगर ज्यादा डिफरेंसेज़ रहेंगे तो उसकी वजह से भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आएंगी।

(1710/SPS/NKL)

उसके साथ-साथ पेमेंट ऑफ बोनस है। बोनस मिनिमम 8.33 देना है। तेलंगाना में हमारे नेता के.सी.आर. साहब ने सिंगरेनी कोलियरीज के लिए कहा कि प्रॉफिट ज्यादा है तो उसके साथ बोनस को भी ज्यादा कनैक्ट किया है। उसी के साथ बोनस को मिनिमम 8.33 देते हुए अपने एम्प्लॉइज की पार्टनरशिप करने के लिए, मान लीजिए प्रॉफिट ज्यादा है तो एम्प्लॉइज को भी ज्यादा बोनस मिलना चाहिए। उसके साथ-साथ हमारी गवर्नमेंट में तेलंगाना बनने के बाद पूरे देश में हमने एम्प्लॉइज को अच्छी सैलरी दी है। इसी तरह से कंपेरिजन करके बाकी लोगों को भी दी जाए। मैं आपके माध्यम से मिनिस्टर साहब को कहता हूं कि आपने सब जगह स्टेट्स को इनक्लूड नहीं किया है। महोदय, स्टेट्स का कंसल्टेशन बहुत जरूरी है। आपने फाइनली एडवाजरी बोर्ड बनाया है, उसके साथ-साथ स्टेट का कंसल्टेशन भी ज्यादा होना चाहिए, जिससे एम्प्लॉइज को आगे परेशानी नहीं होनी चाहिए। पुराने-पुराने एक्ट्स को कंबाइन करके जो नया कोड लाया गया है, इसके आने के बाद सभी एम्प्लॉइज खुश होने चाहिए। धन्यवाद।

(इति)

1711 hours

SHRIMATI SUPRIYA SADANAND SULE (BARAMATI): Thank you, hon. Chairman Sir, for giving me this opportunity.

I stand here, actually, with a heavy heart because I am actually confused about why this Government has brought this Bill. …(*Interruptions*) Meghwal*ji,* you are bullying me. …(*Interruptions*)

On a very serious note, the hon. Minister who is a gentleman, said that it is a historical legislation. With your permission, I disagree with you for the reason that these are four Bills that you have put together. This is point No. 1. It is just re-organisation of Bills.

The Government has not paid salaries for BSNL, MTNL, and so many other people. In my own Constituency, Hindustan Antibiotics employees have not been paid for over five years. Considering this, even then to say that it is a historical Bill is really unfair. The Government should deliver this first. I know, the Labour Department is not involved in it. But these are major PSUs the salaries of which you have not paid. So, I really see a complete contrast. The Government is talking in two voices here. You do not pay salaries of the PSUs, while you are bringing something here to protect. It is actually a hypocritical situation, and the common man, at the bottom of the pyramid is really suffering.

In contrast, there is another point I would like to make which is about contract workers which was mentioned earlier also. Look at Air India as an example. A lot of Air India employees, for the last 20 years, are on contract. They are all young people who joined Air India hoping that one day, they will get better job and better salaries. But no salaries have been changed for several years. So, is there something pointed and specific that this Government would do to support, through this Bill? If you are really honest to the commitment which is why you are bringing this Bill, will you make sure that the salaries are paid for all the PSUs and people who work in Air India, who work for the Government but do not get raises or any protection? This is an absolute pointed question that I would like to ask you. While codifying labour laws, labour interests should not be overlooked. So, I think, this is something very important point that this Government needs to understand.

You have talked about unorganised and informal sector. You said that in Clause 5, you have protected it. I just want to know, when there is a domestic

worker working in somebody's house, how are you going to make sure that each one gets this benefit of minimum salary? How are you going to control it in such a big country as ours? So, I am still not convinced. It would be better if you kindly convince me and see what mechanism are you going to use for a country which has so much of unorganised sector. Just making rules is very easy. But how are you going to implement them, and what is the mechanism that you are going to use for this? I want to highlight something from the Economic Survey which is a part of this Government. The Economic Survey says: "The evidence comparing the Flexible States…" Now, which States are flexible and which are not, I will come to this point in a minute. But I would like to read it, and I have a pointed question again. The Economic Survey says:

> "The evidence comparing the Flexible States to the Inflexible States with respect to the rigidity of their labour laws clearly shows that the Inflexible States are suffering in all dimensions. They are unable to create enough employment, cannot attract adequate capital into their States and their wages are lower as their productivity is lower. Furthermore, these parameters are either deteriorating or growing at a slower pace in the Inflexible States when compared to the Flexible States."

(1715/KKD/SJN)

Sir, I represent a flexible State. Maharashtra is one of the best investment destinations in India for decades. There is nothing new about my State. But the economy of the country has slowed down. Today, jobs are a problem. When there are inflexible States, which have seen more poverty and are not as flexible as like flexible States are, what would be your minimum wages there?

NREGA is an example. In different States, what would be the minimum wages? I agree with you, Mr. Minister, and you would say that there is a Committee looking into this. But where would you draw the line? Then, it is going to hurt the migration. If you look at Maharashtra, we also paid better salaries compared to other States. So, how are you going to come to a common number, which is going to help it? I really do not see it idealistically happening.

There are two other points, I would like to make. Firstly, what are you going to do for SEZs? We have had problems about SEZs several times. So, how are you going to address it?

There is another programme of this Government, which is the National Employability Enhancement Mission, called as NEEM project. Now, there was already a National Apprenticeship Promotion Scheme Are you going to integrate these programmes? There is very little awareness about the NEEM project. The young graduates get hired into the NEEM project but what happens after that? After two years, the company asks them to leave. So, what is there as protection of the job? The intent of your NEEM project may be very good, but it is not giving us the desired results in creating more jobs. So, how are you going to address this problem? I want a clear-cut answer on this because my State is suffering. The young students of my own Constituency come to me saying that 'XYZ company hired me, but because of this NEEM project, after two years they are leaving me.'

The problem with this NEEM project is that the youngsters are hired from campuses. Now, if I am hired in TY or in my last year, in a campus interview, I get a job in a great company or in an Infotech company. But what happens if I do a NEEM project? If I do a NEEM project, I get hired for two years only. But later when I look for an employment in TCS or Tech Mahindra, I do not get the job. So, can we find a way where the NEEM project gets interpreted? At least, let the best people get absorbed by the company. So, this is something, Mr. Minister, you really need to address because it does not seem to be addressing on the field right now.

There is another point regarding provident fund and pension, and I am not going to get into that; you are aware of it. Many of the hon. Members have already spoken bout provident fund and pension. So, I would not take the time of the House to repeat them.

There are two more points that I would like to highlight. One is about bonus. With technology, jobs are shrinking. You have said that there would be bonus for 20 and more employees. The Standing Committee has recommended for 10 employees. So, I would urge you to reconsider 10 employees because if you are doing this for the bottom of the pyramid, I see no reason why this Government, which makes tall claims, should not do it. I would say, you should

rather do it for even two employees. Why are you getting into a number? The Standing Committee, anyway, has recommended it.

So, I think, Mr. Minister, you should think of it and reconsider the 20 number. It would be highly appreciated.

Sir, there are two quick points which I would like to highlight, and they are very serious points. What has happened is that our country is very complex in regard to providing jobs. Today, there are nearly 429 scheduled employments and 1,915 scheduled job categories for unskilled workers. This massive expansion of job categories has led to a major variation. This variation is not across the States but even within the States. So, how would you come to a Minimum Wage Programme when India is such a complex country? India is not like other foreign countries.

Then, there is discrimination against women. A lot of people have complimented you about supporting women's jobs. I am not so convinced through this Bill that women are going to get equal rights because of this. I would give you a vey small example. There is a man working as a security guard and a woman working as a domestic help in a home. Their salaries are never the same. It is not possible. You can independently find out the data and make a survey. So, how will a woman be protected more than a man? I do not see how this is a complete guarantee to women and it is protecting women's interest.

Sir, my last point is on impact of wage inequality. This is all I am quoting from your Government's thinking – Economic Survey. It says:

> "International experience suggests that greater compliance with minimum wages has led to a reduction in wage inequality. India's experience on the impact of minimum wages on wage inequality needs to be evaluated, keeping in mind the segmentation in the labour market and the differences across various categories of workers. "

So, the segmentation in India, as I said, is 119 with 46 types of categories. So, how are you going to put it all under one roof? I appreciate your intent. Your intent may be very good. But these are four Bills, which you have put together. Actually, if you ask me, I am still not convinced and I still think, it is an eyewash.

I take this opportunity again to request this Government. I am sure, everything that this Government is doing is historic! Good luck to you. But I think, let us be a little serious about it …(*Interruptions*) Bhaiya, this is sarcasm. There is a selective hearing in this Government!

All the PSUs are bleeding and suffering. Do not wind them up by bringing all these legislation when people today cannot pay for their children's education, their parents' medical bills. So, if you could kindly do something for them, it would be appreciated.

Sir, this Bill is a welcome step. You are trying to do innovative things in the Government. But you must pay salaries to the PSU employees and do think of thousands of workers in the Air India today, who are contractual workers and are not getting fair choice or salaries.

(1720/RP/KN)

So, I would like to support this Bill but with a heavy heart, I see, too much contrast in this Bill. I urge you to reconsider them. I have my serious reservations unless you give clarifications on PSUs and other things. I am happy to support the Bill provided we get the clarifications.

Thank you.

(ends)

1721 hours

SHRI PRADYUT BORDOLOI (NAWGONG): Sir, I rise to speak here in opposition of this Bill. The single and the most alarming aspect of this Bill is to undermine and erode the collective bargaining power of the working population articulated through our trade unions.

In the case of determining the floor wage – whether in the case of determining the minimum wages or even in the case of determining the rate of bonuses – the role of the trade unions is avoided and undermined. The articulation and wisdom of our trade unionists are carefully avoided. When you talk about floor wages, they will be decided taking into consideration their geographical differences. It is very strange to note that it is coming from a Government which talks about one nation-one tax, the Government which even propagates one nation-one election and very obliquely the understated motto of the spiritual headquarters of this Government, probably, is one nation-one faith. Then, why is there not one nation-one wage? Why is there difference in the wage structure?

Sir, when you talk about geographical differences and geographical differences in wages, it should not reflect the regional disparities that we get to see in the landscape of development of this country. Sir, you will be astounded to know that Assam produces 55 per cent of India's total tea. Also taking both, the unorganised sector and the organised sector of the labour force, nearly 19 lakh people are working in the tea industry. Sir, you will be very unhappy to know that even today the cash component of an average tea worker in the organised sector is barely Rs. 167 per day. What is very important to note here is that this Rs. 167, daily rated workers' wages, the owners of the organised sector are very carefully camouflage and load up certain elements, which, actually, should be avoided. That is the way, they, actually, inflate the rate of the wages. I just want to give you one example. The daily rated tea workers, along with Rs. 167 daily wages, load up non-statutory benefits like cost of foodgrains notwithstanding the benefits given by the Food Security Act, the cost of firewood and the cost of tea that they produce, a small part of that is given to the employee. Even that is monetized and added in their wages.

The Plantations Labour Act, 1951 mandated that certain basic facilities have to be given to our tea workers like medical facilities, housing facilities, primary level education facilities, welfare facilities and leave with wages and holidays. Even those are monetized and added in the wages. Along with that, the statutory benefits like bonus, provident fund and gratuity is monetized and added in the daily wages. Sir,

do you not think it a hoax? With this kind of hoax, will it raise the standard of living, as stated in the Statement of Objects and Reasons, of the most impoverished and the most backward working population of our country today, the tea industry of Assam?

(1725/RCP/CS)

Sir, I would like to just draw your attention to what our hon. Prime Minister boasts that at one point of time, he was selling tea; he was a *chaiwala*, and all that. Being a *chaiwala*, how can he be turning his back on the impoverished section of tea garden working population of the tea industry? He should come up and take notice.

What is again very important is the enforceability of the Bill. The enforceability of the Bill is very weak and feeble. I would like to give you one example. The big employers, the corporates whose annual turnover is probably more than Rs. 1000 crore, even if those people fail to provide the floor-level wages, what penalty are they giving? They have to pay a fine of maximum Rs. 50,000. Do you not think that such a feeble and weak penalty clause has been made? Even on multiple counts also, those people who fail to comply, for them the maximum period of imprisonment is three months and maximum amount of fine is Rs. 1,00,000. I think, the enforceability is a very, very weak spot in this Bill. So, I would request the Government to look into this matter.

This is an organised sector. But what about the unorganised sector? The working population of the unorganised sector is suffering. That is why, if this Bill, as it is presented here, as it is introduced here is passed, I am sure the working population of our country will have a very big raw deal.

Not only the tea industry, the public sector enterprises, the paper mills of Hindustan Paper Corporation have been shut. In 2015 the Hindustan Paper Mill at Panchgram, which was profitable otherwise, has been shut down. Then, in 2017 again, the Hindustan Paper Mill located in my constituency, Nawgong has been shut down. I would like to draw your attention to the fact that for the last 31 months the salaries of the employees have not been paid. Many of these poor employees have committed suicide. This angle must not be overlooked when you discuss and when you pass this Bill.

That is why, I would like to request the hon. Labour Minister to reconsider and bring back this Bill. These flaws have to be eliminated and then it should be brought back to the august House.

Thank you.

(ends)

1728 बजे

श्री पल्लब लोचन दास (तेजपुर): महोदय, आपने मुझे इस ऐतिहासिक मुहूर्त में बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद। मैं अपनी पार्टी को भी धन्यवाद देता हूँ कि मुझे बोलने का मौका दिया गया है।

महोदय, हम जितने भी लोग यहाँ सदन में चुनकर आते हैं, हम सभी लोग वर्कर्स का प्रतिनिधित्व करते हैं। हम सभी के निर्वाचन क्षेत्र में वर्कर्स लोग हैं। आज के दिन हमारे वर्कर्स का स्टेट्स क्या है? हम देखते हैं कि उनकी स्थिति बहुत ही खराब है। वर्कर्स लोग बुजुर्ग भी होते हैं, लेकिन तब भी हम लोग उनका नाम लेकर उन्हें पुकारते हैं। उनकी डिग्निटी ऑफ लेबर नहीं है। हम लोगों को लगता है कि यह लेबर है, तो उनका कोई सम्मान नहीं है। हमारे समाज में ऐसी एक मानसिकता है। इस मानसिकता को बदलना चाहिए।

महोदय, देश स्वाधीन होने के बाद वर्ष 1948 में मिनिमम वेजेज एक्ट बनाया गया था और उसी टाइम 1948 में मिनिमम वेजेज एक्ट में हम लोगों ने रेजोल्यूशन पास किया था। वर्ष 1957 में इंडियन लेबर कांफ्रेस ने उसी टाइम एक्रोयड फॉर्मूला को स्वीकार किया था। एक्रोयड फॉर्मूला क्या था, एक्रोयड फॉर्मूला में यह था कि हमें 2,700 कैलोरी वर्कर को देना है, उनको 72 यार्ड्स कपड़ा देना है और उनके परिवार के लिए बेनिफिट देना है। पहले यह व्यवस्था वहाँ थी। उसके बाद लेबर मिनिस्टर कांफ्रेंस हुई। फिर हमने कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स को पकड़ा और वर्कर्स लिविंग कंडिशन में अच्छी तरह से रहें, उसके लिए हमने प्रावधान किया। इसकी व्यवस्था हमने की। सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 1992 में बोला कि चिल्ड्रेन एजुकेशन और मेडिकल रिक्वायरमेंट को भी आपको उसमें लेना है। (1730/RV/SMN)

महोदय, हम लोग आज देश में वर्कर्स के लिए मिनिमम वेजेज़ फिक्स कर रहे हैं। इसका फिक्सिंग मैकेनिज्म कैसा है? इसका फिक्सिंग मैकेनिज्म बहुत कॉम्प्लेक्स है। वर्कर्स के लिए कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म है। चार एक्ट्स हैं और उन चार एक्ट्स में हम लोगों ने 12 तरीके से मिनिमम वेजेज़ को डिफाइन किया है। कहां पर क्या मिनिमम वेजेज़ है, यह किसी को मालूम नहीं है। वर्कर्स को मालूम ही नहीं है कि एग्जैक्टली मिनिमम वेजेज़ कितना मिलना चाहिए। यह बहुत कॉम्प्लेक्स है।

महोदय, मैं आपको बताता हूं। यहां पर हम लोग बेसिक पे और वैरिएबल डियरनेस एलाउंसेज (वी.डी.ए.) को मिनिमम वेजेज़ के रूप में देते हैं। बहुत-से स्टेट्स ऐसे हैं, जिनमें से किसी ने वी.डी.ए. भी नहीं बढ़ाए हैं और बहुत स्टेट्स ऐसे भी हैं, जिन्होंने वी.डी.ए. बढ़ाए हैं, पर बेसिक पे को नहीं बढ़ाया है। जो मिनिमम वेजेज़ है, उसे आप देखें। हम लोगों ने कहा है कि शेड्युल्ड वर्कर्स को ही हम मिनिमम वेजेज़ देंगे। हम लोगों के शेड्युल्ड वर्कर्स कितने हैं? अगर आप इसकी कैटेगरी देखेंगे तो हम लोगों के पास 1,915 शेड्युल्ड जॉब कैटेगरीज हैं और करीब 429 हमारे शेड्युल्ड इम्प्लॉयमेंट्स हैं। हम लोग इसमें कितना कवरेज करते हैं? हम लोग 66 परसेंट कवरेज करते हैं। बाकी परसेंटेज के लोगों को हम लोगों ने कवर नहीं किया है।

महोदय, आज ये बोल रहे हैं कि यह इतना बढ़िया एक्ट है। आप इतने सालों तक रहे और ये 66 परसेंट का ही कवरेज हुआ। आप लोगों ने बाकी वर्कर्स को क्यों कवरेज में नहीं डाला? उन्हें क्यों नहीं लिया?

अभी प्लांटेशन वर्कर्स के बारे में बोला गया। प्लांटेशन वर्कर्स के बारे में मैकेनिज्म क्या है? कैश एण्ड काइन्ड कॉम्पोनेंट है। काइन्ड कॉम्पोनेंट कितना होना चाहिए, कैश कॉम्पोनेंट कितना होना चाहिए, इसका कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है। आज यहां पहले से ही 51 परसेंट तक काइन्ड कॉम्पोनेंट है। पर, इस बिल में यह स्ट्रिक्ट किया गया है कि आप 15 परसेंट से ज्यादा काइन्ड कॉम्पोनेंट नहीं ला सकते। क्या यह ऐतिहासिक नहीं है? यह एक ऐतिहासिक कदम है। हमने यह चेंज यहां पर लाया है। अगर आप कॉस्ट-ऑफ-प्रोडक्शन को देखेंगे तो ऐसे बहुत-से सिस्टम्स हैं। मिजोरम में आप देखेंगे कि वहां शेड्युल्ड इम्प्लॉयमेंट्स 3 हैं और असम में ये 102 हैं। ये दोनों स्टेट्स नॉर्थ-ईस्ट में ही हैं। एक में शेड्युल्ड इम्प्लॉयमेंट्स 3 है और असम में 102 है। अगर आप मिनिमम वेजेज़ को देखेंगे तो नागालैंड में यह 115 रुपये है और दिल्ली में 538 रुपये है। दोनों में कितना अन्तर है। विद-इन-स्टेट में ही डिफरेंस है। केरल में मैक्सिमम और मिनिमम वेजेज़ में 905 रुपये का डिफरेंस है। हमने जो कैटेगरीज़ बनाई हैं, उन कैटेगरीज़ में ही डिफरेंस है। हमने इस तरह का डिफरेंस बना कर रखा है, इसे इतना कॉम्प्लेक्स बना कर रखा है कि वर्कर्स को कुछ समझ में नहीं आता है कि हम लोग कैसे मिनिमम वेजेज़ को फिक्स करें?

महोदय, अगर आप वर्ष 2018-19 का इकोनॉमिक सर्वे देखेंगे तो आपको दिखाई पड़ेगा कि जो बड़े-बड़े स्टेट्स हैं, उनमें भी कितना डिफरेंस है। जैसे मध्य प्रदेश है, जिन्होंने स्किल्स को चार तरह से डिफरेंशिएट करके दिया है। यहां पर आप देखेंगे कि इसमें कितना वॉयलेशन किया गया है। अभी हम लोग जो नया कोड लेकर आए हैं, इस कोड में हम लोगों ने बहुत-से चेंजेज किए हैं, बारीकी से चेंजेज किए हैं। अब अगर आप डिफरेंस-इन-मिनिमम वेजेज़ देखेंगे तो आपको बहुत ही डिफरेंस मिलेगा। अगर हम लोग यहां पर बोलेंगे कि इसमें जेन्डर डिस्क्रिमिनेशन है तो सुप्रिया सुले जी ने बोला था कि हमारे यहां जेन्डर डिस्क्रिमिनेशन है। हम लोगों ने जो रेट्स फिक्स किए हैं, उसमें हम लोग देखते हैं कि जो डोमेस्टिक वर्कर्स हैं, उन्हें कम पैसे मिलते हैं और सिक्योरिटी गार्ड्स को ज्यादा पैसे मिलते हैं। लेकिन, अभी जो कोड-ऑन-वेजेज़ हम लोग ला रहे हैं, उसमें इस जेन्डर डिस्क्रिमिनेशन को हम लोग चेंज करने वाले हैं।

महोदय, अगर आप यहां पर मिनिमम वेजेज़ देखेंगे तो यदि आप सर्वे देखेंगे, 'पर-कैपिटा- नेट-स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, 2016-17' के ग्राफ को देखेंगे तो यहां पर आप देखेंगे कि बहुत बड़े-बड़े स्टेट्स ऐसे हैं, जहां पर मिनिमम वेजेज़ बहुत ही कम है। जैसे तमिलनाडु जैसे स्टेट में मिनिमम वेजेज़ बहुत ही कम है। अगर आप 'पर-कैपिटा-नेट-स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, 2016-17' के ग्राफ में उनकी जी.डी.पी. को देखेंगे तो यह डेढ़ लाख है, लेकिन वहां मिनिमम वेजेज़ बहुत ही कम है। गोवा में मिनिमम वेजेज़ बहुत कम है। हम लोग जो मिनिमम वेजेज़ फिक्स करते हैं, वह मिनिमम वेजेज़ हर तरह से अलग-अलग होता है। इसमें क्या हो रहा है कि वर्कर्स को मिनिमम वेजेज़ नहीं मिल रहे हैं और वर्कर्स को मिनिमम वेजेज़ न मिलने के कारण स्टेट्स में डिस्पैरिटी हो रही है, उनमें यूनिफॉर्मिटी नहीं है। इसे हम लोगों को यूनिफॉर्मिटी में लाना चाहिए और इसके लिए ही यह कोड-ऑन-वेजेज़ बिल यहां पर लाया गया है।

(1735/MY/MMN)

कोड ऑन वेजेज बिल आने के बाद देश में बहुत ही नया परिवर्तन होगा। हर वर्कर्स को बेनिफिट मिलेगा और उनको एक नया प्रावधान भी मिलेगा।

सर, मैं इस विषय पर थोड़ा और बोलना चाहता हूं। यहां पर अभी क्या बोला गया है? अगर किसी वर्कर को मिनिमम वेज नहीं मिलती है, …(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON (SHRI P.V. MIDHUN REDDY): Please conclude.

श्री पल्लब लोचन दास (तेजपुर): सर, मुझे दो मिनट और बोलने दीजिए। अगर मिनिमम वेज नहीं मिलती है, तो उनको मल्टीप्ल अथॉरिटीज़ के पास जाना पड़ता है। उनको मिनिमम वेज लेने के लिए मल्टीप्ल अथॉरिटीज़ के पास जाना पड़ेगा। उनके लिए सिंगल विंडो मैकेनिज़म नहीं है। हम लोग इतने सालों से वर्कर्स को क्यों नहीं सिंगल विंडो मैकेनिज़म दे रहे हैं? अभी तक हम लोगों ने सिंगल विंडो मैकेनिज़म नहीं दिया। इस बिल में हमने सिंगल विंडो मैकेनिज़म देने के लिए व्यवस्था की है। आज तक अपीलेट अथॉरिटी नहीं बनाई गई। कहीं भी अपीलेट अथॉरिटी नहीं है। उनको डायरेक्टली जाना पड़ेगा। अभी यहां पर अपीलेट अथॉरिटी बनाई गई है। वर्कर्स को इस अपीलेट अथॉरिटी के माध्यम से बेनिफिट मिलेगा। अगर उनको कहीं पर जाना पड़ता है, तो वे वहां जाते हैं। उनको ट्रिब्यूनल में भी जाना पड़ता है।

सर, अभी यहां पर क्या किया जा रहा है? हम लोग एक गैजेटेड ऑफिसर को देंगे, अगर फाइन देना है, तो 50,000 रुपये तक उस ऑफिसर के पास जाकर आप फाइन दे सकते हैं। इसके लिए आपको ट्रिब्यूनल में नहीं जाना है। अगर वहां पर सीलिंग का प्रोविजन रहता था, तो सीलिंग के लिए हमें एक्ट को बदलना पड़ता है, रूल्स को बदलना पड़ता है। इसे हम किसी नोटिफिकेशन के थ्रू नहीं बदल पाते हैं, इसलिए यहां पर प्रोविजन लाया गया है। अब हम लोग नोटिफिकेशन के थ्रू भी सीलिंग को बदल सकते हैं। जो क्लेम का टाइम रहता था, उस समय हम लोगों के पास मैक्सिमम 6 महीने, 12 महीने और बोनस के लिए दो साल का टाइम रहता था। अभी हम लोगों ने इसको 3 साल तक एक्सटेंड किया है। हमने इतने सिस्टमैटिक तरीके से पूरे कंट्री में बदलाव किया है। अगर हम बड़े-बड़े कंट्रीज को देखते हैं, तो सबका मिनिमम वेज सेम है।

सर, इसके लिए मैं आपके माध्यम से माननीय श्रम मंत्री जी और प्रधान मंत्री जी को धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं। उन्होंने वर्कर्स को अच्छी तरह से मिनिमम वेज देने के लिए वेज कोड लाया है। मुझे आशा है कि इस वेज कोड के थ्रू हमारे वर्कर्स को बेनिफिट मिलेगा और उनके जीवन में एक नया परिवर्तन आएगा। मेरे पास बोलने के लिए बहुत-सी चीजें थीं, लेकिन मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा।…(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Please conclude.

श्री पल्लब लोचन दास (तेजपुर): सर, अब मैं सिर्फ एक मिनट बोलूंगा। इंस्पेक्शन के लिए पहले जो मैकेनिज़म था, वह बहुत ही खराब था। अभी यहां पर वेब बेस्ड इंस्पेक्शन का प्रोविजन लाया जाएगा। इसके लिए मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा।

लास्ट में, मैं माननीय मंत्री जी से एक और रिक्वेस्ट करूंगा कि जब हम वेज फिक्स करते हैं, तो वहां पर कोई टेक्निकल आदमी नहीं रहता है। …(व्यवधान)

(इति)

1738 hours

SHRI HASNAIN MASOODI (ANANTNAG): Sir, I rise in support of the Code on Wages Bill, 2019.

This possibly is the first Bill where there is no effort to over-concentrate the powers in the Central Government. It is genuinely a Bill intended to give some relief to our workers. If not a pathbreaking legislation, it definitely is a leap forward. Consolidating four laws and coming up with this Bill is by itself a good achievement. The definitions are comprehensive. The definition of 'worker', 'employee', 'employer', and 'establishment' is comprehensive so that everybody has access to the benefits that are contemplated under the Bill.

For the first time, a concept of floor wages has been introduced. The problem that would plague wage payment, minimum wages and other issues, would be that every State would come up with its own wage structure and there used to be huge disparities amongst the wage structure of different States. This is a big, good achievement. The floor wages will give the base, the floor, and leave the ceiling for the States. But as regards floor wages, a second look deserves to be given. There is no need to have different floor wages for different geographical regions because there is possibility of a mischief. If the States have a right to fix minimum wages over and above the floor wages, then, there is no need to have four floor wages for the country.

(1740/VR/CP)

There should be uniform floor wages across the board applicable to the entire country. The States will be free to fix their own minimum wages.

Now, I come to the new provision as regards payment of compensation. What does a worker or an employee need? पहला है रोजगार, दूसरा है मुनासिब उजरत और तीसरा है उस उजरत की अदायगी। Employment, adequate and reasonable wages, and recovery of wages – this is what an employee wants. This Bill takes care of all the three aspects of the problem. Efficient mechanism is contemplated in the Bill for recovery of wage.

Section 45 of the Bill contemplates an authority which, for the first time, is given the power to order payment of compensation in addition to the claim determined, which may extend to ten times of the claim. This has happened for

the first time. If we say that it is not a step forward, then I think that we are not fair to the Bill.

Secondly, a new concept of inspector-cum-facilitator has been introduced. This will help workers or employees having access to the authority. This provision has been provided in the Bill.

Then, there is Section 54 which is about penalties for offences. That again is quite adequate. One of the hon. Members has said that there is no scope for appeal. It is not so. The appeal for payment of wages would go to the district judge concerned from the Payment of Wages Authority. That would be dealt by the district judge. But here, instead of district judge, a provision is given for appointment of an Appellate Authority by the Government. But since most of the issues that are expected to be raised in an appeal would be legal issues, it would have been more appropriate if a person with law background had been appointed as appellate authority. He may be a judge or anybody with law background. …(*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON (SHRI P.V. MIDHUN REDDY): I request the hon. Member to take care of time and finish his speech.

SHRI HASNAIN MASOODI (ANANTNAG): Sir, I am winding up my speech.

By and large, this is a good Bill. We hope that the Government would take care of the suggestions given by the hon. Members during the discussion on the Bill and come up with an up to date labour legislation in the country. Thank you, Sir.

(ends)

1743 hours

SHRI E.T. MOHAMMED BASHEER (PONNANI): Thank you very much, Sir, for giving me this opportunity. I myself was a factory worker and worked in a chemical factory for about 20 years. I also got actively involved in the trade union. Keeping this in my mind, I wish to react on this Code on Wages, 2019.

Sir, if we go through the past history of labour legislation in India, it has two very important aims. The first aim has been to free labour from exploitation and the second is to regulate their service conditions, wage structures, health and safety welfare measures, job security, etc.

The Industrial Disputes Act is treated as the mother of all labour laws. We may recall the historic struggle led by the working class in this country which was instrumental in bringing such a legislation. Pro labour government strategy has also contributed to a great extent in this regard.

Sir, what were our priorities? After Independence till the neo-liberal policies came into existence, our priorities were – man, that is, labour first, money second and machinery third. After neo-liberal policies came into existence, the priorities got upside down – money first, machinery second and man last. That is the situation now. All policies that are made now are in this direction. The policy of making 42 labour laws into five categories is also in this direction. It is because of that particular reason that I oppose this Bill.

(1745/SAN/NK)

This Code says that the minimum wages will be determined by the Government of India at the national level and at the State level as well as the regional level. A State can also have minimum wages for the State with the condition that it should not be lesser than the national minimum wages. When the law says that the Central Government may decide national minimum wages and set separate national minimum wages for different regions and States, there arise two questions. The first is whether the Government is going to have multiple minimum wages. Second, what is the *modus operandi* that the Government wishes to use to implement this?

Then, there is the issue of period for revising the minimum wages. All the hon. Members know that it takes a lot of time. I am coming from Kerala. As far

as Kerala is concerned, we can do it in a period of less than five years, but as per the Code, it is confined to five years.

Now, I come to gender discrimination. At present, gender discrimination is prohibited in recruitment, transfer, promotion etc., but as per this Code, it is confined to wage payment only. Thus, discrimination cannot be done on this issue, but it can be done in respect of other matters.

The next is the issue of inspection system. My learned friend was very joyfully saying that inspection system is abolished. What is the achievement he was talking about? The fact is that there is inspector of factories and boilers, inspector of plantations, inspector under Shops and Commercial Establishments Act. They used to go to institutions and verify the ground realities. Now, this Government says that they need not go there and inspector raj is abolished. In whose interest is it being done? The employers were fearing the inspectors. There may be corruption in that, but this is not the way of doing that. They are talking of web-based kind of an inspection. That is also a very objectionable kind of thing.

Another bottleneck in this Code is, as my learned friend was saying, that a scientific criterion has not been specified for preparing the norms for minimum wages.

Towards the end, I would like to say one more thing. In most of the cases, the minimum wages remain in dead letters only and the labour do not get it. Revision of minimum wages takes years and years together. Timely revision is not taking place.

In the end, I may say only one thing. There should be equal wage for equal work. That is specified in the Constitution also, but what exactly is the ground reality? I would like to say that female workers are getting lesser wages than male workers. This is a ground reality.

I may speak about child labour also. You all know that we are all saying that child labour is abolished in our country, but it still remains.

In the Bonus Act, there is an upper sealing of 20 per cent, which needs to be abolished. That is my humble submission.

In view of the particular reasons which I have stated, I vehemently object to the Bill.

(ends)

1748 hours

SHRI P. R. NATARAJAN (COIMBATORE): Sir, the current Bill is just not an exercise of simple merger of the four laws – Minimum Wages Act, Payment of Wages Act, Payment of Bonus Act and Equal Remuneration Act; this Bill, while combining the above four laws, has, in a most unscrupulous manner, sought to dilute whatever pro-labour components were there in those four laws. In particular, the Bill seeks to dilute the enforcement mechanism in order to empower the employers to evade obligations under this wage-related Bill.

A detailed analysis of the proposed Bill does not exhibit any pro-labour intention. Rather at many places, anti-labour stand of the Government has been exposed. It is aimed at converting the law virtually into a toothless piece of legislation, making enforcement and implementation a casualty.

The word 'worker' has been replaced by 'employee' in some clauses. That is not acceptable.

Moreover, in the interest of fairness and propriety, the consensus recommendation of the 45th Indian Labour Conference should have been considered with regard to minimum wages, which has not been done. So, minimum wages have to be considered as per the recommendation of the Indian Labour Conference as well as the Supreme Court advice.

(1750/RBN/MK)

It is recommended that the minimum wages should be Rs. 18,000. That has to be considered. The Bill has not taken care of that. The decision taken by the Central Government regarding the minimum wages without consulting the State Governments cannot be implemented.

The third point is this. "Employer" is defined as the "Principal Employer". It is the most important word in the Contract Labour Act. The word "Principal Employee" must be there in the Bill.

As regards the definition of the word "contractor", that has to be clarified. Regarding the wages, the definition is quite confusing. We want to know whether it includes overtime wages, house rent allowance, bonus. That has to be clarified.

Altogether this is an unnecessary and unwanted Bill. It is part of the anti-labour policy of the Government. So, I oppose the Bill.

(ends)

1751 hours

SHRI JAYADEV GALLA (GUNTUR): Mr. Chairman, Sir, thank you.

I rise to support the Code moved by Shri Gangwar as it benefits all the workers, working both in the organised as well as in the unorganised sectors. The Code is in pursuance to the recommendations made by the Second National Commission on Labour in 2002. The Code is going to merge four Labour Laws as everyone has already mentioned to make it a single Code. It mandates that wages have to be revised once in every five years. So, it is a welcome move.

I just want to make one observation based on our experience of running an industry. When MGNREGA was first introduced, it affected the labour supply in the country for us and for all the other industries as well. Many of the workers who had a choice of either sitting at home and get paid a monthly wage or going and working in an industry, chose to remain at home and get the MGNREGA benefit instead. So, it is very hard to actually get labour for several years. But interestingly what happened is that, this has forced the employers to re-look at their minimum wage and actually offer more lucrative wages to attract that labour force back to industry. So, unofficially it started to work to bring wages up, and, therefore, indirectly setting a minimum wage. So, my suggestion to the Minister of Labour is to please interact and work with the Minister of Rural Development also to ensure that the MGNREGA rate and the minimum wage are synchronised in such a manner that benefits both the sectors so that it does not create problem for one or the other. I think this is a very important point. I would like the Minister to consider this.

There is no doubt that the issue of minimum wages in the country is very complex, complicated and the same view has been subscribed to even by the Economic Survey 2018-19. We have 429 scheduled employments and 1,915 scheduled job categories for unskilled workers under the Minimum Wages Act. The proposed Code removes the concept of scheduled employment in job categories. Industry bodies, including the CII, have welcomed this move.

I now come to some of the provisions of the Code. I will be very brief and pointed in this. So, please give me a few minutes to speak about them. The first one is related to clause 2 (Y) (F) which says wages do not include House Rent Allowance. It is in contravention to the parent Act, where section 2 (H) included House Rent Allowance also. Here, I would request that House Rent Allowance

be included under wages since the minimum wages aim at minimum level of comfort which should be available to an employee, and accommodation is one such basic need.

(1755/SM/YSH)

Secondly, it is contrary to the interpretation by the Apex Court in its April, 2019, judgement in the case of *Hindustan Sanitaryware & Industries Limited and Faridabad Industries Association vs. State of Haryana*, wherein it was held that HRA is part of minimum wages, whereas the Code excludes HRA from wages. So, I suggest for consideration of the hon. Minister to revisit this Clause and reframe it accordingly.

The third point is relating to Section 5 of Equal Remuneration Act which prohibits discrimination in payment of wages and recruitment on the basis of gender. But, Sir, please look at the second proviso to Clause 2(K) of the Bill.…(*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON (SHRI P.V. MIDHUN REDDY): Please conclude now.

SHRI JAYADEV GALLA (GUNTUR): Sir, one minute. I employ more than 15,000 people in this country. I am paying wages to them and they are also paying taxes. These are very few important points, not to be detrimental or anything but just to share with the Government to improve it.

HON. CHAIRPERSON: I think you have completed your time.

SHRI JAYADEV GALLA (GUNTUR): Sir, both are contradictory to each other. One is prohibiting and the other is computing emoluments such as conveyance allowance, HRA, remuneration payable under any Award and overtime allowance. The Code is also silent about the discrimination in recruitment and I feel that it is a glaring gender discrimination towards women.

My fourth point is, under the Minimum Wages Act, it is mandatory to revise the minimum wages at intervals not exceeding five years. But, if you look at Sub-Clause (4) of Clause 8 of the Bill, it says that the appropriate Government shall review or revise minimum rates of wages ordinarily at an interval not exceeding five years. I feel that the wording in the Clause is loosely worded. Here you are using the word ‘ordinarily’ which is not proper. …(*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Please conclude now.

SHRI JAYADEV GALLA (GUNTUR): Hence, I request the hon. Minister to retain the original Section which is clear and does not beat around the bush.

Sir, my next point is, if you look at Clause 9 of the Bill, it is proposed that the Central government will fix floor wages and whatever is fixed by the Central Government is the benchmark for all the States. So, I ask the veracity and tenability of fixation. If one looks at Sub-Clause (3) to Clause 9, it says that the Central Government only consults the States in fixing the minimum wages. It means, the fixation will be thrust upon the States as you are only consulting them. I strongly feel that this amounts to taking away the rights of the States. So, I suggest for consideration of the hon. Minister to substitute the word 'consultation' with 'concurrence'. It is only then you get justified wages for the workers.

Sir, finally, Clause 26(2) says that in case of salary exceeding the threshold limit, the salary can be restricted to threshold limit or the minimum wages, whichever is higher. Sir, I wish to submit that in case the wage ceiling is removed, all employees irrespective of their salary will become eligible for bonus as per the Act. This may defeat the purpose of the law to share profits among the working class.

With these observations and hoping that the hon. Minister will ponder over the issues raised by me and take remedial measures for giving a better structure and shape to the proposed Code on Wages, I conclude my speech. Thank you.

(ends)

1758 hours (Hon. Speaker *in the Chair*)

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): सर, हमेशा मुझे कहा जाता है कि आपका नाम सैकण्ड नम्बर पर है, लेकिन मेरा नम्बर नहीं आता है।

माननीय अध्यक्ष: अधीर रंजन जी अगली बार आपको मौका दिया जाएगा।

BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

6th Report

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEAVY INDUSTRIES AND PUBLIC ENTERPRISES (SHRI ARJUN RAM MEGHWAL): Sir, on behalf of Shri Pralhad Joshi, I beg to lay the 6th Report of the Business Advisory Committee before the House.

1759 बजे

श्री राजू बिष्ट (दार्जिलिंग): अध्यक्ष जी, बहुत सारे विपक्ष के लोग इस बिल का विरोध कर रहे हैं। मैं उनसे एक ही बात कहना चाहूंगा कि जब भी आप विरोध करें, यह जरूर देखें कि कम से कम 50 करोड़ श्रमिक आप लोगों को देख रहे हैं। मैं नेपाली की कविता से अपनी बात शुरू करना चाहूंगा, जो सिद्धि चरण श्रेष्ठ जी ने लिखी थी, जो हमारे काम करने वाले लोगों पर सटीक बैठती है।

"मीठो खानु र रामरो लाउनु
पुस्तक च्यापि डटे रहनु
बाबू तिमिले पांवदेइ नहई
मनुष्य हो तर जानवर होइन
तिमरो बाउसित पैसा छैन। "

यानी मीठा खाना और अच्छा पहनना, पुस्तक पकड़ कर रौब से चलना, बाबू तुम्हारे नसीब में यह नहीं, मनुष्य हो फिर भी जानवरों की तरह ही जीना, क्योंकि तुम्हारे बाबा के पास पैसे नही। कविता पुरानी है, लेकिन फिर भी दार्जिलिंग डुअर्स और तराई के क्षेत्र में काम करने वाले और भारत में अनेक जगहों चाय बगान, सिंकोना बगान में काम करने वाले और बालू पत्थर ढोने वाले खासकर अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम करने वाले लोगों पर आज भी यह कविता सटीक बैठती है। सबसे पहली बात यह आती है कि इस बिल की आवश्यकता क्यों पड़ी?

आज़ादी के 72 वर्षों बाद भी करोड़ों की संख्या में मजदूर आज सम्मान की जिन्दगी नहीं जी रहे हैं, उससे वंचित हैं। देश में कानूनों का जंजाल है, अंग्रेजों के बनाए हुए कानूनों पर आज भी हम चल रहे हैं। हम राइट टू एजुकेशन की बात करते हैं, राइट टू हेल्थ और राइट टू इन्फार्मेशन की बात करते हैं, लेकिन आज तक हमारे देश में राइट टू वेजेज का कोई प्रावधान नहीं है। मजदूरों में लिंग का भेदभाव है, टेक्नोलॉजी का अभाव है, सुविधा और वेलफेयर के नाम पर श्रमिकों को ठगा जा रहा है। ट्रांसपेरेंसी का अभाव है और कई सेक्टर्स में आज भी इंस्पेक्टर राज है। कम्पलायंस बहुत ज्यादा है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। इन सारी समस्याओं के कारण हमारी इंडस्ट्री की एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है, जिससे हम दुनिया भर में लेस कम्पिटिटिव हो जाते हैं। उससे इंडस्ट्री को बचाने के लिए हमें सेफ गार्ड्स और एंटी डम्पिंग ड्यूटी लगानी पड़ती है, जिसके कारण हमारे अपने देश में कॉस्ट बढ़ जाती है।

इतिहास में कभी-कभार ही ऐसा मौका मिलता है कि हम सब लॉ मेकर्स को यह सौभाग्य प्राप्त होता है कि हम अपने शोषित और पिछड़े हुए लोगों की सहायता करें। मैं मंत्री जी को बधाई देता हूं कि वे इतना अच्छा बिल लेकर आए हैं, जिसके कारण मजदूरों का शोषण रुकेगा। यह कोड आन वेजेज बिल अंग्रेजों के जमाने में बनाए गए दमनकारी लेबर लॉज को खत्म करके भारत की नई बुनियाद रखेगा। यह बिल ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में सहायक होगा, देश में बाहर से इनवेस्टमेंट आएगा, इनवेस्टमेंट बढ़ेगा और मोदी जी द्वारा शुरू किए गए 'मेक इन इंडिया' प्रोग्राम को एक नई ऊर्जा देगा।

मैं इस बिल के कुछ खास बिन्दुओं को आपके समक्ष रखना चाहूंगा। राइट टू मिनिमम वेजेज की कल्पना वर्ष 1990-91 में की गई थी, परन्तु आज तक कोई भी सरकार इसे लागू नहीं कर पाई। इस बिल में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह बिल पूरे भारत में आर्गनाइज्ड और अनआर्गनाइज्ड सेक्टर्स में काम करने वाले श्रमिकों को न्यूनतम वेतन की गारन्टी देता है। इस बिल के पास होने के बाद लगभग 50 करोड़ श्रमिकों को नेशनल मिनिमम वेज का लाभ मिलेगा। जहां आज इसमें केवल तीस से चालीस प्रतिशत श्रमिक कवर होते हैं, वहीं इस बिल के पास होने के बाद 100 प्रतिशत श्रमिकों को सुरक्षा मिल जाएगी। इस बिल में चार कानूनों – the Payment of Wages Act, the Minimum Wages Act, the Payment of Bonus Act and the Equal Remuneration Act, 1976 को सबस्यूम करके एक सिम्प्लीफाइड कोड तैयार किया गया है।

सर, मैं अपने क्षेत्र के बारे में कुछ बातें रखना चाहूंगा। आज चाय बागान की स्थिति, खासकर बंगाल में, बहुत ही भयानक है। वहां पर मिनिमम वेजेज एक्ट लागू है, लेकिन करीब 50 प्रतिशत पैसा सुविधा और वेलफेयर के नाम पर काट लिया जाता है, जिससे वर्कर्स के हाथ में कुछ भी नहीं आता है। वहां हर रोज चाय बागान बन्द हो रहे हैं और श्रमिकों की स्थिति बहुत खराब है। …(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, एक मिनट रुकिए।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): अध्यक्ष जी, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि हाउस का समय बिल पास होने तक बढ़ा दिया जाए।

माननीय अध्यक्ष: हाउस का समय बिल पास और ज़ीरो ऑवर तक होने तक बढ़ा दिया जाए, क्योंकि बिल आपका सब्जेक्ट है और ज़ीरो ऑवर सभी माननीय सदस्यों का विषय है।

श्री राजू बिष्ट (दार्जिलिंग): मेरा मंत्री जी से निवेदन है कि पीएलए एक्ट, 1951 को भी आज के भारत के हिसाब से बदलने की आवश्यकता है। अन्त में, मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि यह बिल एक ऐतिहासिक कदम होगा, जो करीब 50 करोड़ श्रमिकों को उनका मिनिमम वेजेज, टाइमली पेमेंट ऑफ वेजेज और ईज़ ऑफ बिजनेस को प्रमोट करते हुए ईज़ ऑफ लिविंग को भी एन्श्योर करेगा। यह जेंडर डिस्क्रिमिनेशन से मुक्ति दिलाएगा और बिना किसी भेदभाव के उचित काम के लिए उचित वेतन दिलाएगा।

अन्त में, मैं दो लाइनें कहना चाहूंगा :

"मानवता के लिए आशा की किरण जगाने वाले हम।
शोषित, पीड़ित बन्धुजनों के भाग्य बनाने वाले हम।"

धन्यवाद।

(इति)

1804 hours

{For English translation of the speech
made by the hon. Member,
Shri Thol Thirumaavalavan in Tamil,
please see the Supplement. (PP 166 A to 166 B)}

(1805/RAJ/SPR)

1807 बजे

श्रीमती जसकौर मीना (दौसा): अध्यक्ष महोदय, मैं मजदूरी संहिता, 2019 विधेयक का समर्थन करने के लिए सदन में खड़ी हुई हूं। मैं आपकी आभारी हूं कि आपने मुझे इस देश, समाज के सबसे निम्न स्तर पर काम करने वाले मजदूरों के हित के बारे बोलने का मौका दिया है। इन्हीं श्रमिकों के श्रम पर यह देश विकास की गति पर आगे बढ़ रहा है। हमारे यशस्वी प्रधान मंत्री जी यह सोच कर कि ऐसे वर्ग जो समाज के सबसे निम्न स्तर पर रह कर काम करते हैं, उनको समझते हुए, उनके हितों के लिए इस बिल को प्रस्तुत किया है। सरकार द्वारा नियुक्त विशेषज्ञों की विशेष समिति द्वारा न्यूनतम मजदूरी के प्रस्ताव को आगे बढ़ाने से अधिकतर कामगारों को लाभ मिलेगा। ऐसे 17-18 राज्य हैं, जिनमें न्यूनतम मजदूरी की दरों को देखें, तो छ: राज्यों में केवल 69 रुपये न्यूनतम मजदूरी तय की गई है। मैं सोचती हूं कि 69 रुपये में उनके घर का खर्चा चलना तो दूर है, उनके परिवार का किसी भी तरह से पालन नहीं हो सकता है। ऐसे कम दाम तय करने वाली वह सरकार या वे लोग हैं, 'जाके पाँव न फटी बिवाई, वह क्या जाने पीर पराई'। ऐसे लोग हैं, जो 70 सालों में अधिकतम समय राज्य करने के बाद भी, शासन भोगने के बाद भी, जिन्होंने गरीबों के हितों की कभी कल्पना नहीं की। वर्तमान समय में, मैं यह कहूंगी कि श्रमिकों की गणना करने के समय महिलाओं की जो भागीदारी है, उस पर बहुत विचार करने की आवश्यकता है। चाहे वह नरेगा का काम हो या अन्य काम हो। नरेगा के काम में अधिकतम योगदान महिलाओं का है।

(1810/IND/UB)

मैं आपके माध्यम से मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहती हूं कि उनमें भी ठेकेदार और दलाल बीच में पड़े हुए हैं जो पहले अपना पैसा लेते हैं और उसके बाद मजदूरों का भुगतान करते हैं। इस तरह की ठेकेदारी की जो अव्यवस्था है, जिसके माध्यम से मजदूरों का शोषण हो रहा है, उसके लिए आपको असंगठित क्षेत्र में काम करने वाली माताओं-बहनों के लिए सोचना पड़ेगा। भवन निर्माण का क्षेत्र हो, कृषि क्षेत्र हो, पशुपालन क्षेत्र हो या कोई भी असंगठित क्षेत्र का काम हो, इन सभी कार्यों में 80 प्रतिशत श्रमिक हमारी महिलाएं हैं, जो सदैव यही भाव लेकर रोजी रोटी कमाती हैं और कहती हैं–

"मेहनत कर जो मानवी, मेहनत सुख की खान
और बिन मेहनत रीझे नहीं, धनी धरत भगवान। "

महोदय, ऐसे में भी उनकी इस आंतरिक भावना का ध्यान न रखते हुए इतनी बड़ी सोच के साथ जो अपने परिवार को पालती हैं, उनके बारे में महानरेगा के काम करने में भी ऐसे बहुत से इंचार्ज आ जाते हैं, जो उनका शोषण करते हैं। मैं आपके माध्यम से यह भी ध्यान में लाना चाहती हूं कि केंद्र सरकार के विभाग चाहे रेलवे हो, चाहे प्रशासनिक व्यवस्था हो, चाहे खाद्यान्न विभाग हो या प्रमुख बंदरगाहों पर काम करने वाले हमारे मजदूर हों, उनके लिए फिर भी कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं इस बिल के माध्यम से लाई गई हैं और वे सुरक्षित भी होंगे लेकिन ईंट भट्टों पर काम करने वाले उन मजदूरों

में 80 प्रतिशत महिलाएं हैं, जो ईंटों का भार अपने माथे पर लेकर कच्ची और पक्की दोनों ईंटों का काम करती हैं। मैं कहना चाहती हूं कि ऐसी स्थिति में ठेकेदारों द्वारा उनका शोषण न हो, इस कानून में इस तरह का भी प्रावधान होना चाहिए।

महोदय, कम से कम वर्तमान में जो परिस्थितियां मजदूरों की हैं, मैं स्वयं गांव से आती हूं और वहीं रहती हूं। मजदूरों से मेरा सीधा संवाद है। उनके लिए चाहे राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, जो भी सरकार उनके कल्याण की योजनाएं बनाती है, हमारा सरकारी तंत्र उन योजनाओं का लाभ लोगों तक नहीं पहुंचने देता। आज जॉब कार्ड भी श्रमिकों के पास नहीं हैं क्योंकि जॉब कार्ड बनाने के लिए निचले स्तर पर नियुक्त कर्मचारी धोखा देते हैं और किसी भी तरह से लोगों को योजनाओं से जोड़ते नहीं हैं। इस कानून में यह सुनिश्चित किया जाए कि लोगों के लिए केंद्र सरकार या राज्य सरकार जो भी सुविधा देती है, उन सुविधाओं को उपलब्ध कराने के लिए निचले स्तर पर कठोर कदम उठाने चाहिए। आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूं।

(इति)

1814 बजे

{For English translation of the speech
made by the hon. Member,
Shri M. Selvaraj in Tamil,
please see the Supplement. (PP 169 A to 169 B)}

(1815/KMR/PC)

1817 hours

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, अब आप बैठ जाइए।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, इस विषय पर रूल्स बनाने से पहले, आप माननीय सदस्य के साथ बैठकर बातचीत कर लीजिएगा।

माननीय सदस्य, माननीय मंत्री जी आपसे बात कर लेंगे।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन, आप बोलिए।

…(व्यवधान)

1817 hours

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Mr. Speaker, Sir, this is a very important legislation which brings drastic changes to the labour sector in the country. This is the first code which the Government has brought before the House.

Sir, since Independence, all our labour legislations have been pro labour. You may kindly see that the concept of labour in India has been that labour is the weaker section of the society and, therefore, the interests of the labour have to be protected. Labour is a class exploited by the employer. This is the basic concept of Indian labour.

Unfortunately, after liberalisation, privatisation and globalisation, that concept has changed drastically. As a part of that change now, labour becomes a commodity in the productive sector and employer becomes a facilitator without any social commitment. This is a paradigm shift from the original policy wherein labour is a weaker force and requires protection under the labour laws. This is the shift which has taken place in the country.

Sir, there are many positive suggestions in the Wage Code Bill and I do accept and recognise those positive formulations. At the same time, I strongly oppose the change that is sought to be brought in the concept of labour. Shifting the concept of labour from one side to the other side, has to be reconsidered by the Government. That is the first suggestion which I would like to make.

The salient features of the Bill are: (1) appropriate Government may declare the minimum wages; (2) national floor minimum wage will also be declared; (3) minimum wage must be revised every five years; (4) overtime allowance will be given to the extent of twice the wages; (5) gender discrimination is prohibited; (6) minimum bonus is 8.33 per cent and maximum is limited to 20 per cent. I am going by the bullet points. Please grant me some time so that I can highlight the drawbacks in the Bill.

The first drawback in the Bill is this. We are declaring the national minimum floor wages. However, though the Bill speaks about a uniform national minimum wage, that national minimum wage will vary from place to place. That means, there will be a multiplicity of national minimum wages. Having different floor wages for different geographical areas makes national rate a deceptive ploy to mislead the people. I suggest that there should be a single statutory national

minimum wage applicable to all the workers and regional differences can be adjusted by taking into account the cost of allowances. If you can add the cost of allowances along with the minimum wages, you can very well rectify the anomaly that arises because of regional differences. That is my first suggestion.

The second drawback is that the formula for fixing the minimum wages is kept out of the Bill. In the 46th Indian labour Conference in 2015, which was attended by hon. Prime Minister Narendra Modi also, there was unanimity on this. Everybody had unanimously agreed on this then. The norms were also accepted and adopted in that National Labour Conference.

(1820/SNT/SPS)

Unfortunately, it is lacking in this Bill. The formula by which the minimum wages have to be given is missing in this Bill. That is one of the major drawbacks in this Bill. The Bill gives unfettered discretion or authority to the Government in fixing minimum wages. That is the second drawback which I would like to mention.

The third drawback is regarding clause 13 of the Bill, which states that, the appropriate Government may fix the number of hours for a normal working day. At present, the minimum working hours is eight. The appropriate Government may fix the number of hours for a normal working day – that has to be revisited.

The fourth drawback relates to employee and worker. This is the first time that in a Bill, employee and worker are defined simultaneously. Differentiating employee and worker and giving separate definition will give room for exploitation of workers. So, I suggest a comprehensive definition for employee and worker to avoid discrimination between worker and employee. That is my suggestion.

The fifth drawback is that the Bill is lacking credibility due to the weak enforcement mechanism. Just now, an hon. Member from the Treasury Benches and also most of the Members spoke about inspector *raj.* Who is afraid of inspector *raj?* What does inspector *raj* mean? Whether the law is being further enforced; whether minimum wages are being provided; whether bonus is being provided; and whether all these benefits of the workers is being provided; if you do not have any inspector, who will look after all these things? Even BMS is opposing it and because of the stringent opposition made by the BMS, the

facilitator has come into the Bill. You are all opposing inspector *raj.* Due to this the poor workers in the country will have to suffer. Who will look after them? So, here, the inspector should also be there. Facilitator has come, I do agree and I appreciate. This is a positive change the Government has taken. But the Bill lacks enforcement. If there is inspector-cum-facilitator in place of inspector, there will be a dilution of the enforcement mechanism. Liberalising labour inspection system is in utter violation of the International Labour Organisation, Labour Inspection Convention, 1947.

Sir, the systematic dilution and weakening of the labour law enforcement machinery and attempt aggressive de-unionisation will adversely affect the collective bargaining capacity of the workers. Hon. Minister, you may please look into the enforcement mechanism.

The fifth drawback is regarding the Equal Remuneration Act of 1976. It prohibits gender discrimination. But, at the same time, regarding recruitment, gender discrimination is still there. Regarding the wages and conditions of service, gender discrimination is prohibited. As far as recruitment is concerned, there is no provision for prohibition of gender discrimination.

With these observations and suggestions, I appeal to the hon. Minister that all the Codes, including the Labour Codes may be kindly sent to the Standing Committee for close scrutiny and it should also be invited for public debate. Only after that, the Bill should be brought to the House. With these suggestions, I conclude my speech.

Thank you very much, Sir.

(ends)

1824 बजे

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को धन्यवाद देना चाहूंगा कि हमारे लोक सभा के 22 साथियों ने अपनी बातें यहां पर रखीं। मैं इसके आगे भी बोलना चाहूंगा कि सारे सदस्यों ने हमारे बिल का स्वागत किया। कुछ सुझाव भी साथियों ने दिए हैं। हम प्रेमचन्द्रन जी से लगातार संपर्क में रहते हैं और उनसे बात करते हैं। मैं ऐसा मानता हूं कि वास्तव में हम लोग एक ऐतिहासिक फैसला कर रहे हैं। …(व्यवधान) निश्चित रूप से इससे मजदूर को जीने का अधिकार मिलेगा और देश के संगठित और असंगठित सभी क्षेत्रों में काम करने वाले 50 करोड़ मजदूर भाई-बहनों को न्यूनतम मजदूरी मिले और वह न्यूनतम मजदूरी समय पर मिले, हमको यह भी सुनिश्चित करना है। केन्द्र और राज्य सरकार दोनों मिलकर फ्लोर वेज से कम न्यूनतम मजदूरी की दर अलग-अलग नहीं कर सकते हैं, मिलकर करेंगे।

(1825/SJN/GM)

इस फ्लोर वेजेज का निर्धारण मजदूर संगठन, नियोक्ता और राज्य सरकारें…(व्यवधान) त्रिपक्षीय संगठन के द्वारा केन्द्र सरकार को और जैसा कि मैंने बताया है कि मजदूर, नियोक्ता और राज्य सरकारें मिलकर जो दर तय करेंगी, हम उसको मानने का काम करेंगे। इसको केन्द्र सरकार बाद में नोटिफाई करेगी। हम किसी अलग तरीके से काम नहीं कर सकते हैं। आज की स्थिति में श्रमिक के चारों एक्ट जो कोड ऑन वेजेज में समाहित हैं, अपने क्लेम के संबंध में जो दावे की सीमा है, उस पर भी हमने विचार किया है। उसके बाद सभी मामलों में हमने यह समय दिया है कि तीन वर्ष के अंदर कोई भी दावा किया जा सकता है और मजदूर अपने दावे को तीन साल के अंदर दाखिल कर सकते हैं। इसके लिए उसको सुझाव भी मिलेगा।

सभी माननीय सदस्यों ने यहां पर अपनी बहुत सारी बातें रखी हैं। मैं इतना कह सकता हूं कि यह रुचि क्या है, हमारी समझ में आता है। कर्मचारी और नियोक्ता एक सिक्के के दो पहलू हैं, ऐसा हम मान सकते हैं। एक-दूसरे के बिना उनका कोई वजूद नहीं है। हमने मजदूरों के लिए विभिन्न लाभकारी प्रावधान किए हैं। वहीं पर इस चीज का भी ध्यान रखा है कि व्यापार करना सुगम और सरल बन सके। भ्रष्टाचार की संभावनाएं कम से कम हों। जहां तक नियोक्ताओं का प्रश्न है, सभी प्रकार की परिभाषाएं एक्टीविटीज में एकरूपता लाने के लिए की जा रही हैं।…(व्यवधान) श्रम कानून में 12 प्रकार के वेजेज की परिभाषा है, जिसमें काफी कन्फ्यूजन होता है। अतः सभी परिभाषाओं में एकरूपता…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मुझे आपको नाम से पुकारना पड़ेगा। अब आप अपनी सीट से नहीं उठिएगा। अगर आप सीट से उठें, तो मैं आपका नाम पुकारूंगा और दोबारा नाम पुकारने के बाद आपको इस सदन से बाहर जाना पड़ेगा।

…(<u>व्यवधान</u>)

1827 बजे

(इस समय श्री भगवंत मान सभा से बाहर चले गए।)

श्री संतोष कुमार गंगवार : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य से आग्रह करूंगा कि अगर उन्हें कोई विशेष बात कहनी है, तो वह मेरे आफिस में आकर हमको इसकी जानकारी दे सकते हैं।...(व्यवधान) सभी परिभाषाओं में एकरूपता लाई जा रही है। पेनल्टीज को तर्कसंगत बनाया जा रहा है। कंपाउंडिंग की भी व्यवस्था की जा रही है और रिटर्न्स को बहुत सरल किया जा रहा है। इंस्पेक्शन को पारदर्शी एवं जवाबदेह बनाया जा रहा है। भ्रष्टाचार की संभावानाएं रोकने के लिए जूरिस्डिक्शन फ्री इंस्पेक्शन का प्रावधान किया गया है। मैं इतना कहना चाहूंगा कि जिन 22 सदस्यों ने अपनी बातें रखी हैं, मेरा ऐसा मानना है कि आने वाले समय में आपको बहुत-सी सुविधाएं मिलेंगी और आप यह महसूस करेंगे कि हम लोग मजदूर के हितों के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। हम लोग एक ऐतिहासिक फैसला ले रहे हैं।

मैं यह इसलिए भी कह रहा हूं कि देश के 50 करोड़ संगठित और असंगठित क्षेत्रों में काम करने वाले मजदूर भाई-बहनों के लिए और जैसा अभी हमारे कुछ माननीय सदस्य कह रहे थे कि वास्तव में यह कोई छोटा काम नहीं है, बल्कि एक बड़ा काम है कि हम गणना कैसे करेंगे कि किसी घर में कौन काम कर रहा है। बाजार में किसी की दुकान में कौन काम कर रहा है और कौन ठेला लगाकर काम कर रहा है। यह हमारी समझ में आ रहा है। लेकिन एक शब्द जो हमारे सभी साथी कहते हैं कि मोदी जी हैं, तो सब कुछ मुमकिन है। मैं इतना ही कह सकता हूं कि आपको हमारी तरफ से शिकायत का कोई मौका नहीं मिलेगा और पूरे देश में मजदूर भाई-बहन हमारी बात को सुन रहे हैं। सभी स्थानों के मजदूर हमसे बात करते हैं और इस बिल के ऊपर आश्चर्य करते हैं कि यह आप लोगों की समझ में कैसे आया है। मुझे ध्यान है कि आदरणीय प्रधान मंत्री जी ने पहली मीटिंग में ही समाज के सबसे निचले तबके की चर्चा की थी और यह कहा था कि कैसे हम लोग इनका हित कर सकते हैं? आज हम यहां पर उसी बिल को लेकर आपके बीच में आए हैं। अगर किसी को कोई शंका है, तो वह हमसे मिलकर उसको बता सकते हैं। हम उसका समाधान करवाने का काम करेंगे।

हमारे सभी माननीय सदस्यों ने जो बातें कही हैं, मैं ऐसा महसूस करता हूं कि जब यह कानून बन जाएगा और उसके बाद बातचीत करेंगे। जहां भी आवश्यकता होगी, हम उन सदस्यों को बुलाकर बात करेंगे और उनकी समस्याओं का समाधान करेंगे। अतः मेरा सदन से यह निवेदन है कि इस महत्वपूर्ण विधेयक को पास करने का काम करें, ताकि आने वाले समय में मजदूरों को यह लगे कि हम उनकी चिंता को मिलकर निपटाने का काम कर रहे हैं।

(इति)

(1830/KN/RK)

माननीय अध्यक्ष : श्री एम. के. राघवन, आप कुछ स्पष्टीकरण पूछना चाहते हैं?

SHRI M. K. RAGHAVAN (KOZHIKODE): Thank you, Speaker, Sir, for giving me this opportunity. I would like to highlight some points to get clarifications from the hon. Minister.

The Code outlines various deductions to be made and also indicates that the employee will not be responsible after the employer has deducted these, but not deposited with any Trust or Government fund. What action will be taken against the employer?

There is ambiguity in the definition of the term 'worker' and 'employee'. Lack of consistency will discriminate between the worker and the employee.

While defining the provisions of wage, length of service in an organisation should also be considered. This is not reflected in the Bill.

The definition of 'gender' also needs elucidation. This has not been properly defined anywhere in the Act. In fact, all the three, that is male, female, and transgender, should be included

The penalty imposed for the employer is too meagre.

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, स्पष्टीकरण के अंदर एक स्पष्टीकरण हो तो आप माननीय मंत्री जी से पूछ सकते हैं। आप उसमें पूर्ण चर्चा में भाग नहीं लेंगे।

डॉ. सत्यपाल सिंह।

डॉ. सत्यपाल सिंह (बागपत): अध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले माननीय मंत्री जी का बड़ा अभिनन्दन करता हूँ कि वे इतना अच्छा बिल लेकर आए हैं। अध्यक्ष महोदय, मेरा माननीय मंत्री जी से एक सवाल है कि हम लोग जो न्यूनतम मजदूरी फिक्स करते हैं, मेरे पास इनके मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ लेबर का 01 अक्टूबर, 2018 का एक चार्ट है, उस चार्ट में दिया है कि जो सफाई कर्मचारी है, उनको न्यूनतम मजदूरी कितनी मिलेगी और किसान के यहाँ कृषि के क्षेत्र में काम करने वाले जो लोग हैं, मैं सभी माननीय सदस्यों के सामने यह बात रखना चाहता हूँ कि सफाई कर्मचारी को 558 रुपये और कृषि क्षेत्र में, जिसको सेमी स्किल्ड माना जाता है, उसको 389 रुपये और अन-स्किल्ड को 355 रुपये मिलते हैं। कृषि क्षेत्र में काम करने वाले मजदूर को 355 और सफाई कर्मचारी को 558 रुपये मिलते हैं और सबसे नीचे 373 रुपये है। मेरा मानना यह है कि जब हम सीएसीपी में न्यूनतम मजदूरी कैलकुलेट करते हैं, किसानों की आमदनी दोगुनी करने की बातें करते हैं, उनके न्यूनतम समर्थन मूल्य की गणना करते हैं, कृषि क्षेत्र में काम करने वालों का कम है तो उससे किसानों को बड़ा नुकसान होता है। यह मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि क्या किसान के खेत में काम करने वाले लोगों का सम्मान कम है?

माननीय अध्यक्ष : श्री हनुमान बैनिवाल। माननीय मंत्री जी, एक साथ जवाब दे दीजिएगा। आप तो अनुभवी हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है।

श्री हनुमान बैनिवाल (नागौर): अध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल का समर्थन करता हूँ और यह पहली बार आज़ादी के 70 सालों बाद सरकार ने मजदूर, गरीब आदमी, गाँव के अंतिम छोर पर जो व्यक्ति बैठा है, उसका भी इसके अंदर जिक्र किया है। सर, आप थोड़े से गुस्से में लग रहे हैं, इसलिए मैं कम ही स्पष्टीकरण पूछूँगा। इस बिल के अंदर यह भी तय कर दिया कि केन्द्र जो न्यूनतम मजदूरी तय करेगी, उससे कम कोई भी राज्य सरकार नहीं करेगी। अगर केन्द्र से ज्यादा कोई राज्य सरकार करना चाहे तो वह कर सकती है। मैं दो-तीन बातों पर स्पष्टीकरण पूछना चाहूँगा। सीवरेज का काम करने वाले परिवारों के लिए अलग से व्यवस्था की जाए, क्योंकि इनकी आयु 50, 55 और 60 साल से ज्यादा नहीं होती है। दूसरा, भट्टा मजदूर, सीमेंट कम्पनियों के अंदर काम करने वाले, सीमेंट कम्पनियों में, जिनकी लैंड एक्वायर कर ली जाती है, वहाँ पहले यह कहा जाता है कि जिनकी लैंड हम लेंगे, उनके पुनर्वास की व्यवस्था करेंगे और उनकी मजदूरी, उनके लिए शेयर आदि भी होगा, इसकी व्यवस्था की जाए। माइनिंग मजदूरों को सिलिकोसिस बीमारी होती है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और ओडिशा के अंदर ज्यादा माइनिंग होती है।...(व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, एक मिनट। मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूँ। वहाँ सिलिकोसिस बीमारी से मरने वालों को पैसा दिया जाता है, उसको बढ़ाया जाए। मेरा यही निवेदन है कि आज़ादी के 70 सालों बाद, 50 साल इन्होंने राज किया, इन्होंने कभी मजदूरों की चिन्ता नहीं की।...(व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, मात्र एक मिनट दे दीजिए।

माननीय अध्यक्ष : किन्होंने राज किया, यह स्पष्टीकरण का विषय थोड़े ही है। आप बैठ जाइये।

श्री हनुमान बैनिवाल (नागौर): सर, मैं इधर ही बात कर रहा हूँ। मैं इतना ही निवेदन कर रहा हूँ कि 50 करोड़ से ज्यादा कामगार मजदूर आपकी ओर देख रहे हैं, मोदी जी की ओर देख रहे हैं कि आज यह बिल आ रहा है तो निश्चित रूप से मजदूर के बच्चों को भी अच्छी शिक्षा मिलेगी, अच्छी चिकित्सा सुविधा मिलेगी। मजदूर का बेटा भी अच्छे स्कूल के अंदर पढ़ने के लिए जाएगा, अच्छी यूनिवर्सिटी के अंदर जाएगा। मंत्री जी मजदूरों के हितों को पूरा संरक्षित करें। मजदूरों के हितों से ही अपनी सरकार बनी है और आगे भी आप काम करते रहेंगे तो आगे भी सरकार और बनती रहेगी।

(1835/PS/CS)

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): My one quick question is this. This Code, after it is passed by both the Houses -- the Lok Sabha and the Rajya Sabha -- will definitely revolutionise the labour position.

But here, it has been very categorically mentioned that this will cover all sectors – industries, trade and business, manufacturing, and occupation that is carried out. My question here is to a specific sector, that is, the film industry sector. A large number of people are engaged as technicians. They are all in the unorganised sector. Nobody is confirmed. Of course, they get adequate wages, but no other facility is provided to that sector.

I would like to know from the hon. Minister whether that sector is coming under this Code or not. What specific provisions are you going to make for those technicians of film industry? Thank you, Sir.

प्रो. सौगत राय (दमदम): महोदय, मेरा छोटा सा सवाल है। मंत्री जी, देखिए कि जो डेफिनेशंस हैं, उसमें Clause 2(k) states "employee" means, any person other than an apprentice, etc., employed on wages by an establishment to do any skilled, semi-skilled or unskilled, manual, operational, supervisory, managerial, administrative, technical or clerical work for hire or reward. यह इम्प्लॉई की डेफिनेशन हुई। फिर बोलते हैं कि a "worker" means any person except an apprentice employed in any industry to do any manual, unskilled, skilled, technical, operational, clerical or supervisory work for hire or reward, whether the terms of employment be express or implied. एक ही बिल में एक ही काम के लिए आपने दो शब्द इस्तेमाल किए हैं। एक शब्द इम्प्लॉई है और दूसरा शब्द वर्कर है। इसी को लेकर मालिक लोग हम पर बोझ डालेंगे। वैसे ही मजदूर के प्रतिनिधि इतने हैन्डीकैप्ड हैं, आपने क्यों दो शब्द किए हैं, आप दोनों को एक साथ कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। यही मुझे कहना है।

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, अधीर रंजन चौधरी जी।

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): सर, मुझे दो-तीन बिन्दु पर क्लेरिफिकेशन पूछना है।

माननीय अध्यक्ष : अधीर रंजन जी, आप भूमिका मत बांधना। आप दादा की तरह प्रश्न पूछना।

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY (BAHARAMPUR): The Universal Minimum Wage scheme is fine. There is no doubt about it. I would like to know from the hon. Minister whether you have the administrative wherewithal to enforce it or not. I would also like to know whether you have the enforcement mechanism to implement it or not.

The Code is silent on who constitutes the “employer”. The definition suggested in the Code fails to understand the range of “employer”, who falls outside the purview of employment laws and does not account for those employers who hire workers on oral contract. मुँह की बात पर लेबर को बुला लेते हैं, उन एम्प्लॉयर के साथ लेबर चली जाती है, आप क्या करोगे?

As per the recently released PLFS, 71 per cent of regular and wage workers do not have written contracts and 64 per cent do not provide any form of social security to their workers. In this case, it is difficult to assign the accountability towards employers, who are nonetheless ‘ghost employers’, whose presence can be felt, but cannot be seen on the surface. मेरा यह कहना है कि आप एम्प्लॉई की बात तो सोच रहे हैं, लेकिन एम्प्लॉयर भी भूत जैसा एम्प्लॉयर न बन जाए,

घोस्ट एम्प्लॉयर न बन जाए। जिनकी तनख्वाह 16 हजार रुपये है, उनको इम्प्लॉई में शामिल नहीं किया गया है। साथ-साथ इसमें अप्रेंटिस के बारे में कोई परिभाषा आपने नहीं दी है।

अन्तिम मुद्दा यह है कि the Code dilutes the Equal Remuneration Act. आपने मिनिमम वेजेज के लिए जो सेन्ट्रल एडवाइजरी बोर्ड बनाया, वहाँ महीने का जो पार्टिसिपेशन है, वह 50 परसेंट था, अब आपने उसे एक तिहाई कर दिया है। आपने ट्रांसजेंडर के बारे में इसमें कोई परिभाषा नहीं दी है और उस सबको आपने हटा दिया है। यह जो थोड़ा भेद-भाव है, इसको दूर करना चाहिए।

पे-कमीशन ने 18 हजार रुपये मिनिमम वेज के लिए बोला है। पे-कमीशन ने आपको 18 हजार रुपये मिनिमम वेज की नसीहत दी है। उस बारे में आपकी क्या राय है?

(1840/RV/RC)

श्री पल्लब लोचन दास (तेजपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहूंगा कि जब वेजेज़ का फिक्सेशन होता है, उस समय इम्प्लॉयर्स, वर्कर्स और गवर्नमेंट के सारे अधिकारी मिलकर वेजेज़ फिक्स करते हैं तो क्या उसके लिए सरकार कोई टेक्निकल कमेटी बनाएगी, जहां पर, वेजेज़ किस तरह से फिक्स होगा, उस फॉर्मूले के ऊपर हम लोग बात कर सकें?

मेरा दूसरी बात यह है कि यह जो वैरिएबल अलाउंसेज और बेसिक पे है, इसे रिवाइज करना होता है, मगर बहुत राज्यों में यह रिवाइज नहीं होता है। उस रिवीजन को मॉनीटर करने के लिए क्या कोई मैकेनिज्म होगा, यह मैं जानना चाहता हूं।

SHRI M. SELVARAJ (NAGAPATTINAM): Sir, a lot of skilled and unskilled workers are working in CPCL and ONGC, public sector undertakings which are situated in my constituency. They are working there for more than 10 years now. Will they be given confirmed jobs? I want to know this from the hon. Minister.

SHRI P. P. CHAUDHARY (PALI): Sir, even after so many years, the problem of contract labour is there. In this Code the 'establishment' includes 'Government establishment' also. Most of the times we see that the Government establishments employ people through contractors. But as per various decisions of the Supreme Court in the last 20 years, if the place of work, supervision, and payment of salary is done by the principal employer, *i.e.,* by the Government, he has to be paid equal pay. Is labour through contractor permissible under this Code? At the same time, he is not getting equal pay for equal work only on the ground that he is a labour of contractor and not the labour of the principal employer whereas he is working with the principal employer, salary is being paid by the principal employer, the establishment is of the principal employer and supervision is also of the principal employer. What is the clarification on this issue?

प्रो. एस. पी. सिंह बघेल (आगरा): महोदय, मेरा इसमें सुझाव है कि 'मजदूर' और 'लेबर' शब्द बहुत हीन भावना से ग्रसित शब्द है। इन्हें 'श्रमजीवी' कहा जाए तो ज्यादा अच्छा होगा क्योंकि ये अपने श्रम से जीवित हैं। इन्हीं की मेहनत से हमारी कोठियों में रौनक आती है, इन्हीं की मेहनत से हमारे भट्ठों में रौनक आती है, इन्हीं की मेहनत से हमारे खेतों में फसल लहलहाती है। 'मजदूर' बहुत अच्छा शब्द नहीं है। इन्हें 'श्रमजीवी' कहा जाए। ये भूमिहीन, भवनहीन लोग हैं और अपने श्रम से जीवित हैं, जैसे हमने 'चपरासी', 'पिउन' कहना बंद कर दिया है और उन्हें 'सहायक' कहना शुरू कर दिया है। इसमें कोई वित्तीय भार भी नहीं पड़ेगा और उन्हें अच्छा भी लगेगा।

धन्यवाद।

श्री बिद्युत बरन महतो (जमशेदपुर): अध्यक्ष महोदय, हमारे झारखंड प्रदेश में मनरेगा मजदूरों की मजदूरी बहुत ही कम है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या न्यूनतम मजदूरी का प्रावधान पूरे देश में मनरेगा मजदूरों पर भी लागू होगा?

श्री संतोष कुमार गंगवार: महोदय, मनरेगा ग्रामीण विकास मंत्रालय के अन्तर्गत आता है और जहां तक मेरी जानकारी है, प्रत्येक वर्ष मनरेगा में दिए जाने वाले धन का अमाउन्ट बढ़ रहा है। इसका एक अच्छा स्वरूप नजर आ रहा है। अगर माननीय सदस्य को व्यक्तिगत रूप से कुछ कहना है तो वे ग्रामीण विकास मंत्री जी से सम्पर्क करके उनसे बात कर लें।

माननीय अध्यक्ष जी, यहां पर कई साथियों ने अपनी बातें कही हैं। जहां तक इम्प्लॉई और वर्कर की परिभाषा की बात है तो जो सुपरवाइजरी श्रेणी में आ जाता है, वह फिर दूसरी दिशा में आता है, इसलिए इसमें नाम का थोड़ा अन्तर समझ में आ रहा है।

इम्प्लॉयर की परिभाषा सेक्शन - 2 (एफ) में दी हुई है। अभी मैं आपको इसे पढ़ कर नहीं सुना सकता, पर निश्चित रूप से, अगर आप इसे पढ़ेंगे तो आपको कुछ बात समझ में आ जाएगी।

(1845/MY/SNB)

अप्रेन्टिस शब्द पहले से ही हमारे श्रम कानून में शामिल नहीं है और हम इस पर कुछ करने भी नहीं जा रहे हैं। अप्रेन्टिस के बारे में हम किसी व्यवस्था में व्यवधान डालने का काम नहीं कर रहे हैं।

जहां तक मनरेगा का प्रश्न है, …(व्यवधान) हमारा केवल इतना ही कहना है, पी.पी. चौधरी साहब ने जो सुझाव दिया है, वह हमारी समझ में आ रहा है। आप सभी सदस्यों ने जो भी बताया है, मैं ऐसा मानता हूं कि हम लोग एक ऐतिहासिक फैसला दे रहे हैं। आप लोग जो चिंता व्यक्त कर रहे हैं, देश में 40 करोड़ मजदूर हैं, जिनके बारे में अब तक कोई चिंता नहीं की गई। हमारी सरकार और प्रधान मंत्री जी उनकी चिंता कर रहे हैं। उनको न्यूनतम वेतन मिले, इसकी बात कर रहे हैं।…(व्यवधान) इस बिल के पास होने के बाद, हम अपने निर्धारित प्रक्रिया के तहत सभी के साथ बैठेंगे। इम्प्लॉयर, इम्प्लाई और राज्य सरकारों के साथ बैठकर न्यूनतम वेतन तय करने का काम करेंगे।

अब मैं आप सभी साथियों का बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं और इस आशा के साथ कहता हूं कि आप सभी इसको पास करें। देश भर के मजदूर निश्चित रूप से इससे प्रभावित होंगे और आप सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद देंगे।

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

"कि मजदूरी और बोनस संबंधी विधियों का संशोधन और समेकन करने तथा उससे संसक्त या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष: अब सभा विधेयक पर खण्डवार विचार करेगी।

संशोधन संख्या 13 से 15 और 49 से 57

(खंड 2)

माननीय अध्यक्ष: प्रो. सौगत राय, क्या आप संशोधन संख्या 13 से 15 और 49 से 57 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

प्रो. सौगत राय (दमदम): अध्यक्ष महोदय, एक बार में नहीं, बल्कि एक-एक करके क्लॉज बाई क्लॉज कीजिए।

माननीय अध्यक्ष: आपने जो अमेंडमेंट दिया है, उसको क्लब किया गया है। कृपया, आप बैठ जाइए और एक बार फिर से सुन लीजिए।

संशोधन संख्या 13 से 15 और 49 से 57

PROF. SOUGATA RAY (DUM DUM): Sir, I have not completed my submission. Let us not make a mistake. I have given notices for moving amendments from 13 to 17 and 49 to 58. So, I have given notices for a number of amendments. Our normal process is to take up clause by clause. खंड को उठाया जाए और उसके बाद संशोधन उठाया जाए। यह मेरी बात नहीं है। हर क्लॉज में जो अमेंडमेंट है, उसको उठाना चाहिए। अगर आप इसको शॉर्ट करना चाहते हैं, तो मेरे ख्याल से इससे हमारी संसदीय रीति भंग होगी। मैं नहीं चाहता हूं कि महामहिम अध्यक्ष जी इस संसदीय रीति को भंग करें।

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आपने जो संशोधन दिया है, वह एक साथ क्लब करके दिया है और यह खंड 2 पर है।

माननीय सदस्य, आपने खंड 2 पर क्लॉज बाई क्लॉज संशोधन दिया है, इसलिए इसे क्लब किया गया है। हम परंपरा को बदल नहीं रहे हैं। जिस दिन हम बदलेंगे, अध्यक्षीय निर्देश से परंपराओं को बदल सकते हैं। यह अधिकार आपने मुझे दिया है, लेकिन आज मैं व्यवस्था को नहीं बदल रहा हूं।

…(व्यवधान)

श्री संतोष कुमार गंगवार: जिन साथियों ने यहां पर संशोधन का प्रस्ताव दिया है, मैं उनसे वादा करता हूं कि उनसे मिलकर मैं उनकी बातों का समाधान करूंगा। मेरा आग्रह है कि आप अपना संशोधन वापिस ले लें।

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, मंत्री जी ने आग्रह किया है, बाकी आपका यह अधिकार है। संशोधन मांगना आपका अधिकार है। माननीय मंत्री जी ने व्यक्तिगत रूप से आग्रह किया है कि मैं जब नियम बनाने लगूंगा, तो इस विधेयक के बारे में सभी माननीय सदस्यों से भेंट कर उनके साथ व्यापक रूप से चर्चा करूंगा, लेकिन यह आपका अधिकार है।

…(व्यवधान)

(1850/RU/CP)

माननीय अध्यक्ष : एन. के. प्रेमचन्द्रन जी, क्या आप संशोधन प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): I beg to move:

"Page 2, *for* lines 22 to 24,--

substitute *"*(i) undertakes to produce a given result for the establishment including a person supplying goods or articles of manufacture to such establishment through contract labour; or"." (30)

माननीय अध्यक्ष : अब मैं श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन द्वारा खंड 2 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 30 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

"कि खंड 2 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 3 और 4 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड 5

माननीय अध्यक्ष : श्री पी.आर. नटराजन, क्या आप संशोधन प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI P. R. NATARAJAN (COIMBATORE): I beg to move:

"Page 6, line 3,--

after *"*employee"

insert "and/or/worker". " (1)

माननीय अध्यक्ष : अब मैं पी.आर. नटराजन द्वारा खंड 5 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 1 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष : एन. के. प्रेमचन्द्रन जी, क्या आप संशोधन प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): I beg to move:

"Page 6, line 3,--

after "wages"

insert "less than eight hundred rupees per day or the wages".

" (31)

माननीय अध्यक्ष : अब मैं श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन द्वारा खंड 5 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 31 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

"कि खंड 5 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 5 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 6

माननीय अध्यक्ष : सौगत राय जी, क्या आप संशोधन प्रस्तुत करना चाहते हैं?

प्रो. सौगत राय (दमदम): सर, मैं नहीं मूव कर रहा हूं।

माननीय अध्यक्ष : श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन, क्या आप संशोधन प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): I beg to move:

"Page 6, line 6,--

after "wages"

insert "not less than eight hundred rupees per day". (32)

Page 6, line 8,--

after "wages"

insert "not less than eight hundred rupees per day". (33)

Page 6, line 20,--

after "prescribed"

insert "but not less than eight hundred rupees per day". (34)

Page 6, line 25,--

after "or both; and"

insert "the minimum rate of wages for unskilled workers shall be not less than eight hundred rupees per day, for skilled and semi-skilled workers not less than one thousand five hundred rupees per day and one thousand two hundred rupees per day, respectively, and for highly skilled not less than two thousand rupees per day"." (35)

माननीय अध्यक्ष : अब मैं श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन द्वारा खंड 6 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 32 से 35 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन मतदान के लिए रखे गए और अस्वीकृत हुए।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

"कि खंड 6 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 6 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 7

माननीय अध्यक्ष : श्री पी.आर. नटराजन, क्या आप संशोधन प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI P. R. NATARAJAN (COIMBATORE): I beg to move:

"Page 6, *after* line 44,--

add "(1A) The component of minimum wages as specified in clauses (a), (b) and (c) of sub-section (1) shall be computed on the basis of the norms/criteria recommended by the 15th Indian Labour Conference (1957) and the directions of the Supreme Court in the Repttakos Co. Vs Workers' Union (1992) and also as unanimously recommended by the 44th (2012), 45th (2013) and 46th (2014) Indian Labour Conferences"." (2)

माननीय अध्यक्ष : अब मैं श्री पी.आर. नटराजन द्वारा खंड 7 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 2 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष : सौगत राय जी, क्या आप संशोधन प्रस्तुत करना चाहते हैं?

प्रो. सौगत राय (दमदम): सर, मैं नहीं मूव कर रहा हूं।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

"कि खंड 7 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 7 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 8

माननीय अध्यक्ष : श्री पी.आर. नटराजन, क्या आप संशोधन प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI P. R. NATARAJAN (COIMBATORE): I beg to move:

"Page 7, line 7,--

Omit "either". (3)

Page 7, *after* line 7,--

insert "(a) ensure that the fixation of minimum wage is as per the norms/criteria recommended by the 15th Indian Labour Conference (1957) and the directions of the Supreme Court in the Repttakos Co. Vs Workers' Union (1992) and also as unanimously recommended by the 44th (2012), 45th (2013) and 46th (2014) Indian Labour Conferences". (4)

Page 7, *for* lines 8 and 9,--

substitute "(aa) appoint as many committees as it considers necessary to implement the norms/criteria as specified in clause (a) of this sub-section and shall also take into consideration the basis of the price-level (Consumer Price Indices) prevalent at the time of appointment or as per the terms of reference on the period decided by the Government to arrive at the minimum wage figures;". (5)

Page 7, *for* lines 20 to 25,--

substitute "(3) After examining the figures of minimum wage arrived at by the committee appointed under clause (aa) of sub-section (1), the appropriate Government shall by notification fix or, as the case may be, revise the minimum rates of wages and unless such notification otherwise provides, it shall come into force on the expiry of three months from the date of its issue". (6)

Page 7, line 29,--

o*mit* "ordinarily". (7)

माननीय अध्यक्ष : अब मैं श्री पी.आर. नटराजन द्वारा खंड 8 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 3 से 7 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन मतदान के लिए रखे गए और अस्वीकृत हुए।

माननीय अध्यक्ष : श्री कोडिकुन्निल सुरेश, क्या आप संशोधन प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI SURESH KODIKUNNIL (MAVELIKKARA): I beg to move:

"Page 7, line 30,--

for "five years"

substitute three years". " (18)

माननीय अध्यक्ष : अब मैं श्री कोडिकुन्निल सुरेश द्वारा खंड 8 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 18 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ।

(1855/NK/NKL)

माननीय अध्यक्ष: श्री एन.के.प्रेमचन्द्रन, क्या आप संशोधन प्रस्तुत करना चाहते हैं।

SHRI N.K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Sir, I am not moving amendment No. 36.

माननीय अध्यक्ष : प्रो. सौगत राय, क्या आप संशोधन प्रस्तुत करना चाहते हैं?

PROF. SOUGATA RAY (DUM DUM): Sir, I am not moving amendment Nos. 59 and 60.

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

"कि खंड 8 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 8 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 9

माननीय अध्यक्ष : श्री पी. आर. नटराजन, क्या आप संशोधन प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI P.R NATARAJAN (COIMBATORE): Sir, I beg to move:

Page 7, line 32,--

after "in such manner as may be prescribed"

insert "and on the basis of the norms/criteria recommended by the 15th Indian Labour Conference (1957) and the directions of the Supreme Court in Repttakos Co. Vs Workers' Union (1992) and also as unanimously recommended by the 44th (2012), 45th (2013) and 46th (2014) India Labour Conferences.". (8)

माननीय अध्यक्ष : अब मैं श्री पी. आर. नटराजन द्वारा खंड 9 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 8 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष : प्रो. सौगत राय, क्या आप संशोधन प्रस्तुत करना चाहते हैं?

PROF. SOUGATA RAY (DUM DUM): Sir, I am not moving amendment No. 61.

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

"कि खंड 9 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 9 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 10

माननीय अध्यक्ष : श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन, क्या आप संशोधन प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI N.K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Sir, I am not moving amendment No. 37.

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

"कि खंड 10 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 10 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 11

माननीय अध्यक्ष : प्रो. सौगत राय, क्या आप संशोधन प्रस्तुत करना चाहते हैं?

PROF. SOUGATA RAY (DUM DUM): Sir, I am not moving amendment No. 62.

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

"कि खंड 11 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 11 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 12 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 13

माननीय अध्यक्ष : प्रो. सौगत राय, क्या आप संशोधन प्रस्तुत करना चाहते हैं?

PROF. SOUGATA RAY (DUM DUM): Sir, I am not moving amendment No. 63.

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

"कि खंड 13 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 13 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 14 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 15

माननीय अध्यक्ष : श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन, क्या आप संशोधन प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI N.K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Sir, I am not moving amendment No. 38.

माननीय अध्यक्ष : प्रो. सौगत राय, क्या आप संशोधन प्रस्तुत करना चाहते हैं?

PROF. SOUGATA RAY (DUM DUM): Sir, I am not moving amendment No. 64.

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

"कि खंड 15 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 15 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 16 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 17

माननीय अध्यक्ष : श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन, क्या आप संशोधन प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI N.K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Sir, I am not moving amendment Nos. 39 and 40.

माननीय अध्यक्ष : प्रो. सौगत राय, क्या आप संशोधन प्रस्तुत करना चाहते हैं?

PROF. SOUGATA RAY (DUM DUM): Sir, I am not moving amendment Nos. 65 and 66.

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

"कि खंड 17 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 17 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 18

माननीय अध्यक्ष : श्री कोडिकुन्निल सुरेश, क्या आप संशोधन प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI KODIKUNNIL SURESH (MAVELIKKARA): Sir, I beg to move:

Page 10, line 4,--

after "absence from duty"

insert "after it is proved that the absence is in contravention of employment conditions agreed upon and laid down".

(19)

माननीय अध्यक्ष : अब मैं श्री कोडिकुन्निल सुरेश जी द्वारा खंड 18 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 19 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ।

(1900/MK/RP)

माननीय अध्यक्ष : श्री एन.के.प्रेमचन्द्रन जी, क्या आप संशोधन प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Sir, I beg to move:

Page 11, line 10,-

for "fifty per cent."

substitute "thirty-five per cent.". (41)

Page 11, line 11,-

for "fifty per cent."

substitute "thirty-five per cent.". (42)

Page 11, line 16,-

insert "Provided that the deductions under clauses (m) and (n) are affected only after proving the loss under the due process of law.". (43)

माननीय अध्यक्ष : अब मैं श्री एन.के.प्रेमचन्द्रन जी द्वारा खण्ड 18 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 41 से 43 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूँ।

संशोधन मतदान के लिए रखे गए और अस्वीकृत हुए।

माननीय अध्यक्ष : प्रो.सौगत राय जी, क्या आप संशोधन प्रस्तुत करना चाहते हैं?

PROF. SOUGATA RAY (DUM DUM): Sir, I am not moving my Amendment No. 67.

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है:

"कि खण्ड 18 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 18 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 19 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 20

माननीय अध्यक्ष : श्री पी.आर.नटराजन जी, क्या आप संशोधन प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI P. R. NATARAJAN (COIMBATORE): Sir, I had given only selected amendments. I beg to move:

Page 11, *omit* lines 46 to 48 (9)

Page 12, *omit* lines 1 to 7 (10)

माननीय अध्यक्ष : अब मैं श्री पी.आर.नटराजन जी द्वारा खण्ड 20 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 9 और 10 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूँ।

संशोधन मतदान के लिए रखे गए और अस्वीकृत हुए।

माननीय अध्यक्ष : श्री एन.के.प्रेमचन्द्रन जी, क्या आप संशोधन प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Sir, I beg to move:

Page 11, *omit* lines 46 to 48 (44)

Page 12, *omit* lines 1 to 7 (45)

माननीय अध्यक्ष : अब मैं श्री एन.के.प्रेमचन्द्रन जी द्वारा खण्ड 20 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 44 और 45 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूँ।

संशोधन मतदान के लिए रखे गए और अस्वीकृत हुए।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है:

"कि खण्ड 20 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 20 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 21 से 25 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड 26

माननीय अध्यक्ष : श्री सुरेश कोडिकुन्निल जी, क्या आप संशोधन प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI KODIKUNNIL SURESH (MAVELIKKARA): I beg to move:

Page 13, line 16,-

for "twenty per cent."

substitute "twenty-five per cent". (20)

माननीय अध्यक्ष : अब मैं श्री सुरेश कोडिकुन्निल जी द्वारा खण्ड 26 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 20 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूँ।

संशोधन मतदान के लिए रखे गए और अस्वीकृत हुए।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है:

"कि खण्ड 26 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 26 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 27 से 30 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड 31

माननीय अध्यक्ष : श्री पी.आर.नटराजन जी, क्या आप संशोधन प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI P. R. NATARAJAN (COIMBATORE): Sir, I beg to move:

Page 14, lines 46 and 46,-

omit ",but the authority shall not disclose any information contained in the balance sheet unless agreed to by the employer". (11)

माननीय अध्यक्ष : अब मैं श्री पी.आर.नटराजन जी द्वारा खण्ड 31 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 11 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूँ।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है:

"कि खण्ड 31 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 31 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 32 से 38 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड 39

माननीय अध्यक्ष : श्री सुरेश कोडिकुन्निल जी, क्या आप संशोधन प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI KODIKUNNIL SURESH (MAVELIKKARA): Sir, it is regarding bonus. I beg to move:

Page 17, line 3,-

for "eight months"

substitute "six months". (21)

माननीय अध्यक्ष : अब मैं श्री सुरेश कोडिकुन्निल जी द्वारा खण्ड 39 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 21 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूँ।

संशोधन मतदान के लिए रखे गए और अस्वीकृत हुए।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है:

"कि खण्ड 39 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 39 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 40 से 41 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड 42

माननीय अध्यक्ष : श्री एन.के.प्रेमचन्द्रन जी, क्या आप संशोधन प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Sir, I beg to move:

Page 19, *for* lines 5,-

substitute *"(a)* three representing employees;". (46)

Page 19, *for* lines 6 and 7,-

substitute *"(b)* seven representing employees from seven different trade unions; and". (47)

माननीय अध्यक्ष : अब मैं श्री एन.के.प्रेमचन्द्रन जी द्वारा खण्ड 42 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 46 और 47 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूँ।

संशोधन मतदान के लिए रखे गए और अस्वीकृत हुए।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है:

"कि खण्ड 42 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 42 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 43 से 50 विधेयक में जोड़ दिए गए।

(1905/YSH/RCP)

खंड 51

माननीय अध्यक्ष: श्री पी.आर. नटराजन, क्या आप संशोधन प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI P. R. NATARAJAN (COIMBATORE): Sir, I beg to move:

Page 23, lines 21 and 22, –

for "as assigned to him by the appropriate Government"

substitute "at a regular interval, as part of the mandated duty and initiate appropriate measures on the basis of the findings of inspection". (12)

माननीय अध्यक्ष: अब मैं श्री पी.आर. नटराजन द्वारा खंड 51 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 12 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष: श्री अधीर रंजन चौधरी, क्या आप संशोधन प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY (BAHARAMPUR): Sir, I beg to move:

Page 23, *after* line 43, –

insert "(a) If the Inspector-cum-Facilitator fails to perform his duty in accordance with the provisions of the code, he shall be punishable with imprisonment for a term not less than six months.". (48)

माननीय अध्यक्ष: अब मैं अधीर रंजन चौधरी द्वारा खंड 51 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 48 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

"कि खंड 51 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 51 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 52 और 53 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड 54

माननीय अध्यक्ष: श्री सुरेश कोडिकुन्निल, क्या आप संशोधन प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI KODIKUNNIL SURESH (MAVELIKKARA): Sir, I beg to move:

Page 24, lines 25 and 26, –
for "fifty thousand rupees"
substitute "one lakh rupees". (22)

Page 24, *for* line 31, –
substitute "extend to six months or with fine which may extend to three lakh rupees, or with". (23)

Page 24, lines 34 and 35, –
for "twenty thousand rupees"
substitute "fifty thousand rupees". (24)

Page 24, line 37, –
for "five years"
substitute "three years". (25)

Page 24, *for* line 40, –
substitute "term which may extend to three months or with fine which may extend to fifty thousand". (26)

Page 24, line 49, –
after "time period"
insert "of three weeks". (27)

Page 25, line 4, –
for "five years"
substitute "three years". (28)

माननीय अध्यक्ष: अब मैं सुरेश कोडिकुन्निल द्वारा खंड 54 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 22 से 28 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन मतदान के लिए रखे गए और अस्वीकृत हुए।

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

"कि खंड 54 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 54 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 55 से 69 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड 1

माननीय अध्यक्ष: श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन, क्या आप संशोधन प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Sir, I am not moving the amendment.

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

"कि खंड 1 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 1 विधेयक में जोड़ दिया गया।

अधिनियमन सूत्र और नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

श्री संतोष कुमार गंगवार : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(FOR REST OF THE PROCEEDINGS, PLEASE SEE THE SUPPLEMENT.)